गुरूवार, 5 अगस्त 1982

14 श्रावण 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 18, गुरुवार, 5 अगस्त, 1982/14 श्रावण, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 366, 367 और 370 से 373	2-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 368, 369 और 374 से 387	20-29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4033 से 4047, 4049 से 4206, 4208, 4209 और 4212 से 4270	29—186
सभा पटल पर रखे गये पत्र	186—188
राज्यसभा से सन्देश	188—189
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	189
इन्डियन एयरलाइन्स के विमान का 4 अगस्त, 1982 को अपहरण किए जाने के बारे में वक्तव्य	
श्री अनन्त प्रसाद शर्मा	190-192
दंड विधि (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया जाना	192-202
कार्य-मंत्रणा समिति	
34वां प्रतिवेदन	202-204
नियम 377 के अधीन मामले	204-209
(एक) फिलिपीन से नारियल के तेल का आयात	
प्रो० पी० जे० कुरियन	204
(दो) उत्तर प्रदेश के कतिपय विकास प्रखंडों को आदिवासी क्षेत्र घोषित करना	
श्री हरीश रावत	205
(तीन) आकाशवाणी के कटक केन्द्र का आधुनिकीकरण	205
श्रीमती जयन्ती पटनायक	205
(चार) बरौनी में कैप्रोलेक्टम प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता	
श्रीमती कृष्णा साही	206
(पांच) उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में परिवहन सुविधायों का विकास करने की आवश्यकता	
श्रीमती ऊषा वर्मा	206-207
(छः) मुरादाबाद में छावनी बनाने के लिये अधिगृहीत की गई भूमि का पर्याप्त मुआवजा देना	
श्री गुलाम मोहम्मद खान	207

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(सात) केरल में कल्लाड बांध के निर्माण से प्रभावित किसान परिवारों का पुनर्वास करने की आवश्यकता	
श्री पी० के० कोडियन	207-208
(आठ) उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले का और शाहजहांपुर जिले की पुवायन तहसील का विभाजन	
श्री हरीश कुमार गंगवार	208
(नौ) पुराने लाइन्स की कोंकण सेवा में तीव्र गति से चलने वाले जहाज शुरू करने की आवश्यकता	
श्री बापूसाहिब परुलेकर	208-209
(दस) पहाड़पुर, कलकत्ता में एल० पी० जी० बोटलिंग/प्लांट का निर्माण-कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता	
श्री सोमनाथ चटर्जी	209
असम राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के प्रवर्तन को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प	
असम बजट, 1982-83—सामान्य चर्चा	
अनुदानों की मांगें (असम), 1982-83 और	
आवश्यक सेवा (असम) के अन्तर्गत अधिसूचना के बारे में सांविधिक संकल्प जारी	210-272
श्री राम जेठमलानी	210-217
श्री चन्द्रशेखर सिंह	217-219
श्री राम विलास पासवान	220-223
श्री जैनल बशर	233-226
श्री रवीन्द्र वर्मा	226-233
श्री राजेश पाइलट	223-236
श्री इन्द्रजीत गुप्त	236-245
आचार्य भगवान देव	245-250
श्री हरीश कुमार गंगवार	250-254
प्रो० सत्यदेव सिंह	254-256
श्री चित्त बसु	259
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	259-260
श्री जी० एम० बनातवाला	260-264
श्री आर० वेंकटरामन	264-272
सदन द्वारा स्वीकृति अनुदानों की मांगें (आसाम) 1982-83	273-277
लोक सभा में मत विभाजन	277-281
असम विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1982	281
पुर: स्थापित/विचार करने का प्रस्ताव	281
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	281
प्रो० अजित कुमार मेहता	282-283
श्री रामावतार शास्त्री	283-284
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	284-286
खंड 2, 3 और 1	286
पास करने का प्रस्ताव	286
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	286

लोक सभा

गुरूवार, 5 अगस्त, 1982/14 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप आ गये ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : आज आप को रेनी-डे की छुट्टी नहीं देनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय : लगता तो ऐसा ही है । मुझे तो कल भी ऐसा ही लग रहा था और आज भी ऐसा ही लग रहा है ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय—मुझे सभा को इस सदन के वर्तमान सदस्य श्री डी० कामाक्षैया तथा भूतपूर्व सदस्य श्री त्रिभुवन नारायण सिंह के दुःखद निधन की सूचना देनी है ।

श्री डी० कामाक्षैया आंध्र प्रदेश के नेल्लोर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान सदस्य थे । इससे पहले वह वर्ष 1971-79 के दौरान पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य रह चुके थे । वह गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के सदस्य थे । वह क्रमशः 1972-74 और 1977-79 में अनुसूचित जाति और जनजातियों सम्बन्धी समिति के तथा नौवहन और परिवहन सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रह चुके थे ।

जी० टी० एक्सप्रेस में अपने परिवार सहित यात्रा करते हुए वह अचानक ही बीमार पड़ गए । काजीपेट में रेलवे विभाग के डाक्टर ने उनकी देखभाल की और डाक्टर द्वारा उन्हें महात्मा गाँधी मैमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल, वारंगल ले जाया गया । उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी थे । 3/4, अगस्त, 1982 को लगभग आधीरात के समय उनका निधन हो गया ।

सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में, वह अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण कार्य में लगे रहे थे ।

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह 1950-58 के दौरान संसद के और पहली तथा दूसरी लोक-सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने क्रमशः उत्तर प्रदेश के बनारस जिला (पूर्व) और तदनन्तर चन्दौली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । इसके बाद 1965 से 1976 के दौरान वह राज्य सभा के सदस्य रहे ।

वह एक विख्यात पत्रकार तथा अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी थे । उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अनेक बार जेल गए ।

वह 1957-58 में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे, और पहले उनके सदस्य के रूप में काम करते रहे । वह योजना आयोग के भी सदस्य थे और भारत सरकार की अन्य बहुत सी

समितियों/आयोगों जैसे—प्रेस आयोग, अधिक-अन्न उपजाओ, जांच समिति और प्रशासनिक सुधार आयोग आदि, से भी संबद्ध रहे।

1964-67 के दौरान केन्द्रीय सरकार का मंत्री के रूप में उन्होंने कई विभाग संभाले। 1970-71 में वह करीब 6 महीने तक उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। 1977 से 1981 तक वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे।

एक अनुभवी संसद सदस्य के रूप में उन्होंने सदन की कार्यवाही में बहुत दिलचस्पी ली।

78 वर्ष की आयु में 3/4 अगस्त 1982 की लगभग आधी रात को वाराणसी में उनका देहांत हो गया।

हमें इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक है। और मुझे विश्वास है कि यह सदन शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनाएं पहुँचाने में मेरा साथ देगा।

सभा अपना शोक व्यक्त करने के लिए कुछ क्षण के लिए मौन खड़ी हो।

तत्पश्चात् सदस्य कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गुजरात में वैगनों का लदान बन्द किया जाना

* 366. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे द्वारा गुजरात के 112 रेलवे स्टेशनों पर 10 अप्रैल, 1982 से वैगनों का लदान और स्थानीय तथा सीधी बुकिंग बन्द किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इतनी बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों पर इस प्रकार बुकिंग बन्द किए जाने से रेलवे को वित्तीय रूप से लाभ होगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे के इस निर्णय का विरोध किए जाने के समाचार मिले हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार इस निर्णय को रद्द करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) : कार्य-प्रणाली को युक्तियुक्त बनाने के उद्देश्य से, जहां यातायात काफी कम है, बन्द कर दिए गए हैं। प्रारम्भ में, पश्चिम रेलवे ने गुजरात राज्य में 119 स्टेशनों को 10-4-1982 से यातायात के लिए बन्द करने का प्रस्ताव रखा था। परन्तु, इसके विरोध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव की पुनरीक्षा की गयी थी। पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप, प्रारम्भ में प्रस्तावित 119 स्टेशनों में से पश्चिम रेलवे पर केवल 17 स्टेशन यातायात के लिए बन्द किए गए है।

श्री नरसिंह मकवाना : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गुजरात में जो 119 रेलवे स्टेशनों का बुकिंग बन्द करने का प्रस्ताव था, वह किस की तरफ से आया था और उसके अमल के लिए कोई नोटिस जारी किया था और उस प्रस्ताव के आने के बाद इसका अमल किस तारीख से किस तारीख तक हुआ ?

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, अनएकानामिक गुड्स टर्मिनल स्टेशनों को बन्द करने के विषय पर 26-9-81 को विचार किया है और यह डिसीजन लिया है कि ऐसे अनएकानामिक गुड्स टर्मिनल स्टेशन जितने भी हैं, जिनमें दिन में एक वैगन का लोडिंग भी नहीं होता है, उन को बन्द करने का निर्णय लिया गया है और गुजरात में ऐसे 119 स्टेशनों का पहले एसेसमेंट हुआ। फिर बाद में जब मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट और कामर्स एण्ड इंडस्ट्री चैम्बर्स की ओर से रेप्रेजेन्टेशन्स आए, तो फिर रिव्यू करके, सिर्फ 17 स्टेशनों को क्लोज किया है। ये ऐसे स्टेशन हैं, जिनमें प्रतिदिन एक वैगन से बढ़ कर भी बुकिंग नहीं है।

श्री नरसिंह मकवाना : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे 17 स्टेशन कौन से हैं, जिनमें बुकिंग का काम बन्द कर दिया गया है और कितना बुकिंग होना चाहिए, उसके लिए कोई मापदंड आपने तय किया है और वह मापदंड क्या सारे देश के लिए एक ही है या अलग-अलग जोन्स के लिए अलग-अलग है।

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, 17 स्टेशनों के नाम तो मेरे पास हैं जैसे लिमबोदरा, पिलवाल रोड, गरीता कोलवेडा, वसई दाभला लेकिन इन सबका नाम पढ़ना मुनासिब नहीं होगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुनासिब क्यों नहीं होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मुनासिब नहीं, इनके कहने का मतलब यह है कि इस वक्त इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन : आप कहें, तो मैं पढ़ दूं। लोदरा, अनाखोल, भोयानी।

अध्यक्ष महोदय : छोड़िये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे इसे लिखित रूप में दे सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : दूसरा जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो रेलवे की जो यह पालिसी है, वह सब जोनल रेलवेज में यही पद्धति लागू की गई है।

श्री अहमद मोहम्मद पटेल : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि चैयरमैन, रेलवे बोर्ड ने क्या यह डिसीजन लिया है या इंस्ट्रक्शन्स दी हैं कि वे रेलवे स्टेशन जहां गाड़ियां 10 मिनट से कम रुकती हैं, वहां लोडिंग या अनलोडिंग न की जाए और जो इस वक्त है उसको बन्द किया जाए। यह डिसीजन सिर्फ वेस्टर्न रेलवे के लिए लिया गया है या सब रेलवेज के लिए लिया गया है और इस डिसीजन को लेने का मकसद क्या है। इससे रेलवे की आय में क्या कोई कटौती हुई है ? और जिस मकसद के लिए किया गया है वह मकसद हल हुआ है या नहीं ?

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि असल में नेशनल ट्रान्सपोर्ट पालिसी कमेटी 1980 में बैठी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह डिसीजन लिया गया है मगर जहां जहां से भी रेप्रेजेन्टेशन्स आए हैं, उन पर गौर किया है। यह जो डिसीजन है यह केवल वेस्टर्न रेलवे में नहीं लिया है, सब जगह लिया है और जैसा कि मूल में बताया गया है कि जहां 119 ऐसे स्टेशन बन्द होने वाले थे, उसके मुकाबले में अब केवल 17 स्टेशन बन्द किये हैं। इससे माननीय सदस्य अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितने रेप्रजेन्टेशन्स पर पुनः गौर किया गया है।

आइन्दा के लिए भी यही पालिसी है कि जहां कहीं कठिनाई है, और जहां कहीं से रिप्रेजेन्टेशन आयेगा, उस पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा और उस स्टेशन को चालू करने के बारे में कोशिश की जाएगी।

श्री अहमद मोहम्मद पटेल : इसका मकसद क्या है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जिन स्टेशनों पर चार-पांच वेगनों का लदान या बुकिंग होती है वहां वैगंस हाल्ट करना और इंजिन ले जाना काफी अनइकोनोमिक है। जिन स्टेशनों के चार-पांच किलो मीटर की दूरी पर दूसरे हाल्ट हैं, ऐसे ही स्टेशनों को बन्द किया गया है। इसके लिए ऐसी पालिसी बनायी गयी है कि इनके बारे में केवल जनरल मैनेजर तय नहीं करेंगे, मिनिस्ट्री से पूछने पर यह तय किया जाएगा।

श्री दीनबन्धु वर्मा : क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि अहमदाबाद से डूंगरपुर के लिए डायरेक्ट गुड्स बुकिंग नहीं होती है जबकि यह इकोनोमिकली वाएबल है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इससे ही उठता है।

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, अहमदाबाद से डूंगरपुर के लिए बुकिंग नहीं होती है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब भिजवा देना।

क्षेत्रीय पारपत्र (पासपोर्ट) कार्यालय, अहमदाबाद में लम्बित पड़े पारपत्र आवेदन

* 367. श्री नवीन रवाणी :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या विदेश मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, अहमदाबाद में लम्बित पड़ें आवेदन पत्रों की संख्या 1 जुलाई, 1982 को कितनी थी;

(ख) वर्ष 1981 के दौरान कितने नए आवेनन पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितनों को पारपत्र जारी किए गए;

(ग) कितने आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया और उनको अस्वीकार करने के मुख्य क्या कारण थे!

(घ) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, अहमदाबाद के विरुद्ध कुछ ऐसी शिकायतें हैं कि वे पासपोर्ट जारी करने में जानबूझ कर देरी कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन पत्रों की तेजी से निपटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ङ) : सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

क्षत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में 1 जुलाई, 1981 को विचारार्थ शेष आवेदन-पत्रों की संख्या 15,770 थी।

वर्ष 1981 के दौरान में नये आवेदन-पत्रों की संख्या 71,864 और इसी वर्ष जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या 69,181 थी।

वर्ष 1981 के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद ने पासपोर्ट का कोई भी आवेदन रद्द नहीं किया।

वर्ष 1981 के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद के विरुद्ध पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब की 47 शिकायतें मिली थीं। लेकिन यह पाया गया कि इन मामलों को निपटाने में जानबूझ कर कोई विलम्ब नहीं किया गया था। अधूरे प्रलेखों, अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं और पासपोर्ट पुस्तिकाओं की कमी के कारण विलम्ब हुए थे।

अतिरिक्त पासपोर्ट पुस्तिकाएं सप्लाई करने और अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे पुलिस रिपोर्ट शीघ्र भेजा करें।

श्री नवीन रवाणी : 15,770 विचारार्थ-शेष आवेनन पत्रों में से कितने आवेदन पत्र ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से आए, वे विचारार्थ-शेष क्यों पड़े हैं और पारपत्र कार्यालय, अहमदाबाद, को ये आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुए थे और कब तक उन्हें निपटाया जाएगा ?

क्या यह सच है कि पारपत्र कार्यालय, अहमदाबाद ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राथमिकता देता है और गलत सूचना पर भी पारपत्र जारी कर देता है ? उदाहरण के लिए, हाल ही में, खतरनाक तस्करों और उनके सहयोगियों जैसे इंदु, रेखा और कादर भट्टी को पारपत्र जारी किए गए। अत्याचार और भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिली हैं और पारपत्र जारी करने के भ्रष्टाचार की निश्चित दर है। क्या सरकार भ्रष्टाचार दूर करने की दृष्टि से शीघ्र पारपत्र जारी करने की न्यूनतम अवधि निश्चित करेगी ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : विचारार्थ-शेष आवेदन पत्रों की जो संख्या 15,770 बताई गई है, इसका यह अर्थ नहीं कि उसके बाद आवेदन पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई। यह 1 जुलाई 1981 की स्थिति है। एक बात यह है किसी भी समय लम्बित आवेदन पत्रों का अर्थ है कि आवेदनपत्र कार्यवाही की विभिन्न प्रक्रियाओं में हैं। अत: यह स्पष्ट

है कि इन आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की गई है, और उनमें से अधिकांश को पारपत्र जारी कर दिए गए हैं। अब हम 1982 वर्ष में हैं। एक वर्ष पहले यह सब हुआ था। अतः 1981 के आंकड़े अभी तक वही नहीं बने हुए हैं। वास्तव में प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर स्पष्ट है जिसमें बताया गया है कि 1981 के दौरान 71,864 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उस वर्ष 69,181 पारपत्र जारी किए गए। अतः इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि एक साल में 72,000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए और 69,000 पर कार्यवाही पूरी कर दी गई। और 75 अतः कार्य में प्रगति किसी भी तरह कम नहीं हुई है और अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ। एजेंटों सम्बन्धी आंकड़ों के बारे में, मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि हम एजेंटों के माध्यम से प्राप्त आवेदनपत्रों के अलग से आकड़े नहीं रखते हैं।

श्री नवीन रवाणी : ट्रैवल एजेंसियों के सम्बन्ध में, मैंने मन्त्री महोदय से कहा है कि पारपत्र कार्यालय अहमदाबाद ने गलत सूचना पर खतरनाक तस्करों जैसे रेखा, इदु और कादर भट्टी को पारपत्र जारी किए हैं। क्या आपने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है या कोई कार्रवाई करने का विचार है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि माननीय सदस्य मुझे पूरा ब्योरा दें, तो मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि स्थिति क्या है।

श्री नवीन रवाणी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विचाराधीन-शेष आवेदनपत्रों, तथा अरब देशों को जाने के इच्छुक अकुशल और निपुण श्रमिकों की भारी संख्या तथा हज पर जाने के इच्छुक यात्रियों, जो सौराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से अहमदाबाद आए हैं, की संख्या को देखते हुए राजकोट में एक दूसरा कार्यालय खोलने पर विचार करेगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : नए कार्यालय खोलने की वांछनीयता की पुनरीक्षा की जा रही है। इसके लिए पहले ही कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं। यदि माननीय सदस्य मुझे यह बताने की कृपा करें कि उन्होंने किस जगह पर कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है तो हम निश्चय ही कार्यभार की जांच करेंगे।

श्री नवीन रवाणी : राजकोट।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम कार्यभार की जांच करेंगे और निर्णय लेंगे।

श्री मोहन लाल पटेल : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी एम्बेसीज वीसा प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही है और पाकिस्तान में उनके संबंधियों की गम्भीर हालत होने पर भी उन्हें बहुत लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ता है। क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले पर बात की है अथवा करने जा रहे हैं ? भारत में कितने पाकिस्तानी हैं ऐसे जिनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है ? इन अनाधिकृत पारपत्रों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने जा रही है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप पारपत्रों से एकदम वीसा पर कैसे आ गए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री पण्डित ।

डा० बसन्त कुमार पण्डित : माननीय सदस्य ने पारपत्र जारी करने में देरी और लंबित पारपत्रों के ये कारण बताये हैं...अधूरे दस्तावेज, स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाएं और पासपोर्ट पुस्तिकाओं की कमी । सरकार ने ऐसी स्थिति बताई है और अन्तिम पैरा में यह कहा गया है कि "अतिरिक्त पासपोर्ट" पुस्तिकाएं सप्लाई करने और अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं । राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वह पुलिस को रिपोर्ट शीघ्र भेजा करें ।" इन तीन बातों के कारण ही सभी पारपत्र कार्यालयों में पारपत्र जारी करने में लगातार परेशानी हो रही है । यह उत्तर जुलाई, 1981 को किए गए प्रश्न पर दिया जा रहा है । जुलाई, 1981 में वैसी स्थिति थी और यहां तक कि आज भी सरकार कहती है कि वे व्यवस्था कर रहे हैं, वे पारपत्र पुस्तिकाएं दे रहे हैं, अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्ति कर रहे हैं और राज्य पुलिस से अनुरोध कर रहे हैं कि वे पुलिस रिपोर्ट शीघ्र भेजा करें आदि । देरी होने के निरन्तर यही कारण रहे हैं । आज तक की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ये समस्याएं बनी हुई हैं लेकिन वे इतनी निरन्तर रूप से नहीं रही है जितनी माननीय सदस्य समझते हैं, क्योंकि 1978 में 10.46 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, 1979 में इनकी संख्या कम होकर 8.74 लाख तक हो गई और 1981 में बढ़कर यह पुन: 14.73 लाख तक पहुँच गई । अत: इतना अधिक उतार-चढ़ाव रहा है, कि कार्यभार में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप हमें पारपत्र तैयार करने और पारपत्र जारी करने सम्बन्धी प्रबन्ध में परिवर्तन करना पड़ा है । नासिक प्रेस हमें एक निश्चित संख्या में ही पुस्तिकाएं दे सकती है । वह निश्चित संख्या 1979 में अचानक कम हो गई, 1981 में पुन: यह 50 या 60 प्रतिशत तक बढ़ गई । अत: प्रेस को ये प्रबन्ध करने हैं और यदि इतने कम समय की सूचना में प्रबन्ध करना हो तो स्वभावत: कुछ गड़बड़ तो होगी । ही मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन सभी मामलों के बारे में कार्यवाही कर ली गई है और इतना ही नहीं हम तीन-चार स्थानों पर पुस्तिकाओं के बैंकों की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं जहां से हम थोड़े समय की सूचना देकर आवश्यकतानुसार जितनी भी पुस्तिकाएं चाहें ले सकते हैं । और इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी । प्रतिदिन तैयार होने वाली पुस्तिकाओं की संख्या अब 5000 से बढ़कर 7000 तक हो गई है । कुछ ही दिन पहले हमें वित्त मन्त्रालय से रिपोर्ट मिली है कि वे ऐसा करने के लिए सहमत हो गए हैं और इसलिए उस मामले में अब कोई कठिनाई नहीं होगी ।

पुलिस रिपोर्टों और अन्य रिपोर्टों के सम्बन्ध में, जिनमें राज्य सरकारों को कार्य करना होता है, हम इन्हें शीघ्र पूरा कराने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं और मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में तेजी से सुधार होगा ।

जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उस विशेष क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय के कार्यभार में उतार-चढ़ाव होता रहता है । हमें देखना है कि कर्मचारियों की संख्या में आवश्यक समायोजन होता रहे । हम वहां की कठिनाइयों तथा अव्यवस्था को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन

मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि यह कार्य शत-प्रतिशत पूरा नहीं किया जा सकता। हम इसे यथासम्भव सीमा तक कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री भीमसिंह : क्या मन्त्री महोदय यह निश्चय करने की कृपा करेंगे कि एप्लीकेंट को एक निश्चित पीरियड के अन्दर पासपोर्ट दे दिया जाए और अगर नहीं दिया जाता है तो उनका कारण बताया जाए कि उसको पासपोर्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आम तौर पर छः हफ्ते के अन्दर पास्पोर्ट दिया जा रहा है। देर जहां होती है वह ऐसे मौके पर होती है जबकि दरख्वास्तगार ने अपनी दरख्वास्त ठीक तौर से न भरी हो या फिर उसके साथ कारेसपांडेस करनी पड़ती है, उससे तफसील माँगनी पड़ती हो। तब देर होती है। अब उसके लिए हमने यह भी तय किया है, उपाय किया है कि जब दरख्वास्तगार दरख्वास्त लेकर आता है तो फौरन उसकी हम स्कूटिनी करते हैं और उसमें कोई कमी होती है तो बता देते हैं और कह देते हैं कि यह सब ले आओ : जहां डाक से दरख्वास्त आती है वहां पर तो डाक से ही उसको लिखना पड़ता है। कारेसपांडेस करनी पड़ती है तब थोड़ा विलम्ब हो जाता है।

बरेली काठगोदाम रेल लाइन

*370. **श्री हरीश रावत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली से काठगोदाम तक बड़ी रेल लाईन बिछाने का कार्य कब से शुरू किया जायेगा, और

(ख) इस कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है और इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बरेली-भोजीपुरा के बीच एक समानांतर बड़ी लाइन बिछाने और भोजीपुरा और काठगोदाम के बीच सीधे बदलाव से सम्बन्धित कार्य एक अनुमोदित कार्य है लेकिन योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। इस कार्य के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा होने तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच करने के बाद क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा बशर्ते योजना आयोग इसकी दे दे। 1982-83 के दौरान इस कार्य के लिए 20 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गयी है। योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद तथा धन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर इस कार्य के समापन की लक्ष्य तिथि निर्धारित की जायेगी।

श्री हरीश रावत : उत्तर प्रदेश की कितनी ऐसी लाइनें हैं जिनको ब्राड गेज के रूप में परिवर्तित करने के बारे में प्रलिमनरी इंजीनियरिंग सर्वे किया जा रहा है या किया जा चुका है या सर्वे के उपरान्त ये प्लानिंग कमिशन के सामने क्लीयरस के लिए पेश की जा चुकी हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : जो मैं पहले बता चुका हूँ उसके अलावा यू. पी. में ये और लाइनें हैं :

1. मुरादाबाद रामनगर मीटर गेज रेलवे लाईन को बड़ी लाइन में बदलना।

2. काशीपुर लाल कुआ मीटरगेज लाईन को बड़ी लाइन में बदलना तथा लाल कुआ और न्यू हल्दवानी के बीच एक समानान्तर बड़ी रेलवे लाईन बिछाना।

3. भालनी-वाराणसी।

श्री हरीश रावत : उत्तर प्रदेश में इस लाइन के कनवर्शन का मामला बहुत पहले से चल रहा है और सर्वे भी चल रहा है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो सर्वे चल रहा है यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

इसी के साथ साथ जो दूसरी इम्पार्टेंट लाइन है काठगोदाम, पीलीभीत, लखनऊ इसको भी मीटर गेज से ब्राड गेज लाइन के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपके मंत्रालय के पास भेजा है। इस पर आप कब तक विचार पूरा कर लेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : जो सर्वे का प्रश्न है इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह चल रहा है और जैसे ही वह पूर्ण हो जाएगा—

श्री हरीश रावत : कब तक हो जाएगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत इस वास्ते नहीं है कि बीस लाख रुपये इस लाइन के वास्ते सैंक्शन किये जा चुके हैं। किन्तु इस सर्वे के बाद जब रेल मंत्रालय परीक्षा करके फिर उस चीज को प्लानिंग कमीशन के सामने लेकर जाएगा तब प्लानिंग कमिशन की जब तक क्लीयरेंस नहीं मिलेगी, इस कनवर्शन को हाथ में लेना मुश्किल हो जाएगा। बरेली से भोजीपुरा पैरेलल लाइन और फिर भोजीपुरा से काठगोदाम का कनवर्शन है।

श्री अशफाक हुसैन : अभी जो कनवर्शन हुआ है, जिसको आमान परिवर्तन कहा जाता है वह हावड़ा से गोरखपुर और गोरखपुर से लखनऊ लाइन का हुआ है। इसको साल भर से ऊपर हो चुका है। और अभी जो नार्मल हालत होती है वह नहीं हो पायी है, मुसाफिरों को आने जाने का कष्ट है, डायरेक्ट गाड़ियां जो नहीं चल रही हैं वह अपनी जगह पर है, लेकिन जो गाड़ियां चलायी जा रही हैं उनकी हालत यह है कि छोटी लाइन की गाड़ी में जो 6 घंटे का समय लगता था, अब बड़ी लाइन की गाड़ी 6 घंटे के बजाय 10 घंटे में पहुंचाती है। लोग अपनी जगहों पर समय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। मंत्री जी से सवाल का जवाब पूछा जाता है तो कहते हैं अभी लाइन ठीक नहीं है। साल भर तो इसको बने हो चुका है जब से बड़ी लाइन की गाड़ी चलने लगी है। इसी के साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितना समय और लगेगा उस लाइन पर नार्मल गाड़ियां चलने लगें ? और कब सीधी गाड़ियां बड़ी परिवर्तित लाइन पर दिल्ली से हावड़ा तक चलाने की आप व्यवस्था करेंगे ? साथ ही सवारी गाड़ियों में डीजल इंजन लगायेंगे ताकि जल्दी से जल्दी समय के अन्दर गाड़ियां चल सकें ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उत्तर सहित एक पूर्ण प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है।

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि इस लाइन को बने हुए एक साल हो गया, मगर इसका कंसालीडेशन और स्टेबिलाइजेशन जो होना चाहिए वह अभी तक नहीं हुआ। उसकी हम देख रेख कर रहे हैं। और अभी पहले मीटर गेज पर जितनी गाड़ियां

चलती थीं उतनी गाड़ियाँ भी नहीं चल रही हैं। हमारी कोशिश यही है कि मीटर गेज के वक्त जितनी गाड़ियाँ इस पर चलती थीं उतनी ही गाड़ियां चलें।

जहाँ तक हावड़ा तक गाड़ियाँ चलने का प्रश्न है उसकी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष जी, जो ब्रोड गेज में कन्वर्जन हुआ है बाराबंकी से समस्तीपुर का, उस पर बाराबंकी से गोरखपुर तक जाने की दूरी 285 किलो मीटर है। जब मीटरगेज की गाड़ी चलती थी तो 6, साढ़े 6 घंटे में गाड़ी पहुँचती थी, लेकिन कन्वर्जन के बाद 10, 11 घंटे का समय लगता है।

अध्यक्ष महोदय : समय भी ब्रोड हो गया।

श्री हरिकेश बहादुर : हमने जब सवाल उठाया तो मंत्री जी का जवाब आया कि पहले उस पर 50 किलो मीटर की स्पीड दी गई थी, लेकिन अब कमिश्नर सेफ्टी ने कहा है कि 80 80 किलो मीटर की स्पीड दी जा सकती है। तो 285 किलो मीटर का फासला साढ़े 3 घंटे में पूरा होना चाहिए। लेकिन 80 किलो मीटर की स्पीड के बावजूद भी गाड़ी 10, 11 घंटे में पहुँचती है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके समय को कुछ घटाने के लिए मंत्री जी प्रबन्ध करेंगे ? और 50 किलो मीटर की स्पीट पर भी गाड़ी चले तो 6, साढ़े 6 घंटे में पहुँच जायगी।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अभी मैंने उत्तर दिया इस पर अधिक गाड़ियाँ चलाने का और समय की गति को तेज करने का इंतजाम किया जा रहा है।...

अध्यक्ष महोदय : समय की गति तेज कर रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : 50 से जो 80 किलो मीटर तक चलाने की इंजीनियर्स ने क्लीयरेंस दी है उसका जल्दी ही पालन करने की कोशिश की जायगी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री बनात वाला।

श्री जी० एम० बनात वाला : प्रश्न संख्या 371।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आप यह नहीं सोचते कि गृह मंत्री इस प्रश्न का अधिक अच्छा उत्तर देते ? क्योंकि इसका सम्बन्ध सरकार के अन्य मंत्रालयों से है।

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : निस्संदेह, वह बहुत ही सक्षम मंत्री हैं और मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु मैं नहीं समझता कि वह सभी प्रश्नों का उत्तर दे पायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : हमें पुल के आने पर ही उसे पार करना चाहिए। आप समय आने से पहले ही कूद रहे हैं।

उर्दू सम्बन्धी गुजराल समिति

*371. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री उर्दू सम्बन्धी गुज-

राल समिति के बारे में 25 मार्च, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 472 के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सम्बन्ध में उर्दू को बढ़ावा देने के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों पर गठित उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है और प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजराल समिति की रिपोर्ट पर शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचार प्राप्त हो गए हैं और यदि नहीं तो कौन-कौन से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचार प्राप्त नहीं हुए हैं तथा उनके कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है;

(घ) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विचारों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में उर्दू की तरक्की के लिए गुजराल समिति की सिफारिश पर विचार करने हेतु आप समिति ने अब तक पांच बैठकें बुलाई हैं। आशा है कि समिति अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे देगी।

2. गुजराल समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ शासित क्षेत्रों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को, जिन्होंने यह सूचित किया है कि रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है तथा इसके बाद ही टिप्पणियां उपलब्ध होंगी, इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए स्मरण पत्र भेज दिया गया है। नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय की राज्य सरकारों तथा दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, मिजोरम, पांडिचेरी तथा अरुणाचल प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने यह बताया है कि उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कर्नाटक, मणिपुर तथा गोवा, दमन तथा द्वीव राज्यों से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है। उन्हें बार-बार स्मरण कराया जा रहा है। जहां तक भारत सरकार के विभागों तथा मंत्रालयों का सम्बन्ध है, लगभग इन सबसे टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।

3. क्योंकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। अत: इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है। तथापि मंत्रालय मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए सभी सम्भव प्रयास कर रहा है।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य का विषय है कि गुजराल

समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन को अनावश्यक रूप से अधिक लम्बे समय तक लटका दिया गया है। गुजराल समिति के बारे में पूरा प्रश्न अब लगभग एक दशक पुराना हो गया है। गुजराल समिति 5 मई, 1982 को नियुक्त की गयी थी। इसकी रिपोर्ट सरकार को 8 मई, 1975 को प्रस्तुत की गयी थी। यह रिपोर्ट 21 फरवरी, 1979 को सभा पटल पर रखी गयी थी। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वह इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वास्तव में गम्भीर है। सिफारिशों के दो निम्न पहलु हो सकते हैं। मैं पहले सिफारिशों के···

डा० कृपासिन्धु भोई : उर्दू में बोलिए।

अध्यक्ष महोदय : वह बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं।

श्री इन्द्रजीत यादव : दूसरी दफा वह उर्दू में बोलेंगे।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह मोहम्मद अली जिन्ना की तरह हैं, वह उर्दू में नहीं बोल सकते।

श्री जी० एम० बनातवाला : स्पीकर साहब, हमें बतलाया गया है कि जहां तक मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों का ताल्लुक है एक कमेटी इसकी जांच कर रही है हमें बतलाया गया कि इस कमेटी की 5 मीटिंगें हो चुकी है।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री उर्दू समझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ दुभाषिये की सुविधाओं का भी प्रावधान किया है।

श्री जी० एम बनात वाला : मैं यह पूछना चाहूंगा कि कमेटी जो भटकती शोधों के बारे में है, इस को कब कांस्टीट्यूट किया गया था, मुकर्रर किया गया था ? इसने अब तक सिर्फ 5 मीटिंगें की हैं, इनकी मीटिंग की तारीखें क्या हैं ? क्या यह सच नहीं है कि इनकी आखरी मीटिंग आज से 6 महीने पहले 29 जनवरी, 1982 को हुई थी ?

गुजिश्ता बार भी मेरे सवाल के जवाब में यह कहा गया था कि अब एक और मीटिंग में फाइनैलाइज होगा, आज भी वही जवाब दिया जा रहा है। जब तमाम डिपार्टमेंट्स के कमैंट्स आ चुके हैं और यह कमेटी सिर्फ उन कमैंट्स की जांच कर रही है, तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने में ? यह जो देर लग रही है, इस सिलसिले में सीरियसली आप कह रहे हैं, जरा इस ऐवान को यह बतलायें।

अध्यक्ष महोदय : बजा फरमाया।

श्री पी० के० थुंगन : गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान)।

मैं आशा करता हूं कि अंग्रेजी और उर्दू दोनों बोली जा सकती हैं मैं अंग्रेजी में व्यक्त करूंगा क्योंकि अंग्रेजी में मैं अधिक अच्छी तरह व्यक्त कर सकता हूं।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : मुझे मालूम है कि वह हिन्दी बोल सकते हैं।

श्री पी० के० थुंगन : जो माइनर रिकमैंडेशन था, गुलराल कमेटी का, उसको इम्पली-

मेंट करने के लिए जहां तक एजूकेशन मिनिस्ट्री है, कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में आपको यह जानकर खुशी होगी कि रेडियो और दूरदर्शन पर उर्दू में प्रसारण की अवधि तथा संख्या में वृद्धि उर्दू अध्यापकों का प्रशिक्षण..."

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : यह बहुत लम्बा चौड़ा है, पुरानी बात है।

श्री पी. के. नरसिंह राव : पुरानी बात चलती रहेगी।

श्री पी० के० थुंगन : और उर्दू अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना करना और उर्दू को प्रोत्साहन देने वाले ब्यूरो को मजबूत बनाने जैसी छोटी-मोटी सिफारिशों का कार्यान्वयन।"

अब तक हमने 338 किताबें उर्दू में बनाई हैं जिनमें 71वें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य पुस्तकें भी शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों में 1,20,000 शब्दों का विकास किया है। इस प्रकार से बहुत सी माईनर रिकमेंडेशन्ज जो इस मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखती है, हम इम्पलीमेंट करने की कोशिश कर रहे है।

दूसरी कुछ रेकमेंडेशंस इस प्रकार की है जो थ्री लैंग्वेज फारमूला को अमेंड करने के लिए हैं। इस प्रकार की जो रेकमेंड़ेशंस हैं उन को सिर्फ यह मिनस्ट्री लागू नहीं कर सकती है। हर स्टेट से उन की व्यूज मांगना जरूरी पड़ जाता है। इसलिए उन की व्यूज के लिए भेजा हुआ है। अभी तक लगभग सभी स्टेट्स ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, केवल तीन स्टेट्स हैं जिन की रिपोर्ट आनी बाकी है, वैस्ट बंगाल, कर्नाटक और मणिपुर और यूनियन टेरिटरीज में गोवा, दमन और ड्यू की रिपोर्ट आनी बाकी है।

सदस्य महोदय, ने प्रश्न किया सब कमेटी जो बनाई गई थी उस के बारे में, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि तरक्किये उर्दू बोर्ड की रेकमैंडेशंन के मुताबिक 4 जून 1979 को यह बनाई गई थी। उस के बाद पाँच मीटिंग्स इस सब-कमेटी की हो चुकी हैं। मेम्बर महोदय डेट्स भी जानना चाहते हैं तो मैं ये डेट्स भी दे देना चाहता हूं...।

एक माननीय सदस्य : वह बाद में दे दीजिएगा।

श्री पी. के. थुंगन : अच्छा, तो वह में बाद में दे दूंगा।

इस प्रकार की पांच मीटिंग्स कर चुके हैं इस सब-कमेटी की। जिस समय में न मार्च में इस सदन में इसी प्रकार के प्रश्न का जवाब दिया था उस के बाद दो और स्टेट्स से हम ने रिपोर्ट मंगाई है और कुछ स्टेट्स में हमने अपने आफिसर्स भेजे हैं रिपोर्ट जल्दी भेजने की कोशिश करने के लिए। जब ये रिपोर्ट आ जायेंगी उस के बाद फिर जितनी जल्दी हो सकता है सब कमेटी की मीटिंग बैठेगी और फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी।

श्री जी. एम. बनातवाला : यह कमेटी जून 1979 में मुकर्रर की गई थी। तीन वर्ष गुजर चुके हैं। गुजराल कमेटी की सिफारिशात मौजूद हैं। सारे सैंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं उन की कमेट्स मौजूद हैं। उसके बावजूद इस कमेटी का काम पूरा नहीं हो रहा है। लास्ट मीटिंग इस की आज से छः महीने पहले हुई। बार बार मुझे यही जवाब दिया जा रहा है कि आइन्दा मीटिंग होने वाली है। आखिर इस काम को जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। यह तो एक बात है।

लेकिन अब वजीरे मौसूफ बहुत गड़बड़ा रहे हैं । गुजराल कमेटी की सिफारिशात के दो पहलू हैं । एक पहलू का ताल्लुक सैंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स से है । वह तो कमेटी बन गई और वह देख रही है । दूसरा पहलू है जिस का ताल्लुक स्टेट्स से है । जो रेकमेंडेशंस स्टेट्स के मुताल्लिक हैं उन के लिए किसी किस्म की कोई कमेटी नहीं है । जहां तक मैं समझता हूं कमेन्ट्स मांगे गए हैं । कर्नाटक ने भी अभी कमेंट्स नहीं भेजे हैं । सवाल यह है कि ये तमाम कमेंट्स जो मुख्तलिफ रियासतों से आए हैं उन के डीटेल्स क्या है ? इन रियासतों ने अपनी ब्यूज गुजराल कमेटी की सिफारिशों के बारे में क्या पेश की है । मैं ने यह सवाल (डी) में किया था, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला । क्या वजीरे मौसूफ सब रियासतों से जो कमेंट्स मिले हैं उन की कोई समरी इस ऐवान की मेज पर रखेंगे ? इसके अलावा इन कमेंट्स की जांच कौन कर रहा है और इन कमेंट्स के ऊपर, जोकि रियासतों से मिल रहे हैं, इनको अमली जामा पहनाने का काम कौन अन्जाम देगा और कब अन्जाम देगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपने यह शेर सुना होगा : वायदा ही क्या जो वफा हो गया ।

श्री पी. के. थुंगन : नेक काम में समय तो लगता ही है ।

अध्यक्ष महोदय : जवाब से लाजवाब कर दिया आपने ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है कि कई प्रदेशों ने अपनी प्रतिक्रियायें लिखकर भेज दी हैं और कई प्रदेशों ने नहीं भेजी हैं, क्या उनमें कोई ऐसा प्रदेश भी है जिसने गुजराल कमेटी के प्रति आपत्ति प्रकट की हो ? यदि हां, तो वह आपत्तियां क्या हैं ?

श्री पी. के. थुंगन : आपत्ति तो वैसे किसी स्टेट ने की नहीं है लेकिन अपनी अपनी स्टेट के जो विचार हैं, जिस प्रकार से जहां ज्यादा उर्दू स्पीकिंग पापुलेशन है वहां उनकी सहूलियत के मुताबिक, और जहां उर्दू स्पीकिंग पापुलेशन नहीं है वहां किस प्रकार से होना चाहिए, उसके बारे में उनकी रिकमेंडेशन्स आई हैं । जैसाकि पहली दफा भी मैंने कहा था कि नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स से बहुत से लोगों ने इस प्रकार के कमेंट भेजे हैं कि उनका कोई कमेंट नहीं है । इसी प्रकार से दूसरी स्टेट्स, जिनमें उर्दू स्पीकिंग पापुलेशन ज्यादा है उन्होंने इसके प्रति अपनी ब्यूज भेजी हैं । लेकिन आपत्ति या विरोध किसी ने नहीं किया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : स्पीकर साहब, मैं मोहतराम वजीरे तालीम से यह जानना चाहता हूं, क्या वे बताने की तकलीफ गवारा करेंगी कि गुजराल कमेटी मुकर्रर इसलिए की गई थी कि मुल्क में उर्दू जबान बोलने वालों में काफी बेजारी थी और वे महसूस करते थे कि उनकी जो मादरी जबान उर्दू है उसको बढ़ाने और उसकी तरक्की का काम सूबाई सरकारों ने करीब करीब बिकुल्ल छोड़ दिया है, इसलिए मर्कजी सरकार ने लोगों के जजबात को ख्याल में रखते हुए इस कमेटी को मुकर्रर किया ।

जिसको मुकर्रर किए हुए दस साल हो गए और रिपोर्ट आए भी सात साल हो गए इसलिए क्या उन्हें इस बात का अहसास है कि लोगों की बेजारी और परेशानी बढ़ने लग गई है और क्या वे महसूस करती हैं कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला में तब्दीली करने सिलसिले में जो उनकी

रेकमेंडेशन थी उस पर गौर होना चाहिए और क्या उन्होंने मुताल्लिक मिनिस्ट्रीज से, बैठकर इसपर कोई गौर किया है ? अगर गौर किया गया है तो इस बारे में क्या पालिसी फैसला लिया गया है ?

दूसरी बात यह है कि इस ऐवान में बार बार यह कहा गया है कि कई सूबाई सरकारें ऐसी हैं जोकि उन्हें जो करना चाहिए था उसको नहीं किया है, जैसे कि टीचर्स की ट्रेनिंग और उनका एप्वाइन्टमेंट—इन कामों को भी वह नहीं कर रही हैं, तो क्या मर्कज में कोई ऐसी कमेटी है जो कि इसको मानीटर करती हो कि यह सिफारिशें ठीक से लागू हो रही हैं या नहीं ?

शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मान्यवर, माननीय सदस्य ने भी कुछ जानकारी के लिए पूछा है कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला में संबंध में गुजराल कमेटी की क्या रेकमेंडेशन थी तो उस कमेटी ने यह कहा कि खाली थ्री लैंग्वेजेज नहीं होनी चाहिए, चार लैंग्वेजेज होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जबान के मसले को पार्लियामेंट ही करती है और पार्लियामेंट ने ही इस फार्मूले को बनाया था। इसलिए जब माननीय सदस्य इस का पार्लियामेंट के सामने लायेंगे उस वक्त इस पर गौर किया जा सकता है।

वह यह जानकारी भी लेना चाहते थे कि उस्तादों के बारे में हम क्या कर रहे हैं। पिछली दफा भी यह कहा गया था कि उर्दू पढ़ाने के लिए हम पूरी कोशिश में हैं कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाय। यह भी उस वक्त कहा था कि सोलन और पटियाला में इंस्टीचूट्स हैं जहां इन उस्तादों को उर्दू पढ़ाने का तरीका सिखाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी।

श्री राम अवतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी सवाल पूछने के लिए कहा था।

अध्यक्ष महोदय : अब टाइम हो गया है। 101 सवाल का जवाब नहीं मिलता है। आप हर वक्त ऐसा करते हैं। मैं हर समय आपको खुश नहीं रख सकता यह गलत है।...(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : आप कुछ लोगों को मौका देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं। पार्शियेलिटी होती है।

अध्यक्ष महोदय : यह हमेशा ऐसा ही करते हैं (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : शास्त्री जी, अगर आप को कुछ कहना है तो खड़े हो कर बात करें। (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ये सब अनुत्तरदायी रहेंगे।

उत्तर रेलवे में हुई रेल दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्ति तथा इस सम्बन्ध में दिया गया मुआवजा

*372. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तान पुरी :** क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण समा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे में हुई रेल दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये, और

(ख) मृतक के परिवारों को अब तक मुआवजे की कितनी धनराशि दी गयी है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1979-80 से 1981-82 तक तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे दुर्घटनाओं में 154 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गये यात्रियों के निकट संबंधियों को मुआवजे के रूप में 11,37,000 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है ।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में रेलवे कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है, स्टेटवाइज कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? क्या सब परिवारों को कम्पेंसेशन मिल गया है ? अभी कितने आदमियों को कम्पेंसेशन देना बाकी है ?

श्री मल्लिकार्जुन : नार्दर्न रेलवे में गुजिश्ता तीन सालों में 431 दुर्घटनाओं में 154 लोगों की मृत्यु हुई है, जिन में 40 कोलिजन्स में 51 लोगों की मृत्यु हुई, 314 डी रेलमेंट्स में 16 लोगों की मृत्यु हुई, लेवल-क्रासिंग्स पर मैण्ड और अन-मैंड में जो दुर्घटनाएं हुई वे क्रमशः 25 और 45 थीं, जिन में क्रमशः 29 और 55 लोगों की मृत्यु हुई । दुर्घटनाओं में मृत्यु का होना बहुत दुखद बात है । रेलवे तुरन्त एडहाक-क्लेम्ज कमिश्नर एप्वाइन्ट करती है और ये एडहाक क्लेम्ज कमिश्नर जो मुआवजा देना होता है उस पर गौर कर के फैसला करते हैं । अभी तक काफी लोगों को मुआवजा किया जा चुका है, लेकिन कुछ लोगों का क्लेम अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है । इस कानून में थोड़ी-बहुत कठिनाइयां है जिनके बारे में रिफार्म्ज कमेटी विचार कर रही है । जो विचार करने के बाद कुछ ऐसी व्यवस्था बनायेंगे कि भविष्य में मृत्यु होने पर उन के परिवारों को मुआवजा देने की कठिनाई दूर हो जाएगी ।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ये दुर्घटनायें किस सबब से हुई हैं, किन कारणों से हुई हैं ? क्या रेल की पटरियां ठीक नहीं थी या ट्रेन ठीक नहीं थी ?

दूसरे-कम्पेन्सेशन देने के लिए आप ने जो कमेटी बनाई है, वह कब तक निर्णय कर लेते हैं, क्या जिन को बेनिफिट मिलना है वे मर जाते हैं उस के बाद निर्णय होता है या शीघ्र विचार करती है ताकि शीघ्र निर्णय हो सके और उन लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके । तीसरी बात में यह जानना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : एक-एक बात कर के पूछिये ।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि सारे राज्यों में कितनी सम्पत्ति रेलवे की नष्ट हुई है इन एक्सीडेंट्स में ।

रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मान्यवर, कोलिजन्स में रेल दुर्घटनाओं में जहां तक लोगों के मरने का सवाल है, मैं यह बताना चाहता हूं कि 1979-80, 1980-81 और 1981-

82 में 40 एक्सीडेंट्स हुए और उन में 51 आदमियों की मृत्यु हुई है। मैंड रेलवे क्रोसिंग्स के ऊपर जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनमें 29 आदमी मरे हैं, जिनमें से 28 ऐसे आदमी हैं और एक रेलवे का आदमी है। आमतौर पर लेविल क्रोसिंग्स पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उन में फिलहाल कोई मुआविजा नहीं दिया जाता है। दूसरे अभी जो क्लेम्स देने का तरीका है, उस में परिवार की जो डेफीनीशन है, उस में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है जो रेलवे एक्ट में परिवर्तन कर के किया जा रहा है क्योंकि फिलहाल जो डिपेन्डेन्ट्स हैं, उन की परिभाषा के अनुसार अनमेरीड और अनएम्पलाइड मैंजर्स को कम्पेसेशन नहीं मिलता है लेकिन जो कम्पेसेशन पाने के हकदार हैं, उन सब को दिया जा रहा है और कलेम्स कमिश्नर इस को डिसाइड करता है। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी होती है कि अभी तक जो दुर्घटनाएं हुई हैं उन में जहां जहां क्लेम्स कमिश्नर नहीं थे, वहां सब जगहें क्लेम्स कमिश्नर एपाइन्ट कर दिए गए हैं और वे इस काम को एक्सपीडाइट कर के मुआविजे का काम जल्दी करेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मान्यवर, पिछले कुछ समय से रेल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसा लगने लगा है कि शायद रेलवे विभाग में रेल दुर्घटना मन्त्री और बनाया जाए, तो तो शायद काम चलेगा। मन्त्री जी ने क्लेम्स की बात कही है, तो उस में क्या अमीर आदमी को ज्यादा पैसा मिलेगा और अगर गरीब आदमी मरता है, तो उस को कम पैसा मिलेगा। क्या इस प्रकार का आप का कोई नियम है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि मरने के लिए ज्यादा और चोट लगने के लिए कम राशि मिलेगी, ऐसी कोई बात है और क्या आप अलग अलग राशियां मुकर्रर करने जा रहे हैं।

इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मैं ने अखबार में पढ़ा था कि किसी सज्जन ने किसी यंत्र का आविष्कार किया है। इस बात की आप ने जानकारी हासिल की है और क्या उन से परामर्श किया है, जिन्होंने इस यन्त्र का आविष्कार किया है। वह यन्त्र रेल दुर्घटनाओं के लिए सचेत कर देता है। क्या उस डीवाइस को आप ने अख्तियार किया है, जिस से रेल दुर्घटनाएं न हों ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मान्यवर, जहां तक पिछली अप्रैल से जुलाई तक का सवाल है, कुल मिला कर नर्दन रेलवे पर 8 आदमी मरे हैं और सब रेलवेज में 44 आदमी मरे हैं। इस लिए पिछले तीन महीनों में दुर्घटनाओं में निश्चित तौर पर कमी हुई है। ट्रैक खराब होने की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उनका इन्तजाम किया गया था कलकत्ता साइड में लेकिन मेटल होने की वजह से उस की चोरी काफी हुई और वे सब निकाल लिए गए। इसलिए दूसरी डीवाइस ढूंढी जा रही है, जिस से ड्राइवर को यह पता लग सके कि कहां पर ट्रैक्स खराब है और वह स्पीड रस्ट्रिक्ट कर के गाड़ी चला सके या उसे रोक सके।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मुआविजे में कोई अन्तर है या नहीं, इस प्रश्न का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : एक सवाल का जवाब आ चुका है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या क्लेम की राशि अलग

अलग है। मृत्य पर ज्यादा और चोट लगने पर कम पैसा दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यह आप क्या कर रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस में मालदार और गरीब का सवाल नहीं है। मरने पर अधिक से अधिक 50 हजार रुपया देने का प्रावधान है और क्लेम्स कमिश्नर इसको डिसाइड करता है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आधार नहीं बताया। (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रमिला दण्डवते।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : रेलवे में ला एण्ड आर्डर की वजह से भी मर्डर हो जाते हैं जैसे कि बम्बई शहर में शांति देवी की घटना हो गयी। बम्बई शहर में मंगलसूत्र की बहुत चोरियां होती हैं। इसकी बजह से भी बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती है। क्या ऐसे लोगों को रेलवे की तरफ से कोई कम्पेनसेशन देने की व्यवस्था है? क्या कभी किसी को आपने कोई कम्पेनसेशन दिया है?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कभी कोई मर्डर हो जाता है तो उसमें कम्पेनसेशन देने का का अधिकार मंत्रालय को है और रेलवे मन्त्रालय ऐसे मामलों में 25 हजार रुपए कम्पेनसेशन देता है। कई लोगों को कम्पेनसेशन दिया गया है।

नीलांचल, उत्कल और कलिंगा एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन के स्तर में सुधार किया जाना

*373. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नीलांचल एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस और कालिंगा एक्सप्रेस में परोसे जाने वाले नाश्ते का तथा दोपहर और रात्रि के भोजन का स्तर बहुत घटिया है,

(ख) यदि हां, तो कालका तथा डीलक्स जैसी अन्य रेल गाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन के स्तर के अनुरूप इन गाड़ियों में भोजन का स्तर सुधारने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) 175/176 नीलांचल एक्सप्रेस गाड़ियों में पेन्ट्री यान सेवाओं की व्यवस्था कर दी गयी है। 77/78 उत्कल एक्सप्रेस और 143/144 कलिंग एक्सप्रेस गाड़ियों में मार्गवर्ती स्टेशनों पर स्थित स्थायी खानपान यूनिटों द्वारा खानपान सेवायें प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान प्रबन्धों

के अन्तर्गत सामान्यतया सन्तोषजनक ढग से काम हो रहा है, यद्यपि इन गाड़ियों की खानपान सेवाओं में और अधिक सुधार करने की गुंजाइश है।

नियमित और अचानक जांच करके, विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण और निगरानी रखकर इन सेवाओं पर निरन्तर निगाह रखी जा रही है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, मंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट है कि न तो उन्होंने इस तथ्य को नकारा है और न ही उसे गम्भीरता से लिया है।

मंत्री ने कहा है कि नीलांचल एक्सप्रैस गाड़ियों में पेन्ट्री यान की सेवाओं की व्यवस्था कर दी गयी है। परन्तु इसमें खराब शीतक यंत्र लगे हैं तथा अप्रर्याप्त भोजन की व्यवस्था है। इसमें जो भोजन दिया जाता है वह अच्छा नहीं होता। यह सभी यात्रियों को समय पर भी नहीं दिया जाता। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकती हूँ कि कुछ संसद सदस्यों द्वारा शिकायत पुस्तिका में दर्ज की गयी शिकायतों को रेलवे बोर्ड तथा मंत्री के ध्यान मे लाया गया है और यदि हाँ तो क्या कम शिकायत के बाद या कम से कम प्रश्न प्रस्तुत करने के बाद और आज सभा पटल पर इसका उत्तर देने से पहले कोई अचानक चैक किया है क्योंकि इसके बीच में तीन सप्ताह का समय था और यदि हैं तो इस पर सम्बन्धित अधिकारी की क्या रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी ?

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, जहां तक खाने से सम्बन्धित किसी शिकायत का सम्बन्ध है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है और मुझे स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि बहुत सी सेवाओं में, विशेषरूप से पूर्वी रेलों में खानपान का प्रबन्ध अच्छा नहीं है। परन्तु जहां भी पैन्ट्री यानि सेवायें हैं उनमें की गयी शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है। अन्यथा खानपान की सेवायें, मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर स्थित स्थायी खान-पान इकाइयों द्वारा प्रदान की जाती हैं। यदि नीलांचल एक्सप्रैस से सम्बन्धित कोई विशिष्ट शिकायत है, तो हम निश्चित रूप से उस पर ध्यान देगे।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : कम से कम जब यह प्रश्न मंत्री महोदय को मिला उसके बाद अचानक चैक किया जाना चाहिए था। कुछ भी हो, अब मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछती हूं। नीलांचल एक्सप्रैस गाड़ी के आने का समय रात के 9 बजे होता है। यात्रियों को रात का भोजन नहीं दिया जाना होता। परन्तु गाड़ी निश्चित रूप से दो तीन घंटे विलम्ब से पहुचती है। उन यात्रियों के लिए जिनको रात को देर तक गाड़ी में रहना पड़ता है, रात के भोजन की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय मंत्री जी सदन को बता चुके हैं कि अप्रैल 81 से लेकर जून 82 तक जो कम्पलेंट्स आयी थीं उनके बारे में जांच की गयी और इंस्ट्रक्शंस दिये गए कि नीलांचल एक्सप्रैस में साऊथ ईस्टर्न रेलवे जो डिपार्टमेंटल केटरिंग सर्विस कर रही है उसमें सुधार आये। गाड़ी लेट होने पर 9 बजे के बाद भोजन की व्यवस्था करने का प्रबन्ध स्टेशनों पर भी होता है। ऐसे मौकों पर बीच के स्टेशनों पर भी तत्काल भोजन मिल जाता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, सैकड़ों सदस्य यह प्रश्न पूछ चुके हैं कि क्या नीलांचल एक्स प्रैस की कुछ सेवाओं में सुधार किया जायेगा या नहीं। मैं माननीय सदस्य से जानना

चाहूँगा कि क्या उन्हें कालका और डीलक्स गाडियों में खानपान की सेवाओं की जानकारी है। कालका और डीलक्स गाड़ियों में भी खानपान की सेवायें बहुत खराब हैं। क्या मंत्री को इसकी जानकारी है?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यद्यपि पूर्वी क्षेत्र में खानपान की सेवायें अच्छी नहीं हैं, परन्तु पश्चिमी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे तथा दक्षिण रेलवे में खानपान की सेवायें अपेक्षाकृत अच्छी हैं। हम समस्या पर गम्भीर रूप से ध्यान दे रहे हैं। मैंने हाल ही में खानपान की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक दल की नियुक्ति की है। जब कभी भोजन निम्न स्तर का पाया जायेगा हम कार्यवाही करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जगन्नाथ मन्दिर, पुरी का अनुरक्षण

*368. **श्री अनादिचरण दास** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशालय के माध्यम से पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का अनुरक्षण कार्य पूरा करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशालय द्वारा क्या तत्काल कार्यवाही की जा रही है अथवा किए जाने का विचार है?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) : प्राचीन संस्मारकों का संरक्षण कार्य एक अनवरत प्रक्रिया है, इसलिए पुरी स्थित जगन्नाथ मन्दिर के मरम्मत कार्यों को पूरा करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट समय निश्चित नहीं किया जा सकता। तथापि, इस प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित कार्य की मदों को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अनुशंसित कार्यों में से लगभग 80% कार्य समाप्त हो चुका है।

(ग) मन्दिर की बाहरी दीवार को ढीली और क्षतिग्रस्त चिनाई को दुरुस्त और सुदृढ़ किया जा रहा है।

योजना आयोग द्वारा रेलवे को अतिरिक्त ऋण

*369. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री एच० एन० नन्जे गोडा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे को 190 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त ऋण स्वीकृति करने के मुख्य कारण हैं;

(ग) इस ऋण को रेलवे द्वारा कैसे खर्च किया जायेगा;

(घ) वास्तव में रेलवे द्वारा कितने ऋण की मांग की गयी थी, और

(ङ) इस अतिरिक्त ऋण को किन परियोजनाओं पर खर्च किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) : अनुरक्षण सुविधा का विकास करने तथा रेलवे अवसंरचना के निर्माण के लिए पहले से ही चल रहे निर्माण-कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए योजना आयोग ने 400 करोड़ रुपये की संभावित अतिरिक्त आवश्यकता की बाबत चालू वर्ष में रेलों के लिए 190 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की व्यवस्था की है ।

अतिरिक्त आवंटन ऋण नहीं होता है ।

(ङ) 190 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का योजना शीर्षवार अलग-अलग ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	(करोड़ रुपयों में)
(1) चल स्टाक	60
(2) कारखाने और शेड	30
(3) रेलपथ का नवीकरण	30
(4) लाइन क्षमता से सम्बन्धित निर्माण-कार्य	30
(5) नयी लाइनें	25
(6) सड़क सेवाओं में निवेश	15
	190

विज्ञान की सीटों का बढ़ाया जाना

*374. श्री एस० एम० कृष्ण :

श्री बी० वी० देसाई : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान विषयों के चयन को देखते हुए बिज्ञान पाठ्यक्रमों की सीटों को बढ़ाया जाना अत्यावश्यक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कुछ अन्य विश्वविद्यालयों ने विज्ञान विषयों की सीटों को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संपर्क किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मामले से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपना निर्णय नहीं दे सका है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कोई निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान, विज्ञान पाठ्यक्रमों में वास्तविक नामांकन में 0.3% की औसत दर से मामूली वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में विज्ञान पाठ्यक्रमों में दाखिला क्षमता में किसी विशिष्ट वृद्धि की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।

(ख) केवल दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1982-83 के दौरान अपने कालेजों के विज्ञान पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया था।

(ग) और (घ) : आयोग ने प्रस्ताव की जांच करने के बाद विश्वविद्यालय को यह सूचित किया था कि और अधिक कालेजों में इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने की बजाय यह विद्यमान कालेजों में ही विज्ञान पाठ्यक्रमों के स्थानों में 10% तक वृद्धि करने पर विचार करें।

उड़ीसा में पुन: मलेरिया फैलना

*375. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के विभिन्न स्थानों में विशेषकर तूफानग्रस्त क्षेत्रों में पुन: मलेरिया फैलने पर कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, क्या सरकार ने उसके ध्यान में लाए गए ज्वर, मलेरिया और पीलिया के मामलों के कारणों का अध्ययन करने के लिए कोई चिकित्सक दल भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) : पिछले वर्षों के दौरान उड़ीसा में मलेरिया की घटनाओं में कुछ आई है। लेकिन समुद्री तूफान से प्रभावित इलाकों में ऐसों घटनाओं में कुछ वृद्धि होने की सूचना मिली है। जून, 1982 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के एक प्रतिनिधि ने समुद्री तूफान से प्रभावित इलाके का दौरा किया और उसकी सिफारिशों के आधार पर ब्लीचिंग पाउडर और कतिपय अन्य दवाइयां उस राज्य को भेजी जा चुकी हैं।

कुतुब-नर्मदा एक्सप्रेस का देरी से चलना

*376. **श्री बाबू राव परान्जपे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 150 कुतुब-नर्मदा एक्सप्रेस निरन्तर देर से चल रही है; और

(ख) सरकार द्वारा इस रेल गाड़ी को समय पर चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विगत तीन महीनों के दौरान 150 अप निजामुद्दीन-जबलपुर कुतुब-नर्मदा एक्सप्रेस का समय-पालन निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है।

(ख) इसके समय से चालन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण खतरे की जंजीर खींचना और जबलपुर में, जहां रेकों का अनुरक्षण किया जाता है, बहुत कम समय उपलब्ध होना है। 22-7-82 से इसके अनुरक्षण में सुधार लाने और जबलपुर से विलम्ब से रवाना होने की रोकथाम के उद्देश्य से इस गाड़ी में एक परस्परव्यापी रोक लगा दिया गया है।

अतिसार के कारण बच्चों की मौतें

*377. **श्री अनन्तरामुल्लू मुल्लू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है कि अतिसार रोग के कारण प्रत्येक राज्य में हर वर्ष कितने छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : चूंकि इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है इसलिए सरकार के पास कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर चिकित्सा, पराचिकित्सा और दूसरे सम्बन्धित अधिकारियों के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी में अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करना।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सहायक नर्स धात्रियों के स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी का वितरण करना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अतिसार रोग का उपचार करने में मदद मिलेगी।

(3) स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अतिसार के रोगियों के उपचार के लिए ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट पैकेट वितरित किए जा रहे हैं ताकि निर्जलीकरण को रोका जा सके जिसके कारण ऐसे रोगियों की मृत्यु हो जाती है।

मनमाड-सिकन्दराबाद और आदिलाबाद मुड़खेड़ के बीच रेलगाड़ियों का देर से चलना

*378. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मध्य रलवे में मनमाड-सिकन्दराबाद और आदिलाबाद-मुडखेड के बीच रेलगाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं,

(ख) क्या यह सच है कि अनेक बार तो उनमें कई घंटे तक देरी हो जाती है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुरना-खंडवा, पारली-परभानी, मुडखेड-

आदिलाबाद और निजामाबाद-मनमाड स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के आने-जाने के नियन्त्रण के लिए, पुरना में एक नियन्त्रण कार्यालय स्थापित करने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : आदिलाबाद-मुडखेड खंड पर गाड़ियों का समय-पालन सन्तोषजनक रहा है। मनमाड-सिकन्दराबाद खंड पर गाड़ियों का समय-पालन सन्तोषजनक नहीं था, जो 50 से 68 प्रतिशत के बीच था।

(ग) पूर्णा-मनमाड और परभनी-पूर्ली वैजनाथ खंडों पर पूर्णा में पहले ही एक नियन्त्रण कार्यालय गाड़ियों के संचलन को नियन्त्रित कर रहा है तथा अकोला स्थित नियन्त्रण कार्यालय खंडवा और पूर्णा के बीच गाड़ियों के संजलन को नियंत्रित कर रहा है।

तारकेश्वर-जमालपुर लाइन

*379. प्रो० रूपचन्द पाल :
श्री हन्नान मोल्ला : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारकेश्वर-जमालपुर बड़ी रेल लाइनें चालू करने की कोई मांग की गयी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) इस हर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) तारकेश्वर से 24 कि० मी० दूर जमालपुर नामक स्थान तक बड़ी लाइन का विस्तार करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) संसाधनों की वर्तमान कठिन स्थिति इस प्रस्ताव के बारे में विचार करने की अनुमति नहीं देती है।

तमिलनाडु में पम्बन सेतु

*380. श्री एन० डेनिस : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में पम्बन सेतु के निर्माण में हुई लम्बी देरी के बारे में पता है,

(ख) यदि हां, तो इस देरी के क्या कारण है,

(ग) क्या सरकार का विचार काम शीघ्र पूरा कराने के लिए कदम उठाने का है, और

(घ) यदि हां तो सेतु का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) इस पुल के निर्माण में देरी विभिन्न कारणों से हुई जैसे ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत डिजाइन में मूलभूत कमियां, ठेकेदार की आर्थिक कठिनाइयां। 1978 में भारी तूफान के आ जाने के कारण और भी ज्यादा कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी। इस तूफान से ठेकेदार के साज समान को भारी नुकसान पहुँचा। यह निर्माण कार्य जुलाई, 1979 में ठप पड़ गया जब कि कुल 36% काम पूरा हुआ था। ठेकेदार को दी गयी अवधि के अनुसार पुल का ढांचा, नवम्बर, 1978 तक बनकर पूरा हो जाना चाहिए था। राज्य सरकार के द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद चूंकि ठेकेदार ने अपना काम नहीं शुरू किया, इसलिए उसका ठेका 29.12.1980 को रद्द कर दिया गया।

ठेकेदार ने मद्रास उच्च न्यायालय में इस निर्णय को बदलने के लिए मुकदमा दायर किया हुआ है। इस मुकदमे के बारे में अभी अन्तिम रूप से सुनवाई नहीं हुई है लेकिन सरकार के अनुरोध पर उक्त उच्च न्यायालय ने अपने अस्थायी आदेश में इस विभाग को बाकी काम पूरा करने के लिए नये टेंडर मांगने की अनुमति दे दी और कहा है कि जब तक न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे का अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इन टेंडरों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जाय। उच्च न्यायालय ने कुछ ऐसे कामो को विभागीय आधार पर किए जाने की अनुमति दी है जो चालू हैं।

राज्य सरकार बाकी काम को पूरा करने के लिए टेंडर मंगा चुकी है। इसलिए ऐसी अवस्था में यह बताना कठिन है कि यह पुल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा।

न्यूमोकोनिओसिस पीड़ित व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति

*381. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुवात्विक रोग (न्यूमोकोनिओसिस) का उपचार हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने के बाद कोयला विभाग द्वारा सेवा-निवृत्त किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि रोग लाइलाज है तो क्या सरकार इसका उपचार खोजने का प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या-क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) आमतौर पर यह रोग असाध्य होता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ख), से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद से भारत के भूमिगत कोयला खनिकों में न्यूमोकोनिओसिस

अनुसंधान करने की एक योजना तैयार की है। इस अनुसंधान कार्य में पर्यावरणिक पैरा मीटर, क्लिनिकी अन्वेषण और विभिन्न अवस्थाओं में इन्टरवेंशन फेज शामिल है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ पेड़ लगाना

*382. **श्री बृद्धिचन्द जैन :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ पेड़ लगाने के काम को प्राथमिकता नहीं देती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्य पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च हुई,

(ग) वर्ष 1982-83 में इस कार्य के लिए क्या प्रावधान किया गया है, और

(घ) उस विभाग का नाम क्या है जिसके माध्यम से सरकार यह कार्य करवाती है और उक्त विभाग को पिछले तीन वर्षों के दौरान में और इस वर्ष अब तक कितनी धनराशि दी गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पेड़ लगाने के काम को उचित प्राथमिकता दी जाती है जो इस बात पर निर्भर करता है कि कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है और जो काम किए जाने हैं उनमें कौन-सा कार्य कितना अधिक आवश्यक है। इसके लिए, पेड़ लगाने की आवश्यकता के बारे में सभी सम्बन्धित विभागों पर समय-समय पर जोर दिया जाता है।

(ख) से (घ) चूंकि, पेड़ लगाने और उनकी देखभाल के लिए दक्ष व्यक्तियों की जरूरत होती है, इसलिए यह काम अधिकांश राज्यों में वन विभाग को अन्तरित कर दिया गया है। इन राज्यों में पेड़ लगाने और उनकी देखभाल पर होने वाला व्यय वहां के वन विभाग द्वारा अपने बजट से पूरा किया जाता है और ये विभाग इस काम पर हुए वास्तविक व्यय का लेखा जोखा भी रखते हैं।

जिन राज्यों में यह काम वन विभाग को नहीं अन्तरित किया है, वहां पेड़ लगाने और उनकी देखभाल का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जाता है। पेड़ लगाने के काम के लिए जहां आवश्यकता होती है, वहां आमतौर से धन की व्यवस्था बड़े-बड़े सुधार कार्यों जैसे सड़क को चार लेनों को बनाना और चौड़ा करना आदि से सम्बन्धित व्यय के अनुमानों में की जाती है। लेकिन, कुछ मामलों में व्यय के अनुमान अलग से भी मंजूर किए जाते हैं। इस काम पर व्यय के लिए पिछले तीन वर्षों में 3.72 लाख रुपए के अनुमान मंजूर किए गए।

हैदराबाद और रिक्त विशाखापत्तनम में 'मास ट्रांजिट इलेक्ट्रिक ट्रेन सिस्टम' लागू करना

*383 **श्री के० ए० स्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि हैदराबाद और विशाखापत्तनम में 'मास ट्रांजिट इलेक्ट्रिक ट्रेन सिस्टम' तुरन्त लागू किए जाने की आवश्यकता है, और

(ख) इस सम्बन्ध में हैदराबाद और विशाखापत्तनम के लिए प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अतिरिक्त संस्थायें

*384. श्री राम लाल राही : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अतिरिक्त शय्याओं वाला एक नया वार्ड बनाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानंद) : (क) और (ख) जी, नहीं। वैसे कार्डियो थोरेसिक और न्यूरोसाइंसिस सेंटर तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद सेंटर के पलंगों की की वर्तमान संख्या में वृद्धि की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में रोटरी कैंसर अस्पताल नाम से 35 पलंगों वाले नये-नये-बने वार्ड के चालू वर्ष में काम शुरू कर देने की संभावना है।

क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव

*385. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र का विचार क्षय रोग नियन्त्रण अधिनियम के लिए वित्तीय सहायता की राशि में वृद्धि करने और पूरी तरह से केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और इस समय यह मामला किस अवस्था पर है; और

(ग) इस रोग से पीड़ित लोगों की दशा सुधारने में इससे कहां तक सहायता मिलेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानंद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवाओं में वृद्धि करने के बारे में विशेष उपाय सुझाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा जो टास्क फोर्स गठित की गई थी उसने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि जिन अनिवार्य योजनाओं का रोगियों का पता लगाने और उनका इलाज करने की गतिविधियों में तेजी लाने पर सीधा प्रभाव पड़ता है, उन्हें

छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के रूप में चलाया जाए। इस टास्क फोर्स की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) ऐसी आशा की जाती है कि रोगियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले कार्यों के प्रस्तावित विस्तार से अधिक क्षय रोगियों का निदान हो सकेगा और उनका समुचित इलाज किया जाने लगेगा।

तीसरे दर्जे का खत्म किया जाना

*386. **श्री वृद्धि चंद जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों में तीसरे दर्जे को खत्म करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था,

(ख) क्या सरकार उस उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हुई है और यदि हाँ, तो किस प्रकार, और

(ग) यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) तीसरे दर्जे, जिसे 1-4-1974 से सेवा से हटा लिया गया था, का नाम बदल कर दूसरा दर्जा कर दिया गया था। यह कदम दर्जों की संख्या घटाने के लिए उठाया गया था। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप गाड़ियों की वहन क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

अनैतिक व्यापार अधिनियम को लागू किया जाना

387. **श्री कुंवर राय** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में राजधानी में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) वेश्यावृत्ति के नये तरीकों को रोकने के लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पता लगाए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	मामले
1980	116
1981	87

एक विवरण जिसमें इन मामलों का निपटारा और गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या दी गई है, संलग्न है।

दिल्ली में इस बुराई को रोकने के लिए उप आयुक्त, अपराध और रेलवे के अधीन एक विशेष सेल चल रहा है।

(ख) दिल्ली पुलिस को वैश्यावृत्ति के ऐसे किसी नए तरीके का पता नहीं लगा है जिस पर वर्तमान कानून के अन्तर्गत कार्यवाही न की जा सके।

विवरण

स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश में वर्ष 1980 और 1981 के दौरान मामलों का निपटारा तथा गिरफ्तार किए गये व्यक्ति।

वर्ष	रिपोर्ट किए गए	रद्द किए गए	दर्ज किए गए	चालान किए गए	सिद्ध दोष किए गए	छोड़े गए	जिन पर मुकदमा चलाया जाना है
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1980	116	—	116	113	11	27	75
1981	87	—	87	78	17	7	54

जिनकी जांच की जानी है	जिनका पता नहीं लगा	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	चालान किए गए	सिद्धदोष किए गए	छोड़े गए	जिन पर मुकदमा चलाया जाना है	जिनकी जाँच की जानी है	डिस्चार्ज किए गए
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
कुछ नहीं	3	294	294	17	29	248	—	—
9	—	213	177	30	9	138	35	—

काजीपेट में कार्यरत सी० और डब्ल्यू० स्टाफ का ज्ञापन

4033. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 14(2) के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी, सेवा भंग और एक दिन के वेतन की कटौती के विरुद्ध सी० और डब्ल्यू० स्टाफ का एक संयुक्त ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) यह 18/19-5 81 को काजीपेट में अवैध रूप से काम रोकने में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध दक्षिण मध्य रेल प्रशासन द्वारा की गयी विशेष कार्रवाई के सन्दर्भ में है।

सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा भंग और 'काम नहीं तो दाम नहीं' का सिद्धान्त लागू करना, अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत उनको इस प्रकार की चूकों के विशेष कार्य कलापों के लिए निर्धारित कार्रवाई करने के अलावा अवैध रूप से इस प्रकार काम रोकने के स्वाभाविक परिणाम हैं।

अनुशासन और अपील नियमों के ढाँचे के अन्तर्गत रेल प्रशासन गुण-दोष के आधार पर ज्ञापन के बारे में कार्रवाई कर रहा है ।

सामान चढ़ाने-उतारने के लिए ठेके

4034. **श्री नहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री सामान चढ़ाने-उतारने के लिए ठेके के बारे में 15 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न 7982 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे जंकशनों पर सामान चढ़ाने-उतारने के बारे में सूचना एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 15-4-82 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 7982 के उत्तर के सम्बन्ध में दिए गए आश्वासन की कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल टी-4415/82]

तूतीकोरिन हार्बर डाक वर्कर्स यूनियन का अभ्यावेदन

4035. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तूतीकोरिन हार्बर डाक वर्कर्स यूनियन का सचिव, तूतीकोरिन पोर्ट कार्गो हैडलिंग एजेन्ट एसोसिएशन, तूतीकोरिन को सम्बोधित 15 अप्रैल, 1982 का पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो 'शोर क्लर्क' को न्याय दिलाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) टूटीकोरिन हार्बर डाक वर्कर्स यूनियन ने अपने पत्र में पोर्ट कार्गो हैडलिंग ऐजेंट्स एसोसिएशन, टूटीकोरिन (एक गैर सरकारी एसोसिएशन) से पुरानी पद्धति अपनाने का अनुरोध करते हुए कहा कि 63 क्लर्कों को टेली क्लर्क के बजाय तट पर नियुक्त किया जाए । वह प्रार्थना पत्र टूटीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष को अग्रेषित किया गया था । उन्होंने सूचित किया है कि मौजूदा पद्धति के बारे में पोर्ट यूजर्स और कार्गो हैडलिंग श्रम के प्रतिनिधियों में परस्पर सहमति हो चुकी है । यह सहमति क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की उपस्थिति में अक्टूबर, 1981 में हुई थी ।

कनाडा में भारतीय उच्चायोग के लिए अपर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध

4036. **श्री सनत कुमार मंडल :**

डा० कृपा सिंधु भोई : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कनाडा में भारतीय उच्चायोग के लिये सुरक्षा-प्रबन्धों के अपर्याप्त होने और इस बारे में कनाडा सरकार के असहकारी रवैये के बारे में समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कनाडा में भारतीय उच्चायोग के लिए सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध करने की आवश्यकता के बारे में कनाडा के अधिकारियों से बातचीत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) कनाडा स्थित भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों की सुरक्षा-सम्बन्धी कुछ उदाहरण हमारे सामने आए हैं। कनाडा सरकार को स्थिति से अवगत रखा गया और हमारी सुरक्षा-आवश्यकताओं के बारे में उनका रवैया सहयोग-पूर्ण पाया गया।

(ख) और (ग) : कनाडा स्थित हमारे हाई कमीशन के लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने के प्रश्न पर कनाडा के प्राधिकारियों से विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने अब कुछ नए उपाय किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों से बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी।

सी० जी० एच० एस. की सूची से आजमूदा दवाइयों का निकाला जाना और घटिया दवाएं दिया जाना

4037. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० जी० एच० एस० की सूची में से हाल ही में कामपोज, क्रोसीन, लोक्यूला, डाइजीन, सिपलर फोर्ट, सोरबीट्रेट जैसी कुछ आजमूदा तथा दैनिक प्रयोग की अधिकांश दवाइयाँ निकाल दी गई हैं तथा उनके बदले सुसज्जित प्रयोगशालाओं की सुविधा रहित छोटी कम्पनियों द्वारा निर्मित तथा विभाग को सप्लाई की गई सस्ती और घटिया दवाइयां देना आरम्भ कर दिया गया है :

(ख) ऐसी सस्ती दवाइयाँ देने का निर्णय किस स्तर पर किया गया और क्या उनको देना आरम्भ करने से पूर्व मंत्रालय द्वारा कोई प्रयोगशाला तथा अन्य परीक्षण किए जाते हैं;

(ग) क्या अनेक दवाइयां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा विशेषज्ञों के क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल दी गई है और बैनेड्रिल जैसी दवा के लिये रोगी से अपेक्षा की जाती है कि वह परामर्शदाता के पास जाए; और

(घ) ऐसे निर्णयों को बदलने और इस योजना को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं। ये सभी दवाइयां प्रजातीय नाम से उपलब्ध हैं और सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करने के लिए ये दवाइयां स्वीकृत फार्मुलरी के अनुसार जो एक विस्तृत सूची है, पूर्ति और निपटान महा-निदेशक द्वारा पंजीकृत फर्मों से खरीदी जाती हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

रख-रखाव कामों के लिए ठेका पद्धति

4038. श्री रघुवीर कुमार गिरि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि आर० डी० एस० ओ० ने सभी रख-रखाव कामों को ठेके पद्धति के माध्यम से कराना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो नियमित रख-रखाव कार्य विभाग द्वारा ही क्यों नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि ठेकेदारों को काम सौंपने का औचित्य ठहराने के लिए कर्मचारियों को अपना काम करने हेतु, पर्याप्त मात्रा में तथा बढ़िया किस्म की सामग्री सप्लाई नहीं की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो आर० डी० एस० ओ० द्वारा विभागीय एजेंसी के माध्यम से सभी रख-रखाव कार्य कराने के लिए क्या उपाय किए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन में इमारतों तथा सड़कों आदि का अनुरक्षण कार्य विभागीय आधार पर तथा ठेका पद्धति के माध्यम से कराया जाता है। अधिकतर भारी कार्य ठेके पर कराये जाते हैं।

(ख) ठेकेदार के माध्यम से भारी मरम्मत के कार्य का निष्पादन कराना अत्यन्त व्यावहारिक तथा किफायती तरीका है और सभी भारतीय रेलों तथा सरकार की अन्य बड़ी एजेंसियों में यह एक स्थायी परिपाटी है।

(ग) जब कभी विभागीय आधार पर मरम्मत सम्बन्धी छोटे तथा तात्कालिक कार्य करवाये जाते हैं तो कर्मचारियों को विशिष्टियों के अनुसार आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी दी जाती है।

(घ) अनुरक्षण सम्बन्धी सभी कार्य विभागीय आधार पर कराने का प्रस्ताव नहीं है। भारी मरम्मत के कार्य को ठेकेदारों के माध्यम से तथा छोटी मोटी मरम्मत के कार्य को विभागीय श्रमिकों से निष्पादित कराने की वर्तमान पद्धति बनाए रखने का प्रस्ताव है।

आर० डी० एस० ओ० कर्मचारी संघ की मांग

4039. **श्री अजित बाग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर० डी० एस० ओ० कर्मचारी संघ की कितनी मांगों को अब तक स्वीकार कर लिया गया है तथा कितनी मांगों को रद्द कर दिया गया है; और

(ख) रद्द करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन कर्मचारी संघ, प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन नहीं है। सरकार की यह नीति है कि वे गैर-मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ बातचीत न करें।

बहरहाल, सरकार की नीति के अनुसार किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली कर्मचारियों की शिकायतों पर गुण-दोष के आधार पर जैसा भी आवश्यक समझा जाता है, उचित विचार किया जाता है। जब कभी अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन कर्मचारी संघ से मांगें प्राप्त होती हैं, तो उन पर भी इसी नीति के अनुसार विचार किया जाता है।

सी० जी० एच० एस० डिस्पेन्सरी, हरिनगर के स्थानान्तरण के विरुद्ध अभ्यावेदन

4040. **श्री केसव राव पारधी** :

श्री हीरालाल आर० परमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुभाष नगर के एम० आई० जी० फ्लैट्स, सेवा निवृत्त सरकारी कार्मिक फ्लैट्स एम० आई० जी०, फ्लैट्स, सरकारी अधिकारियों के फ्लैट्स, भारत सरकार प्रेस कालोनी तथा हरिनगर (बी-ब्लाक) की आबासीय कल्याण एजेंसियों ने सी० जी० एच० एस० निदेशालय के प्रभारी मंत्री तथा हरिनगर (48) डिस्पेन्सरी से सम्बद्ध कल्याण अधिकारी से वर्तमान डिस्पेन्सरी को स्थानान्तरित न करने के लिये अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन एजेंसियो ने उस क्षेत्र के निवासियों के कल्याणार्थ घंटाघर क्षेत्र में एक नई डिस्पेन्सरी खोलने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन. एस. जोशी) : (क) इस समय यह औषधालय दिल्ली विकास प्राधिकरण के एम० आई० जी० फलैटों में चल रहा है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने औषधालय की आवश्यकताओं के अनुसार अपना भवन बना लिया है जो शीघ्र ही कब्जे में ले लिया जाएगा। इस औषधालय के बदले जाने के पक्ष तथा विरोध में अभ्यावेदन किए गए हैं।

(ख) और (ग) : हां। इस क्षेत्र में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी मौजूदा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय के साथ पहले से ही सम्बद्ध हैं। इसलिए फिलहाल इस क्षेत्र में एक अलग औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रत्येक नगर निगम के लिए ऐक परिवार कल्याण ब्यूरो का गठन

4041. श्री दिग्विजय सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान नीति के अनुसार प्रत्येक नगर निगम के लिए एक परिवार कल्याण ब्यूरो का गठन किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो कितने नगर निगमों में ऐसे ब्यूरों का अब तक गठन नहीं किया गया है;

(ग) इन ब्यूरों को इस सुविधा से कितने वर्षों से वंचित रखा हुआ है; और

(घ) इस स्थिति में कब तक सुधार किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) : बड़े शहरों में नगर निगमों के अन्तर्गत शहरी परिवार कल्याण ब्यूरो खोलने की एक योजना 1969 में मंजूर की गई थी तथा इस योजना के अन्तर्गत जनसंख्या के आधार पर चार किस्म के शहरी परिवार कल्याण ब्यूरो मंजूर किए गए थे। मौजूदा यूनिटों के काम काज की जांच करने के लिए 1973 में सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने इस योजना को बन्द करने की सिफारिश की। इस दल ने मौजूदा ब्यूरो को जारी रखने की भी सिफारिश की। इसलिए 1973 के बाद कोई नये ब्यूरो नहीं खोले गए।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 1973 से पहले दिल्ली संघ शासित क्षेत्र सहित सात राज्यों में 17 शहरी परिवार कल्याण ब्यूरो खोले गये जिनका ब्योरा इस प्रकार है :—

राज्य	योग
1. आन्ध्र प्रदेश	1
2. गुजरात	3
3. कर्नाटक	2
4. महाराष्ट्र	4
5. तमिलनाडु	1
6. उत्तर प्रदेश	5
7. दिल्ली	1
	17

भारत सरकार ने शहरों के सीमावर्ती क्षेत्रों में परिवार कल्याण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की सेवाएं उपलब्ध करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए हाल ही में एक कार्यकारी दल का गठन किया है। शहरी परिवार कल्याण ब्यूरो को जारी रखने/खोलने के प्रश्न पर तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर इस समीक्षा के दौरान विचार किया जाएगा।

खिलाड़ी छात्रों को प्रवेश न दिया जाना

4042. **श्री डा० ए० यू० आजमी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छात्रों का एक प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के खिलाड़ियों को कालेजों में प्रवेश न दिये जाने पर प्रकाश डालने के लिए 3 जुलाई, 1982 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से मिला था और धमकी दी थी के वे विश्वविद्यालय ग्राउन्ड में नवीं एशियाई खेलों की धनुविद्या और बास्केटबाल के खेल आयोजित करने नहीं देंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और खिलाड़ियों को प्रवेश क्यों नहीं दिया गया है तथा उन्हें प्रवेश देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) खिलाड़ियों द्वारा कालेजों में दाखिला प्राप्त करने में पेश आने वाले समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए 3.7.1982 को कुछ छात्र कुलपति से मिले थे।

(ख) विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों को यह सलाह दी थी कि प्रत्येक महाविद्यालय में उन सभी स्थानों में से जिनके लिए महाविद्यालय द्वारा सीधी भर्ती की जाती है 5 प्रतिशत उन छात्रों के लिए निर्धारित कर दिए जाएं जिन्होंने खेलों और अन्य पाठयेत्तर कार्यकलापों में विशेष योग्यताएं प्राप्त की हैं। विश्वविद्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर तीरन्दाजी में विशेष योग्यता प्राप्त एक छात्र को एक महाविद्यालय में दाखिला नहीं दिया गया था क्योंकि इस समय तीरन्दाजी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में शामिल नहीं थी। अब विश्वविद्यालय ने मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं की सूची में तीरन्दाजी को शामिल कर लिया है और संबधित छात्र को महाविद्यालय में दाखिला दे दिया गया है।

विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षकों की तैनाती

4043. **श्री भोखाभाई** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के उत्तरी जिला शिक्षा निदेशालय के अधीन कुछ राजकीय कन्या सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में कतिपय विषयों में दो स्वीकृत पदों पर दो स्नातकोत्तर शिक्षक तैनात कर दिए गए हैं जबकि कुछ स्कुलों में उस विषय के एक स्वीकृत पद पर एक भी स्नातकोत्तर शिक्षक तैनात नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण दिल्ली में रिक्त पड़े ऐसे स्नातकोत्तर पदों (एक स्वीकृत पद) का विषय-वार तथा विद्यालय-वार ब्योरा क्या है और वे पद कब से रिक्त पड़े है;

(ग) वरिष्ठ छात्रों की शिक्षा के लिए विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा क्या व्यवस्था की गई थी; और

(घ) क्या सरकार का विचार, उन विद्यालयों को स्नातकोत्तर शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति करने के अनुदेश देने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है, केवल एक स्कूल अर्थात राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल संख्या 1, लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्नातकोत्तर अध्यापक (वाणिज्य) के एकमात्र संस्वीकृत पद पर कोई भी स्नातकोत्तर अध्यापक (वाणिज्य) तैनात नहीं किया गया। तथापि, उक्त स्कूल में स्नातकोत्तर अध्यापक (वाणिज्य) का कार्य एक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक द्वारा देखा जा रहा है, जो वाणिज्य में स्नातकोत्तर है और इस विषय को पढ़ाने के लिए पूर्णतः योग्य है। उसने सीनियर माध्यमिक परीक्षा, 1982 में तीन विशिष्टताओं सहित शत प्रतिशत परिणाम दिखाया है।

(घ) अध्यापक के पदों को, जब कभी भी ये रिक्त हों, भरने के लिए पहले ही अनुदेश विद्यमान हैं।

शाहजहांपुर में जलपान-गृह के लिए ठेका

4044. **श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के महिला प्रतीक्षालय को जलपान-गृह में बदल दिया गया है,

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने इस जलपान-गृह का ठेका बिना टेंडर मांगे सीधे ही एक ठेकेदार को दे दिया है,

(ग) क्या इस ठेकेदार को नियमानुसार देने से पूर्व जलपान-गृह को ठेका देने के बारे में समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करना और व्यक्तियों से टेंडर प्राप्त करना तथा तत्पश्चात् उचित पार्टी का चयन करना आवश्यक था, और

(घ) यदि हां, तो इस नियम का किन कारणों से पालन नहीं किया गया ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(क) जी नहीं। वर्तमान नियमों के अनुसार, शाहजहांपुर में अल्पाहारगृह का ठेका देने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा प्रेस अधिसूचना के माध्यम से आवेदन-पत्र मांग गये थे।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम राष्ट्रीय राजमार्ग उपमार्ग के लिए भूमि का अधिग्रहण।

4045. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेंद्रम राष्ट्रीय राजमार्ग उपमार्ग के लिए चाक्कर और एंजेकल के बीच भूमि का अधिग्रहण करने में विलम्ब के क्या कारण है,

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए आवंटित की गयी राशि से वर्ष 1980-81 के दौरान पांच लाख रुपए वापस कर दिए गए हैं,

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान कुल कितनी राशि आवंटित की गयी थी और कितनी राशि खर्च की गयी है और कितनी राशि वापिस की गई है,

(घ) क्या यह सच है कि इस विलम्ब के कारण सरकार को आर्थिक रूप से हानि हो रही है, और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में गति लाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) चूंकि, चाक्कर और इन्जेकल जंकशन के बीच के भाग में अन्य भागों की अपेक्षा आबादी अधिक है, अत: इस जमीन के अधिग्रहण में समय लग रहा है। केरल में सामान्य तौर पर भी जमीन अधिग्रहण करने में काफी समय लगता है, क्योंकि आबादी घनी है।

(ख) और (ग) जी, हां। तथापि उसी वर्ष में अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों पर 5 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गयी है। 1981-82 के दौरान 1.79 लाख रुपये आवंटित किए गए और अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों पर यह धन खर्च किया गया। भूमि अधिग्रहण पर कोई धन खर्च नहीं किया गया।

(घ) जी, हां। धारा 3 (1) के तहत 1978 में आवश्यक अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी। अधिसूचना की तारीख को भूमि का मूल्य उसके मूल्य के अनुसार दिया जाएगा।

(ङ) राज्य सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण कार्य की समीक्षा की गई और उनसे यह कहा गया कि चालू वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा करें।

मयूर विहार के लिए बस सेवा

4046. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० डी० ए० की नई आवास कालोनी मयूर विहार में पर्याप्त बस सेवा का अभाव है, और

(ख) यदि हां, तो वहां पर्याप्त बस सेवा प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्राल में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) मयूर विहार के लिए मार्ग संख्या 304 अतिरिक्त 31,327 और आर० एल०-8 की सेवाएं उपलब्ध हैं। समय-समय पर कालोनी की आवश्यकता की जांच की जाती है। कालोनी के लिए बस सेवा में सुधार करने और शहर के अन्य भागों से इसे जोड़ने के लिए 3.4.1982 से मार्ग संख्या 304 अतिरिक्त को जो कल्याणपुरी और लाजपत नगर के बीच चलती है, मयूर विहार से होकर चलायी गयी है। 14.6.82 से मार्ग संख्या आर० एल० 8 की सेवा मयूर

विहार और रेलवे स्टेशन के बीच शुरू की गई है। अभी हाल ही में मार्ग संख्या 327 पर एक और बस की व्यवस्था की गयी है।

वैज्ञानिक सलाहकार समिति में चार व्यक्तियों की नियुक्ति और नियमों का उल्लंघन।

4047. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी० सी० आर० ए० एस० के संविधान का उल्लंघन करते हुए वैज्ञानिक सलाहकार समिति में चार व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी और यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं,

(ख) क्या शासी निकाय के दो सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया था, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त सदस्यों के त्याग-पत्र का समाचार दिनांक 18 जून, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ था, जिनमें भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाये गए थे, और

(घ) यदि हां, तो उक्त आरोपों को नकारने के लिए, यदि इनमें सच्चाई नहीं है, सी० सी० ए० एस० के प्रेजीडेंट ने क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) नहीं।

(ख) नहीं। केवल एक सदस्य ने ही औपचारिक रूप से त्याग-पत्र दिया जिनमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ इस परिषद के संचालन में कतिपय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। शासी निकाय की ओर से अध्यक्ष द्वारा उनका त्याग अभी स्वीकार किया जाना है।

(ग) और (घ) हां। इस परिषद और इसके विभिन्न यूनिटों के काम काज के बारे में सभी शिकायतों की सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से जांच करा ली गई है और जहां जरूरी समझा गया वहां सुधारात्मक कार्यवाही की गई है।

दिनांक 1 मई, 1982 की मुगलसराय रेलवे यार्ड से हुई सामान की चोरी के बारे में जांच

4049. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, दिनांक 1 मई, 1982 को मुगलसराय रेलवे यार्ड से नौ लाख रुपए मूल्य के सामान की हुई चोरी के बारे में जांच कराने हेतु संसद सदस्यों द्वारा विधिवत रूप से सिफारिश किया गया कोई पत्र भेजा गया था, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकाजुन) : (क) 1-5-1982 को मुगलसराय यार्ड से 9 लाख रुपये की लागत का माल चोरी हो जाने की घटना को

न तो कोई रिपोर्ट की गयी है और न ही सरकार को इस सम्बन्ध में ऐसी कोई शिकायत मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में समेकित बाल विकास कार्यक्रम

4050. **श्री लक्ष्मण वर्मा** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ऐसे कितने विकास खंड है जिनमें समेकित बाल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) मध्य प्रदेश में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश में बस्तर जिले में किन-किन विकास खंडों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और काम किया जा रहा है तथा इस कार्यक्रम से कितने व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) वर्ष 1981-82 तक मध्य प्रदेश के लिए 21 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं मंजूर की गई थी। वर्ष 1982-83 के दौरान मध्य प्रदेश के लिए 22 और परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं :

सेवायें	लाभ प्राप्तकर्ता
1. स्वास्थ्य जांच	
2. गर्भवती माताओं को टेटनस से बचाने के लिए टीके लगाना	गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे
3. पूरक पोषाहार	
4. पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा	
5. पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा	महिलाएं (15-45 वर्ष)
6. अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा	बच्चे (3-6 वर्ष)

समेकित बाल विकास सेवा योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

1. 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों की पोषाहार और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना;

2. बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए बुनियादें रखना;

3. मृत्युदर, रुग्णता की दर, कुपोषण तथा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वालों की संख्या को कम करना;

4. बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों में नीति और कार्यान्वयन का कारगर समन्वय प्राप्त करना; तथा

5. उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषाहार सम्बन्धी जरूरतों की देखभाल करने के लिए माँ के सामर्थ्य को बढ़ाना।

(ग) बस्तर जिला, मध्यप्रदेश के निम्नलिखित खण्डों में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है :—

मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या

मंजूरी का वर्ष	खण्ड का नाम	बच्चों को पूरक पोषाहार	महिलाओं को पूरक पोषाहार	स्कूल-पूर्व शिक्षा
1975-76	तोकापाल	2768	751	1532
1979-80	कुआकोण्डा	स्थापित की जा रही हैं।		
1980-81	फारसगांव			

वर्ष 1982-83 के दौरान बस्तर जिला में निम्नलिखित 2 और खन्डों के लिए समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम परियोजनाएं मंजूर की गई :—

1. उसूर।

2. दुर्गकोन्डल।

अरब तथा यूरोपीय देशों को डाक्टरों का उत्प्रवास

4051. **श्री चिंगथांग कोनयक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब तथा यूरोपीय देशों को जाने वाले डाक्टरों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के आंकड़े क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एस० जोशी) : (क) हां।

(ख) सरकार के पास इस सम्बन्ध में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बुवाई और कटाई मौसमों में स्कूलों की छुट्टियां समायोजित करना

4052. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि स्कूलों में छात्रों को त्यौहारों और ग्रीष्म ऋतु में छुट्टियां देने के बजाय यह छुट्टियां विशेषकर बुवाई और कटाई मौसमों में दी जानी चाहिए जब वे अपने अभिभावकों की सहायता करने में अधिक उपयोगी हों;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में राज्यों की टिप्पणियां मांगी हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके क्या विचार हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) हमारे जैसे व्यापक देश में जलवायु, फसल काटने का मौसम, फसल काटने की पद्धति इत्यादि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से बहुत भिन्न-2 हैं। अतः देश के सभी स्कूलों के लिए कार्य-दिनों और छुट्टियों की एक जैसी सारणी निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं। तथापि, कृषि सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकताओं के अनुकूल कार्य की अनुसूची में समायोजन करने के सम्बन्ध में पहले कुछ सिफारिशें की गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। और अधिकतर उनके द्वारा प्रबन्ध किया जाता है, अतः यह सिफारिशें उनको विचारार्थ भेज दी गई थी। केन्द्रीय सरकार इस विषय से सम्बन्धित किसी अन्य प्रस्ताव पर इस समय कोई विचार नहीं कर रही है।

नई दिल्ली नगर पालिका के नवयुग स्कूल

4053. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दिल्ली और नई दिल्ली में हाल में खोले गए 'नवयुग स्कूलों' का ब्यौरा क्या है;

(ख) बच्चों को के० जी० में प्रवेश देने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं तथा उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ग) क्या जहां स्कूल स्थित हैं, वहां के स्थानीय लोगों के बच्चों को प्रवेश देने के बारे में कोई विशेष ध्यान रखा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो 'नवयुग स्कूल' पेशवा रोड में हाल में दाखिल किए गए ऐसे बच्चों की प्रतिशतता का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० युंगन) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार नई दिल्ली में 1973 में एक सीनियर नवयुग स्कूल खोला गया था। बाद में, दो जूनियर नवयुग स्कूल—एक चाणक्यपुरी तथा दूसरा पेशवारोड, नई दिल्ली में—क्रमशः 1980 और 1981 में—खोले गए थे।

(ख) के० जी० कक्षा में दाखिला दिल्ली तथा नई दिल्ली के उन सभी बच्चों के लिए खुला है जो+4 वर्ष परन्तु 5 वर्ष से कम के आयु वर्ग में हैं। इस आयु वर्ग के बच्चे के. जी. कक्षा में दाखिले के लिए प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक प्रवेश उप समिति, के जी कक्षा के बच्चों की मानसिक स्फूर्ति तथा निपुणता की परख उस आयु स्तर के लिए मानकीकृत परीक्षाओं के माध्यम से करती है। निम्न आय वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए 70% माध्यम तथा उच्च आयु वर्गों के लिए 25%

और अनुसूचित जातियों/जन जातियों से सम्बन्धित प्रार्थियों के लिए 5% स्थान आरक्षित हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना

4054. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सवारी-डिब्बे बनाने का कोई कारखाना स्थापित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा;

(ग) क्या इस सम्बन्त में परियोजना और सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर ली गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नये रेल सवारी डिब्बा कारखाने के लिए स्थान निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय नहीं किया गया है। इसके लिए स्थान निर्धारण का विनिश्चय करने के लिए एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सहायता प्राप्त स्कूलों में चयन ग्रेड

4055. **श्री एन० ई० होरो** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सहायता-प्राप्त स्कूलों में चयन-ग्रेड देने की कोई नई पद्धति शुरू की जाने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य सूची में नियुक्ति की तारीख से अपनाई गई वरिष्ठता की पद्धति से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, चयन ग्रेड प्रदान करने की पद्धति में संशोधन नहीं किया गया है। अद्यतन निर्देशों के अनुसार, चयन ग्रेड पदों की संख्या, 1.4.1981 को तथा बाद में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को संस्वीकृत पदों की 20% निर्धारित की जाएगी। पहले, चयन ग्रेड स्थाई तथा अस्थाई पदों के, जो 1.1.1973 से 3 वर्षों तक अथवा इससे अधिक समय से विद्यमान थे, 20% के हिसाब से मंजूर किए गए थे।

(ख) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम के अन्तर्गत, कर्मचारियों की वरीयता योग्यता के उसी क्रम के अनुसार, जिसमें वे सम्बन्धित पद पर नियुक्ति के लिए चुने

गए थे, द्वारा निर्धारित की जाती है । पहले चुने गए व्यक्तियों को बाद में नियुक्त किए गए व्यक्तियों से वरिष्ठ माना जाता है ।

विजयवाड़ा में आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन द्वारा पारित संकल्प

4056. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 'आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन' की दिनांक 10 और 11 जून, 1982 को विजयवाड़ा में हुई 29वीं वार्षिक आम सभा में पारित संकल्प प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो संकल्पों का ब्यौरा क्या है तथा मंत्रालय ने इन पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त एसोसिएशन ने संवर्गों के पुनर्निर्माण के कार्यान्वयन में हो रहे अनुचित विलम्ब के लिए 'ट्रेड-यूनियन' कार्यवाही करने का निर्णय लिया है; और

(घ) प्रतिशतता आधार पर ग्रेड बढ़ाने के बारे में संवर्गों के पुनर्निर्माण के क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें निर्दिष्ट संकल्पों का उल्लेख किया गया है ।

(ग) और (घ) : इस संवर्ग की पुनर्संरचना पहले ही कर दी गयी है और इसे कार्यान्वित कर दिया गया है ।

उड़ीसा के लिए विशेष शिक्षा योजना

4057. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिक्षा के मामले में उड़ीसा के पिछड़ेपन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस राज्य में, विशेष रूप से उसके पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए कोई विशेष योजनाएं चलाई गई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में एक राज्य माना गया है ।

(ख) और (ग) : प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के वास्ते अपने अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए उड़ीसा सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

रूट नं० 913 पर दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

4058. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिल्ली में तिमारपुर और पंजाबी बाग के बीच रूट नं० 913 पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों के बारे में अनियमितता और लम्बे समय तक ट्रिप मिस कर देने से सम्बन्धित लोगों की ओर से, निजी रूप से तथा निवासियों की एसोसिएशनों की ओर से अनेक शिकायतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गयी है तथा कारणों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या लारेंस रोड क्षेत्र में, जहां रूट नं० 913 की बस चलती है, हाल के वर्षों में और अधिक कालोनियों का निर्माण हो गया है तथा रूट नं० 913 की सेवा अब अपर्याप्त है;

(घ) क्या दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए इस रूट पर और अधिक बसें लगाने, उनकी बारम्बारता बढ़ाने और रूट को दक्षिण दिल्ली की कालोनियों तक बढ़ाने का विचार किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) रूट नं० 913 की सेवायें, शक्ति नगर और लारेन्स रोड के रेलवे लेवल क्रासिंग नामक दो स्थानों पर यातायात के अक्सर रुक जाने के कारण, कुछ अनियमित पाई गयी है।

(ग) यह देखा गया है कि लारेन्स रोड कालोनी में ही कुछ और ब्लाकों का निर्माण कार्य चल रहा है। 913 के रूट की सेवाओं के अलावा, यात्रियों को रूट नं० 912 की सेवायें और "श्रमिक सेवा" भी उपलब्ध है जो कि मौरिस नगर और पंजाबी बाग टर्मिनल के बीच पड़ने वाले सैक्टर में रूट नं० 913 के लगभग समानान्तर चलती है।

(घ) और (ङ) : चूंकि, वर्तमान सेवायें पर्याप्त समझी जाती हैं, अत: इस रूट पर और बसें लगाने का दिल्ली परिवहन निगम का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, साउथ दिल्ली जाने के लिए पंजाबी बाग टर्मीनल पर अन्य बसों की सुविधायें उपलब्ध है।

जयपुर में पुलों के निर्माण के लिए ठेके दिया जाना

4059. **श्री दौलतराम सारण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष अगस्त में जयपुर में भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए पुलों का निर्माण कार्य का ठेका बिना निविदाएं आमंत्रित किये कुछ ठेकेदारों को दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन परिस्थितियों में इस कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं कीं; और

(ग) क्या ठेकेदारों को दिया गया कार्य स्वयं भारतीय रेलवे द्वारा किया जा सकता था?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। कार्य की तात्कालिकता और विशेष किस्म को ध्यान में रखते हुए सीमित टेंडर आमंत्रित किए गए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

उत्तर रेलवे में नकद और भुगतान कोष कार्यालय में परिवर्तन

4060. **श्री महावीर प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सभी रेलवे में नकद और भुगतान कोष कार्यालयों में पदोन्नतियों के भाग भिन्न-भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में नकद साइड में और वेतन साइड संवर्गों के परिवर्तन के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : भारतीय रेलों पर अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति सरणियां अलग-अलग रेलवे द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती हैं । जो कि उनकी प्रणाली पर उपलब्ध कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों की पदोन्नति के अवसरों की तुलना में उन रेलों पर प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करता है । इसलिए, विभिन्न रेलों पर (कैश एण्ड पे आफिस) रोकड़ एवं वेतन कार्यालयों में पदोन्नति सरणियां भिन्न-भिन्न हो सकती हैं । पूर्वोत्तर रेलवे ने मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ विचार विमर्श करके अपनी रेलवे पर उपलब्ध पदोन्नति सरणि में थोड़ा संशोधन कर दिया है ताकि रोकड़ और वेतन शाखा (कैश एण्ड पे ब्रांच) के प्राप्ति अनुभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति सम्भावनाएं बेहतर हो जाए जिनकी पदोन्नति की सम्भावनाएं पहले कम थीं ।

रेल डिब्बे बनाने के मौजूदा कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि

4061. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल डिब्बे बनाने के प्रत्येक विद्यमान कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) देश में तीन सवारी-डिब्बा निर्माण कारखाने हैं :—

(1) सवारी-डिब्बा कारखाना, (आई० सी०एफ०), मद्रास ।

(2) भारत अर्थ मूवर्स लि०, (बी० ई० एम० एल०), बेंगलूरु ।

(3) जैसप एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता ।

(1) सवारी डिब्बा कारखाना

सवारी डिब्बा कारखाने की अधिकतम उत्पादन क्षमता 750 सवारी डिब्बा प्रति वर्ष है। जब तक संरचना में बड़े पैमाने पर परिवर्तन नहीं किये जाते, पर्याप्त स्थान की कमी के कारण वर्तमान खोल विभाग के विस्तार की बहुत कम गुंजाइश है। अतएव, सवारी डिब्बा कारखाने में सवारी डिब्बों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए और यहां तक कि सवारी-डिब्बा उत्पादन क्षमता में मामूली-सी वृद्धि करने के लिए भी भारी पूंजी निवेश करके अवसंरचना सुविधाओं के सृजन की आवश्यकता उत्पन्न होगी, अतएव ऐसे वित्तीय रूप से व्यावहारिक नहीं समझा गया।

(2) बी० ई० एम० एल० और जैसप

ये क्रमशः रक्षा उत्पादन मंत्रालय और उद्योग मन्त्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां है, जिन्हें बिस्तार के बारे में विनिश्चय करना पड़ेगा और रेल मन्त्रालय उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

दिल्ली के बिना भवन के केन्द्रीय विद्यालय

4062. प्रो. नारायण चन्द्र पराशर : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ क्षेत्र दिल्ली के अन्तर्गत उन केन्द्रीय विद्यालयों के नाम है जिनके पास अपना स्वयं का भवन नहीं है;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन स्कूलों के भवन निर्माण के लिए कोई धनराशि नियत की गई है;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और किस तारीख तक इन सभी विद्यालयों के पास अपना भवन हो जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) (1) केन्द्रीय विद्यालय, सादिक नगर (मस्जिद मोठ)

(2) केन्द्रीय विद्यालय, ए० जी० सी० आर० कालोनी (यमुना पार),

(3) केन्द्रीय विद्यालय, शालीमार (हाल में ही खुले हैं)।

(ख) से (घ) : यद्यपि, केन्द्रीय विद्यालय, सादिक नगर के भवनों के निर्माण के लिए बजट प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहले से ही विद्यमान है, किन्तु केन्द्रीय विद्यालय, ए० जी० सी० आर० कालोनी, तथा केन्द्रीय विद्यालय शालीमार के भवनों के निर्माण के लिए बजट प्रावधान निकट भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

स्कूल भवन का निर्माण कार्य पूरा होने में सामान्यतः कुछ वर्ष लग जाते हैं।

दक्षिण रेलवे कर्मचारियों को रियायती सीजन टिकट दिए जाने की मांग

4063. श्री आनन्द पाठक : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, दक्षिण रेलवे के विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे रेल कर्मचारियों से, उन्हें रियायती सीजन टिकट देने के लिए, 9 अप्रैल, 1982 को कोई स्मरण पत्र मिला है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय लेने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) रेल कर्मचारियो को रियायती सीजन टिकट जारी करना उन्हीं खण्डों तक सीमित रहता है जहां यह पद्धति 14.12.53 से पूर्व लागू थी । ऐसे मामलों में गुणदोष के आधार पर अन्य खंडों में भी यह सुविधा देने पर विचार किया जाता है जहां रेलवे कालोनियां कार्य-स्थलों से काफी दूरी पर स्थित हैं जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । फिर भी ज्ञापन में किये गये अनुरोध पर विचार किया जा रहा है ।

छात्रों के कोष को अन्य कार्यों में लगाना

4064. श्री भीखाभाई : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अधिकांश सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, हाजिरी पुस्तिकाओं, अध्यापकों की डायरियों, मंहगी लेखा किताबों, वेतन रजिस्टरों, शुल्क प्राप्ति पुस्तिकाओं, वाहन प्रभारों में बढ़ते हुए व्यय वाले तथा अन्य इसी प्रकार की आकस्मिक व्यय को, लेखा आवश्यकताओं और नियमों को दर किनार करते इस छात्र कोष से पूरा कर रहे हैं;

(ख) क्या वर्षों पहले दिल्ली प्रशासन द्वारा आकस्मिक व्यय की सीमा अत्यन्त कम कर देने के परिणामस्वरूप छात्र कोष को इस प्रकार अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है; और

(ग) क्या स्कूलों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्त रजिस्टरों, डायरियों तथा रिकार्ड की अन्य वस्तुओं और स्टेशनरी का मानकीकरण करने और निश्चित मूल्यों पर उनकी सप्लाई करने और उन पर होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, राजकीय स्कूलों को सभी लेखन सामग्री शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदान की जाती है । सहायता प्राप्त स्कूलों में, निर्धारित मानदंडों के अनुसार, खरीद सम्बन्धित प्रबन्धकों द्वारा की जाती है और इसकी प्रतिपूर्ति उन्हें सहायक अनुदान के रूप में कर दी जाती है ।

(ख) और (ग) : वर्ष 1972-73 में निर्धारित फुटकर खर्च की सीमा का 1982-83 से दिल्ली प्रशासन द्वारा संशोधन कर दिया गया है ।

करुणा-मूलक आधार पर नौकरी

4065. श्री राम विलास पासवान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत

पांच वर्षों के दौरान कितने रेल कर्मचारियों की सेवा काल ही में मृत्यु हो गई और उसी अवधि के दौरान करुणा-मूलक आधार पर उनके कितने-आश्रितों को रोजगार दिए गए ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"मोरमुगाओ नाविक संघ की याचिका"

4066. **श्री बापूसाहिब परलेकर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोरमुगाओं नाविक संघ ने 15 जून, 1982 को सरकार के पास, उन लोगों को, जिनके पास कोई वैध मांग और निर्धारित योग्यताएं नहीं है भारतीय सी० डी० सी० जारी करने के बारे में एक याचिका भेजी है,

(ख) याचिका का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेंद्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) मुरगांव सी मेस यूनियन ने दिनांक 15.6.1982 के अपने आवेदन में निम्नलिखित मुद्दा उठाया है।

(1) पहले पुर्तगाली लिंगल सेलिंग दस्तावेज धारकों को ही भारतीय सी० डी० सी० जारी किया जाना चाहिए, फिर सभी नविकों को जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय नाविक पासपोर्ट मिले हुए थे, गोवा के स्वतन्त्र होने के बाद नाव चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

(2) इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी गोवन सी मैन का जो नियम और विनिमय के तहत निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं, कोई भारतीय सी० डी० सी० नहीं ज़ारी किया जाय।

(3) केवल पासपोर्ट धारकों को भारतीय सी०डी०सी० का जारी किया जाना रोका जाना चाहिए और नाविकों द्वारा दिया गया बोगस समुद्री सेवा विवरण की जांच की जानी चाहिए।

(ग) सरकार, गोवा के आजाद होने पर पुर्तगाली प्राधिकरण के द्वारा गांवन नाविकों को जिन्हें अपने खाते में कुछ समुद्री सेवा शेष थी पुर्तगाली सीमैन डाकुमैंट के बदले भारतीय सी० डी० सी० यथा लोगों कुर्सी और इक्वीपाजेम/पासपोर्टस आदि जारी किए जाने के बारे में कार्रवाई की है। बाद में गोवा के भी भारतीय पासपोर्ट धारक जिनकी कुछ समुद्री सेवा थी, उनके पुराने डाकुमैंट के बदले भारतीय सी० डी० सी० के आदेश दिये गये। गोवा में बहुत सारे चुनाव के बाद भारतीय सी० डी० सी० जारी किये गये थे। गांवन सीमैन के किसी भी यूनियन ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को भारतीय सी० डी० सी० जारी करते समय किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया था। व्यावहारिक रूप में सभी गांवन नाविक जिनके पास निर्धारित योग्यता थी, और जिनके पास कुछ समुद्री यात्रा का अनुभव था चुनाव के बाद भारतीय सी० डी० सी०

जारी किया गया। यह भी निर्णय किया गया है कि गोवा में भारतीय सी० डी० सी० जारी किये जाने के लिए कोई चुनाव नहीं किया जायेगा। बिना निर्धारित योग्यता वालों या केवल पासपोर्ट धारकों को भारतीय सी० डी० सी० जारी किये जाने का प्रश्न नहीं होता। वोगस समुद्र सेवा के आधार पर भारतीय सी० डी० सी० जारी किये जाने की किसी भी खास घटना की जांच की जायेगी जिसकी जानकारी सरकार को मिलेगी।

पर्यवेक्षी कर्मचारियों के ग्रेडों में समानता

4067. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1946, 1958, 1974 और 1982 में इंजीनियरिंग, मेकेनीकल, सिगनल और टेलीकाम और इलैक्ट्रीकल विभागों में पर्यवेक्षी कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों के ग्रेड क्या थे,

(ख) क्या यह सच है कि पहले कर्मचारियों के विभिन्न ग्रेडों की एकरूपता में परिवर्तन किया गया था, और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या आधार था ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1946, 1958, 1974 और 1982 में इंजीनियरी, यांत्रिक, सिगनल और दूर-संचार तथा बिजली विभागों में पर्यवेक्षों कर्मचारियों को विभिन्न कोटियों के ग्रेड इस प्रकार हैं :—

1946. : प्रथम वेतन आयोग द्वारा संस्तुत निर्धारित वेतनमानों को अपनाने से पहले रेलों पर वेतनमानों में कोई एकरूपता नहीं थी। अतः 1946 में अर्थात् निर्धारित वेतनमानों के लागू होने के तत्काल पहले पर्यवेक्षी कर्मचारियों के वेतनमानों में काफी विभिन्नता थी और वे एक समान नही थे। ऐसा विभिन्न कम्पनी रेलों में भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के होने तथा आवश्यकताओं को० पूरा करने के लिए तदर्थ वेतनमानों के लागू किये जाने के कारण हुआ था।

1958 : 360-500 रु. (नि. वे.)
300-400 रु. (नि. वे.)
260-350 रु. (नि. वे.)
200-300 रु. (नि. वे-)
150-225 रु. (नि. वे.)

1974 : 840-1040 रु. (नि. वे.)
700-900 रु. (सं. वे.)
550-750 रु. (सं. वे.)
425-700 रु. (सं. वे.)

1082 : 840-1040 रु. (सं. वे.)
700-900 रु. (सं. वे.)
550-750 रु. (सं. वे.)
425-700 रु. (सं. वे.)

(ख) और (ग) : 1958, 1974, और 1982 से लागू वेतनमान प्रथम वेतन आयोग तथा तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। इन वेतन आयोगों ने इन वेतनमानों की सिफारिश निष्पादित ड्यूटियां और जिम्मेदारियां, अपेक्षित अर्हताएं सहित और अन्य कारकों, जिनमें समय-समय पर परिवर्तन होता है, को ध्यान में रखकर की है। वेतन आयोग द्वारा इन कारकों को ध्यान में रखते हुए सापेक्ष समता पर विचार किया गया है।

भारतीय रेलवे सिगेनल और टेलीकाम कर्मचारी एसोसिएशन, आसनसोल का अभ्यावेदन

4068. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे सिगनल और टेलीकाम स्टाफ एसोसिएशन, पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल से दिनांक 12 मार्च, 1982 का कोई अभ्यावेदन मिला है,

(ख) यदि हां, तो एसोसिएशन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे क्या हैं,

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय भारतीय रेलवे सिगनल और दूर-संचार कर्मचारी एसोसिएशन, आसनसोल, पूर्व रेलवे, जो एक गैर-मान्यताप्राप्त अनुभागीय संगठन है, के 6.2.1982 के अभ्यावेदन से है (क्योंकि 12 मार्च, 1982 का कोई भी अभ्यावेदन तत्काल उपलब्ध नहीं है)। इस अभ्यावेदन में जिन आय मांगों का उल्लेख किया गया है वे हैं नाजुक उपस्करों को देखते हुए उचित कार्य विश्लेषण, समुचित सामग्री की सप्लाई और 8 घंटे की ड्यूटी आदि।

सरकार की नीति के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त इस प्रकार की मांगों पर मौजूदा नियमों के अन्तर्गत तथा वित्तीय तंगियों के बावजूद यथावश्यक कार्रवाई की जाती है। सिगनल और दूर-संचार कर्मचारी एसोसिएशन की मांगों पर भी इसी नीति के अनुसार विचार किया गया है और उपयुक्त कार्रवाई की गयी है।

"आर० के० पुरम और अंतर्राज्यीय बस अड्डे के बीच और अधिक मिनी बसें"

4069. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री आर० के० पुरम और अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के बीच चल रही (मिनी बसों के बारे में) 8 जुलाई 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और घौलाकुआं के बीच बरास्ता कनाटप्लेस की मेटाडोर सेवा बन्द हो जाने से आर० के० पुरम से अंतर्राज्यीय बस अड्डे तक चलने वाली मिनी बस सेवा की एक मात्र सेवा है जो मोतीबाग आनन्द निकेतन शांति निकेतन और अन्य निकटवर्ती कालोनियों से कनाट प्लेस तक बरास्ता सरदार पटेल मार्ग विलिंगडन अस्पताल बंगलासाहिब यात्रा करने वालों की सेवा करती है और यह मिनी बस हर बार खचा-खच भरी रहती है,

(ख) यदि हां तो क्या वे इस मार्ग पर कुछ मिनी बस चलाने की आवश्यकता पर विचार करेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सचिवालय और कनाट प्लेस में बस बदलने की सुविधा और दिल्ली परिवहन निगम की नियमित सेवाओं को तथा इन कालोनियों के बीच चलने वाली तीन डीलक्स बसों की सुविधा को देखते हुये और अधिक मिनी बसें लगाने की जरूरत नहीं समझी जाती। परन्तु, दिल्ली परिवहन निगम यातायात सम्बन्धी अपनी आवधिक समीक्षा के दौरान यह जरूरी समझता है, तो मौजूदा सेवाओं में वृद्धि करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

विश्वविद्यालय स्तर का मंजूर किया जाना

4070. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1982 के नेशनल हेरल्ड में प्रकाशित आई० ए० आर० आई० के लिए विश्वविद्यालय स्तर देने से सम्बन्धित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहले एक ही विषय वाले संस्थानों को विश्वविद्यालय का स्तर दिए जाने के विरुद्ध था और यदि हाँ, तो इस बारे में वर्तमान नीति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सी० एस० आई० आर० और आ० सी० ए० आर० के अंतर्गत सैकड़ों अन्य विशिष्ट संस्थानों को विश्वविद्यालय स्तर देने का है;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि जिन संस्थानों को विश्वविद्यालय का स्तर दिया गया है उनके अनुसंधान प्रयासों पर विशेष रूप से व्यावहारिक अनुसंधान को इससे गम्भीर क्षति हुई है जैसा कि आई० ए० आर० आई० के मामले में हुआ है; और

(ङ) क्या 23 पूर्ण दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालयों के निर्माण को देखते हुए सरकार आई० ए० आर० आई० जैसे विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों के लिए अनुदान देने हेतु पुनर्विचार करेंगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : जी, हां। वह समाचार भारतीयपशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर के बारे में था, न कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में।

(ख) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार, कोई भी संस्था जिसे "विश्वविद्यालय समझा" जा सकता है सामान्यतः उस के चुने गए विशेषज्ञता क्षेत्रों में अध्यापन और अनुसंधान कार्य में लगा होना चाहिए, उसने उच्च स्तर प्राप्त किये हों और विश्वविद्यालय का स्तर ऐसा होना चाहिए जिससे कि संस्था, विशिष्टता के क्षेत्र में, उस विषय के शिक्षण और अनुसंधान कार्यकलापों आदि के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दे सके।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) जी, नहीं। दूसरी ओर विश्वविद्यालय समझे जाने के दर्जे से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को, कर्मचारियों और छात्रों के बीच परस्पर लाभदायक अंतरकार्रवाई के जरिए उसके अध्यापन और अनुसंधान कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने में मदद मिली है।

(ङ) जी, नहीं।

हिन्दी अनुवादकों के लिए अलग संवर्ग बनाना

श्री हीरालाल आर० परमार : क्या विदेश मंत्री मंत्रालय में अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों का एक अलग संवर्ग बनाने के बारे में 25 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5143 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में हिन्दी अनुवादकों और हिन्दी अधिकारियों के लिए एक पृथक संवर्ग बनाने अथवा उन्हें केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा संवर्ग में शामिल करने का निर्णय इस बीच ले लिया गया है।

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अब तक निर्णय न लेने के क्या कारण और इस तरह का संवर्ग कब तक बनाए जाने की संभावना है; और

(घ) कोई संवर्ग न बनाये जाने के कारण प्रभावित हिन्दी अनुवादकों और हिन्दी अधिकारियों के हितों की रक्षा करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : हिन्दी अनुवादकों और हिन्दी अधिकारियों के लिए एक अलग संवर्ग बनाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा संवर्ग में शामिल होने के प्रश्न पर अभी भी विचार किया जा रहा है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

कमीशन बेयररों तथा बैंडरों को स्थायी रूप में खपाना

श्री योगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने वर्ष 1976 में भारत में रेलवे के सभी महाप्रबन्धकों को निदेश दिया था कि वे सभी कमीशन बेयररों तथा बैंडरों को उनकी सेवावधि के अनुसार विभिन्न विभागीय जलपान यूनिटों में स्थाई रिक्त पदों पर खपाने के लिए उनके नाम पंजीकृत करें;

(ख) यदि हां, तो क्या वे सभी कमीशन बेयरर तथा बैंडर खपा लिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या खपाने के इस कार्य को पूरा करने हेतु कोई समय-सीमा रखी गई है;

(घ) क्या सरकार को आसनसोल रेलवे तथा अन्य स्थानों के कमीशन-बेयररों तथा बैंडरों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय व संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) यद्यपि 1976 में इस मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेल प्रशासनों से कहा था कि विभिन्न विभागीय खान-पान यूनिटों में समाहृन के लिए कमीशन पर काम करने वाले बेयरों और वेंडरों के नाम रजिस्टर किए जायें, तथापि 1978 में यह नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया कि कमीशन पर काम करने वाले बेयरों को केवल चरणबद्ध आधार पर ही समाहित किया जाए।

(घ) और (ङ) : आसनसोल और अन्य स्थानों के कमीशन पर काम करने वाले वेंडरों (न कि बेयरों) से इस मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उनकी जांच करने पर यह विनिश्चय किया गया कि कमीशन पर काम करने वाले वेंडरों को विभागीय खान-पान यूनिटों के नियमित कर्मचारियों के रूप में समाहित कर लेने का कोई औचित्य नहीं है।

भारतीय नौवहन निगम और मुगल लाइन्स के ढांचे और कार्यकरण के सम्बन्ध में फजल समिति का प्रतिवेदन

4073. श्री एस० वी० सिदनाल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की दो प्रमुख नौवहन कम्पनियां भारतीय नौवहन निगम और मुगल लाइन्स के ढांचे और कार्यकरण के बारे में फजल समिति की सिफारिशें क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन कम्पनियां अपने मार्गों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र नहीं है जब कि विदेशी कम्पनियां पत्तन और मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार स्थिति की पुनरीक्षा करने और सुधारात्मक उपाय करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) फजल समिति की सिफारिशें अभी सरकार के पास विचाराधीन है।

(ख) मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की आवश्यकतानुसार नौवहन महानिदेशालय द्वारा जहाज मालिकों को लाइसेंस दी जाती है इसके तहत ही सिर्फ भारतीय जहाज चल सकते हैं। इन लाइसेंसों को देते समय नौवहन महानिदेशक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखती हैं :

(1) एक खास ट्रेड रुट पर ओवर-टेनेजिंग की रोकथाम करना और (2) जहां एक ट्रेड रुट, कान्फ्रेंस/रेट करार आदि के तहत आते हैं वहां कान्फ्रेंस और नान कान्फ्रेन्स के बीच भारतीय आपरेटरों की अनुचित प्रतियोगिता की रोक थाम करना। विदेशी नौवहन कम्पनियों के मामले में ये नियम लागू नहीं किए जा सकते।

(ग) यह स्थिति पुनरक्षणाधीन है और जब कभी आवश्यकता होगी सुधारात्मक उपाय अपनाये जायेंगे।

राष्ट्रीय उर्दू अकादमी

4074. श्री समीनुद्दीन : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उर्दू अकादमी, जिसका नाम बदलकर उर्दू भाषा का केन्द्रीय संस्थान (सेंट्रल इन्स्टीट्यूट आफ उर्दू लेंग्वेज) कर दिया गया है, को स्थापित करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया था और क्या इसे 1980 में योजना आयोग द्वारा भी स्वीकृत कर दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोक सभा में 1980-81 का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि इस संस्थान के लिए धनराशि आबंटित कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संस्थान की स्थापना के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में मेडिकल स्नातकोत्तर परीक्षा के परीक्षक के रूप में गैर-मेडिकल व्यक्तियों की नियुक्ति

4075 **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली का पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट जीवशास्त्रियों, कृषि शास्त्रियों जैसे गैर मेडिकल व्यक्तियों को मेडिकल (रसायन) स्नातकोत्तर परीक्षा के परीक्षक के रूप में नियुक्त करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा इस प्रकार के कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई;

(ग) क्या अन्य शिक्षण (टीचिंग) अस्पतालों में इस प्रथा का अनुसरण किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो संस्थान द्वारा इस प्रथा का अनुसरण क्यों किया जाता है और क्या जूनियर डाक्टरों की एसोसिएशन ने लिखित रूप में इस प्रथा का विरोध किया है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) : नहीं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षकों के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करता है जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारत-साइप्रस सांस्कृतिक आदान प्रदान

4076. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और साइप्रस सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम पर सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) : भारत और साइप्रस के बीच 1982-1984 वर्षों के लिए सांस्कृतिक तथा शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम पर मई 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे। शिक्षा तथा विज्ञान के क्षेत्र में, कार्यक्रम में शिक्षाविदों तथा विद्वानों के आदान-प्रदान, शिक्षावृत्तियां/छात्रवृत्तियां प्रदान करने, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लेने के लिए सुविधाएं, और सूचना, प्रकाशनों तथा विशिष्ट वैज्ञानिक सामग्री के विनिमय की व्यवस्था है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यक्रम में कलाकारों, विशेषज्ञों, लेखकों, प्रदर्शनकारी दलों और प्रदर्शनियों के विनिमय की व्यवस्था की गई है। इसमें दोनों देशों की प्रेस एजेन्सियों और जन सूचना अधिकारियों के बीच सहयोग और दोनों देशों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक विकास के सम्बन्ध में आकाशवाणी/दूरदर्शन कार्यक्रमों के विनिमय की भी व्यवस्था है। कार्यक्रम में पर्यटन तथा जन स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सहयोग के अतिरिक्त खेलों के क्षेत्र में विनिमयों के विकास की भी व्यवस्था है।

विदेश में प्रचार कार्य

4077. **श्री के० मालन्ना** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा प्रचार तंत्र विदेशों में अप्रभावी और अनुत्पादक हो गया है और विदेशों में भारत की छवि को समुचित रूप से प्रदर्शित करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) हमारे विदेश प्रचार तंत्र की कार्यकुशलता और पर्याप्तता की निरन्तर समीक्षा की जाती है। इसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है लेकिन यह कहना सही नहीं है कि यह तंत्र अप्रभावी और अनुत्पादक रहा है। वस्तुतः विगत दो वर्षों में जनता, संसद, शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठनों से प्राप्त सुझावों और मूल्यांकनों के आधार पर हमारे विदेश प्रचार की गतिविधियों को और प्रभावशील बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। इसका विदेश प्रचार के काम से सम्बन्धित प्रशासनिक ढांचे और विदेशों में भारत के विकास तथा भारत की उपलब्धियों को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में स्पष्ट असर पड़ा है।

(ख) एक ब्योरा संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि विदेश प्रचार के कार्य को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में सरकार द्वारा पहले क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

[ग्रंथालय में रखा। देखिए संख्या एल टी-4416/82]

कला अध्यापकों के लिए जामिया मिलिया पाठ्यक्रम

4078. **श्री गुरबिन्दर कौर ग्रार :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली दसवीं कक्षा तक कला अध्ययन करने के लिए कला अध्यापक तैयार करने के प्रयोजन से कला और कला शिक्षा में एक त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स बी० ए० (आनर्स) चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस डिग्री कोर्स के विषय क्या हैं;

(ग) यह पाठ्यक्रम कब से शुरू किया गया था; और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने छात्रों को डिग्री दी गई;

(घ) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली ने माध्यमिक विद्यालयों की कक्षाओं में कला पढ़ाने के लिए उन डिग्री धारियों को अर्हता प्राप्त के रूप में मान्यता दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जामिया मिलिया द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद शिक्षा निदेशालय ने अपने भर्ती नियमों में इस डिग्री को अब तक शामिल नहीं किया है जिसके परिणाम-स्वरूप अनेक अर्हता प्राप्त उम्मीदवार कला अध्यापक नियुक्त होने से वंचित रह गए हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) डिग्री पाठ्यक्रम में शामिल किए गए विषय हैं : अंग्रेजी, भाषा हिन्दी अथवा उर्दू भाषा, कला का इतिहास, कला शिक्षा तथा कला, कला और शिशु।

(ग) छात्रों का प्रथम बैच 1977 में दाखिल किया गया था। वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 में जिन छात्रों को डिग्री प्रदान की गई है, उनकी संख्या क्रमश: 14,14 तथा 4 है।

(घ) जी, हां।

(ङ) से (छ) : दिल्ली स्कूलों में कला शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इस डिग्री को शामिल करने के प्रश्न के सम्बन्ध में जामिया द्वारा शिक्षा निदेशालय को सितम्बर, 1981 में लिखा गया था। जामिया द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। इस मामले में दिल्ली प्रशासन के साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है।

बरकला और मय्यानद लाइन को दोहरा किया जाना

4079. **श्री बी० के० नायर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत वरकला और मय्यानद लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या रेलवे का विचार परावुर के निकट मम्मोहित में रेलवे पुल के निकट साथ में एक सड़क-पुल बनाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से बिहार में बनाए गए वे अस्पताल जहाँ से रोगियों को आगे इलाज के लिए भेजा जाता है।

4080. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से भारत में और पृथक् रूप से बिहार में ऐसे कितने अस्पताल बनाए गए जहाँ से रोगियों को आगे इलाज के लिए भेजा जाता है और ये कब बनाए गए थे;

(ख) इस तरह निर्मित अस्पतालों में से कितने 1982 से पूर्व बिहार में कार्य कर रहे थे;

(ग) क्या बिहार में चार-पाँच वर्ष पूर्व भवनों के निर्माण पूरा हो जाने के बाद भी उन्हें जनता की चिकित्सा के लिए अभी तक नहीं खोला गया है;

(घ) क्या यह सच है कि बिहार सरकार, जिसे ये अस्पताल सुपुर्द किए गए थे, उन्हें चलाने में असफल रही है; और

(ङ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की किन्हीं विपरीत टिप्पणियों से बचने के लिए इन अस्पतालों को, इसके ठीक संचालन हेतु कुछ संस्थानों को सौंप दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ङ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उन कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियों की नियुक्ति जिन्होंने 1974 में हड़ताल के समय कार्य किया

4081. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत लखनऊ डिवीजन में गोंडा जंक्शन पर डीजल लोको शेड का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और इस शेड के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है;

यदि हाँ, तो क्या मंत्रालय डीजल लोको शेड गोंडा में उन निष्ठावान कर्मचारियों के

पुत्र-पुत्रियों को नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिन्होंने 1974 की हड़ताल के समय गोंडा में काम किया था;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, किन्तु कोई नियुक्ति नहीं की गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय निष्ठावान कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति करने की कोई योजना नहीं है।

संसदीय समिति को गलत जानकारी देना

4082. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति (1980-81) को गलत जानकारी देने के लिए, जैसा कि समिति द्वारा अपने छठे प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के पैरा 1.4 में टिप्पणी की है, सम्बद्ध अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : एक वर्ष पहले रेलों का आशय के अनुदेश जारी किए जाने से कि संसदीय समिति के समक्ष साक्ष्य देते समय अधिकारियों को सतर्क तथा अधिक सावधान रहना चाहिए, यह मामला मुख्य विधायी समिति अधिकारी के परामर्श से समाप्त कर दिया गया था।

दिल्ली नगर निगम में नर्सरी अध्यापकों, सहायक अध्यापकों के पद

4083. **श्री जगपाल सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम में गत तीन वर्षों के दौरान पुरुष और स्त्री वर्गों में सहायक अध्यापकों, नर्सरी अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के कुल कितने पद भरे गए;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित रखे गए और इन वर्षों में इन जातियों के कितने अभ्यर्थी भर्ती किए गए;

(ग) 1958 से मई, 1982 तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सहायक अध्यापकों, नर्सरी अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के कितने पद नहीं भरे गए; और

(घ) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित उपरोक्त श्रेणियों के पदों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच "रिक्त पदों के विनियम" के नियम के अन्तर्गत कमी अनुसूचित जातियों के पक्ष में बदला है, यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के०

थुंगन) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यूनियन एकाडेमी, दिल्ली द्वारा भेदभाव पूर्ण नीति का अपनाया जाना

4084. **श्री जय नारायण रौत** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के प्रवेश के लिए नई दिल्ली में स्थित यूनियन एकाडेमी सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल जैसे सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान शैक्षणिक आधार के अलावा अन्य आधारों पर योग्य छात्रों को इन सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा प्रवेश देने से इन्कार करने की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस स्कूल द्वारा अपनाई गई इस प्रकार की भेदभाव नीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, संयुक्त स्कूलों में, जहाँ प्राथमिक कक्षाएं, माध्यमिक अथवा सीनियर माध्यमिक स्कूलों से सम्बद्ध होती है, कक्षा 1 में दाखिले योग्यता पर आधारित होते हैं। योग्यता का पता लगाने के लिए एक बोर्ड द्वारा, जिसमें तीन से चार व्यक्ति होते हैं, छात्रों का साक्षात्कार लिया जाता है 1 दाखिले की योजना के आधार पर कक्षा VI, IX और XI में दाखिले किए जाते हैं। शेष कक्षाओं में क्षेत्र के छात्रों के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों की संख्या के आधार पर स्कूलों द्वारा छुट-पुट दाखिले किए जाते हैं।

(ख) जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है, ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आता है। तथापि, केवल उन मामलों में दाखिले के लिए इनकार किया जाता है जो दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली 1973 के नियम 133(2) के अनुसरण में प्रत्येक वर्ष तैयार की गई दाखिले की योजना के प्रतिकूल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

4085. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रत्येक ग्रेड/संवर्ग में, वर्गवार, कुल कितने पद है और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियाँ (वर्गवार) के लिए कितने पद आरक्षित है;

(ख) अगले उच्च ग्रेड में तदर्थ आधार पर अथवा नियमित आधार पर पदोन्नत किए गए व्यक्तियों को छोड़कर आरक्षित पदों पर, वर्गवार, इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को सख्ती से लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्गवार कुल कितने आरक्षित पद नहीं भरे गए हैं और उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली प्रशासन में वरिष्ठ कला अध्यापक

4086. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत वरिष्ठ कला अध्यापकों के संवर्ग में चयन ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा सामान्य श्रेणी के ऐसे अध्यापक कितने हैं जिनको उन संवर्ग में चयन ग्रेड दिया गया है;

(ग) क्या कुछ अध्यापकों को वरिष्ठता सूची तैयार किये बिना ही चयन ग्रेड दे दिया गया जबकि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अध्यापकों को अभी तक चयन ग्रेड नहीं दिया गया है;

(घ) क्या वरिष्ठ पी० ई० टी० को उसकी पदोन्नति की तारीख से प्रभावी चयन ग्रेड दिया गया है जबकि वरिष्ठ ड्राइंग अध्यापक को चयन ग्रेड से वंचित कर दिया गया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के वरिष्ठ ड्राइंग अध्यापकों को चयन ग्रेड देने का है और यदि हां, तो कब ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 1982 तक जिन वरिष्ठ कला अध्यापकों को चयन ग्रेड मंजूर किया गया है, उसकी संख्या निम्न प्रकार हैं :—

(1) सामान्य	—	89
(2) अनुसूचित जाति	—	05
(3) अनुसूचित जनजाति	—	01
	जोड़	95

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित सभी पात्र वरिष्ठ ड्राइंग अध्यापकों को (पदों के मामले को छोड़कर) चयन ग्रेड प्रदान कर दिए गए हैं।

छपरा-गोरखपुर रेल मार्ग की मरम्मत

4087. **प्रो० सत्यदेवसिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में छपरा और गोरखपुर के बीच रेल मार्ग बुरी हालत में है और उसकी मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है,

(ख) क्या उपरोक्त कारण से इन दोनों स्टेशनों के बीच गाड़ियां बहुत धीमी गति से चलती हैं और सामान्यतया अपने गन्तव्य स्थानों पर विलम्ब से पहुँचती हैं, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त रेल मार्ग की अविलम्ब मरम्मत करवाने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। हाल ही में गोरखपुर-छपरा के बीच सीधी लाइन को बड़ी लाइन में बदला गया है और नयी लाइन बिछाई गयी है। इन स्टेशनों के बीच मीटर आमान की लूप लाइन पर यथावश्यक नेमी मरम्मत की जा रही है।

(ख) जी नहीं। इन स्टेशनों के बीच रेलपथ की हालत के कारण मुख्यतः कोई गाड़ी विलम्ब से नहीं चल रही है। इस मीटर आमान के खंड पर अधिकतम अनुमेय रफ्तार इस प्रकार है :—

गोरखपुर-कप्तानगंज	—75 कि० मी० प्रति घंटा
कप्तानगंज-थावे	—60 ,,
थावे-छपरा कचहरी	—55 कि० मी० प्रति घंटा

(88 कि० मी० की लम्बाई में 50 कि० मी० प्रति घंटा की प्रति-बन्धित रफ्तार)

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि नवीकरण कार्यों अर्थात् इन स्टेशनों के बीच मीटर आमान पर हालत के आधार पर स्लीपरों का नवीकरण करने की मंजूरी दे दी गयी है।

उत्तर रेलवे में श्रेणी-2 के पदों पर पदोन्नति

4088. **श्री बाला साहिब पवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में सभी कर्मचारियों (यातायात तथा वाणिज्य) को अब तक तदर्थ आधार पर श्रेणी-2 के पदों पर पदोन्नत कर दिया गया है और यदि हां, तो तदर्थ आधार पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं,

(ख) ऐसे सभी कर्मचारी कितने हैं जिनकी पदोन्नति तो की जानी थी परन्तु उन के विरुद्ध एस० एफ० 5 मामले विचाराधीन होने के कारण उनकी पदोन्नति न की जा सकी।

(ग) यदि ये मामले इन कर्मचारियों के पक्ष में निर्णीत किए गए तो क्या उनकी पदोन्नति की जायेगी और यदि हां, तो कब तक, और

(घ) यदि किसी कर्मचारी का दंड छः महीने बाद, लागू होता हो तो क्या उस स्थिति में उसकी पदोन्नति की जा सकती है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग में वर्ग 'ख' (श्रेणी-II) के पदों में नियुक्ति के लिए उत्तर रेलवे पर 1978 में 35 अधिकारियों का एक पैनल बनाने के लिए एक चयन किया गया था। चयन के परिणाम को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि उच्च न्यायालय ने इसे अन्तिम रूप देने पर स्थगन आदेश जारी किये हैं। 1978 के बाद भी चयन नहीं किया जा सका नियमित रूप में चुने गए कर्मचारी उपलब्ध होने तक उत्तर रेलवे पर परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग में 85 कर्मचारी तदर्थ आधार पर वर्ग 'ख' के पदों में अभी तक नियुक्त किये गये हैं।

(ख) एक।

(ग) यह कर्मचारी अपनी बारी में पदोन्नति का पात्र है यदि विभागीय कार्यवाही में उसे निर्दोष पाया जाता है।

(घ) छोटी शास्ति के रूप में वेतन वृद्धि की रोक लगाने की स्थिति में ही ऐसा होता है कि उसकी प्रभावी तारीख प्रत्याशित रूप से ऐसी निर्धारित की जाती है ताकि वह उस तारीख के अनुरूप हो जब सामान्य वेतन वृद्धि देय होती है। ऐसे मामले में, कर्मचारी की अपनी बारी पर पदोन्नति कर दी जाती है और इतनी अवधि के लिए पदोन्नति ग्रेड में शास्ति लगायी जाती है जिससे अधिक आर्थिक हानि न होने पाये।

डी० आर० एम०, हावड़ा के अन्तर्गत ग्रीष्म ऋतु नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया जाना

4089. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० आर० एम०, हावड़ा (पूर्व रेलवे) के अन्तर्गत करुणा-मूलक आधार पर लगाये गये 200 नैमित्तिक ग्रीष्म ऋतु नैमित्तिक कर्मचारी 1979 से दैनिक मजूरी के आधार पर कार्य कर रहे हैं,

(ख) क्या उनकी सेवाएं 1 सितम्बर, 1981 को तथा इस तारीख से समाप्त कर दी गईं थीं और उनको केवल तीन महीनों के लिए 1 अप्रैल, 1982 से पुनः काम पर लगाया गया था,

(ग) क्या उनको फिर काम दिया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इस बात पर विचार करते हुए कि वे अधिकतर मृतक रेल कर्मचारियों की विधवाएं, पुत्रियां आदि हैं, क्या उनको स्थायी रोजगार देने की गारण्टी देने हेतु कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : केवल ग्रीष्म ऋतु के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर लगभग 433 कर्मचारियों की हर वर्ष

स्वीकृति दी जाती है और स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने पर उनकी सेवाएं हर वर्ष समाप्त कर दी जाती हैं।

(घ) लगभग 250 अनपढ़ महिलाएं श्रेणी ।।/ की कोटियों में अनुकम्पा के आधार पर भर्ती की प्रतीक्षा में हैं। इन महिला उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पद उपलब्ध न होने के कारण अस्थायी राहत के रूप में इनमें से 65 महिलाओं को ग्रीष्म ऋतु के दौरान दिहाड़ी के आधार पर नैमित्तिक स्वीकृतियों में नियुक्त किया गया था। उनकी नियमित नियुक्ति यथा-समय उपयुक्त रिक्तयों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

वाराणसी में मोबाइल बुकिंग क्लर्कों की सेवाएं समाप्त करना

4090. श्री राम प्यारे पनिका : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी डिवीजन में लगातार पांच-छह वर्षों से काम कर रहे कुछ मोबाइल बुकिंग क्लर्कों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं,

(ख) क्या कुछ संसद सदस्यों ने इस बारे में उनसे शिकायतें भी की थीं,

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्टेशनों से मोबाइल बुकिंग क्लर्कों की सेवाएं समाप्त की गयी थीं,

(घ) क्या इन मोबाइल बुकिंग क्लर्कों की लम्बी सेवा को देखते हुए सरकार का विचार उनको बहाल और नियमित करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) से (ङ) : वाराणसी मंडल के कुछ स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों के आश्रित विद्यार्थियों को स्वैच्छिक अंशकालिक बुकिंग लिपिक नियुक्त किया गया था। उनकी सेवायें 1981 में समाप्त कर दी गयी थीं लेकिन, बाद में पुनः प्रतिष्ठित कर दी गयीं। वाराणसी मंडल में हंडिया खास स्टेशन पर ऐसे एक अंशकालिक स्वैच्छिक बुकिंग लिपिक की सेवायें ड्यूटी रोस्टर में परिवर्तन होने और स्टेशन पर एक अतिरिक्त सहायक स्टेशन मास्टर की व्यवस्था हो जाने के कारण 1-10-81 से समाप्त कर दी गयी थीं। नियमित रिक्तयों के लिए अधिकारियों की समिति द्वारा जांच करने के बाद इन स्वयं सेवक/चल बुकिंग लिपिकों को समाहित करने पर विचार किया जाना होता है बशर्ते उनके पास सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यताएं हों और स्वयं सेवक/चल बुकिंग लिपिकों के रूप में उन्होंने कम से कम 3 वर्ष की सेवा कर ली हो।

सिंगापुर में "चिदम्बरम्" को रोक लिए जाने के कारण हुई हानि।

4091. श्री डा० वसंत कुमार पण्डित : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम के मद्रास एजेंट पर, जो "चिदम्बरम" पर यात्रियों के आवागमन का संचालन कर रहा है, यात्रियों को बिना वीसा की औपचारिकताएं पूरी किए तथा नियमों के अन्य प्रकार के उल्लंघन करके भेजने का संदेश है,

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय जहाजरानी निगम के जहाज "चिदम्बरम" को सिंगापुर में 10 दिनों तक रोके रखने के क्या कारण है, आप्रवास अधिकारियों ने क्या रवैया अपनाया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) "चिदम्बरम" जहाज को रोके जाने के कारण हुई हानि और विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है और यह हानि कितनी हुई है,

(घ) क्या सिंगापुर आप्रवास अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही भारतीय जहाजरानी निगम के मद्रास एजेंट द्वारा अपनाई गयी विभिन्न अनियमित, गैर-कानूनी और नियम-विरोधी प्रक्रिया तथा विदेशी मुद्रा विनियमों को टालने वाली प्रक्रियाओं का एक परिणाम है, और

(ङ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) एम० वी० "चिदाम्बरम" जहाज को 10 दिन का नहीं बल्कि 5 दिन का विलम्ब हुआ। एम० वी० "चिदाम्बरम" मद्रास से अपनी आम यात्रा नं० 162 पर सिंगापुर के लिए 19.4.82 को रवाना हुआ था। वह 26.4.82 को सिंगापुर पहुंचा और इसे मद्रास के लिए 29.4.82 को चलना था। कुल 688 बंक यात्रियों में से 103 को ही उतारने की अनुमति दी गई क्योंकि बाकी के यात्री विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आप्रवासीय शर्तें पूरी नहीं करते थे। सिंगापुर में स्थित भारतीय नौवहन निगम के रीजनल डायरेक्टर ने इस बारे में भारतीय उच्चायुक्त को अवगत कराया और उन से अनुरोध किया कि वह सिंगापुर स्थित आप्रवासीय अधिकारियों के साथ इस बारे में बातचीत करें। इसके परिणाम स्वरूप 27 अप्रैल से 19 अप्रैल, 1982 तक 265 बंक यात्रियों की जहाज से उतरने की अनुमति दे दी गई। 29.4.82 को 320 यात्री अभी जहाज पर ही थे जिन्हें उतरना था, अतः ऐम्बार्केशन स्थगित कर दी गई क्योंकि यदि 320 यात्रियों को उतरने नहीं दिया जाता तो एक्स-सिंगापुर, पेनांग और क्काललम्पुर के लिए बुक किए लाईम बोट क्षमता से अधिक हो जाते। सिंगापुर स्थित भारतीय नौवहन निगम के रीलनल डायरेक्टर ने आप्रवासीय अधिकारियों की लिखित रूप में यह गारण्टी दी थी कि कठिन स्थित में फंसे उपरोक्त 585 यात्री एम० वी० चिदाम्बरम की वापसी वायेज अर्थात् वायेज नं० 163 जो सिंगापुर से 20.5.82 को चलने के लिए निश्चित रूप से बुक किए जाएंगे। इसके बाद, 41 यात्रियों को 28.4.82 को उतरने की अनुमति दे दी गई और लगभग 245 यात्री 1.5.82 को उतरे, अतः पीछे 34 व्यक्ति जहाज में रह गये। जहाज को 3.5.82 को घाट उपलब्ध किया गया और 4.5.1982 को जहाज की यात्रा के लिए यात्रियों की नई एबार्केशन शुरू हुई।

(ग) स्थानीय नियमों के सख्ती से लागू किए जाने सम्बन्धी सिंगापुर अधिकारियों की ओर से यह अप्रत्याशित कार्रवाई थी। जहाज को पांच दिनों की देर हुई। इस से भारतीय नौवहन निगम को 10.00 लाख रु० का नुकसान होने (अर्थात् स्टैंडिंग चार्जस, बंकेर बोर पत्तन खर्च) का अनुमान है।

(घ) और (ङ) : सिंगापुर आप्रावासीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के अपने नियमों के अनुसार थी। अप्रैल 1982 में इस घटना को देखते हुए सभी सम्बन्धितों को यह कहा गया है कि वे विदेशी मुद्रा रखने सम्बन्धी स्थानीय नियमों का अनुपालन करें। जहाज में चढ़ने से पूर्व इस बात की जांच की जाती है कि यात्रियों के पास अपेक्षित मात्रा में विदेशी मुद्रा है, चाहे वह ट्रेवलर्ज चैक के रूप में हो चाहे बैंक ड्राफ्ट के रूप में, और फिर पासपोर्ट के पीछे इस की पुष्टि कर दी जाती है।

निरस्त्रीकरण के लिए भारत के प्रस्ताव

4092. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण सम्बन्धी दूसरे विशेष सूत्र को हाल में दिये गए सन्देश में परमाणु शस्त्रों पर रोक लगाने के लिए आह्वान करते हुए निरस्त्रीकरण हेतु एक पांच-सूत्री "ठोस" कार्यवाही कार्यक्रम का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यवाही कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) प्रधान मन्त्री ने अपने सन्देश में कहा, "मेरा प्रस्ताव है कि हमें निम्नलिखित ठोस कार्यक्रम की दिशा में सक्रिय होना चाहिए : पहला, इस अधिवेशन को नाभिकीय हथियारों का प्रयोग न करने से सम्बद्ध एक बाध्यकारी अभिसमय के बारे में बातचीत करनी चाहिए," दूसरा वर्तमान भंडारों को अन्ततः कम करने की दिशा में पहले कदम के रूप में नाभिकीय हथियारों पर पूर्ण रोक लगा देनी चाहिए जिनमें नाभिकीय हथियारों के भावी उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था हो और उसके साथ ही हथियारों के निर्माण के उद्देश्य से विखंडनशील सामग्री के उत्पादन में भी कमी की जाएं, तीसरा, सभी नाभिकीय हथियारों के सभी प्रकार के परीक्षण तत्काल स्थगित कर दिए जाएं, चौथा, उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में निरस्त्रीकरण-वार्ता को पुनः एक सहमत समय-सीमा के भीतर एक सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण सम्बन्धी संधि सम्पन्न कराने के काम में पुनः लग जाना चाहिए, जैसाकि अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच सातवें दशक के आरम्भ में सहमत सिद्धांतों और संधियों के मसौदे में तय हुआ था। हालांकि अब इनकी निहित समस्याएं कहीं अधिक जटिल हो गई हैं, फिर भी उस समय जो बुनियादी दृष्टिकोण और सिद्धांत अपनाये गए थे वे अब भी सार्थक वार्ता का आधार हो सकते हैं; और पांचवां, संयुक्त राष्ट्र और उनकी विशेषज्ञ एजेंसियों को चाहिए कि नाभिकीय युद्ध के खतरों और विश्व अर्थ-व्यवस्था पर उसके दुष्प्रभाव के बारे में तथा निरस्त्रीकरण के सार्थक पहलुओं और विकास के साथ उसके सम्बन्ध के बारे में लोगों को शिक्षित करें।"

इस्राईल के विरुद्ध उठाए गए कदम

4093. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय बन्दरगाहों से होकर, इस्राईल के लिए तथा इस्राईल को माल ले जाने वाले जहाजों की गतिविधियों पर एक त्रुटिहीन प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : भारत सरकार के इस्राईल के साथ सरकारी स्तर पर व्यापार या द्विपक्षीय नौवहन के सम्बन्ध नहीं हैं। लेकिन, भारतीय पत्तनों से गुजर कर इस्राईल जाने वाले और वहां से आने वाले मालवाहक जहाजों पर फिलहाल कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ऐसे माल की मात्रा अधिक नहीं है।

मेट्रो रेलवे, कलकत्ता

4094. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता परियोजना में मेट्रो रेलवे के निर्माण पर कुल कितनी लागत आयेगी,

(ख) उक्त परियोजना के लिए कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और परियोजना के पूरा होने तक धनराशि का कितना वार्षिक नियतन किया गया है, और

(ग) क्या रेलवे के निर्माण के कारण कलकत्ता में यातायात में भारी रुकावट तथा लोगों को हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, उक्त योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए विशेष प्रयास करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1980 के मूल्य स्तर के अनुसार कलकत्ता में मेट्रो रेलवे (भूमिगत) के निर्माण की लागत लगभग 560 करोड़ रुपये थी। मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण इस लागत के और बढ़ने की सम्भावना है।

(ख) अब तक लगभग 136.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। 1982-83 के लिए 39.90 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है और इस परियोजना के पूरा होने तक अतिरिक्त वार्षिक आबंटन किया जाना छठी योजना अवधि के दौरान योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(ग) निर्धारित लक्ष्य तिथि के अनुसार इस परियोजना को पूरा करने के लिए सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं और अनेक कठिनाइयों के कारण इस परियोजना को निर्धारित समय से पहले पूरा करना संभव नहीं होगा।

निरस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन

4095. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री दिगम्बर सिंह :

श्री एस० वी० सिदनाल :

श्री भीकू राम जैन :

श्री वी० वी० वैसाई : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निरस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र के हाल ही के विशेष सम्मेलन में रही असफलता से उत्पन्न स्थिति पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र के उपरोक्त विशेष अधिवेशन में भारत के दृष्टिकोण के सन्दर्भ में क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) विशेषकर परमाणु युद्ध के बढ़ते हुए खतरे के सन्दर्भ में शांति और निरस्त्रीकरण के लिए अपनी वचनबद्धता पर आगे कार्यवाही करने के लिए भारत द्वारा क्या और प्रयास किये जाने की सम्भावना है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) : निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा का दूसरा विशेष अधिवेशन (एस० एस० ओ० डी०-11 (7 जून से 10 जुलाई, 1982 तक हुआ। यह बताते हुए खेद है कि यह अधिवेशन निरस्त्रीकरण के किसी महत्व-पूर्ण उपाय पर निर्णय लेने में असफल रहा।

इस अधिवेशन के लिए हमारी प्रधान मन्त्री के सन्देश में भारत ने 5 सूत्री ठोस कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा था। भारत के प्रस्ताव में (i) नाभिकीय हथियारों के प्रयोग न करने; (ii) नाभिकीय हथियारों पर रोक; (iii) नाभिकीय हथियारों के सभी परीक्षणों पर तत्काल रोक; (iv) सहमत समय के अन्दर सामान्य और पूरे निरस्त्रीकरण पर सन्धि के लिए बातचीत; और (v) नाभिकीय युद्ध के खतरों और विश्व की अर्थ-व्यवस्था पर हथियारों की होड़ के हानिकट प्रभावों तथा निरस्त्रीकरण के रचनात्मक पहलुओं और विकास के साथ उनके सम्पर्क के बारे में लोगों को शिक्षित करना, शामिल था।

भारत सरकार जेनेवा में निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध समिति की आगामी बैठक में और संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी 37 वें नियमित अधिवेशन में इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक प्रभावी नीति बनाने का प्रस्ताव कर रही है।

पारिस्थितिक असन्तुलन के कारण मृत्यु

4096. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रत्येक वर्ष पारिस्थिक असंतुलन के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : पारिस्थितिक असंतुलन के कारण कितनी मौतें हुई इसका अनुमान नहीं लगाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पर्यावरणिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधायी उपायों और प्रशासनिक तन्त्र की सिफारिश करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है।

विदेश नियुक्तियों पर भेजे गये शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी

4097. **श्री आर० पी० यादव** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् से विदेशी नियुक्तियों पर भेजे गये लोगों ने उनको आवंटित क्वार्टर खाली नहीं किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनसे क्वार्टर खाली करवाने और वे क्वार्टर दूसरे कर्मचारियों को देने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के तीन अधिकारी रा० शै० अनु० प्र० परि० के आवास को अपने पास रखने के बाद, जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अनुमत्य है, विदेश-नियुक्ति पर गये। नियमों में निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जुर्माने के रूप में मार्केट-किराया लगाया गया। मकानों को खाली कराने के और उपायों पर परिषद् विचार कर रही है।

विज्ञान तथा वाणिज्य के अध्यापन का माध्यम

4098. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों में वाणिज्य तथा विज्ञान विषय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाये जाते हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त स्कूलों में वाणिज्य विज्ञान विषयों का अध्यापन हिन्दी माध्यम से उपलब्ध नहीं है; और

(ग) शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में दिल्ली शिक्षा अधिनियम तथा नियमों में क्या प्रावधान शामिल किये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन की सूचना के अनुसार, विवरण में सूचीबद्ध स्कूलों में वाणिज्य तथा विज्ञान विषयों में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तथापि, उन स्कूलों में इन विषयों में हिंदी माध्यम से पढ़ाने की सुविधाएं भी हैं।

(ग) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में उपबन्ध दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 8 में दिखाए हैं, जिनमें निम्नलिखित व्यवस्था है :—

(1) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा : शर्त यह है कि किसी भी विद्यमान स्कूल में जिसमें हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। उच्चतर माध्यनिक कक्षा के मामले में ऐसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षा देना जारी रखा जा सकता है :—

आगे यह भी शर्त है कि भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे किसी भी स्कूल उच्चत्तर माध्यमिक कक्षा के मामले में, भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है।

(2) जहां किसी विशेष कारण से प्रशासक इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि किसी भी स्कूल की किसी भी उच्चतर माध्यमिक कक्षा में किसी एक विषय अथवा अधिक विषयों अथवा

सभी विषयों में हिन्दी माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा सकती है तो वह उस स्कूल में उक्त विषय अथवा विषयों में हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षा की अनुमति उस अवधि के लिए दे सकता है, जिसे वह ठीक समझे।

(3) जहां प्रशासक इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसे छात्रों जिनकी मात्रभाषा हिन्दी के अलावा कोई अन्य भाषा है, की संख्या अधिक होने के कारण ऐसा करना आवश्यक है तो वह किसी भी विद्यमान स्कूल में एक अथवा अधिक सैक्शन या कक्षाएं, ऐसे बच्चों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए, खोल सकता है तथा जहां ऐसे नए सैक्शन या कक्षाएं खोलना सम्भव नहीं हैं, वहां ऐसे बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक या अधिक नए स्कूल खोल सकता है अथवा खुलवा सकता है।

विवरण

1. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, फेज 1, अशोक बिहार।
2. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, डी. ब्लाक, अशोक बिहार।
3. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, न. 1, माडल टाऊन।
4. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, सी. सी. कालोनी।
5. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, डी. ब्लाक, अशोक बिहार।
6. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, फेज 1, अशोक बिहार।
7. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, न. 1, माडल टाउन।
8. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, न. रूप नगर।
9. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, न. 1, शक्ति नगर।
10. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, मल्का गंज।
11. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, रूप नगर।
12. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, न. 1, शक्ति नगर।
13. राजकीय माडल स्कूल, लुडलों कैसिल, न. 1
14. राजकीय माडल स्कूल, लुडलों कैसिल, न. 2
15. राजकीय माडल स्कूल, सिविल लाइन्स।
16. राजकीय सह-शिक्षा सीनियर माध्यमिक स्कूल, रिंग रोड।
17. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, तिमारपुर
18. आर. बी. रामरूप विद्या मन्दिर, शक्ति नगर।
19. भारतीय विद्यालय, मिडिल स्कूल, सिधोराकलां
20. डीन यूनाइटिड क्रिश्चियन स्कूल।
21. संत निरंकारी राजकीय स्कूल, निरंकारी कालोनी।
22. संत निरंकारी बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, निरंकारी कालोनी।
23. बी. एम. गंगे बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल

24. बेनीं प्रसाद जयपुरिया उच्चतर माध्यमिक स्कूल
25. बटलर मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक स्कूल
26. विकटरी उच्चतर माध्यमिक स्कूल
27. बंगाली बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल
28. एस. एस. एल. टी. गुजराती उच्चतर माध्यमिक स्कूल
29. एयर फोर्स सीनियर माध्यमिक स्कूल, पालम
30. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, न. 1, दिल्ली छावनी
31. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, ए. बी. सी. जनकपुरी
32. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, ए. बी. सी. जनकपुरी
33. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, बी. बी. सी. जनकपुरी
34. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, बी. बी. सी., जनकपुरी
35. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, बी. बी. सी., जनकपुरी
36. न्यू एरा पब्लिक स्कूल, मायापुरी
37. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, न. 1, टैगोर गार्डन ।
38. हॉली चाइल्ड सीनियर माध्यमिक स्कूल, टैगोर गार्डन ।
39. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, कीर्ति नगर ।
40. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, न. 1, मोती नगर
41. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, न. 11, मोती नगर
42. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, करम पुरा
43. राजकीय सह-शिक्षा (माडल) सीनियर माध्यमिक स्कूल, पश्चिम बिहार
44. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल न. 1, मोती नगर ।
45. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, पंजाबी बाग ।
46. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, पंजाबी बाग ।
47. एस. बी. एम. एस. स्कूल, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली
48. विद्या भवन बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, राजेन्द्र नगर ।
49. मानवस्थली सीनियर माध्यमिक स्कूल, राजेन्द्र नगर ।
50. रामजस सीनियर माध्यमिक स्कूल, न. 5, करोल बाग
51. रामजस सीनियर माध्यमिक स्कूल, न. 2, आनन्द मार्ग ।
52. डी. टी. ई. ए. एस. सीनियर माध्यमिक स्कूल, पूसा रोड
53. रामजस पब्लिक स्कूल, पूसा रोड ।
54. स्प्रिंगडेल्स सीनियर माध्यमिक स्कूल, पूसा रोड ।
55. बाल भारती पब्लिक स्कूल, राजेन्द्र नगर
56. सालवान पब्लिक स्कूल, राजेन्द्र नगर

57. जे. डी. टाइटलर पब्लिक स्कूल, पूसा रोड
58. आर. के. एल. एम. बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, करोल बाग
59. सतभ्रावा बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, करोल बाग
60. एस. जी. टी. बी. खालसा बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, देव नगर
61. एस. जी. टी. बी. खालसा बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, देव नगर
62. सालवान बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, राजेन्द्र नगर।
63. सालवान बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, राजेन्द्र नगर।
64. ए. एस. वी. जे. स्कूल, दरिया गंज
65. जैन स्कूल, दरिया गंज
66. कामर्शियल स्कूल, दरिया गंज।
67. कवीन मैरी स्कूल
68. सेंट एन्थोनी गर्ल्स स्कूल।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विदेशी राष्ट्रिक

4099. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा केन्द्र द्वारा प्रशासित अन्य संस्थाओं में कार्य कर रहे विदेशी राष्ट्रिकों के नाम और नियुक्ति की शर्तें क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में उनकी संख्या कितनी-कितनी थी और इस वर्ष कितनी है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) : सम्बन्धित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों का विकास और उन्नति

4100. **श्री सूरज भान :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों की उन्नति और विकास के लिए मन्त्रालय में "विशेष घटक योजना" के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए पृथक-पृथक कुल कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ख) उक्त दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत वास्तव में प्रतिवर्ष पृथक-पृथक कितनी-कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) प्रत्येक वर्ष के लिए व्यय न करने/कम व्यय करने के क्या कारण है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) इस मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली समाज कल्याण योजनाएं मुख्यतया समाज के अत्यन्त पिछड़े वर्गों, जिन में अनुसूचित जातियों के लोग शामिल हैं, के लिए हैं। इसलिए वंचित वर्गों के मामले में एक लाभप्राप्तकर्ता और दूसरे लाभप्राप्तकर्ता में विभेद करना कठिन है।

(ख) और (ग) । प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर अनुसंधान

4101. श्री कुम्भा राम आर्य : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर अनुसंधान करने के लिए व्यक्तियों तथा संस्थानों को वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में कोई मार्ग-निर्देश है।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4417/82]

यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के लिए धनराशि

4102. श्री अशफाक हुसैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार, कितनी धनराशि दी है;

(ख) क्या इन दोनों प्रणालियों के लिए भी एलोपैथी की तरह चिकित्सा परिषदों (केन्द्रीय) का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनके कार्य क्या हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इन को पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है तथा इसके अंतर्गत कितने आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा कालेज चल रहे हैं और उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितने छात्रों को डिग्रियां दी गई हैं;

(घ) क्या उनके पास केन्द्रीय औषध विज्ञान संस्थान भी है और यदि हां, तो उस संस्थान का नाम क्या है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन प्रणालियों के लिए पृथक केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं और यदि हां, तो ये कहां-कहां स्थित हैं और ये प्रयोगशालाएं कब से चल रही हैं; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तित करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए स्वास्थ्य

और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा दी गई धन राशि इस प्रकार है :—

	रुपए लाखों में
1979-80	360.21
1980-81	380.65
1981-82	515.04

इसमें सभी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी की कुछ मिली-जुली योजनाओं के लिए दी गई राशि भी शामिल है।

(ख) और (ग) : शिक्षा के न्यूनतम स्तर निर्धारित करने, केन्द्रीय रजिस्टर बनाने, व्यवसाय को विनियमित करने और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता देने संबन्धी मामलों में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन 1971 में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए एक अलग केन्द्रीय परिषद् स्थापित की गई है। इस परिषद को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्न-लिखित अनुदान प्राप्त हुए हैं :—

1979-80	5.00
1980-81	5.20 लाख
1981-82	5.90 लाख

इस परिषद के सीधे नियन्त्रण में कोई भी आयुर्वेदिक और यूनानी कालेज नहीं चलाया जा रहा है।

(घ) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में खोला गया है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बंगलौर में खोलने का विचार है।

(ङ) भारतीय चिकित्सा की एक फार्मास्यूटिकल प्रयोगशाला 1970 में गाजियाबाद में स्थापित की गई थी। आयुर्वेद और यूनानी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों के अधीन कई अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई और कोचीन के बीच यात्री और माल ढुलाई सेवा

4103. **श्री के० लकप्पा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता बार बार यह मांग कर रही है कि बम्बई और कोचीन के बीच, बरास्ता गोआ, कारवार और मंगलौर, एक यात्री और माल ढुलाई सेवा शुरू की जाए,

(ख) क्या उन्हें यह जानकारी है कि दोनों स्थानों के बीच सड़क मार्ग से वर्तमान यात्रा बहुत ही कठिन है,

(ग) यदि हां, तो क्या बम्बई और कोचीन के बीच एक नौवहन सेवा शुरू करने का विचार है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बम्बई और कोचीन के बीच बरास्ता गोआ, कारवाड और मंगलोर यात्री नौवहन सेवा चलाने के लिए कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) भारत सरकार को इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली हैं।

(ग) और (घ) : सरकार का, बम्बई और कोचीन के बीच नौवहन सेवा चलाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि इस समय आर्थिक दृष्टि से यह लाभप्रद नहीं लगती।

रेलगाड़ियों में पानी की कमी और बिजली और पंखे उपलब्ध न होने के बारे में शिकायतें

4104. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुपर फास्ट रेल गाड़ियों सहित सभी रेलगाड़ियों में बार-बार एयर कन्डीशनर खराब होने, पानी की कमी, बिजली तथा पंखे उपलब्ध न होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी हां। कुछ गाड़ियों में वातानुकूल प्रणाली की खराबी, जल, रोशनी और पंखों की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। लेकिन, यह सुझाव सही नहीं है कि सभी गाड़ियों में जल की कमी रहती है और रोशनियां, पंखे तथा वातानुकूल प्रणाली काम नहीं करती है। जब कभी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी जांच की जाती है और उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। फिर भी, जो कर्मचारी दोषी पाये जाते हैं उनके विरुद्ध उनकी गलतियों के लिए अनुशासन एवं अपील नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। त्रुटिपूर्ण सुविधा सम्बन्धी फिटिंग भी गाड़ियों में बार-बार तोड़-फोड़ करने का परिणाम है।

भारतीय रेलों पर सवारी डिब्बों के अनुरक्षण के लिए एक सुस्थापित प्रक्रिया है जिससे अन्तर्गत सभी डिब्बों की आवधिक जांच की जाती है और जिनकी निर्धारित ओवरहाल और मरम्मत अपेक्षित होती है, उन्हें हटा दिया जाता है और समुचित ध्यान देने के लिए कारखानों और मरम्मत लाइनों को भेज दिया जाता है। रेक के सभी डिब्बों की अच्छी तरह धुलाई की जाती है, शौचालय साफ किये जाते हैं और रोगाणुमुक्त किए जाते हैं, ऊपरी टंकियों में पानी भरा जाता है और बत्तियों और पंखों सहित सुविधा सम्बन्धी अन्य फिटिंग की जाँच की जाती है और गुम पाये जाने पर प्रत्येक चालन के बाद मूल और गौण डिपुओं में यथासंभव इनकी फिटिंग की जाती है। जल/रोशनी और पंखों से सम्बन्धित शिकायतों के बारे में सीमित स्टेशनों पर कर्मचारियों द्वारा मार्ग में ही कार्रवाई कर ली जाती है।

गाड़ियों में जल की व्यवस्था केरेज वाटरिंग समिति की सिफारिशों के अनुसार की जाती है। सिफारिश के अनुसार, प्रारम्भिक स्टेशन और मार्गवर्ती विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों में पानी भरना होता है।

चालू योजना में सड़कों के निर्माण सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए केन्द्र का अंशदान।

4105. श्री जेनल बशर :

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री बी० बी० देसाई :

श्री पी० एम० सईद :

श्री सत्य गोपाल मिश्र :

श्री कृष्ण कुमार गोयल :

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने नौवहन और परिवहन मंत्रालय के सुझाव पर 77 सड़कों के निर्माण के लिए 72.50 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा है,

(ख) यदि हां, तो सड़कों और पुलों के निर्माण सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए चालू योजना अवधि में केन्द्र का अंशदान कितना होगा,

(ग) यदि हाँ, तो राज्य सरकारों को कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी,

(घ) क्या अधिकतर राज्यों ने सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने में अपने आपको असमर्थ बताया है, और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या है जहाँ प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत विकास कार्य किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (ङ) छठी (1980 85) योजना में अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्यों की सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम से 77 स्कीमों के लिए 15 करोड़ रुपए की बजाय केवल 72.50 करोड़ रुपये अनुमोदित किये गए हैं। इसमें से केन्द्रीय सरकार कुल 48 करोड़ रुपए की सहायता देगी और 24.50 करोड़ रुपये राज्यों को अपने ही साधनों से उपलब्ध करना पड़ेगा। त्रिपुरा को छोड़ कर जिसने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, यह धनराशि सभी राज्यों के लिए है।

प्रौढ़ शिक्षा योजनाएं

4106. श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों के द्वारा 1-1-1982 से 30-6-1982 के

दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिए सहायता अनुदानों तथा ऋणों के रूप में कितनी राशि दी गई और वास्तव में कितनी खर्च हुई; और

(ख) जब से यह योजना शुरू की गई है तब से गुजरात तथा अन्य राज्यों को कितनी धनराशि दी गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) (1) राज्यों/संघीय क्षेत्रों को संस्वीकृत केन्द्रीय अनुदान, (2) योजना आयोग द्वारा राज्य का वार्षिक योजनाओं में किये गये आबंटनों और (3) प्रत्येक राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा किए गए व्यय से सम्बन्धित सूचना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए समग्र रूप से एकत्र करके संकलित की जाती है। केन्द्रीय सरकार के अनुदानों और राज्यों की वार्षिक योजनाओं में दोनों प्रकार से वर्ष 1981-82 अर्थात् 31-3-1982 तक के लिए आबंटन की राशि 21.15 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1982-83 के दौरान केन्द्र और राज्यों दोनों की योजनाओं में, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कुल आबंटन, की राशि 26.94 करोड़ रु० हैं। इसमें से, 30-6-1982 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को संस्वीकृत केन्द्रीय अनुदान की राशि 5.22 करोड़ रु० है। जहां तक (3) अर्थात् 1981-82 में राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि से सम्बन्धित सूचना का प्रश्न है, इसे अभी तक संकलित नहीं किया गया है।

(ख) गुजरात और अन्य राज्यों द्वारा वर्ष 1978-79 से 1980-81 तक खर्च की गई राशि तथा 1981-82 के लिए केन्द्रीय अनुदानों और राज्य की वार्षिक योजनाओं में दोनों प्रकार के किए गए आबंटनों की कुल आबंटित राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

		व्यय			आबंटन
					केंद्रीय अनुदानों और राज्य वार्षिक योजनाओं में किए गए आबंटनों के रूप में आबंटित कुल राशि
क्रम सं०	राज्य/संघीय क्षेत्र	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
1		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	14.97	87.41	97.39	119.21
2.	असम	19.17	31.61	70.60	108.36
3.	बिहार	118.37	204.25	294.05	273.31
4.	गुजरात	96.06	174.33	154.65	130.35
5.	हरियाणा	36.71	52.45	63.02	44.08
6.	हिमाचल प्रदेश	5.88	12.13	5,48	9.49

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. जम्मू और कश्मीर	16.10	13.47	49.39	47.08
8. कर्नाटक	55.15	74.79	1242.45	106.79
9. केरल	23.71	25.49	14.67	29.19
10. मध्य प्रदेश	60.79	150.02	70.60	205.73
11. महाराष्ट्र	35.50	166.81	158.13	178.18
12. मणिपुर	8.48	6.19	31.76	19.94
13. मेघालय	16.72	19.64	25.39	22.14
14. नागालैंड	9.94	18.30	20.38	18.08
15. उड़ीसा	28.49	98.61	67.39	74.69
16. पंजाब	20.77	26 87	37.86	20.00
17. राजस्थान	44.59	118.63	88.39	121.20
18. सिक्किम	3.92	3.10	3.82	12.87
19. तमिलनाडु	34.58	34.67	125.16	137.38
20. त्रिपुरा	82.73	112.40	126.72	32.40
21. उत्तर प्रदेश	92.54	126.86	143.01	180.35
22. पश्चिम बंगाल	52.52	136.85	153.13	137.96
23. अंडमान और निकोबार-द्वीप समूह	0.95	1169	2.60	3.75
24. अरुणाचल प्रदेश	3.57	2.55	3.97	6.50
25. चण्डीगढ़	0 52	1.99	2.95	3.85
26. दादर नागर और हवेली	0.42	0.40	0.90	1.00
27. गोवा दमन और दीव	4 07	5.28	6·03	8.40
28. दिल्ली	14.20	35.88	36.24	50 93
29. लक्षद्वीप	1.15	1.48	1.85	1.15
30. मिजोरम	3.74	13.52	4.32	6.15
31. पाण्डिचेरी	3.52	8.75	4.50	5.23
कुल	909.83	1761.42	1888.80	2115.14

दिल्ली में इलैक्ट्रिक रिंग रेलवे

4107. **श्री कमल नाथ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दिल्ली में इलेक्ट्रिक रिंग रेलवे शुरू कर रही है,

(ख) क्या इसका कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा हो गया है, और

(ग) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रिंग रेलवे पर बिजली गाड़ी की सेवाएं अब तक चालू नहीं की गयी हैं।

(ख) निर्धारित समय पर काम पूरा हो गया था।

(ग) 30-6-82 तक इस परियोजना पर लगभग 28.50 करोड़ रुपए व्यय किये गये।

लेह में केन्द्रीय विद्यालय

4108. **श्री पी० नामग्याल :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री लेह में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में 29 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10184 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार से मांगा गया स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है;

(ख) वे विशेष बातें क्या हैं जिन पर स्पष्टीकरण मांगा गया था;

(ग) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर सकारात्मक है तो स्कूल का कार्य कब शुरू होगा और यदि उत्तर नकारात्मक है तो राज्य सरकार को अंतिम अनुस्मारक कब भेजा गया है; और

(घ) यदि राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो, तो केन्द्रीय सरकार का विचार उक्त स्कूल खोलने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने राज्य सरकार से निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचित करने का अनुरोध किया था :—

(1) विद्यालय के लिए दी जा रही पट्टे पर भूमि की विस्तृत शर्तें और सही स्थान।

(2) विद्यालय स्टाफ के लिए आवंटित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय यूनिटों की संख्या तथा तत्सम्बन्धी शर्तें;

(3) लेह में नियुक्त केन्द्रीय सरकार/रक्षा/राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या;

(4) केन्द्रीय विद्यालय शुरू करने के लिए, संगठन को सुपुर्द किए जाने वाले प्रस्तावित कालेज भवन के आवंटन की शर्तें; और

(5) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय खोलने को अभ्यासित करने वाली केन्द्रीय विद्यालय संगठन की मानक शर्तों की स्वीकृति ।

(ग) अन्तिम स्मरण-पत्र 18 मार्च, 1982 को जारी किया गया था ।

(घ) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त हो जाने के बाद ही मामले पर विचार किया जा सकता है ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के होस्टलों में घटिया स्तर के दूध की सप्लाई

4109. **श्री गुफरान आजम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने हाल ही में दिल्ली दुग्ध योजना के कुछ कर्मचारियों को दूध में पानी मिलाते हुए पकड़ा था और यह दूध होस्टलों के लिए था;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने कभी दिल्ली दुग्ध योजना के भवन में छापा मारा है; और

(ग) यदि हाँ, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) जी हां । दिल्ली दुग्ध योजना ने इस बात को माना है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) कृषि मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे आवश्यक कदम उठायें जिससे संयंत्र में साफ सुथरे ढंग से काम हो और यह भी देखे कि दिल्ली दुग्ध योजना जो दूध तैयार और वितरित करती है वह सही और शुद्ध हो ।

प्राचीन स्मारकों के अनुरक्षण के लिये धनराशि

4110. **श्री के० प्रधानी : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में प्राचीन स्मारकों के अनुरक्षणों के लिए विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई राशि कितनी है; और

(ख) उनमें से प्रत्येक राज्य में इस समय कितने प्राचीन स्मारक हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) केन्द्र परिरक्षित संस्मारकों की विशेष मरम्मतों और वार्षिक मरम्मतों और रख-रखाव के लिए आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता । सर्वेक्षण में परिरक्षित संस्मारकों और स्थलों के रख-रखाव और मरम्मत कार्यों के लिए 11 मंडल और 2 शाखाएं हैं । विशेष मरम्मतों और वार्षिक मरम्मतों और रखरखाव के लिए 145.52 लाख रुपये के कुल बजट अनुदान में से अब तक मंडलों और शाखाओं को निम्नलिखित रूप से आवटन किया गया है :—

	(लाख रुपये में)
दिल्ली मंडल	14.00
मध्य पूर्वी मंडल	8.00
उत्तर पश्चिमी मंडल	8.35
मध्य मंडल	12.00
उत्तरी मंडल	8.00
पूर्वी मंडल	5.75
दक्षिण पूर्वी मंडल	6.40
पश्चिमी मंडल	8.00
मध्य दक्षिणी मंडल	10.25
दक्षिणी मंडल	11.00
दक्षिण पश्चिमी मंडल	10.00
कृषि उद्यान शाखा	28.71
रसायन शाला	5.80

(ख) अधिसूचनाओं की प्रविष्टियों (कुछ मामलों में एक ही प्रविष्टि में संस्मारकों के समूह में अधिक संख्या में सुरक्षित स्मारक सम्मिलित है) के अनुसार राज्यवार केन्द्रीय सुरक्षित संस्मारक और स्थल निम्नलिखित है :—

1. आन्ध्र प्रदेश	133
2. असम	51
3. अरुणाचल प्रदेश	3
4. बिहार	76
5. दिल्ली	161
6. गोआ, दमन और दीव	29
7. गुजरात	191
8. हरियाणा	85
9. हिमाचल प्रदेश	32
10. जम्मू और कश्मीर	59
11. केरल	27

12. कर्नाटक	500
13. मध्य प्रदेश	317
14. महाराष्ट्र	281
15. मेघालय	8
16. मणिपुर	1
17. नागालैंड	4
18. उड़ीसा	65
19. पांडिचेरी	2
20. पंजाब	24
21. राजस्थान	150
22. तमिलनाडु	399
23. त्रिपुरा	4
24. उत्तर प्रदेश	771
25. पश्चिमी बंगाल	109

राज्य नौवहन निगम

4111. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तथा कौन-कौन से राज्यों में राज्य नौवहन निगमों की स्थापना हो चुकी है,

(ख) ऐसे प्रत्येक निगम के पास अपने कितने कितने जहाज है और वे कितने कितने जहाज चला रहे हैं तथा कौन-कौन से रूटों पर वे चलाये जा रहे हैं; और

(ग) इस देश की नौवहन सम्बन्धी समस्त नीति से इन निगमों का क्या सम्बन्ध है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) नीचे लिखी राज्य सरकारों ने अपने अपने नौवहन निगम बनाए हैं :—

(1) तमिल नाडु	पूम्पहार शिपिंग कारपोरेशन
(2) केरल	केरल शिपिंग कारपोरेशन लि०
(3) कर्नाटक	कर्नाटक शिपिंग कारपोरेशन

(ख) इस समय केवल मैसर्स कर्नाटक शिपिंग कारपोरेशन लि०. के पास दो पुराने जहाज हैं, अर्थात एम वी कर्नाटक और एम वी कृष्ण राजा। इन जहाजों को मुगल लाईन लि० के पास बेचने का प्रस्ताव है, जिसकी सरकार ने पहले ही स्वीकृति दे दी थी। ये जहाज समुद्र-

पार व्यापार में लगाए जाने के लिए खरीदे गए थे। पूम्पहार शिपिंग कारपोरेशन ने तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए छह जहाज चार्टर किए हैं।

(ग) सभी व्यावहारिक कार्यों के लिए राज्य सरकार के नौवहन निगम सरकारी और गैर सरकारी अन्य भारतीय नौवहन कम्पनियों से भिन्न नहीं है। देश में नौवहन के लिए तैयार की गई कोई भी नीति इन निगमों को और अन्य भारतीय नौवहन कम्पनियों को एक समान लागू होती है।

"लीगल एण्ड ट्रीटीज डिवीजन" पर खर्च की गई धन राशि

4112. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय कानूनी प्रभाग अलग है जबकि भारतीय कानूनी सेवा अस्तित्व में हैं;

(ख) क्या इससे एक ही कार्य दो बार नहीं होता; और

(ग) "लीगल एण्ड ट्रीटीज डिवीजन" द्वारा पिछले तीन वर्षों में (ए) प्रभाग में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के वेतन तथा भत्ते (दो) सभी अधिकारियों के विदेशी दौरे और (तीन) उक्त प्रभाग के विदेशों में नियुक्त सभी अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) : विदेश मंत्रालय का विधि एवं संधि प्रभाग, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ हैं, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्नों पर विचार करता है। इन मामलों पर विधि मंत्रालय अथवा भारतीय विधि सेवा के अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया जाता। इसलिए यह कार्य दो बार नहीं होता।

(ग) इस कार्य पर मंत्रालय के व्यय का विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपयों में)

	1979-80	1980-81	1981-82
(1) मुख्यालय के विधि एवं संधि प्रभाग में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के वेतन और भत्ते	2,41,840.00	2,79,700.00	2,92,300.00
(2) विधि एवं संधि प्रभाग के सभी अधिकारियों के विदेशी दौरे	1,86,667.00	2,,75,209.00	1,86,000.00
(3) विधि एवं संधि प्रभाग के विदेशों में तैनात अधिकारियों के वेतन और भत्ते	2,48,499.00	2,22,312.00	2,86,294.00
जोड़	6,77,006.00	7,77,221.00	7,64,594.00

टूंडला स्टेशन पर रेलवे की बिल्डिंग में प्राइमरी स्कूल

4113. **श्री बयाराम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के टूंडला स्टेशन पर हनुमान मन्दिर (कम्पनी बाग) के निकट रेलवे की इमारत में एक गैर सरकारी प्राइमरी स्कूल चल रहा है और रेलवे को इस बिल्डिंग का किराया नहीं दिया जा रहा है; और

(ख) इमारत और भूमि का किराया कितना होगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ। रेल कर्मचारियों के बच्चों के हित के लिए रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्राथमिक/बुनियादी शिक्षा देने के लिए एक विद्यालय चलाया जाता है। यह विद्यालय वगैर हानि-लाभ के सिद्धान्त पर चलता है और अभी तक कोई किराया नहीं लिया जाता है।

(ख) सामान्यतया ऐसे मामलों में केवल 100 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से लाइसेंस शुल्क लिया जाता हैं क्योंकि यह स्कूल रेल कर्मचारियों की सुविधा के लिए है।

कुमंडंगा हाल्ट को स्टेशन में बदलना

4114. **श्री गदाधर साहा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे में कटवा-अहमदपुर छोटी लाइन पर दासकेलग्राम और ज्ञानदास काण्द्रा स्टेशनों के बीच कुर्मडंगा हाल्ट को पूरा स्टेशन बनाने की जोरों से माँग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्टेशन बनाने के औचित्य की जाँच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : कुरमाडांगा हाल्ट को फ्लैग स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव को कई बार जाँच की गयी है, किन्तु भारी अनुवर्ती हानि होने के कारण वित्तीय दृष्टि से ऐसा करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के कार्यों की जाँच के लिए समिति

4115. **श्री डी० पी० यादव :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के कार्यों की जाँच के लिए एक समिति बनाई है और यदि हाँ, तो क्या यह समिति स्टाफ के सदस्यों के सुझाव ले रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) । लोक सेवा समिति द्वारा अपनी 48वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में, रा० शै० अ० तथा प्रशिक्षण परिषद के पुनर्गठन के सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक कार्य दल गठित किया गया है । कार्य दल ने, रा० शै० अ० प्र० प० के स्टाफ को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने की योजना बनाई है ।

रत्ती नामक बूटी का औषधीय मूल्य

4116. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लखीमपुर खेरी के थारू कबीलों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली रत्ती तथा 60 अन्य जड़ी बूटियों के औषधीय तत्व पर किए गए अनुसंधान की जानकारी है जिससे यह पता लगा है कि ये जड़ी बूटियां गर्भपात के लिए विश्वसनीय औषधियां हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : लखीमपुर खीरी के थारू कबीलों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली "रत्ती" के औषधीय तत्वों पर हाल ही में कोई अनुसंधान किया गया है सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है । वैसे "रत्ती" पर पहले कुछ प्रयोगात्मक अध्ययन किए गए थे । इन्हें जारी नहीं रखा जा सका क्योंकि लोगों ने इसके विभिन्न अहित प्रभावों की शिकायत की जैसे मिचली आना, उल्टियां होना, सिर चकराना, अतिसार और अधिक रक्त स्राव । अधिक रक्त-स्राव होने के कारण ही शायद इस औषधि से गर्भपात हो जाता है । गर्भपात के लिए थारू कबीलों द्वारा प्रयोग किये जा रहे बताये गए दो अन्य पौधों अर्थात् एब्रस प्रीफैटेरियस तथा अचिवाथिस एस्पर का भी परीक्षण किया गया लेकिन इनमें कोई प्रजननक्षमता रोधी गुण नहीं पाया जा सका ।

भारतीय नाविकों में बेरोजगारी पर विशेषज्ञ समिति

4117. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री भारतीय नाविकों में बेरोजगारी पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बारे में 25 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5269 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपनी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) माननीय सदस्य संभवतः भारतीय नाविकों में बेरोजगारी की स्थिति सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बारे में 25.3.1982 के लिखित प्रश्न संख्या 5269 का उल्लेख कर रहे हैं ।

एडमिरल एस एम नन्दा (अवकाश प्राप्त) की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने अभी तक अपनी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं होता।

जूनियर डाक्टरों को वेतन तथा स्टाइपेंड के बारे में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की सिफारिशें

4118. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने जनवरी 1981 में जूनियर डाक्टर को संशोधित वेतन तथा स्टाइपेंड देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें संशोधित वेतन तथा स्टाइपेंड देना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जूनियर डाक्टरों के बारे में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अन्य सिफारिशें क्या हैं और इन सिफारिशों के बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने अपनी कथित रिपोर्ट में रेजिडेंसी योजना तथा पूरे देश के चिकित्सा-शिक्षा ढांचे में व्यापक परिवर्तन करने की सिफारिश की थी। उक्त रिपोर्ट में रेजिडेंसी योजना के मौजूदा ढांचे के अधीन वेतनमानों में वृद्धि करने की सिफारिश नहीं की गई थी किन्तु उसमें परिलब्धियों की युक्तिसंगत बनाने के बारे में कुछेक सुझाव दिए गए थे जो उनके द्वारा संस्तुत परिवर्तनों की स्वीकृति से सम्बन्धित थे। सरकार ने उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है।

खेल-कूद दलों के विमान किराये के कारण हानि

4119. **श्री लक्ष्मण मलिक** :

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(के) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को विभिन्न देशों में खेल-कूदों में भाग लेने के लिए भेजे गए खेल कूद दलों पर खर्च किए गए विमान किराये में काफी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या एयरलाइनों द्वारा दलों को दिए जाने वाली रियायत का मंत्रालय द्वारा लाभ न उठाने के कारण लाखों रुपये का नुकसान हुआ है;

(ग) यदि हां, तो नुकसान को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या इस मामले पर नागर विमानन प्राधिकारियों से बात चीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) : सरकार के अनुदेशों के अन्तर्गत निधिबद्ध सभी यात्राएं जिनके लिए धन की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाती है, सामान्यत: राष्ट्रीय वाहनों अर्थात् एयर इण्डिया/ इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं से की जानी होती है। जहाँ भी संभव हो इन हवाई कम्पनियों द्वारा अपने नियमों के अन्तर्गत दी जा रही रियायती सुविधायें जैसे भ्रमण किराया इत्यादि का उपयोग, विदेश जा रही खेल टीमों के यात्रा टिकट बुक करते समय इन हवाई कम्पनियों से परामर्श करके किया जाता है। अत: इस आशय का प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि मंत्रालय भारी नुकसान उठा रहा है।

लातूर-मीरज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4120. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में बारशी में हुए नागरिकों के एक सम्मेलन में मांग की गई है कि 'बारशी लाइट रेलवे' छोटी लाइन को लातूर से मीरज तक बड़ी लाइन में बदला जाए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि इस लाइन पर चीनी कारखानों के अतिरिक्त पंढरपुर जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं जिनके कारण यात्रियों, कृषि सामग्री और अन्य माल का आना-जाना बना रहता है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार अपने पहले के निर्णय पर पुन: विचार करेगी और इस परियोजना को शुरू करेगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ऐसे सम्मेलन का कोई विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस सम्बन्ध में हाल ही में एक अभ्यावेदन मिला है।

(ख) पंढारपुर वर्तमान छोटी लाइन पर एक स्टेशन है। इस लाइन पर कुछ चीनी के कारखाने भी स्थित हैं।

(ग) जी नहीं।

चीनी चिकित्सा विज्ञान अकादमी द्वारा सम्मानित भारतीय डाक्टर

4121. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी चिकित्सा विज्ञान अकादमी द्वारा हमारे डाक्टरों को सम्मानित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन डाक्टरों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) इस विषय में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

केरल में रेलवे कोच फैक्ट्री

4122. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री केरल में रेलवे कोच फैक्टरी के बारे में 11 मार्च, 1982 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2985 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने एक नई रेलवे कोच फैक्टरी की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) क्या परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(घ) क्या इसके लिए केरल में किसी स्थान का निरीक्षण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (च) : नए रेल सवारी डिब्बा कारखाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य, जिसमें स्थान निर्धारण सर्वेक्षण भी शामिल है, शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा तथा रिपोर्ट को पूरा होने पर स्थान निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

आई० एफ० एस० (ए) और आई० एफ० एस० (बी) को विदेशों में नियुक्ति करने के लिए मानदण्ड

4123. **श्री एम0 रामगोपाल रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न ग्रेडों के आई० एफ० एस० (ए) और आई० एफ० एस० (बी) को विदेशों में नियुक्त करने के लिए मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या वर्तमान मानदंडों में कोई परिवर्तन करने पर विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि आई० एफ० एस० (बी) के लोगों को विदेशों में नियुक्त करने और उन्हें उच्च ग्रेडों में पदोन्नत करने के प्रति भेदभाव किया जा रहा है; और

(ङ) आई० एफ० एस० (बी) अधिकारियों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० बी० नरसिंह राव) : (क) विदेश स्थित हमारे मिशनों में भारतीय विदेश सेवा (क) और भारतीय विदेश सेवा (ख) के सदस्यों की तैनाती मुख्य मानदंड हैं (1) पद के लिए कार्यात्मक आवश्यकताएं, (2) विदेशी भाषा के ज्ञान सहित उस क्षेत्र की जानकारी; (3) दुष्कर कठिन, मध्यम और उत्तम स्टेशनों में परिक्रम का सिद्धांत तथा सम्बद्ध

व्यक्ति की पिछली नियुक्तियों का रिकार्ड; और (4) बच्चों की शिक्षा, विशेष चिकित्सा की आवश्यकता आदि बातें।

विदेश स्थित विभिन्न मिशनों में पदों की उपलब्धता और पूरी सेवा में विभिन्न ग्रेडों की संरचनात्मक शर्तें भी इसकी महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके आधार पर इस मंत्रालय के कार्मिकों को विदेश स्थित मिशनों में तैनात करने का मानदंड निर्धारित किया जाता है।

(ख) जी नहीं। ये मानदंड समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं। भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों के साथ विदेशों में तैनाती अथवा उनके संवर्ग में पदोन्नति के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

(ङ) भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों की भारतीय विदेश सेवा (क) के वरिष्ठ वेतन-मान में पदोन्नति के वर्तमान कोटे को 15% से 22½% तक बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार सम्बन्धित प्राधिकारियों की सलाह से पूरी सक्रियता से विचार कर रही है।

असम में ब्रह्मपुत्र पर तेजपुर-सिलघाट पुल को सड़क एवं रेल पुल में बदलना

4124. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय असम में ब्रह्मपुत्र फर तेजपुर-सिलघाट पुल को सड़क व रेल पुल में बदलने के लिए निरन्तर और बढ़ती हुई मांग है और इस मांग के साथ अखिल असम छात्र संघ द्वारा एक अभ्यावेदन भी दिया गया था;

(ख) क्या इसे सड़क एवं रेल पुल बनाने की आवश्यकता देखते हुए पुल की विशिष्टियों का अधिक परिवर्तन किए बिना ही, जिसके लिए कार्य अभी शुरू हुआ है, सरकार ने पुल की मध्य रेखा से एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए प्रावधान करने का निर्णय लिया है ताकि सड़क परिवहन को रोक कर रेलगाड़ियां गुजर सकें ताकि पैदल यात्रियों और टू तथा थ्री व्हीलरों के लिए फुटपाथ खाली रखा जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) : जी, हां। रेलवे प्राधिकरण के अनुसार जो इस पुल से मुख्यतः सम्बन्धित हैं, यहां पर पुल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए उनके पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान

4125. **श्री गुलाम नबी आजाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा कृपलानी समिति के प्रतिवेदन में घोषित सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के संचालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस संस्थान में निष्क्रिय बुद्धिजीवी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए विद्वानों की नियुक्ति करने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) कृष्ण कृपलानी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर संस्थान के पुनर्गठन के लिए प्रारूप योजना तैयार कर ली गई है जो इस समय विचार के अंतिम चरणों में है।

(ख) संस्थान अपने औपचारिक शैक्षिक क्रियाकलाप तभी पुनः आरम्भ कर देगा जैसे ही यह अपने पुनर्गठित स्वरूप में कार्य करना आरंभ करेगा।

खान पान के ठेके

4126. **श्री गिरधारी लाल डोगरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा नीति निर्णय लिया गया है कि भविष्य में खान-पान के ठेके प्राइवेट पार्टियों को नहीं दिए जाएंगे;

(ख) यह निर्णय कब लिया गया था;

(ग) गत तीन वर्षों से प्राइवेट पार्टियों को खान-पान के कितने ठेके दिए गए ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान 194 खान-पान/बेंडिंग ठेके प्राइवेट पार्टियों को दिए गए थे।

पूर्व रेलवे के सियालदह और लालगोला सैक्शन के बीच गाड़ियों का देर से चलना

4127. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में सियालदह-रानाघाट-लालगोला सेक्शन में सियालदह और लालगोला के बीच यात्री रेलगाड़ियों के चलने में समय पाबन्दी न होने के बारे में निरन्तर जनता द्वारा की गई शिकायतों की ओर दिलाया गया है;

(ख) समय-पाबन्दी न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ।

(ख) गाड़ियों के विलम्ब से चलने के मुख्य कारण खतरे की जंजीर खींचना, होस पाइप को अलग करना तथा बदमाशों की गतिविधियाँ, रेल इंजन में खराबी होना, इंजीनियरी प्रतिबन्ध, सिगनलों में खराबी तथा क्रासिंग हैं।

(ग) यात्री गाड़ियों के समय-पालन पर कड़ी नजर रखी जाती है और परिहार्य रुकावटों के मामले में यथाअपेक्षित उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। कानून और व्यवस्था की स्थिति में

सुधार करने और बदमाशों की गतिविधियों को कम करने के लिए राज्य सरकार के साथ निकट सम्पर्क भी बनाये रखा जाता है।

नई रेल लाइनों का निर्माण और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

4128. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे यात्रा को सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए तत्काल आवश्यक मरम्मत और नवीकरण निर्माण-कार्यों की उपेक्षा करते हुए योजना आयोग ने 16 नई लाइनों और 11 लाइनों के गेज बदलने की परियोजनाओं, इन्हें प्राथमिकता की सूची पर रखते हुए हालांकि ये पूरी तरह से अलाभप्रद हैं, के निर्माण कार्य पर कोई रोक लगाने से मना किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में योजना आयोग ने क्या कारण प्रस्तुत किए हैं :

(ग) क्या सरकार सम्बद्ध समस्याओं को हल करने के लिए योजना आयोग के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श करेगी;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) योजना आयोग और रेल मंत्रालय इस बात से सहमत हैं कि संसाधनों की समग्र तंगी को देखते हुए, उपलब्ध धन के वितरण का निर्णय करते समय उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए जो परिचालनिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हों। उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजना शीर्षों और परियोजनाओं के लिए व्यय को योजना आयोग से विचार-विमर्श करके विवेकपूर्ण किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पान की टोकरियों की बुकिंग

4129. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे के पंसकुरा-हल्दिया सेक्शन के टोंलुक स्टेशन में पान की टोकरियों की बुकिंग शुरू करने के लिए कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तामलुक से पान के पत्तों का यातायात बुक करना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

रेलवे दुर्घटनाओं के हताहत व्यक्तियों को मुआवजे के दावों सम्बन्धी लंबित मामले

4130. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री मोहम्मद असरार अहमद :

श्री जगपाल सिंह :

डा० ए० यू० आजमी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे दुर्घटनाओं के हताहत व्यक्तियों और उनके सम्बन्धियों को मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) 31 जुलाई, 1982 को देश में रेलवे दुर्घटनाओं के हताहत व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान के लिए कितने दावों को अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है और पहले मामले को कब से अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए है अथवा करने का विचार है कि मुआवजे के भुगतान के लिए लम्बित इन मामलों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाए ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 31-7-1982 को निर्णय के लिए दावा सम्बन्धी 1017 अर्जियां अनिर्णीत पड़ी थीं, जिनमें से 301 अर्जियां 6-6-1981 को बदलाघाट गाड़ी दुर्घटना के कारण लापता हो गए व्यक्तियों से सम्बन्धित थीं । दावे का सबसे पुराना मामला वर्ष 1975 से सम्बन्धित है और यह आदेशों के लिए न्यायालय के पास अनिर्णीत पड़ा है ।

(घ) छोटी मोटी गाड़ी दुर्घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दावों का फैसला राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत पदेन दावा आयुक्तों द्वारा तथा बड़ी-बड़ी गाड़ी दुर्घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले दावों का फैसला केंन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तदर्थ दावा आयुक्त द्वारा किया जाता है। दावा सम्बन्धी मामलों का फैसला न्यायालय की पूर्णरूपेण कार्यवाही, प्राय: समय लग जाता है, के पश्चात् किया जाता है । बहरहाल, रेलें राज्य सरकार से कह रही हैं कि वे तदर्थ दावा आयुक्तों पर डालें कि दावों के मामलों का फैसला 6 माह की अवधि के भीतर करना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त, विलम्ब को कम करने के लिए कुछ प्रशासनिक उपाय किए गए हैं, जैसे तदर्थ दावा आयुक्तों की नियुक्ति के सम्बन्ध मे क्षेत्रीय रेलों को अधिकारों को प्रत्यायोजन करना और उपर्युक्त पद के लिए सेवा-निवृत्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार करना ।

स्वास्थ्य सेवा पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रमुख विशेषज्ञों की टिप्पणियां

4131. **श्री रेणुपद दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है कि सामुदायिक आधारित पद्धति बनाने के लिए देश में स्वास्थ्य सेवा पद्धति में सुधार करने की आवश्यकता है जो लोगों को अपने स्वास्थ्य आवश्यकताओं के प्रबन्ध स्वयं करने का अधिकार देगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह स्वीकार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) और (ग) : स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में लोगों को शामिल करने तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लोगों का सहयोग सुनिश्चित करने की नीति को सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य गाइड योजना, जिसके अन्तर्गत लोगों द्वारा स्वास्थ्य गाइड के रूप में प्रशिक्षण के लिए एक-एक स्वयं सेवक ग्राम स्वास्थ्य समिति की देख-रेख में काम करता है, इस दिशा में एक कदम है। लगभग 2 लाख स्वास्थ्य गाइड पहले ही प्रशिक्षित किए जा चुके है और वे अपने-अपने गांव में लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस योजना को पहली अप्रैल, 1984 से सारे देश में (जम्मू एवं कश्मीर, केरल और तमिलनाडु को छोड़कर, जिन्होंने वैकल्पिक योजनायें चला रखी हैं) लागू करने का विचार हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में कल्याण अधिकारियों की साक्षात्कार परीक्षा तथा नियुक्ति

4132. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड में कल्याण अधिकारियों के केवल चार पद हैं;

(ख) क्या उस राज्य कमिश्नरियों की संख्या 4 की बजाय 9 हो गई है;

(ग) क्या कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार परीक्षा विभिन्न राज्यों में अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा ली गई है;

(घ) यदि हां, तो बिहार में कितने कल्याण अधिकारी नियुक्त करने का विचार है और साक्षात्कार परीक्षा का परिणाम कब तक घोषित किए जाने का विचार है; और

(ङ) क्या उपर्युक्त नियुक्तियों में विभागीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, और यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिशतता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) : जी, हां।

(घ) चार कल्याण अधिकारियों में से तीन कल्याण अधिकारी पहले ही लगे हुए हैं। चौथे कल्याण अधिकारी के अभी राज्य बोर्ड में शीघ्र ही तैनात किए जाने की आशा है।

(ङ.) कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति सीधी भरती द्वारा की जाती है। इसलिए विभागीय उम्मीदवारों को अथवा उनकी किसी प्रतिशतता को प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं उठता है।

रेलवे पुल की स्थिति

4133. श्री नीरेन घोष : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : देश के रेलवे पुलों की स्थिति के बारे में छठी योजना में रेलवे के कार्यकारी दल के प्रतिवेदन का ब्योरा क्या है;

(ख) उपरोक्त प्रतिवेदन पर सरकार किस प्रकार अनुवर्ती कार्यवाही करेगी :

(ग) क्या सरकार उपरोक्त प्रतिवेदन को प्रकाशित करने पर विचार कर रही है :

(घ) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन को कब प्रकाशित किया जायेगा; और

(ङ.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ.) : छठी योजना बनाने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि अन्य योजना शीर्षों के साथ-साथ योजना शीर्ष "पुल" के लिए धन की आवश्यकता है और कार्यकारी दल ने 1980-1985 की अवधि के लिए 129.35 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का सुझाव दिया था। अन्तिम रूप दी गई योजना में 90 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। 25 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय के बारे में रेलवे के अनुरोध पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल की रिपोर्ट जनता के लिए नहीं थी। यह केवल छठी योजना बनाने के लिए योजना आयोग की सहायता करने के वास्ते थी।

रेलवे मन्त्रालय के लिए धनराशि की उपलब्धता

4134. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में कुछ प्रकार की परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए रेल मंत्रालय के लिए कुछ राशि मंजूर की है : यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है और इन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण क्या है :

(ख) क्या योजना आयोग ने मंत्रालय की आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन करना है : यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है :

(ग) क्या रेलवे बोर्ड अपने आधुनिकीकरण और अनुरक्षण परियोजनाओं के द्वितीय चरण के लिए विश्व बैंक से लगभग 400 करोड़ रुपये का ऋण ले रहा है :

(घ) क्या जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग निधि ने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कोई ऋण दिया है : यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है :

(ङ) क्या वर्ष 1982-83 से तीन वर्षों के दौरान ब्रिटिश ओवरसीज डिवेलपमेंठ एडमिनिस्ट्रेशन से लगभग 10 करोड़ पौंड़ की सहायता उपलब्ध होगी : यदि हाँ, तो इस सहायता का प्रयोजन क्या है : और

(च) समग्र स्थिति को देखते हुए वर्ष 1982-83 के लिए मंत्रालय की वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया है अथवा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन):

(क) 1982-83 की वार्षिक योजना आयोग ने निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत, न कि परियोजनावार, 190 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का आबंटन किया है :

योजना शीर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपयों में)
(1) चल स्टाक	90
(2) नयी लाइनें	25
(3) रेल पथ का नवीकरण	30
(4) यातायात सम्बन्धी सुविधाएं	30
(5) सड़क सेवाएं	15
	जोड़ 190

(ख) 190 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन के सम्बन्ध में, अनुदान की पूरक मांगें पहले ही संसद में प्रस्तुत कर दी गई हैं। मध्यवर्ती समीक्षा की जा रही है और कुछ महीनों में पूरी कर ली जायेगी।

(ग) जी नहीं। भारत सरकार के लिए वित्त मंत्रालय ऋण लेता है।

(घ) जी हाँ। हाल ही में ओवरसीज इकानामिक कोपरेशन फंड, जापान और भारत सरकार के बीच निम्नलिखित ऋण करार निष्पादित किए गए हैं :

(1) भारतीय रेल विकास परियोजना के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये के बराबर 2.68 अरब येन का ऋण करार सं. 1 बी-पी 17 ताकि माल डिब्बों के लिए विभिन्न पुर्जों का आयात किया जा सके।

(2) बम्बई उपनगरीय रेल आधुनिकीकरण परियोजना के लिए लगभग 6.8 करोड़ रुपये के बराबर 1.8 अरब येन का ऋण करार सं० 1 बी-पी 18 ताकि बम्बई उपनगरीय क्षेत्र में परिचालित बिजलीगाड़ी यूनिटों के लिए कर्षण उपस्करों। कर्षण मोटरों की जा सके।

ये ऋण करार 11-6-82 से प्रभावी हैं।

(ङ.) जी नहीं, अभी नहीं। समुद्रपारीय विकास प्रशासन, ब्रिटेन से एक मूल्यांकन शिष्ट-मंडल ने अप्रैल 1982 में भारत का दौरा किया था और 1000 लाख पौंड तक ब्रिटेन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में कुछ रेल परियोजनाओं और आयात आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया था।

(च) राष्ट्र के संसाधनों का समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं

4135. **श्री चतुर्भुज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने देश में तीर्थ यात्रा कर रहे यात्रियों को सुविधायें प्रदान करने के लिए निर्णय किया है अथवा कोई प्रशासनिक कार्यवाही की है ताकि वे देश के चारों कोनों में स्थित सभी पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा कर सकें : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : यात्रियों के बड़े समूह के लिए, आयोजकों द्वारा दिए गए यात्रा विवरण के अनुसार रेल प्रशासन द्वारा विशेष बोगियों अथवा गाड़ियों का प्रबन्ध निर्धारित प्रभारों का भुगतान करने पर किया जाता है, बशर्ते कि सवारी डिब्बे उपलब्ध हों।

राष्ट्रीय पुस्तकालय

4136. **श्री चित्त बसु :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासनिक कृत्यों को सुव्यवस्थित करने के बारे में कुछ निर्णय किए थे;

(ख) यदि हां, तो इन निर्णयों का ब्योरा क्या है; और

(ग) उनके कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) : जी नहीं। सिवाय उन निर्णयों को छोड़कर, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के प्रशासन के लिए दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक थे, नीति निर्णय सम्बन्धी कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया है।

एशियाड टिकटों की बिक्री

4137. श्री तारिक अनवर :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री सुभाष यादव : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड टिकटों की बिक्री में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक शाखाओं के प्रतिनिधियों को टिकटों की डिलीवरी के लिए 7 जुलाई, 1982 को राजधानी में तार देकर बुलाया गया था लेकिन उन्हें निराश होकर वापस जाना पड़ा;

(ग) क्या विलम्ब हो जाने से लोगों को संभावित भारी भीड़-भाड़ के कारण कठिनाई होगी;

(घ) क्या सरकार ने टिकटों की बिक्री में कालाबाजारी रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं, और

(ङ) लोगों को टिकट किस तारीख तक उपलब्ध कराये जायेंगे ।

शिक्ष और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) एशियाई खेल, 1982 के लिए टिकटों की बिक्री में कोई बिलम्ब नहीं हुआ है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति ने टिकटों की बिक्री में काले बाजारी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं ।

(1) देश भर में 91 शहरों में एक साथ टिकटें बेची जाएंगी।

(2) एक व्यक्ति कितनी संख्या में टिकटें खरीद सकता है, इस बात पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं;

(3) टिकटों की बिक्री अनेक केन्द्रों पर की जा रही है ।

(ङ.) जनता को टिकटों की बिक्री 1 अगस्त, 1982 को आरम्भ की गई ।

किशन गंज रेलवे कालोनी में नागरिक सुविधाएं

4138. श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब्जी मंडी स्टेशन से दयाबस्ती स्टेशन तक फैले हुए क्षेत्र किशनगंज रेलवे कालोनी में कितने क्वार्टर हैं और इस कालोनी की जनसंख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि इस बड़ी रेलवे कालोनी में पेय जल, सड़क पर उचित बत्तियां

सीवेज ड्रेनेज पद्धति, डाक और तारघर, 10 शय्याओं वाला रेलवे अस्पताल, लाइब्रेरी, माध्यमिक विद्यालय की कोई सुविधायें नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वैलफेयर एसोशियेशन ने उपरोक्त समस्याओं और सुविधाओं के बारे में कई बार पत्र लिखे हैं; और

(घ) वहां पर नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए रेलवे विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली किशनगंज, दयाबस्ती और सब्जी मंडी रेलवे कालोनियों में 2723 रेलवे क्वार्टर हैं जिनमें लगभग 13,500 लोग रहते हैं।

(ख) सामान्यत: कालोनी में पेय जल, गलियों में बिजली और नल मल निकास प्रणाली की सुविधायें मौजूद हैं। इस कालोनी में रहने वाले रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्वास्थ्य यूनिट है जिसमें 6 डाक्टर हैं। अन्तरंग चिकित्सा के लिए रेल कर्मचारियों को निकटवर्तीय मंडलीय रेलवे अस्पताल/दिल्ली अथवा सेंट्रल अस्पताल/नई दिल्ली में भेजा जाता है। वहां एक डाकघर, दो गैर-रेलवे प्राइमरी स्कूल, एक गैर-रेलवे मिडिल स्कूल तथा एक मनोरंजन क्लब भी है जिसमें एक छोटी लाइब्रेरी है। कालोनी के आस-पास बहुत से सीनियर स्कूल भी है।

(ग) रेलवे भूमि पर बनी एक इमारत में दिल्ली प्रशासन द्वारा चालित एक मौजूदा मिडिल स्कूल को अपग्रेड करने के सम्बन्ध में एक अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन से रेलवे को अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं।

(घ) भाग (ख) के उत्तर में जिन नागरिक सुविधाओं का उल्लेख है, वे पहले से मौजूद हैं। यदि दिल्ली प्रशासन उसी भूमि पर इमारत की पुन: योजना बनाकर स्कूल को सेकेण्डरी स्तर का बना दे, तो रेलवे को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि रेलवे और अधिक भूमि दे सकने में असमर्थ है। ऐसी कुछ गलियों में जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली के 45 अतिरिक्त प्वाइंट लगाने का काम शुरू है। रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 160 क्वार्टरों के लिए अलग-अलग शौचालय और स्नानागार बनाने का काम भी हाल ही में पूरा किया है।

यातायात प्रशिक्षणार्थियों की पदोन्नति

4139. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में 1954 से और उसके बाद इस शर्त पर कि उन्हें 10 वर्ष के अंदर राजपत्रित पदों पर पदोन्नत कर दिया जाएगा, भरती किए गए यातायात प्रशिक्षणार्थियों को 20 से 22 वर्ष की सेवा के बाद भी वास्तव में पदोन्नत नहीं किया गया है;

(ख) क्या उत्तर रेलवे रोस्टर कोटे के अनुसार दीर्घावधि के लिए उनकी वरीयता निर्धारित करने के लिए कोई उपयुक्त नीति नहीं बना सकती है और उन्हें उच्च न्यायालयों के माध्यम से न्याय मांगना पड़ा है;

(ग) क्या उच्च न्यायालयों के निर्णयों और उनकी वरीयता पुनः निर्धारित करने के लिए रेलवे बोर्ड के निदेशों के बावजूद उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने अभी तक 100 से अधिक यातायात प्रशिक्षणार्थियों की वरीयता पुनः निर्धारित नहीं की है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ऐसी कोई सेवा शर्त निर्धारित नहीं की गई थी कि 1954 के बाद भर्ती किये जाने वाले यातायात प्रशिक्षुओं को 10 वर्ष की अवधि के अन्दर राजपत्रित ओहदे में पदोन्नत कर दिया जायेगा।

(ख) जी नहीं। रेल सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए जाने के बाद यातायात प्रशिक्षुओं की वरिष्ठता सहायक स्टेशन मास्टर/सहायक यार्ड मास्टर/सेक्शन नियंत्रक में से किसी एक कोटि में 200-300 रु० (प्रा० वे०) के ग्रेड में उनके पद ग्रहण करने की तारीख से निर्धारित की जाती थी और तदनुसार उत्तर रेलवे ने भी इसी नीति का अनुसरण किया था लेकिन, 1954 से 1963 तक की अवधि के दौरान अलग-अलग बैचों में भर्ती किए गए यातायात प्रशिक्षु उक्त नीति के विरोध में अनेक उच्च न्यायालयों में गए और 25 प्रतिशत रिक्तियों, जिनके लिए भर्ती किया गया था, में रोस्टर आधार पर वरिष्ठता का दावा किया। उच्च न्यायालय द्वारा यह दावा सही करार दिया गया।

(ग) और (घ) : उच्च न्यायालयों के निर्णय के अनुसार उक्त मामलों से संबंधित प्राथियों की वरिष्ठता पहले ही संशोधित कर दी गई है। प्राथियों के अलावा सभी यातायात प्रशिक्षुओं की वरिष्ठता निर्धारित करने के काम पर कार्रवाई की जा रही है और इस पर कुछ समय लगेगा क्योंकि यह एक वृहद कार्य है जिसमें 1954 से 1961 तक विभिन्न ग्रेडों के पैनलों और विशिष्टता सूचियों में परिशोधन अपेक्षित है जिनके लिए पुराने रिकार्ड भी देखने पड़ेंगे। फिर भी, अनन्तिम रूप से बनाई गई वरिष्ठता सूची के आधार पर यातायात प्रशिक्षुओं की श्रेणी 2 में तदर्थ पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है।

कालीकट में पुराने रेलवे क्वार्टर

4140. **श्री के० एस० राजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कालीकट में एक रेलवे कर्मचारी अपने 100 वर्षीय पुराने क्वार्टर की ईंट गिरने से घायल हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे पुराने क्वार्टरों के नवीकरण के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या उस कर्मचारी को उसे आई चोट का कुछ मुआवजा दिया गया था।

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस सम्बन्ध में किसी रेल कर्मचारी को किसी प्रकार की चोट आने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, 22-6-82 को कालीकट से प्रकाशित होने वाले मलयालम भाषा में एक दैनिक समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि ईंट गिरने से एक रेल कर्मचारी घायल हो गया था।

तथ्यों का पता लगाने के लिए रेलवे ने विभागीय रूप से एक तथ्य अन्वेषण जांच के आदेश दिए हैं।

(ख) कालीकट में 257 क्वार्टर है, जिनमें से 66 क्वार्टरों का निर्माण 1888 में किया गया था। उन्हें अच्छी दशा में रखा जा रहा है और उनके ननीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खुर्दा से बोलनगीर तक रेलवे संचार

4141. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा राज्य के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र फुलबनी जिले की संचार स्थिति में सुधार करने के लिए और प्राथमिकता देगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उड़ीसा में फुलबनी के रास्ते से होकर खुर्दा से बोलनगीर तक रेलवे संचार शुरू करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। धन की अत्यन्त तंगी के कारण इस प्रकार की लम्बी लाइन (288 कि० मी०) का निर्माण कराना, जिस पर इस समय लगभग 90 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी, पर विचार करना सम्भव नहीं है।

प्रमुख पत्तनों में आग लगने के कारणों की जांच करने के लिए जांच समिति

4142. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रमुख पत्तनों में पिछले दो वर्षों के दौरान आग लगने, जिससे उनके गोदामों में पड़ी आयातित वस्तुओं को भारी क्षति पहुँची है, के कारणों की जांच करने के लिए किसी उच्चाधिकार जांच समिति का गठन किया है; और

(ख) यह जांच समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए नियुक्त समिति के निष्कर्ष

4143. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सी० जी० एच० एस० के लिए नियुक्त समिति के निष्कर्षों को स्वीकार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सी० जी० एच० एस० में कदाचार को रोकने के लिए अब तक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में रेलवे बुकिंग और आरक्षण कार्यालय से नकदी की चोरी की घटनाएं

4144. श्री रशीद मसूद :

श्री बाला साहेब बिखे पाटिल :

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में रेलवे बुकिंग और आरक्षण कार्यालयों से नकदी की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले रिपोर्ट किए गए/पकड़े गए और इन मामलों में कितनी नकदी की चोरी की गई और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) 1980 और 1981 के वर्षों के दौरान 62,000/- रुपए की चोरी होने के केवल दो मामलों की रिपोर्ट मिली है। दोनों ही मामलों की दिल्ली पुलिस द्वारा जाँच-पड़ताल की गयी थी और उनका कोई पता नहीं चल सका।

उन हानिकारक दवाओं को बेचा जाना जिनसे डी० टी० ए० सी० द्वारा बेचने के लिए बन्द किए जाने की सिफारिश की गई थी।

4145. श्री पी० के० कोडियन :

श्री आर० आर० भोले :

श्री जगदीश टाईटलर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी कई हानिकारक दवाएं, जिनके बेचने पर पाबन्दी लगाने के लिए ड्रग्स टेकनीकल एडवाइसरी बोर्ड ने सिफारिश की थी, अभी भी बाजार में धड़ाधड़ बेची जा रही हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ऐसी हानिकारक दवाओं के निर्माण को बन्द करने के लिए जारी की गई अधिसूचना के छह महीने बाद तक सरकार ने ड्रग कम्पनियों को उनको बेचने की अनुमति दी थी, और

(ग) यदि हां, तो उनकी बिक्री रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन०एम० जोशी) : (क) से (ग) : राज्य औषध नियन्त्रण अधिकारियों को यह हिदायतें दी गई है कि औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने औषधियों के निर्धारित खुराक वाले योगों के जिन 18 वर्गों को बाजार से पूर्णतया या आंशिक रूप से हटा देने की सिफारिश की थी उनको बनाना बेचना क्रमश: 30 सितम्बर, 1982 और 31 मार्च, 1983 से पूर्णतया बन्द करना सुनिश्चित कर लिया जाए। चूंकि ये दवाइयां राज्य औषधि नियन्त्रण संगठन प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए वैध लाइसेंसों के अधीन बनाई और बेची जा रही थीं, इसलिए इनका निर्माण और बिक्री बन्द करने की उक्त तारीखें नियत करना जरूरी समझा गया ताकि किसी भी संभव कानूनी अड़चन से बचा जा सके और चिकित्सा व्यवसाय, रोगियों तथा उद्योग को कोई असुविधा न हो।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के प्रत्येक अधिकारी के लिए कार

4146. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने 25 मई, 1982 को पालम हवाई अड्डे पर इतनी संख्या में कारें भेजी जितनी संख्या में उसके अधिकारी गोहाटी से विमान द्वारा आये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) : परिषद के वहां तीन अधिकारी मौजूद थे, तथापि, रा० शै० अ० प्र० परि० के कार्य दल से सम्बन्धित कुछ ऐसे अन्य अधिकारी भी वहां मौजूद थे जिनके लिए परिवहन की व्यवस्था की जानी थी।

दिल्ली के कनिष्ठ अध्यापको के वेतन में वृद्धि

4147. **श्री टी० आर शमन्ना** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में हस्तकला, भाषा और गृह विज्ञान के के कनिष्ठ अध्यापकों का वेतनमान 425-640 रुपये से बढ़ा कर 440-750 रुपए कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख से क्रियान्वित किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं और इसे किस तारीख से क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) 5 सितम्बर, 1981.

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलपथ के नवीकरण का फार्मूला

4148. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'रिनुअल आफ रेलवे ट्रेक' (रेल मार्ग का नवीकरण) शीर्षक के अंतर्गत विशिष्ट रूप से किए जाने वाले कार्यों सहित परियोजनाओं की प्राथमिकता क्रम से सूची क्या है जिनके लिए हाल में 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं :

(ख) रेल पथ का नवीकरण निश्चित करने का फार्मूला क्या है और इसे कब बनाया गया और संशोधित किया गया :

(ग) (1) रेल लाइनों की वैल्डिंग (2) चार पहिए वाले डिब्बों के स्थान पर बाक्स वैगनों लगाने, (3) भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल और बिजली के इंजिन लगाने और (4) लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर लोहे/कंकरीट के स्लीपर लगाने के इस फार्मूले का निर्धारक घटक पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) नवीकरण किए जाने वाले रेल पथ की कुल लम्बाई कितनी है और इसके नवीकरण कार्य पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1982-83 के बजट में विभिन्न क्षेत्रीय रेलों की पहले से ही अनुमोदित रेल-पथ नवीकरण से संबंधित निर्माण-कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को नीचे दिए गए अनुसार वितरित करने का प्रस्ताव किया गया है :—

मध्य रेलवे	4.00 करोड़
पूर्व रेलवे	4.15 करोड़
उत्तर रेलवे	4.00 करोड़
पूर्वोत्तर रेलवे	1.47 करोड़
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1.53 करोड़
दक्षिण रेलवे	3.25 करोड़
दक्षिण मध्य रेलवे	3.52 करोड़
दक्षिण पूर्व रेलवे	4.00 करोड़
पश्चिम रेलवे	4.08 करोड़
जोड़	30.00 करोड़

(ख) रेल-पथ नवीकरण के मानदण्ड भारतीय रेल पथ एवं निर्माण कार्य नियमावली के पैरा 703 में दिये गए हैं। इन्हें 15-5-72 को संशोधित किया गया था। मोटे तौर पर घिसाई की मात्रा, पटरी की टूट-फूट की घटना अथवा पटरी के सिरों की हालत के कारण आवश्यक होने पर अथवा पटरियों पर निम्नलिखित मात्रा में यातायात होने पर, पटरियों का नवीकरण जरूरी समझा जाता है :—

पटरी की किस्म	सकल दस लाख टन में ढुलाई
52 कि० ग्राम	300 से 350
90 आर	250
75 आर	150
60 आर	125

स्लीपरों का नवीकरण केवल उनकी हालत के आधार पर किया जाता है।

(ग) कतरने और कूटने पीटने से केवल पटरी के सिरों को क्षति पहुँचने के अलावा पटरियों की झलाई के फार्मूले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसे झले हुए सिरों पर समाप्त कर दिया जाता है। चौपहिया माल-डिब्बों के स्थान पर बी० ओ० एक्स-माल डिब्बे लगाने से अथवा भाप इंजनों के बदले डीजल इंजन चलाने से रेल पथ के बदलाव के मान दण्ड पर भी कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां तक लकड़ी के स्लीपरों के बदले लोहे/कंक्रीट के स्लीपर लगाने का सम्बन्ध है, लकड़ी के स्लीपरों की तुलना में लोहे/कंक्रीट के बने स्लीपर अधिक चलते हैं।

(घ) 1-4-82 को लगभग 10367 कि० मी० में रेल पथ नवीकरण का काम चल रहा था। इन नवीकरण कार्यों की प्रत्याशित/स्वीकृत लागत 678 करोड़ रुपए है। 31-3-83 तक 360 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने की आशा की जाती है। रेल पथ नवीकरण के नए काम उत्पन्न होना और उनके लिए स्वीकृति देना एक सतत प्रक्रिया है।

नैमित्तिक श्रमिकों/स्थानापन्नों की नियुक्ति

4149. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से पश्चिम रेलवे के विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षकों द्वारा वर्ग चार के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों को (1) मंडलवार (2) विभागवार, (3) एककवार और (4) वर्षवार भर्ती किया गया :

(ख) किन वरिष्ठ पर्यवेक्षकों ने अनुसूजित जाति/अनुसूचित जनजातियों के किसी भी उम्मीदवार को भर्ती नहीं किया और उनके विरुद्ध उनके शाखा अधिकारियों और डी० पी० ओ० ने और डी० पी० ओ० के विरुद्ध डी० आर० एम०/जी० एम० ने मंडलवार, विभागवार, वर्षवार, क्या कार्यवाही की और रोजगार कार्यालयों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघों से

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को बुलाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1975 से वर्ग चार की श्रेणियों में पिछले रिक्त स्थानों को न भरने से वर्ग तीन और चार श्रेणियों के कितने पदों को आगे बढ़ाना पड़ा है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : पश्चिम रेलवे से सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वाल्टेयर-केरन्दुल लाइन का विद्युतीकरण

4150. **श्री एस० आर० ए० एस० अप्पालानायडू** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाल्टेयर-केरन्दुल के बीच रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का काम आरम्भ हो गया है और यदि हां, तो कब और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी हां। वाल्तेरु और किरांदुल के बीच रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य 1970-71 में अनुमोदित किया गया था। किरान्दुल-जगदपुर कोरापुट खंड का विद्युतीकरण किया जा चुका है और यह विद्युत कर्षण के अंतर्गत आ गया है। शेष खंड अर्थात् कोरापुट-वाल्तेरु खंड पर भी कार्य पूरा हो गया है और उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों के बिजली बोर्डों से बिजली की सप्लाई उपलब्ध हो जाने पर इस खंड पर भी बिजली कर्षण की व्यवस्था कर दी जायेगी।

दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग में प्रवेश

4151. **श्री जेवियर अराकल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के छात्रों को 10+2 पाठ्यक्रम परीक्षा में 86 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग में प्रवेश नहीं मिल सकता है;

(ख) क्या यह सच है कि पड़ोसी राज्यों के छात्रों, जो 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, अपने-अपने इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश मिल जाता है; और

(ग) ऐसे कितने छात्रों, जिन्होंने 75 प्रतिशत और 80 प्रतिशत तथा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, को दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग में प्रवेश नहीं मिला है और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में निकटवर्ती राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 75% और 80% के बीच अंक प्राप्त करने वाले किन्तु दाखिल न किए गए छात्रों की संख्या 303 है और 80% तथा अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों किन्तु अब तक दाखिल नहीं किए छात्रों की संख्या 812 है। दाखिला प्राप्त करने में उनके असमर्थ रहने का कारण यह है कि उच्चतर अंक वाले छात्र दाखिले के लिए उपलब्ध थे।

रद्द किए गए आरक्षण के स्थान पर आरक्षण

4152. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रद्द किए गए आरक्षण के स्थान पर आरक्षण करने की प्रणाली से, ग्राड ट्रंक, राजधानी, तमिलनाडु एक्सप्रैस आदि जैसी लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में प्रतीक्षा सूची में रखे गये यात्रियों को भारी असुविधा होती है; और

(ख) क्या यात्रा टिकट निरीक्षकों ने इस प्रणाली को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। वस्तुतः इस प्रणाली का यात्रियों द्वारा काफी स्वागत किया गया है।

(ख) जी नहीं। इस प्रणाली को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं है।

मुजफ्फरनगर में पैदल यात्रियों के लिए उपरि पुल

4153. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने शहरी क्षेत्र में रेलवे सड़क से न्यू मंडी को जोड़ते हुए मुजफ्फरनगर (उत्तर रेलवे) में पैदल यात्रियों के लिए उपरि पुल का निर्माण करने के बारे में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित उपरि पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के खर्च पर मुजफ्फर नगर में 6 फुट चौड़ा एक सार्वजनिक ऊपरी पैदल पुल बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरी लागत जमा कर दिये जाने पर पुल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

पूर्व रेलवे के अन्तर्गत काम कर रहे ट्रालीमैनो की ओर से ज्ञापन

4154. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पूर्व रेलवे के अन्तर्गत काम कर रहे ट्रालीमैनी की ओर से दिनांक 18 मार्च, 1982 का शिकायतों का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारी अभ्यावेदनों पर यथोचित विचार किया जाता है और गुण-दोष के आधार पर यथावश्यक कार्रवाई की जाती है। पूर्व रेलवे के ट्रालीमैनी की मांगों पर भी इसी नीति के अनुसार विचार किया गया है।

एशियाई खेलों के लिए निःशुल्क टिकट

4155. **प्रो० बी० डी० सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के कुछ टिकट निःशुल्क वितरित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो निःशुल्क टिकट पाने वाले लोगों की श्रेणियां क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार के कितने टिकट वितरित करने का विचार है और इसका औचित्य क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) : नौवें एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति के कार्यकारी बोर्ड ने 21-6-1982 को हुई अपनी बैठक में यह सुझाव स्वीकार किया कि जिन कर्मचारियों मजदूरों ने रेकार्ड समय में स्टेडियमों के निर्माण कार्य में हिस्सा लिया है, उन्हें एशियाई खेल देखने के लिए टिकट दिए जाने चाहिए और यह कि ये टिकट विशेष आयोजन समिति द्वारा खरीद कर उन्हें मुफ्त दिए जाने चाहिएं। विशेष आयोजन समिति द्वारा ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग

4156. **श्री राजजी भाई मावणि** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1982 से 30 जून, 1982 की अवधि के दौरान तथा दिनांक 1 अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के दौरान गुजरात में होकर जाने वाले कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया, विकास किया गया और मरम्मत की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि में उनमें से प्रत्येक राजमार्ग पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान गुजरात सरकार ने क्या प्रस्ताव भेजे थे तथा इस संबंध में कितनी-कितनी धनराशि के लिए अनुरोध किया था;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) नीचे लिखे 5 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात से होकर गुजरते हैं :—

राष्ट्रीय राजमार्ग 8	दिल्ली-अहमदाबाद-बंबई
राष्ट्रीय राजमार्ग 8 क	अहमदाबाद-कांडला
राष्ट्रीय राजमार्ग 8 ख	बंगलौर-राजकोट-पोरबंदर
राष्ट्रीय राजमार्ग 8 ग	चिलोड़ा-गांधीनगर-सरखेज
राष्ट्रीय राजमार्ग 15	पठानकोट-जैसलमेर-रदनपुर-सामाखियाली

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । उक्त अवधि के दौरान सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न खंडों का विकास अनुरक्षण किया गया है।

(ख) और (ग) : : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है ।

विवरण

(रुपये लाख में)

राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) काम					अरक्षण और मरम्मत	
वर्ष	आवश्यक धन बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1977-78	898.23	583.59	320.00	357.05	135.04	167.96
1978-79	844.88	580 22	400.00	405.52	181.21	199.81
1979-80	629.88	482.50	421.22	423.11	277.99	327.65
1980-81	872-53	610.65	400.00	523.68	385.04	440.50
1981-82	923.40	885.28	500.00	782-07	301.38	482-27
1982-83	1327.90	—	525.00	330.20	151.41	136.86
			(आवंटन) (मई, 1982 तक)	(रिलीज की गई धनराशि)	(मई, 1982 तक)	

सागर विश्वविद्यालय को विश्व विद्यालय अनुदान आयोग शोध छात्रवृत्ति

4157. श्री मोती लाल सिंह : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई शोध छात्रवृत्तियां सागर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश में गत वर्ष फरवरी से बांटी जा रही हैं; और

(ख) क्या यह राशि प्रति माह नियमित रूप से शोधकर्त्ताओं को बांट दी जाती है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सागर विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के अन्तर्गत आरम्भ की गयी शिक्षा वृत्तियों की अदायगी के लिए उंचती अनुदान मंजूर करता रहा है। 1981-82 के दौरान विश्वविद्यालय को पिछले वर्षों में दिए गए इस प्रकार के अनुदानों के लेखों को अन्तिम रूप देने के लिए कहा गया था। विश्वविद्यालय ने एक विवरण प्रस्तुत किया जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि उन शिक्षा वृत्तियों की संख्या, जिसके लिए अनुदानों के दावे किए गए थे, अनुमोदित सीमा से अधिक थी। लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने तक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1982-83 की शिक्षा वृत्तियों और 1981-82 की बकाया शिक्षा वृत्तियां, यदि कोई हों, की भी अदायगी करने के लिए और उंचती अनुदान मुक्त किया। आयोग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं हैं कि क्या अनुसंधान अध्येताओं को शिक्षा वृत्तियां नियमित रूप से दी जाती है या नहीं।

मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रेल लाइनें

4158. **श्री सुभाष यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नई रेल लाइनों के निर्माण की कोई योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके मार्ग क्या होंगे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बड़वाडीह और करौंजी के बीच रेल लाइन (137 कि० मी०) का निर्माण करने के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवम् यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है और शीघ्र ही पूरा हो जाने की सम्भावना है।

रायपुर और घंतारी (94 कि० मी०) के बीच छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव करने तथा बलाड तक (34 कि० मी०) उसका विस्तार करने के लिए भी एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवम् यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर इन लाइनों का निर्माण प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा बशर्ते उनकी तकनीकी व्यावहारिकता और वित्तीय अर्थक्षमता, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो और योजना आयोग द्वारा इसको स्वीकृति दे दी जाये।

रायनपाडू स्थित वैगन फैक्टरी वर्कशाप में कथित अवैध तालाबंदी

4159. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे में रायनपाडू स्थित वैगन वर्कशाप की तालाबंदी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तालाबंदी के पीछे के मूल कारणों के बारे में कोई जांच करायी थी;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ): दक्षिण मध्य रेलवे के गुन्तपल्ली (रायनापाडु) कारखाने के कारीगरों ने 23.4 82 को 'ओजार छोड़ो' हड़ताल की थी और उसका मुख्य आधार यह था कि 22.4.82 को खलासियों के रूप में नियुक्ति के लिए कारखाने में प्रकाशित पेनल में दिए गए 500 उम्मीदवारों की सूची में, केवल कारखाना कर्मचारियों के बच्चों का प्रवरण किया जाना चाहिए। उस क्षेत्र के कुछ स्थानीय निवासी कारखाना अधिकारियों से मिले भी थे और उन्होंने यह जानने की इच्छा प्रकट की थी कि आस-पास के गाँवों के व्यक्तियों को अधिक संख्या में क्यों नहीं चुना गया। कुछ हड़ताली कर्मचारियों और दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी संघ की कारखाना शाखा के सचिव के बीच हाथा-पाई भी शुरू हुई थी। 23 अप्रैल को पुलिस तथा सिविल प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया और उनकी सहायता भी प्राप्त की गयी। श्रमिकों के समक्ष स्थिति स्पष्ट कर देने के बावजूद कि रेल कर्मचारियों के जिन आश्रितों और बच्चों को पात्र पाया गया नियमानुसार उन्हें पेनल में शामिल कर लिया गया है, जिन्होंने अपनी गैर-कानूनी 'ओजार छोड़ो' हड़ताल जारी रखी। अतएव, औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रेल प्रशासन 27.4.82 को 7.00 बजे से तालाबन्दी की घोषणा करने के लिए बाध्य हो गया था। इस तालाबन्दी का वांछित प्रभाव हुआ और कर्मचारियों के वर्ग अधिकारियों के पास आने आरम्भ हो गए और उन्होंने ड्यूटी पर उपस्थित होने तथा अनुशासित एवम् सामान्य ढंग से काम करने की इच्छा व्यक्त की।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने अन्ततोगत्वा 5 मई, 1982 को प्रातः से तालाबन्दी समाप्त कर दी।

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यापकों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत (एल. टी. सी.)

4160. **श्री निहाल सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के कितने अध्यापकों ने पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार छुट्टी यात्रा रियायत (एल. टी. सी.) लिया है;

(ख) क्या कुछ ऐसे मामले प्रकाश में हैं जिनमें प्राइवेट बस आपरेटर को कुछ धनराशि देकर जाली रसीदें प्राप्त की गई हैं; और यदि हां, तो पकड़े गए मामलों की संख्या कितनी हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि नीमरी, दिल्ली के कुछ अध्यापकों ने जाली छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, शिक्षा निदेशालय के

जिन कर्मचारियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत (एल० टी० सी०) का लाभ उठाया था, उनकी संख्या नीचे दी गई है :

(1) 1979-80	4417
(2) 1980-81	2416
(3) 1981-81	3768
कुल	10601

उपर्युक्त में से, छुट्टी यात्रा रियायत के दावे के 17 मामलों की दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। नीमरी कालोनी में रह रहे अध्यापकों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जहां तक नई दिल्ली नगर पालिका का सम्बन्ध है, सूचना नीचे दी गई है :

(1) 1979-80	250
(2) 1980-81	57
(3) 1981-82	165
कुल	472

जाली छुट्टी यात्रा रियायत का केवल एक मामला नई दिल्ली नगर पालिका के ध्यान में आया है और उस मामले में विभागीय जांच की जा रही है। नीमरी कालोनी में रह रहे किसी भी अध्यापक ने नई दिल्ली नगर पालिका से जाली छुट्टी यात्रा रियायत का दावा नहीं किया है।

जहां तक दिल्ली नगर निगम का सम्बन्ध है, सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली प्रशासन में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को चयन ग्रेड

4161. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि वर्ष 1982 में दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों/जनजातियों से सम्बन्धित ऐसे प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के नामों की एक सूची जारी की गई है, जिन्हें चयन ग्रेड दिया गया है और क्या सूची में कुछ ऐसे प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें एक-दो वर्ष पहले ही चयन ग्रेड दिया जा चुका था तथा ऐसे दर्शाया गया है जैसे कि इन्हें वर्ष 1982 के दौरान ही चयन ग्रेड दिया गया हो; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सूची को दुरुस्त करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनु-

सूचित जनजातियों के कुछ उन प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के नाम, जिन्हें पहले प्रवरण ग्रेड दिए गये थे 1982 में जारी की गई सूची में भूल से शामिल किये गये थे। दिल्ली प्रशासन ने 27 अप्रैल, 1982 को एक शुद्धि पत्र जारी करके इस गलतों को ठीक कर दिया है।

डा० कोटनिस और डा० अटल की 40वी बर्सी

4162. **श्री भीकू राम जैन :**

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार डा० डी० एच० कोटनिस और मदन लाल अटल, भारतीय चिकित्सा मिशन के सदस्य जो चीन पर जापानी आक्रमण के दौरा क्रमश: 9 दिसम्बर, 1942 को और 1957 में चीन में मारे गए थे, की 40वीं बरसी मनाने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो बर्सी की मुख्य बातें क्या है और इसके लिए कितना व्यय किया जाएगा और तत्संबंधी अन्य ब्योरा क्या है।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) : चीन लोक गणराज्य सरकार ने हमें सरकारी तौर पर सूचित किया है कि वे डा० कोटनिस की स्मृति में समारोह करना चाहते है, जिनका निधन 40 वर्ष पूर्व चीन में सेवा करते हुए हो गया था। पता चला है कि उनकी योजना के अनुसार समारोह में डा० अटल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिनका 25 वर्ष पहले देहान्त हुआ था। भारत सरकार ने इस श्रद्धांजलि समारोह में एक प्रतिनिधि-मंडल भेजने के बारे में चीनियों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जिसमें हम समुचित रूप से भाग लेंगे।

मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का पुनर्वास

4163. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री अनन्त रामुलू मल्लू : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध है;

(ख) वर्तमान सुविधाओं को सुधारने और उनमें वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे जन्म रोकने और मानसिक अवरूद्धता के विभिन्न कारणों के विषय में लोगों को शिक्षित करने का कोई व्यापक कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार समूचे देश में लगभग 150 संस्थान है जो लगभग 10,000 मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, इनमें से अधिकांश संस्थान स्वयं-सेवी प्रकृति के हैं। भारत सरकार मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को सहायक अनुदान देती है।

(2) सरकार ने मंद बुद्धि बच्चों के लिए एक आदर्श विद्यालय की स्थापना की है जो मानसिक रूप से अविकसित बच्चों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है।

(3) विकलांगों के पुनर्वास के सम्बन्ध में अनुसंधान प्रायोजित करने के लिए सहायक अनुदान नियमों को योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुदान उन संस्थानों को दिए जा रहे है मानसिक रूप से अविकसितों सहित विकलांगों के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं।

(4) मानसिक रूप से अविकसितों सहित विकलांगों के लिए अल्प अवधि के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्क्रमो को संयुक्त राष्ट्र अर्न्तराष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता से समय-समय पर वित्तपोपित किया जा रहा है।

(5) सरकार ने अनुसंधान और प्रशिक्षण आयोजित करने तथा मानसिक रूप से अविकसित के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की कुछ सेवाएं प्रदान करने के लिए हैदराबाद में मानसिक रूप से अविकसितों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) मानसिक अविकास गर्भवस्था के दौरान माता के कुपोषण, पोष्टिक रक्त क्षीणता, बचपन में कुपोपण, विभिन्न दूपणों से माता की अरक्षितता, पैदा होते समय जारक-हीनता और चोट लग जाने और प्रजनन सम्बन्धी अव्यवस्था के कारण भी हो सकता है।

भारत सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए है, जैसे कि :—

(1) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं की पूरक पोषाहार देने के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम।

(2) प्रतिरक्षण के लिए विस्तृत कार्यक्रम।

(3) पौष्टिक रक्तक्षीणता से बचाव के लिए रोगनिरोधन।

(4) गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को समेकित रूप में स्वास्थ्य, पोषाहार संबंधी और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं।

(5) दाइयों का प्रशिक्षण।

(6) स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा।

मानसिक अविकसितता के आधे से अधिक मामले प्रजनन संबंधी कारणों से होते है। बहुत से गुण सूत्र संबंधी और उपापचय संबंधी अव्यस्थाओं को अब माता पिता संबंधी निदान और गर्भ के चयनात्मक समापन के द्वारा रोका जा सकता है। भारत सरकार ने आनुविज्ञान

अनुसंधान परिषद् के माध्यम से मानसिक अविकसितता के प्रजनन संबंधी कारणों का पता लगाने उनको रोकने और दूर करने के लिए 4 केन्द्रों में एक सहयोगात्मक अध्ययन शुरू किया है।

इस अध्ययन का उद्देश्य केवल मानसिक अविकसितता का पता लगाना ही नहीं है अपितु देश में बम्बई, बंगलोर, लखनऊ और नई दिल्ली में 4 क्षेत्रीय प्रजनन केन्द्रों के विकास को सहायता देना भी है जो देश को निदान संबंधी, रोगोपचार और प्रजनन संबंधी परामर्श देना जारी रखेंगे।

परिषद बम्बई में एक प्रजनन अनुसंधान केन्द्र खोलने का भी प्रस्ताव कर रही है जो उत्तम किस्म की निदान सेवाएं प्रदान करेगा, देश के लिए उपयुक्त रोगोपचार की उचित पद्धति का विकास करेगा, प्रजनन संबंधी सलाह देने की व्यवस्था करेगा तथा देश को आत्म निर्भर बनाएगा और बाकी के लिए गति निर्धारक के रूप में होगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश की जांच

4164. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के एम० बी० बी० एस० और एम० डी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने में कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोपों की कोई जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के विचारणीय विषय क्या थे;

(ग) जांच किस प्रकार की है और जांच करने वाले व्यक्ति कौन हैं; और

(घ) जांच समिति कब गठित की गई थी और जांच की प्रगति क्या है इसका प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) : पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित चिकित्सा में उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए और एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा तथा जांच परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं के अनेक आरोप है। इन आरोपों की जांच करने और भविष्य में इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्रारम्भिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिफारिशें करने के लिए विश्वविद्यालय ने 3-5-1982 को भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति बी० भार्गव को नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति भार्गव ने उसके कुछ दिनों के बाद काम आरम्भ कर दिया। जांच अभी चल रही है।

रूट नं० 154 पर दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

4165. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या सीवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में अशोक विहार और करोल बाग टर्मिनल के बीच रूट संख्या 154 पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों के समय पर न चलने तथा

"ट्रिप" "मिस" करने के विषय में व्यक्तियों और रेजीडेंट एसोसिएशनों से बड़ी संख्या में शिकायतें हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है;

(ग) इस रूट पर पिछले दो वर्षों के दौरान "मिस" किए गए "ट्रिपों" की माहवार और प्रतिशतवार संख्या क्या है;

(घ) क्या यह रूट तीन रेलवे क्रासिगों से गुजरता है और वहां से गुजरती हुई रेलगाड़ियों के कारण बसों को लम्बे समय तक रुकना पड़ता है जिससे यात्रियों को परेशानी होती है;

(ङ) क्या दिल्ली परिवहन निगम को जनता से इस रूट को उपयुक्त ढंग से बदलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि उन्हें रेलवे क्रासिगों से न गुजरना पड़े; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। इस मार्ग पर बस को 3 रेलवे क्रोसिंग से होकर गुजरना पड़ता है जो अक्सर बन्द रहते हैं। बस के चलने में अधिक समय का लगना भी इसी कारण से होता है।

(ग) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, हां। इसको मार्ग बदलकर मोडर्न बेकरी, पंजाबी बाग टर्मिनल, जखीरा, ओल्ड रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला फलाई ओवर से होती हुई तब न्यू रोहतक रोड के लिए बस चलाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। लारेंस रोड से शुरू होकर वाया अशोक विहार और तब मार्ग सं. 157 के लिए बस चलाने का एक दूसरा प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है।

(च) इस मार्ग पर तीन रेलवे क्रोसिंग के कारण अधिकतम ट्रिप के मिस होने की स्थिति में मार्ग बदलकर गाड़ी चलाने की स्थिति की जांच की जा रही है।

मार्ग सं० 154 पर मिसिंग ट्रीप को दर्शाने वाला विवरण

महीने	ट्रीप की संख्या (1980)			मिस्ड ट्रीप का प्रतिशत
	शिड्यूल	आपरेटेड	मिस्ड	
1	2	3	4	5
जनवरी	2487	2223	264	11
फरवरी	2322	2103	219	9
मार्च	2454	2241	213	9
अप्रैल	2414	2170	244	10
मई	2423	2109	314	13
जून	2429	2162	267	11

1	2	3	4	5
जुलाई	2494	2037	457	18
अगस्त	2510	1850	660	26
सितम्बर	2145	1500	645	30
अक्टूबर	2438	1755	683	28
नवम्बर	1940	1446	494	25
दिसम्बर	2384	1831	553	23
कुल	28440	23427	5013	18
		1981		
जनवरी	2156	1798	358	17
फरवरी	1908	1619	289	15
मार्च	1971	1648	323	16
अप्रैल	2396	1972	424	18
मई	2512	1946	566	23
जून	2460	1914	546	22
जुलाई	2424	1890	534	22
अगस्त	2480	1901	579	23
सितम्बर	2416	1749	667	28
अक्टूबर	2490	1848	642	26
नवम्बर	2417	1717	700	29
दिसम्बर	2512	1921	591	23
कुल	28142	21923	6219	22
		1982		
जनवरी	2502	1907	595	24
फरवरी	2254	1695	559	25
मार्च	2439	1823	616	25
अप्रैल	2419	1798	621	26
मई	2520	1770	750	30
जून	2460	1703	757	31
जुलाई (21.7.82 तक)	2257	1692	565	25

रूट नं० 920 पर दिल्ली परिवहन निगम बस सेवा

4166. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लारेंस रोड तथा नई दिल्ली में रीगल के बीच चलने वाले रूट नं० 920 बसों के समय पर न चलने और काफी अरसे तक के ट्रिप खो देने के बारे में जनता एवं रेजी डेन्ट्स एसोसियेशनों से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या शिकायतें दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली प्राइवेट बसों की तुलना में दिल्ली परिवहन निगम की बसों के विरुद्ध अधिक हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है और कारणों का पता लगाया गया है;

(घ) क्या यह पाया गया है कि लारेंस रोड क्षेत्र में और कालोनियां स्थापित हो गई हैं तथा रूट सं० 920 द्वारा उपलब्ध की जा रही सेवायें अपर्याप्त हैं;

(ङ) क्या अधिक बसें चलाने, उनके चलाये जाने के बीच समय कम करने तथा प्रणाली को सुचारू बनाने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (च): दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि हालांकि फरवरी, 1982 से पहले कुछ शिकायतें थी लेकिन फरवरी 1982 के बाद से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। यह शिकायतें शाम में रीगल से नहीं चलने वाले ट्रिपों के बारे में थीं। इस बारे में उचित कार्रवाई की गई जिसके परिणामस्वरूप रूट नं० 920 पर बस की सर्विस सुधर गई है। हाल में ही रूट नं० 920 पर एक रुपए के दो बसों को लगाया गया है जिनका किराया प्रतियात्री एक रुपया है। इसके अलावा सचिवालय आने-जाने वालों की और सुविधा के लिए रूट नं० 160 को लारस रोड के तरफ से मोड़ दिया गया है। इस कालोनी में निम्नलिखित रूट चलते हैं :—

14, 93, 97, 154, 160, 912, 920 और एम-5

इस रूट पर दिल्ली परिवहन निगम की और इसके तहत प्रायवेट दोनों प्रकार की बसें चलती हैं। जांच करने पर यह पाया गया कि बसों के ब्रेक डाउन होने और प्राइवेट बसों द्वारा टाइम टेबुल का न पालन करने के कारण ट्रिपें छूट गई थीं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में यूनानी चिकित्सा पद्धति में अध्ययन के लिए शिक्षा का माध्यम

4167. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में यूनानी चिकित्सा पद्धति में अध्ययन

के लिए हिन्दी अथवा उर्दू के माध्यम के नियम के उल्लंघन में केवल उर्दू माध्यम को ही अनुमति दी जाती है;

(ख) सांविधिक नियमों की उपेक्षा करके यूनानी अध्ययन के लिए हिन्दी माध्यम को हटाने तथा केवल-उर्दू माध्यम निश्चित करने के लिए कौन उत्तरदायी है;

(ग) वर्ष 1980 से कितने छात्रों को हिन्दी माध्यम के नाम पर दाखिला नहीं दिया गया अथवा हिन्दी माध्यम की सुविधा से वंचित किया गया; और

(घ) दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाने तथा हिन्दी को शिक्षा माध्यम के रूप में पुनः लागू करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) और (ख) : यूनानी डिग्री पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ने उर्दू को माध्यम निर्धारित किया है। किन्तु जहां कहीं आवश्यक होता है, अंग्रेजी को भी माध्यम बनाया जाता है। वैसे, जहां पर उर्दू जानने वाले छात्र उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां पर हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने की सुविधाएं (पाठ्य पुस्तकों सहित) प्रदान की जा सकती हैं और पढ़ाई के माध्यम में परिवर्तन किया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक आधार पर यूनानी चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पाठ्यक्रम की स्नातक परीक्षा के लिए उर्दू को माध्यम निर्धारित किया है।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रख रहा है।

(घ) ऊपर (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

सेन्ट्रल कौंसिल आफ इंडियन मेडिसिन्ज के लिए चुनाव

4168. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान "सेन्ट्रल कौंसिल आफ इंडियन मेडिसन्ज" का कार्यकाल, 1971 से 1976 तक के पांच वर्षों के लिए था;

(ख) क्या सेन्ट्रल कौंसिल आफ इण्डियन मेडिसन्ज के चुनाव सेन्ट्रल कौंसिल आफ इण्डियन मेडिकल एक्ट, 1970 के उपबन्धों के अन्तर्गत पिछले 6 वर्षों से लम्बित है;

(ग) क्या चुनाव नियम सात वर्ष पूर्व अधिसूचित किये गये थे और निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की गई थी परन्तु चुनाव नहीं कराये गये; और

(घ) चुनाव कब तक कराये जायेंगे तथा पूरे किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद इस प्रकार गठित एक निकाय है जिसका उत्तरोत्तर गठन निरन्तर होता ही रहता है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 7 (1) के अनुसार परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अथवा केन्द्रीय परिषद के सदस्यों का

कार्यकाल पांच वर्ष या उनके उत्तराधिकारियों के विधिवत् चुने जाने या नामित किए जाने तक जो भी बाद में ही होता है।

(ख) और (ग) : निर्वाचन नियम, 1975 में अधिसूचित किए गए थे लेकिन लोक सभा और राज्य सभा दोनों की अधीनस्थ विधायी समिति ने कुछ संशोधन की सिफारिश की थी जिन्हें सितम्बर, 1979 में अन्तिम रूप दिया गया और अधिसूचित किया गया। अभी कोई निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है।

(घ) चुनाव कराए जाने से पहले निर्वाचक सूची में सुधार करने का कार्य पूरा किया जाना है। चुनाव शीघ्र करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

सफदरजंग तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में जी० डी० ओ० II के काम के घंटे

4169. श्री दिगम्बर सिंह :

श्री इरा अनबारासू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में विभाग प्रमुख के मौखिक आदेशों के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारियों (जी० डी० ओ० II) के लगातार 30 घंटे के लिए और कई अवसरों पर उससे भी अधिक समय के लिए लगातार काम करने को बाध्य करते हैं;

(ख) क्या सरकार इन दोनों अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को यह कहेगी कि वे अपने-अपने अस्पतालों में विभाग प्रमुख से अलग-अलग यह पता करें कि वे मौखिक आदेशों द्वारा डाक्टरों को बिना विश्राम के लम्बे समय के लिये काम करने के लिए बाध्य कर करके यह अमानवीय कार्यवाई क्यों कर रहे हैं; और ऐसे मामलों में लिखित आदेश जारी न किये जाने के क्या कारण हैं :

(ग) क्या इन डाक्टरों को मौखिक आदेशों पर सप्ताह में 80 घंटे के लिए काम करने को बाध्य किया जाता है;

(घ) क्या कोई ऐसा नियम अथवा आदेश है जिसके अन्तर्गत विभाग प्रमुखों को अपने स्तर पर असाधारण रूप से इतने लम्बे समय के लिए काम लेने का अधिकार है और यदि हां, तो क्या; और

(ङ) सरकार का इन अस्पतालों में विभिन्न विभागों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(क) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नहीं।

(घ) और (ङ) : अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों के काम करने के अधिकतम घंटों के बारे में भी कोई विशेष आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इन्हें ड्यूटी रोस्टर के अनुसार ही ड्यूटी पर लगाया जाता है।

सफदरजंग तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में अधीक्षकों तथा परामर्शदाताओं के पदों का खाली रहना

4170. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में अधीक्षक का पद तथा उस अस्पताल में तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में सर्जरी में कन्सलटेंट के पद खाली पड़े हैं;

(क) यदि हां, तो कब से;

(ग) उनके न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनको भरने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) : डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शल्यविज्ञान परामर्शदाता (कन्सलटेंट) का पद जुलाई, 1979 से खाली पड़ा है। सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अधीक्षक और शल्य विज्ञान परामर्शदाता (कन्सलटेंट) के पद पहली अप्रैल, 1982 से खाली हुए थे। कुछ प्रशासनिक कठिनाईयों के कारण इन पदों को भरना संभव नहीं हुआ है।

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के संशोधित नियमों के अधिसूचित होने के बाद ये पद भरे जायेंगे।

ग्रामीण विज्ञान कालेजों को अनुदान

4171. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रयोगशालाओं के रख-रखाव के लिए वैज्ञानिक कालेजों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष अनुदान देने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य में विज्ञान कालेजों को कितनी-कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों के कालेजों में काम करने वाले शिक्षकों को सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया गया है अथवा देने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) : ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान महाविद्यालयों को अपनी प्रयोगशालाओं के

रख रखाव के लिए विशेष अनुदान देने की कोई योजना नहीं है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी पात्र महाविद्यालयों को अवर-स्नातक शिक्षा के लिए सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। छठी योजना के दौरान कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालयों को ऐसी सहायता के लिए मार्ग-दर्शी रूप रेखाएं जनवरी, 1982 में तैयार कर ली गई थीं। इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार छठी योजना के दौरान उन सभी मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों को पुस्तकों, उपस्कर और संकाय सुधार के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा जिनमें डिग्री पाठ्यक्रम में कम से कम 150 छात्र दाखिल हों और 5 स्थायी अध्यापक हों। भवन निर्माण, स्टाफ और पुस्तकालय और अन्य सुविधाओं के लिए केवल उन महा विद्यालयों को अनुदान उपलब्ध होगा जिनमें 300 छात्र, 10 स्थायी शिक्षा और कम से कम चार विभाग होंगे और इनमें से प्रत्येक में कम से कम दो दो शिक्षक होंगे। तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालेजों के मामलों में दाखिले की आवश्यकता में छूट देकर 200 तक रखी गयी है। इसके अलावा, एक विशेष योजना के अन्तर्गत आयोग ने उस जिले में जहां एक या दो विकसित महाविद्यालय भी अनुदान के पात्र नहीं हैं, में मैं एक या दो महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है। ऐसे महाविद्यालयों में कम से कम 150 छात्र और 5 स्थायी शिक्षक होने चाहिए। यह योजना पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को विकास अनुदान सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कालेजों में प्राध्यापकों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की आयोग के पास कोई योजना नहीं है।

संकाय-वार कालेजों की स्थापना करना

4172. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकाय-वार कालेजों की स्थापना करने का, अर्थात् प्रत्येक संकाय के लिए अलग-अलग कालेज और एक ही कालेज अथवा विश्वविद्यालय में सभी संकायों की स्थापना न करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरे क्या हैं; और

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने कालेज और विश्वविद्यालय खोले गये हैं अथवा काम कर रहे हैं?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

शिक्षा मन्त्रालय द्वारा अतिरिक्त बसों के लिए अनुरोध

4173. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मन्त्रालय ने एशियाड 82 के लिए यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दिल्ली परिवहन निगम से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, उन बसों और यातायात संबन्धी योजना का ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं।

(ख) एशियाई खेलों के दौरान यातायात में जो वृद्धि होगी उसे ध्यान में रखते हुए और जनता को यातायात के लिए समुचित सुविधाएं देने के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने नवम्बर, 1982 से पहले अपने अधीन 290 नई बसों को लगाने की व्यवस्था की है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा पड़ोसी राज्यों के परिवहन उपक्रमों से बसों को लेने की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली परिवहन निगम के तहत और अधिक प्राइवेट बसों को भी लेने की कोशिश की जा रही है। जहां रेलवे प्राधिकरण दिल्ली में रिंग रेलवे पर बिजली की ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है वहां दिल्ली नगर निगम भी इन रेलवे स्टेशनों तक विभिन्न बस्तियों/कार्यालय क्षेत्रों/वाणिज्यिक केन्द्रों से बस सर्विस चलाने की योजना को कार्यान्वित करने पर विचार कर रहा है जिससे कि यातायात की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

मनमाड-मुदखेद लाइन का बदला जाना

4174. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनमाड-मुदखेद के लिए रेल लाइन बदलने की परियोजना का काम धीमी गति से चल रहा है;

(ख) परियोजना के लिए कितनी राशि आबंटित है; और

(ग) कार्य के शीघ्रता पूर्वक निष्पादन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मनमाड-औरंगाबाद खंड के आमान परिवर्तन का कार्य मनमाड-परभनी-पुर्ली बैजनाथ आमान परिवर्तन परियोजना के प्रथम चरण के रूप में शुरू किया गया है।

(ख) और (ग) : वर्ष 1982-83 के लिए हाल ही में धन के आबंटन को 45 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड रुपये कर दिया गया है। आगे की प्रगति को धन की उपलब्धता जिसकी अत्यधिक तंगी है, के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

साउथ ईस्टर्न रेलमैंज यूनियन सन्तरागाछी शाखा, डाकखाना जगाछा हावड़ा की मांगे।

4175. **हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान साउथ ईस्टर्न रेलवेमैंस यूनियन, सन्तरागाछी शाखा, डाकखाना जागछा, हावड़ा द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 1982 के ज्ञापन की ओर दिलाया गया है जिसमें

रेल कर्मचारियों के प्रताड़ित किये जाने के निश्चित मामलों का उल्लेख था तथा कहा गया था कि प्रताड़ित कर्मचारियों को उनकी वैध देय राशियां भी अदा नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो यूनियन द्वारा क्या मुख्य मुद्दे उठाये गये हैं;

(ग) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर यूनियन की अंतरागाछी स्थित शाखा के सेक्रेटरी ने उस रेलवे पर कुछ अलग-अलग मामलों से सम्बन्धित कर्मचारियों को देय मजदूरी का तथाकथित भुगतान न किये जाने के बारे में अभ्यावेदन किया है।

(ग) और (घ) : यूनियन द्वारा अभ्यावेदित तीन ऐसे मामलों में, जिनमें कर्मचारियों को उस रेलवे पर उपयुक्त अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, कर्मचारियों ने न्यायालय में मुकदमें दायर किए हैं। इन मामलों में अन्तिम रूप से फैसला हो जाने तक, न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरित आदेशों के अनुसार कर्मचारियों को वेतन और भत्ते दे दिये गये हैं।

शेष चार मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें कर्मचारियों का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया गया था, एक कर्मचारी ने न्यायालय में मुकदमा कर दिया है और उसे न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के अनुसार भुगतान किया जा रहा है तथा उसे देय अन्य मंजूरी रोक ली गयी है, जिससे कि किसी प्रकार के सम्भावित अधिक भुगतान की वसूली की जा सके। अन्य तीन मामलों में रेलवे ने या तो कर्मचारियों को देय और स्वीकार्य राशि का पहले ही भुगतान कर दिया है, या उसके भुगतान की व्यवस्था कर रही है।

पूर्वी रेलवे में लाइनों पर लोको शेडों, यार्डों तथा साइडिंग्ज में दुर्घटनाएं

4176. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1982 से जून 1982 के बीच पूर्वी रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में मुख्य लाइन, शाखा लाइनों, लोको शेडों, यार्डों, कोयला खानों तथा अन्य साइडिंग्स पर कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना के कारण क्या थे और इन दुर्घटनाओं के कारणों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) प्रशासन द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं;

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

जनवरी से जून 1982 के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या

मण्डल	गाड़ी दुर्घटनाएं (मुख्य तथा शाखा लाइन, दोनों	लोको शैडों, कोयला खान तथा अन्य साइडिंगों में हुई दुर्घटनाएं
सियालदह	2	38
हावड़ा	9	176
आसनसोल	5	182
धनबाद	5	53
दानापुर	2	42
मुगलसराय	3	39
जोड़	26	530

(ख) और (ग) : इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण नीचे दिए गये हैं :—

जनवरी से जून 1982 तक हुई दुर्घटनाओं के मुख्य कारण

कारण	गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या (मुख्य लाइन तथा शाखा लाइन, दोनों)	लोको शैडों, कोयला खान यार्डों तथा अन्य साइडिंगों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या
(1) गलतियां		
1. रेल कर्मचारियों की गलती	19	177
2. रेल कर्मचारियों से इतर कर्मचारियों की गलती	3	169
(2) उपस्करों की खराबी		
1. यांत्रिक	1	60
2. रेल पथ	—	29
3. आकस्मिक	—	61
4. ऐसे कारण जिनका पता नहीं चल सका	1	—
5. ऐसे कारण जिन्हें अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया।	2	34
जोड़	26	530

रेल परिचालन में सुरक्षा स्तर बढ़ाने के उपायों में मुख्य तथा कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करना तथा उपस्करों का बेहतर अनुरक्षण करना शामिल है। इस प्रयोजन के लिए संरक्षा निगरानी दलों, जिनमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, ने निरीक्षणों की संख्या बढ़ा दी है। इन दलों के नोटिस में जो त्रुटियां आती हैं उन्हें दूर कर दिया जाता है। कार्य संचालन के सुरक्षित तरीकों के सम्बन्ध में कर्मचारियों को सलाह दी जा रही है। दुर्घटनाओं की जांच का काम तेज कर दिया गया है और दोषी कर्मचारियों को पर्याप्त दण्ड दिया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। मन्त्री तथा बोर्ड के सदस्य वरिष्ठ रेल प्रबन्धकों के साथ संरक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए उनसे मिल रहे हैं। उन्होंने संरक्षा के संबंध में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों से भी बातचीत की है।

रेल इंजन ड्राइवरों के लिए श्वास परीक्षा प्रणाली शुरू की गई है ताकि उन्हें शराब के नशे की हालत में ड्यूटी पर न लिया जाए। उपस्करों की खराबी की रोकथाम करने के लिए रेल इंजनों, माल डिब्बों, रेल पथ और सिगनल उपस्करों जैसी महत्वपूर्ण परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। माल तथा सवारी डिब्बों के आवधिक ओवरहाल की गति तेज कर दी गयी है तथा जिन रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत नहीं की जा सकती उन्हें नाकारा घोषित करने काम भी तेज कर दिया गया है।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में दायर मुकदमें

4177. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में जनवरी 1981 से जून 1982 के दौरान रेल कर्मचारियों के अन्तः मंडलीय तथा अन्तः जोनल स्थानान्तरण, सेवा से हटाये जाने/बर्खास्त किए जाने और पदावनति के सम्बन्ध में विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में कितने मुकदमें दायर किये गये, कितने मामलों का निपटान किया गया तथा कितने लम्बित हैं और इस सम्बन्ध में जोन एवं मंडलवार ब्यौरे क्या हैं;

(ख) ऐसे कुल कितने मामले है जिनसे माननीय न्यायालयों द्वारा तत्सम्बन्धी आदेश अवैध करार किए गए अथवा अनुमोदित किये गये; और

(ग) उपरोक्त मामलों में अब तक कितना व्यय हुआ है और उन पर अन्त तक आगे कितना व्यय होने की संम्भावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ओपन लाइन कार्यों पर ठेका प्रणाली

4178. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :

(क) भारतीय रेलवे में जनवरी से जून 1982 तक 'ओपन लाइन' कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा कुल कितने संविदा श्रमिकों को काम पर लगाया गया तथा तत्सम्बन्धी जोनवार तथा मंडलवार ब्यौरे क्या हैं।

(ख) ओपन लाइन पर इन कार्यों को विभागीय रूप से कराने के स्थान पर ठेका प्रणाली पर कराया जाना जारी रखने तथा इसे आरम्भ करने के कारण एवम् औचित्य क्या है : और

(ग) क्या संविदा प्रणाली सरकार की नीति एवम् कानूनों का उल्लंघन है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

1982-83 के लिए माल यातायात

4179. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे वर्ष 1982-83 के लिये माल यातायात के 2300 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति में है : और

(ख) यदि हां, तो प्रगति सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल से जून, 82 तक के पहले तीन महीनों के दौरान रेलों द्वारा 5481 लाख टन राजस्व अर्जक प्रारंभिक माल यातायात की ढुलाई की गयी । इसमें मामूली गिरावट आयी है, जिसका कारण है कुछ प्रमुख क्षेत्रों से कम मात्रा में यातायात प्राप्त होना । परन्तु इन क्षेत्रों में आश्वासन दिया है कि भावी महीनों में वे पर्याप्त मात्रा में यातायात प्रस्तुत करेंगे, जिसके कारण यह आशा की जाती है कि वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा ।

लारेंस रोड क्षेत्र के लिए बस सेवाएं सुधारना

4180. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम को रेजिडेन्टस वेलफेयर/एसोसियेशनों तथा लारेंस रोड क्षेत्र के अन्य लोगों से उस क्षेत्र में अनेक नई कालोनियों तथा ब्लाकों की स्थापना को देखते हुए वहां बस सेवाओं में सुधार करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या लारेंस रोड आई० टी० ओ० तथा रामकृष्ण पुरम् क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों में जाने वाले दैनिक यात्रियों की सहायता के लिए विशेष रूप से सीधा सम्पर्क बनाने के लिये अधिक बस रूट बनाने अथवा वर्तमान बस रूटों को बढ़ाने के अनुरोध किये गये थे;

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम तथा उस क्षेत्र में प्रतिनिधियों के बीच कोई बातचीत हुई थी और दिल्ली परिवहन निगम द्वारा उपरोक्त मामलों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया था;

(घ) क्या दिल्ली परिवहन निगत की सेवाओं में वृद्धि करने अथवा उनके विस्तार के बारे में कोई निर्णय किये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अभी हाल में नहीं हुई।

(घ) और (ङ) रूट नं० 920 की सेवाओं में वृद्धि करने के लिए अभी हाल में, एक रूपये भाड़े वाली दो अतिरिक्त बसें चलाई गई है। इसके अलावा शालीमार बाग और केन्द्रीय सचिवालय के बीच चल रही रूट नं० 160 की बसों को मोड़कर लारेन्स रोड से ले जाने की व्यवस्था की गई है।

चुराई गई प्राचीन मूर्तियां

4181. श्री अनन्त रामुलु मल्लू : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चार वर्ष पूर्व तमिलनाडु के एक मंदिर से नृत्य करते हुये नटराज की चुराई गई मूर्ति, जो अब अमरीका के संग्रहालय में पाई गई है, कि भांति हाल ही में चुराई गई मूर्तियों के कुछ अन्य मामलों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) : नृत्यमान शिव की दूसरी प्राचीन मूर्ति कुछ वर्ष पूर्व शिवपुरम (जिला तंजावुर, तमिलनाडु) के एक असुरक्षित मंदिर से चोरी हो गई थी। बाद में वह मूर्ति संयुक्त राज्य अमरीका में पाई गई। मुकदमेबाजी और लम्बी बातचीत के बाद उसका कब्जेदार साइमन फाउंडेशन इस मूर्ति को विनिर्दिष्ट समयावधि के बाद वापस करने के लिए सहमत हो गया है।

नसबन्दी कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन

4182. श्री केशवराव पारधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उप कर्मचारियों को, जो नसबन्दी कराते हैं, सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं; और

(ख) क्या सरकारी आवास आवंटन में उन सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने नसबन्दी कराली है, कोई विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इस विषय पर जारी किए गये दोनों आदेशों की एक-एक प्रति 31 जनवरी, 1980 को लोक सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 59-ए के उत्तर में तथा 19 मार्च, 1981 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4298 के उत्तर में सभा पटल पर रख दी गई थी। इन आदेशों की एक-एक प्रति दुबारा सभा पटल पर रख दी गई है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० -4418/82]

(ख) ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है ।

357 और 368 अन्डाल-बर्द्धमान स्थानीय गाड़ी का आसनसोल तक बढ़ाया जाना

4183. श्री सुशील भट्टाचार्य :

श्री अजीत कुमार साहा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, रानीगंज आसनसोल के भारी संख्या के छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 357 और 368 अन्डाल-बर्द्धमान स्थानीय गाड़ी की सेवाओं को आसनसोल तक बढ़ाये जाने के बारे में दिनांक 1 मार्च, 1982 तथा 25 मई, 1982 के पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मांग की पूर्ति के लिये रेल अधिकारियों को कोई आदेश जारी किये है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 1-3-82 और 25-5-82 के पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, फिर भी 357/358 (368 नहीं) अंडाल-बर्द्धमान स्थानीय यात्री गाड़ियों को आसनसोल तक बढ़ाने की मांगें की जा रही है ।

(ग) और (घ) जी नहीं । 357/358 अंडाल-बर्द्धमान स्थानीय गाड़ियों को आसनसोल/रानीगंज से/तक बढ़ाने की जांच की गयी है, किन्तु इसे आसनसोल/रानीगंज में टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया क्योंकि इससे अ डाल/दुर्गापुर के यात्री एक सुविधाजनक सेवा से वंचित रह जायेंगे ।

दिल्ली परिवहन निगम के महा-प्रबन्धक द्वारा ड्राइवरों को जारी किये गए अनुदेश

4184. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के नये महाप्रबन्धक ने हाल में दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों के मार्ग दर्शन के लिए कुछ करें, 'क्या क्या न करें' जारी किये हैं; जैसा कि दिनांक 13 जुलाई, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के "इवनिंग न्यूज" में समाचार दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इन अनुदेशों को कड़ाई से लागू करने के लिये तथा दोषी ड्राइवरों को सजा देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या वे यह आवश्यक समझते हैं कि दैनिक यात्रियों की सामान्य सूचना के लिए तथा ड्राइवरों को उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी के रूप में इन अनुदेशों को दिल्ली परिवहन निगम

की सभी बसों में अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में ड्राइवर की सीट के सामने मुद्रित कर दिया जाय; अथवा चिपका दिया जाय; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) : जी हाँ। दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष और महाप्रबन्धक ने कड़ाई से पालन के लिए प्रत्येक ड्राइवर को अनुदेश जारी किये हैं। उक्त पत्र में सेवाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित दस मुख्य बातें हैं :—

1. 40 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा का अतिक्रमण न किया जाए।

2. भीड़भाड़ वाली सड़कों पर बस को ओवरटेक न किया जाए।

3. यातायात नियमों और सिगनलों का पालन किया जाए।

4. ड्राइवर के बगल में अथवा बोनट पर किसी को भी न बैठाया जाय।

5. गाड़ी चलाते समय धूम्रपान न किया जाय।

6. प्रत्येक स्टाप पर गाड़ी को रोका जाये चाहे ड्यूटी पर चेकिंग स्टाफ हो या न हो। स्टाफ पर जहाँ कोई मार्किंग करनी हो, गाड़ी को निर्धारित क्षेत्र में ही खड़ी की जाय।

7. जब तक सभी यात्री गाड़ी में न चढ़ लें या गाड़ी से न उतर जायें तब तक गाड़ी न चलायी जाए।

8. चेकिंग स्टाफ के अलावा किसी भी व्यक्ति को यात्रियों के निकलने के द्वार से न चढ़ने दिया जाए।

9. ड्राइवर को यात्रियों के साथ नम्र और मधुर व्यवहार करना चाहिए।

10. ड्राइवर को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दुर्घटना हो।

(ग) इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बहुत से मुख्य बस स्टाप पर पर्यवेक्षक चेकिंग स्टाफ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों का एक विशेष चेकिंग दस्ता गठित किया गया है जो गुप्त रूप में रहते हैं दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों को गाड़ी चलाते समय उनके व्यवहार की देख-रेख के लिए काम करते हैं। कोई भी कमी जो इन्हें मालूम पड़ती है वे तुरन्त सम्बन्धित ड्राइवर को बता देते हैं ताकि वह इसमें सुधार ला सके। इस अनुदेश के उल्लंघन के बारे में जब कभी चेकिंग दल द्वारा जब भी सूचना मिलती है तब उस ड्राइवर पर विभागीय कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) : चूंकि पत्र अध्यक्ष और महाप्रबन्धक की ओर से लिखे गये हैं और इसकी प्रति प्रत्येक ड्राइवर को व्यक्तिगत रूप से दी गयी है। अतः इन बसों पर प्रदर्शन आवश्यक नहीं समझा जाता है।

विदेश भेजे गये एशियाड से सम्बन्धित खेल-अधिकारी

4185. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवें एशियाई खेलों से सम्बन्धित अब तक कितने अधिकारी विदेश भेजे गए हैं;

(ख) उनके दौरे का प्रयोजन क्या था;

(ग) उनके दौरे पर कितना धन खर्च किया था; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) नौवें एशियाई खेलों के खेल अधिकारियों सहित अब तक 96 व्यक्तियों को खेलों की विशेष आयोजन समिति द्वारा विदेश भेजा गया।

(ख) इन अधिकारियों को जिन प्रमुख प्रयोजनों के लिए विदेश भेजा गया वे ये थे :—

(1) अपनी तकनीकी कोटि को स्तरोन्नत करना और उसमें सुधार करना।

(2) ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना तथा कार्य-संचालन में योग्यता प्राप्त करना।

(3) तकनीकी जानकारी को आधुनिक बनाना और अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का अनुभव प्राप्त करना।

(4) जजों, रेफरी इत्यादि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्लीनिकों और अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघों की बैठकों में भाग लेना और तकनीकी मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय संघों के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करना।

(ग) और (घ) : विशेष आयोजन समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन दौरों पर उनके द्वारा निम्नलिखित खर्च किया गया।

यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता; 1,10,488.49 रु०

हवाई जहाज का किराया गैर एयर इंडिया क्षेत्र, जो एयर इंडिया की उड़ानों के अन्तर्गत नहीं आते के लिए एयर इंडिया को किया गया भुगतान।	81,208.00 रु०

यात्रा भत्ता बिलों गैर-एयर इंडिया क्षेत्रों के लिए एयर इंडिया बिलों का अभी कुछ समायोजन किया जाना है। इसके अलावा, विदेशों के इन दौरों के लिए विशेष आयोजन समिति ने 114 मनडेटरी एयर इंडिया टिकटों का उपयोग किया।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (हिन्दी)

4186. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर हिन्दी भाषी राज्यों को मैट्रिकोत्तर हिन्दी अध्ययन छात्रवृत्तियां देना जारी रखने पर निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक गैर हिन्दी भाषी राज्य को 1982-83 में कितनी सहायता अनुदान देने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : वर्ष 1982-83 के लिए 33 लाख रु० के बजट प्रावधान की व्यवस्था की गयी हैं। योजना के अन्तर्गत अलग-अलग राज्य के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। तथापि वर्ष के दौरान नई छात्रवृत्तियां देने के लिए और गत वर्षों में दी गई छात्रवृत्तियों के नवीकरण के लिए धन सम्बन्धी उनकी आवश्यकताएं प्राप्त होने पर अनुदान मुक्त किया जाता है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वर्ष 1982-83 के लिए धन सम्बन्धी अपनी आवश्यकताएं भेजने के लिए पहले ही अनुरोध किया जा चुका है।

इण्डियन रेलवे सिगनल एण्ड टेलेकाम स्टाफ एसोसियेशन, ईस्टर्न रेलवे, आसनसोल द्वारा अभ्यावेदन

4187. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन रेलवे सिगनल एंड टेलेकाम स्टाफ एसोसिएशन, ईस्टर्न रेलवे, आसनसोल डिवीजन से दिनांक 6 फरवरी, 1982 का कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो एसोसिएशन की क्या मांगें हैं;

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाये गए हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : भारतीय रेलवे सिगनल और दूरसंचार कर्मचारी एसोसिएशन, आसनसोल, जो एक गैर-मान्यता प्राप्त यूनियन है, ने नाजुक उपस्करों को देखते हुए उचित कार्य विश्लेषण, समुचित सामग्री की सप्लाई और 8 घटे की ड्यूटी आदि जैसी सामान्य मांगें की हैं।

सरकार की नीति के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त इस प्रकार की मांगों पर मौजूदा नियमों के अन्तर्गत तथा वित्तीय तंगियों के बावजूद यथा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। सिगनल और दूरसंचार कर्मचारी एसोसिएशन की मांगों पर भी इसी नीति के अनुसार विचार किया गया है और उपयुक्त कार्रवाई की गयी है।

हमीरपुर में केन्द्रीय विद्यालय

4188. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री वर्ष 1982-83 के दौरान नए केन्द्रीय विद्यालयों के बारे में 8 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या में 80 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय की भी मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख को मंजूर किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक मंजूर किया जाएगा और विलंब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को हिमाचल प्रदेश सरकार से हमीरपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार से भूमि और भवन इत्यादि जैसी अपेक्षित भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए अनुरोध किया गया है। इस प्रस्ताव पर आगे तभी विचार किया जाएगा जब राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी।

आल इंडिया रेलवे एम्पलाईज कानफैडरेशन, वेस्टर्न जोन, बम्बई की मांगें

4189. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया रेलवे एम्पलाईज कानफेडरेशन वेस्टर्न जोन, बम्बई की ओर से दिनांक 19 मई, 1982 का एक पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई, और

(घ) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आल इंडिया रेलवे एम्पलाईज कानफेडरेशन, वेस्टर्न जोन, बम्बई से दिनांक 19 मई, 1982 का कोई पत्र प्राप्त नहीं होता।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

पी० टी० ए० निधि के लिए अंशदान की सीमा

4190. **श्री भीखा भाई** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में पी० टी० ए० निधि के लिए विद्यार्थियों द्वारा वार्षिक अंशदान की दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विचार है;

(ख) पी० टी० ए० की निधियों को विनियमित करने के लिए तथा इन स्कूलों में इस फोरम के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या स्कूलों में विद्यार्थी निधियों के समान पी० टी० ए० निधियों की भी केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार अथवा किसी अन्य विभागीय लेखा परीक्षा एजेंसी से लेखा परीक्षा कराने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं। वार्षिक चन्दे की दर के सम्बन्ध में सम्बन्धित अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा अपनी महासभा बैठक में पारित किए गए संकल्प के माध्यम से निर्णय लिया जाता है।

(ख) और (ग) : दिल्ली प्रशासन ने अभिभावक शिक्षक संघ की निधियों के संचालन के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं जारी की हैं और इनकी लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा नियमावली के अन्तर्गत सनदी लेखपाल द्वारा की जा सकती है।

छात्र निधि के लिए समिति

4191. **श्री भीखा भाई :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के पूर्वी जिला के अधीन उच्चतर माध्यमिक सहायता प्राप्त उन स्कूलों के नाम एवं पते क्या हैं जिनमें 1 मई, 1982 के दिन छात्र निधियों में शेष राशि 25000 रु० से अधिक थी;

(ख) पूर्वी जिले के अधीन उन उच्चतर माध्यमिक सहायता प्राप्त स्कूलों के नाम एवं पते क्या हैं जिनमें एक जनवरी 1982 को शेष राशियां, 10,000 रु० से कम थी;

(ग) इन स्कूलों में शेष राशियों में इतना अधिक अन्तर होने के क्या कारण हैं;

(घ) ब्यौरेवार व कौन-कौन से प्रयोजन हैं जिनके लिए छात्र निधि को उपयोग में लाया जा सकता है; और

(ङ) क्या इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक सहायता प्राप्त स्कूल में प्रिंसीपल की सहायता एवं उसको सलाह देने के लिए एक समिति का गठन करना निर्धारित करने का विचार है और क्या उक्त समिति में प्रबन्धकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) सूची विवरण-2 के रूप में संलग्न है।

(ग) इन भिन्नताओं का कारण, कम नामांकन अथवा कुल नामांकन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का उच्च अनुपात हो सकता है जिन्हें छात्र निधि में अंशदान न देने की छूट है।

(घ) निधियों का प्रयोग स्कूल में निम्नलिखित कार्यकलाप आयोजित करने के लिए किया जाता है :—

(1) खेल तथा खेलकूद

(2) स्काउटिंग तथा रैड क्रास

(3) चिकित्सा सेवाएं

(4) भ्रमण

(5) परीक्षा

(6) श्रव्य दृश्य सामग्री की खरीद

(7) सांस्कृतिक कार्यकलाप

(8) वाचनालय और पुस्तकालय

(9) निर्धन निधि

(ङ) दिल्ली स्कूल शिक्षा, नियमावली, 1973 के नियम 171 में ऐसी व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है।

विवरण-1

उन स्कूलों की सूची जहां छात्र बकाया निधि 25 हजार रुपए से अधिक है

1. वाणिज्यिक सीनियर माध्यमिक स्कूल, 24 दरियागंज, दिल्ली-
2. गुरु नानक सीनियर माध्यमिक स्कूल, गांधी नगर, दिल्ली।
3. जैन कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल, कर्मपुरा, दिल्ली।
4. बी० एम० रस्तोगी कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल, चांदनी चौक, दिल्ली।
5. आन्ध्र एजुकेशन सोसाइटी, सीनियर माध्यमिक स्कूल, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली।
6. हरकोर्ट बटलर सीनियर माध्यमिक स्कूल, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली।

विवरण-2

उन स्कूलों की सूची जहां छात्र बकाया निधि 10,000 रुपये से कम है।

1. एस० के० खालसा सीनियर माध्यमिक स्कूल, दरियागंज, दिल्ली।
2. बी० डी० आर्य कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल, बजार सीताराम, दिल्ली
3. फ्रसिस कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल, 17 दरियागंज दिल्ली।
4. डी ए वी सीनियर माध्यमिक स्कूल, दरियागंज, नई दिल्ली।
5. रायजस कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल, दरियागंज, नई दिल्ली।
6. मुखर्जी स्मारक बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, शाहदरा, दिल्ली-
7. मोतीराम कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल, शाहदरा, दिल्ली।
8. एस डी सीनियर माध्यमिक स्कूल शाहदरा, दिल्ली।
9. डी ए वी सीनियर माध्यमिक स्कूल नं० 1, गांधी नगर, दिल्ली।
10. डी ए वी सीनियर माध्यमिक स्कूल नं०-2 शंकर नगर, दिल्ली।
11. आर ए गीता सीनियर माध्यमिक स्कूल, शंकर नगर, दिल्ली।
12. रतन देवी सीनियर माध्यमिक स्कूल, कृष्ण नगर, दिल्ली।

13. एल एन सरस्वती कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल, कटरानील, चांदनी चौक, दिल्ली।
14. जैन सरस्वती वाणिज्यिक सीनियर माध्यमिक स्कूल, कूचासेठ, दिल्ली।
15. दीनदयाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, नया बांस, दिल्ली।
16. एस जी टी बी कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल, चांदनी चौक, दिल्ली।
17. आई पी हिन्दू कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल, जामामस्जिद दिल्ली।
18. राय सिन्हा बंगाली सीनियर माध्यमिक स्कूल, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली।
19. एस जी एच के कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल, बंगला साहिब, नई दिल्ली।
20. खालसा कन्या चूना मन्दिर, नई दिल्ली।
21. बी टी ई ए सीनियर माध्यमिक स्कूल, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली
22. यूनियन अकादमी सीनियर माध्यमिक स्कूल, राजाबजार, नई दिल्ली।
23. रामजस सीनियर माध्यमिक स्कूल, चित्रगुप्त रोड, नई दिल्ली।
24. जैन सामूनासपासक सदर बजार, दिल्ली।
25. जे वी एस डी कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल, लिंक रोड, नई दिल्ली।
26 नवशक्ति, पहाड़गंज, नई दिल्ली।
27. क्वीन मेरी, तीस हजारी दिल्ली।
28. एच एल जैन सदर बजार, दिल्ली।
29. शापिक स्मारक बाड़ा हिन्दूराव, दिल्ली।
30. एस डी हरि मंदिर, नवीकरीम, दिल्ली।
31. सैंट, एंथोनी, पहाड़गंज, नई दिल्ली।
32. विद्या ज्ञान मन्दिर, पहाड़ी धीरज, दिल्ली।

पद-निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जाना

4192. **श्री भीखा भाई** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के पूर्वी जिला के अधीन सहायता प्राप्त स्कूलों के सम्बन्ध में शैक्षिक वर्ष 1982-83 के पद-निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और स्कूलों को प्रेषित किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो पद निर्धारण को अन्तिम रूप कब दिया जाएगा;

(ग) पिछले तीन वर्षों से पद निर्धारण को अन्तिम रूप दिए जाने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सहायता प्राप्त स्कूलों के सम्बन्ध में पद निर्धारण कार्य को प्रति वर्ष जुलाई-अगस्त तक अन्तिम रूप दिया जाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं जैसा कि पहले किया जाता था ताकि अध्यापकों के स्वीकृत रिक्त पद समय पर भरे जायें जिससे छात्रों के अध्ययन को हानि न पहुँचे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पूर्वी जिले के निम्नलिखित

स्कूलों के अलावा, सभी स्कूलों में पद निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जा चुका है :

(1) विद्या-ज्ञान मंदिर स्कूल, पहाड़ी धीरज, दिल्ली; और

(2) रामजस नं• 1, दरिया गंज, दिल्ली ।

इन स्कूलों के प्रबन्धकों ने पूरी सूचना नहीं भेजी । उनसे सूचना शीघ्र भेजने के लिए कहा गया है ताकि पद-निर्धारण को यथा शीघ्र अन्तिम रूप दिया जा सके ।

(ग) पिछले वर्षों के लिए पद-निर्धारण प्रत्येक वर्ष पहली सितम्बर की स्थिति के अनुसार वास्तविक दाखिले के आधार पर किया गया था । इसके अलावा, पद-निर्धारण के मानदंडों को अन्तिम रूप बाद में दिया गया था ।

(घ) इस वर्ष 14.5.1982 तक के दाखिले की स्थिति के अनुसार, कक्षा XI को छोड़कर, विचार किया गया था । यह, दाखिला-योजना के आधार पर किया गया था । पद-निर्धारण को जुलाई के अन्त तक अन्तिम रूप दे दिया गया था तथा अन्तिम पद-निर्धारण 1 सितम्बर की स्थिति के अनुसार वास्तविक दाखिला के आधार पर होगा ।

इडुकी जिले को रेल लाइन से जोड़ना

4193. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : केरल के जिला इडुकी को रेल लाइन से जोड़ने के सम्बन्ध में यदि कोई प्रगति हुई हो तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मदुरई-बोदिनायककनूर मीटर लाइन खंड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करना और कोचीन और बोदिनायककनूर के बीच एक बड़ी लाइन का निर्माण करने के लिए 1982-83 के बजट में एक सर्वेक्षण शामिल कर लिया गया है । केरल के इडुक्की जिला को इस लाइन के साथ जोड़ने के प्रश्न पर लाइन के सर्वेक्षण दल द्वारा जांच की जायेगी ।

मुगलसराय में ठेकेदार के अधीन कार्य कर रहे पार्सल श्रमिक

4194. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 250 पार्सल श्रमिकों ने 1 अक्तूबर, 1977 से 26 अगस्त, 1978 के दौरान रेलवे के अधीन मुगलसराय में 236 दिन कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन दिनों उन्हें एक ठेकेदार के अधीन कार्य करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें रेलवे में स्थाई न किए जाने के कारण है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उनके संगठन ने तत्कालीन रेल मंत्री को 9 दिसम्बर, 1980 को एक ज्ञापन भेजा था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिगनल और दूर-संचार कर्मचारियों के लिए अवकाश आरक्षित (लीव रिजर्व) कर्मचारियों का अनुपात

4195. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगनल और दूरसंचार कर्मचारियों के लिए ग्रेड-वार अवकाश आरक्षित (लीव रिजर्व) कर्मचारियों का निर्धारित अनुपात कितना है,

(ख) प्रत्येक ट्रेड में, रेलवे वार कर्मचारियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक रेलवे उनके लिए ग्रेडवार कितने अवकाश आरक्षित पद रखे जाते हैं; और

(ग) यदि कर्मचारी अपेक्षित संख्या से कम हैं तो उन रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निरीक्षण/पर्यवेक्षण कर्मचारियों तथा श्रेणी तीन और चार के ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें सुचारु और कुशलता-पूर्वक कार्य संचलन हेतु थोड़ी अवधि के लिए बदलना आवश्यक होता है, के लिए 15 से 25 प्रतिशत तक और कार्यालय लिपिकों, कारखाने में कार्य करने वाले कर्मचारियों और ऐसे अन्य कर्मचारियों, (श्रेणी तीन और कुशल) जिन्हें थोड़े समय के लिए बदलने की आवश्यकता नहीं होती, के लिए 12.5 प्रतिशत तक एवजी कर्मचारी रखे जाते हैं।

(ख) सम्भवतः इसका आशय श्री रामावतार शास्त्री द्वारा 5 क्षेत्रीय रेलों के लिए एवजियों के सम्बन्ध में पहले पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 9125 से है जिसका उत्तर लोक सभा में 22,4.82 को दिया गया था तदनुसार एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस कमी को शीघ्र ही पूरा किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

रेलवे	सिगनल और दूर संचार विभाग में एवजी कर्मचारी			
	प्रत्येक ग्रेड में कार्यरत एवजी कर्मचारियों की संख्या		निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार आवश्यकता	कमी, यदि कोई हो
	ग्रेड	पदों की संख्या		
पूर्व उत्तर	425-700 रु०	37	37	—
	425-700 ,,	48	52	4
	380-560 ,,	62	66	4
	330-480 ,,	29	29	—
	260-400 ,,	169	171	2
	210-290 ,,	90	117	27
	200-250 ,,	40	48	8
	196-232 ,,	191	191	—

1	2	3	4	5
पूर्वोत्तर	445-700 ,,	11	11	—
	380-560 ,,	15	15	—
	330-560 ,,	13	13	—
	330-480 ,,	11	11	—
	260-430 ,,	8	8	—
	260-400 ,,	366	366	—
	250-400 ,,	2	2	—
	210-290 ,,	52	52	—
	200-240 ,,	14	14	—
	196-232 ,,	259	259	—
पूर्वोत्तर सीमा	380-560 ,,	14	14	—
	330-350 ,,	25	25	—
	330-480 ,,	10	10	—
	260-400 ,,	67	67	—
	210-290 ,,	19	19	—
	200-250 ,,	15	15	—
	196-232 ,,	114	114	—
पश्चिम	425-700 ,,	52	61	9
	380-560 ,,	34	37	3
	330-560 ,,	9	9	—
	330-480 ,,	30	31	1
	260-400 ,,	147	166	19
	210-290 ,,	12	12	—
	196-232 ,,	385	433	48

सिगनल तथा दूरसंचार विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति

4196. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगनल और दूर-संचार विभाग के अनुरक्षण और सिगनल तथा दूर संचार निरीक्षकों के विभिन्न ग्रेडों की ड्यूटी सूची क्या है;

(ख) क्या सिगनल तथा दूर-संचार विभाग में विभिन्न ग्रेडों के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई मानदण्ड है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निरीक्षकों तथा अनुरक्षकों की ड्यूटियां संलग्न विवरण में दिखाई गई हैं ।

(ख) जी हां।

(ग) पर्यवेक्षी सिगनल निरीक्षकों के लिए मानदण्ड विद्यमान हैं, जो सभी रेलों पर लागू है। जहां तक कनिष्ठ ग्रेड/सेक्शनल सिगनल निरीक्षकों और सिगनल अनुरक्षकों (यांत्रिक अथवा बिजली) का सम्बन्ध है, प्रत्येक रेलवे पर अपने-अपने मानदण्ड हैं जो स्थानीय परिस्थितियों, यातायात के घनत्व और उपस्कर की किस्म पर निर्भर करते हैं।

सूक्ष्म तरंग उपस्कर के अनुरक्षण के लिए मानदण्ड वही है जो कि सभी रेलों पर दूर-संचार कर्मचारियों और निरीक्षकों के लिए लागू है। रेलवे विद्युतीकरण क्षेत्र में दूर संचार उपस्करों के अनुरक्षण के मानदण्ड का मामला विचाराधीन है।

विवरण

सिगनल और दूरसंचार विभाग के सिगनल, दूरसंचार निरीक्षकों तथा अनुरक्षकों के विभिन्न ग्रेडों की ड्यूटी सूची

1. सिगनल निरीक्षक ग्रेड 1, 2 और 3

भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी नियमावली के अनुसार, रेलवे पर सिगनल-उपस्करों/संस्थापनाओं की स्थापना तथा अनुरक्षण।

2. दूर संचार निरीक्षक ग्रेड 1, 2 और 3

भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी नियमावली तथा भारतीय रेल दूरसंचार नियमावली के अनुसार, रेलवे पर बेतार उपस्करों/संस्थापनाओं की स्थापना तथा अनुरक्षण।

3. अनुरक्षण

1. यांत्रिक सिगनल अनुरक्षक ग्रेड 1, 2 और 3

भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी नियमावली के अनुसार, रेलों पर यांत्रिक सिगनल उपस्करों/संस्थापनाओं की स्थापना तथा अनुरक्षण।

2. बिजली सिगनल अनुरक्षक ग्रेड 1, 2 और 3

भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी नियमावली के अनुसार है, रेलों पर बिजली सिगनल उपस्करों/संस्थापनाओं की स्थापना तथा अनुरक्षण।

3. दूर संचार अनुरक्षक/बेतार अनुरक्षक ग्रेड 1, 2 और 3

भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी नियमावली और भारतीय रेल दूर संचार नियमावली के अनुसार, रेलों पर दूर संचार, बेतार और सूक्ष्मतरंग उपस्करों/संस्थापनाओं की स्थापना और अनुरक्षण।

सिगनल निरीक्षको के ग्रेड में सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मचारी

श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे सिगनल निरीक्षकों के संवर्ग में 1957 से, प्रत्येक वर्ष, कितने कर्मचारी सीधे भर्ती किए गए और कितने पदोन्नति किए गए ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दुर्ग और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल सम्पर्क

4198. श्री ई० बालानन्द : क्या रेल यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केरल वासियों तथा दुर्ग भिलाई में रह रहे दक्षिण भारतीय लोगों की मांग पूरी करने के लिए दुर्ग और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधा रेल सम्पर्क शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : दुर्ग और तिरुवनन्तपुरम के बीच रेल सम्पर्क उपलब्ध है, यद्यपि इन दोनों स्थलों के बीच कोई सीधी गाड़ी उपलब्ध नहीं है। दुर्ग और तिरुवनन्तपुरम के बीच सीधी गाड़ी चलाना अथवा अ्र सेवा यान शुरू करना यातायात एवं परिचालनिक कारणों से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तथापि, भिलाई/दुर्ग के यात्रियों की सुविधा के लिए केरल एक्सप्रेस में जलयुक्त कोटा निर्धारित करने पर विचार किया है तथा औचित्यपूर्ण पाये जाने पर इस पर कार्यवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय स्मारकों को प्रदूषण से संरक्षण

4199. श्री नवीन रवाणी : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पुराने मंदिरों, गिरजा घरों और यहूदी समागारों जैसे उन राष्ट्रीय स्मारकों की संख्या कितनी है जिनका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है;

(ख) उनके संरक्षण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और किए गए कार्य का ब्योरा क्या है; और

(ग) उन्हें प्रदूषण से कैसे बचाया जाता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) अधिसूचनाओं की प्रविष्टियों (कुछ मामलों में एक ही प्रविष्टि में संस्मारकों के समूह में अधिक संख्या में सुरक्षित स्मारक सम्मिलित है) के अनुसार राज्यवार केन्द्रीय सुरक्षित संस्मारक और स्थल निम्नलिखित है :

1. आंध्र प्रदेश	133
2. असम	51
3. अरुणाचल प्रदेश	3
4. बिहार	76
5. दिल्ली	161
6. गोआ, दमन और दीव	29
7. गुजरात	191
8. हरियाणा	85

9. हिमाचल प्रदेश	32
10. जम्मू और कश्मीर	59
11. केरल	27
12. कर्नाटक	500
13. मध्य प्रदेश	317
14. महाराष्ट्र	281
15. मेघालय	8
16. मणिपुर	1
17. नागालैंड	4
18. उड़ीसा	65
19. पांडिचेरी	8
20. पंजाब	24
21. राजस्थान	150
22. तमिलनाडु	399
23. त्रिपुरा	4
24. उत्तर प्रदेश	771
25. पश्चिमी बंगाल	109

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र परिरक्षित संस्मारकों और स्थलों की विशेष मरम्मतों, वार्षिक मरम्मतों और रखरखाव के लिए 145.52 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। प्राचीन संस्मारकों का सुरक्षण एक अनवरत प्रक्रिया है और परिरक्षण कार्य में मुख्य रूप से पिलाई, भराई, टीपकारी, जलरोधन आदि तथा रासायनिक उपचार द्वारा संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण सम्मिलित है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा रासायनिक उपचार का कार्य जहां आवश्यक होता है, वहां कराया जाता है।

1981 में साक्षरता का प्रतिशत

4200. श्री नवीन रवाणी : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981 में देश में साक्षरता कितने प्रतिशत थी और इसके वर्ष 1971 के आंकड़े क्या थे;

(ख) जिन राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत स्तर से नीचे है उन के क्या नाम हैं; और

(ग) उन राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में (असम को छोड़कर) साक्षरता की अस्थाई

दर 36.03 प्रतिशत है। 1971 में साक्षरता की प्रतिशतता 29.45 थी।

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार जिन राज्यों में साक्षरता की प्रतिशतता देश की साक्षरता की दर से कम है वे निम्नलिखित है :—

1. आन्ध्र प्रदेश, 2. बिहार, 3. हरियाणा, 4. जम्मू और काश्मीर, 5. मध्य प्रदेश, 6. मेघालय, 7. उड़ीसा, 8. राजस्थान, 9. सिक्किम और 10. उत्तर प्रदेश।

(ग) असमानताओं को दूर करने के लिए उठाए गए विशेष कदम इस प्रकार हैं :

(1) प्रारम्भिक शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा सहित) को छठी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग बना दिया गया है।

(2) 6-14 आयु-वर्ग के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यापकता के प्रसार और प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन को नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(3) प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(4) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना और राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय औसत से नीचे साक्षरता की दर वाले जिलों/क्षेत्रों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है।

दिल्ली प्रशासन में प्रिंसिपल और वाइसप्रिंसिपल के पदों के लिए आरक्षण

4201. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन में प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है;

(ख) यदि हां, तो क्या आरक्षित पदों को दो हिस्सों में यानी पुरुष और महिला उम्मीदवारों में बांटा गया है और महिला उम्मीदवार न मिलने पर इन पदों पर उपलब्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पुरुष उम्मीदवारों को पदोन्नत नहीं किया जाता और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को पदोन्नत कर दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार कब तक इन चीजों को ठीक करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : दिल्ली प्रशासन, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आरक्षण 40-प्वाइन्ट माडल रोस्टर के अनुसार प्रदान करता है। महिला वर्ग में पात्र उत्तर-स्नातक शिक्षक उपलब्ध नहीं थे, अतः दिल्ली प्रशासन ने महिला उत्तर-स्नातक शिक्षकों (प्रशासनिक-काडर,

सामान्य) को उप-प्राधानाचार्यों के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त किया था। जैसे ही महिला उत्तर-स्नातक शिक्षक (अनुसूचित जाति) उपलब्ध हो जायेंगे, इन पदों पर उनकी नियुक्ति कर दी जायेंगी। उप-प्रधानाचार्यों तथा प्रधानाचार्यों के पद दो श्रेणियों अर्थात् पुरुष तथा महिला के अन्तर्गत विभाजित किए गए हैं उप प्रधानाचार्यों के पद पर महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति) के स्थान पर पुरुष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति) को पदोन्नत नहीं किया जा सकता।

केरल में राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में घोषित मन्दिर

4202. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र केरल में लगभग 100 पुराने मन्दिरों, गिरजाघरों और यहूदी सभाघरों को "राष्ट्रीय स्मारक" के रूप में घोषित करने हेतु विचार कर रहा है, जिनका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) अन्य राज्यों में ऐसे स्मारकों की राज्यवार, संख्या कितनी है जिनका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है; और

(घ) इन स्मारकों के संरक्षण के लिए कितना वार्षिक प्रावधान किया जाता है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) : केरल राज्य में अवस्थित उन प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों की सूची विवरण रूप में संलग्न है जो प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के रूप में केन्द्रीय परिरक्षण के लिए उनकी महत्ता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से परीक्षणाधीन हैं।

(ग) अधिसूचनाओं की प्रविष्टियों (कुछ मामलों में एक ही प्रविष्टि के संस्मारकों के समूह में अधिक संख्या में सुरक्षित स्मारक सम्मिलित है) के अनुसार राज्यवार केन्द्रीय सुरक्षित संस्मारक और स्थल निम्नलिखित है :—

1. आंध्र प्रदेश	133
2. असम	51
3. अरुणाचल प्रदेश	3
4. बिहार	76
5. दिल्ली	161
6. गोआ, दमन और दीव	29
7. गुजरात	191
8. हरियाणा	85
9. हिमाचल प्रदेश	32

10. जम्मू और कश्मीर	59
11. केरल	27
12. कर्नाटक	500
13. मध्य प्रदेश	317
14. महाराष्ट्र	281
15. मेघालय	8
16. मणिपुर	1
17. नागालैंड	4
18. उड़ीसा	65
19. पांडिचेरी	8
20. पंजाब	24
21. राजस्थान	150
22. तमिलनाडु	399
23. त्रिपुरा	4
24. उत्तर प्रदेश	771
25. पश्चिमी बंगाल	109

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सुरक्षित संस्मारकों/स्थलों के रख-रखाव, वार्षिक मरम्मत और विशेष मरम्मत कार्यों के लिए 145.52 लाख रुपये अलग से निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

सुरक्षण हेतु विचार-विमर्श के लिए स्मारकों की सूची

1. श्री भगवती मन्दिर, मरणीकाव्य, जिला अल्लेप्पी।
2. विष्णु मन्दिर, थन्नीरमुक्कम, अल्लेप्पी जिला।
3. एट्टुमनुर महादेवर मन्दिर, एट्टुमन्नूर।
4. वैकोम महादेवर मन्दिर, वैकोम।
5. सस्थ मन्दिर, ऐमनम।
6. मुलनथुरुथी चर्च, एर्नाकुलुम जिला।
7. जुइश स्थनगोग्यू, मट्टनचेरी, कोचीन।
8. गुइश स्थनगोग्यू, एर्नाकुलम।
9. कंजुर चर्च, कंजुर, एर्नाकुलम।
10. पशूर महादेवर मन्दिर, एर्नाकुलम जिला।
11. त्रिपुनीथुर मन्दिर का पश्चिमी गोपुरम।
12. कडमट्टोम चर्च, मुवत्तुपुश, एर्नाकुलम जिला।
13. नयथोडे शिव मन्दिर, एर्नाकुलम जिला।

14. चुड्डुवलथुर शिव मन्दिर, शोर्नूर, पालघाट जिला ।
15. चेक्कट्टुपुलम मन्दिर, वनियाकुलम, पालघाट जिला ।
16. पेरमन्गलम मन्दिर-पट्टम्बी, पालघाट जिला ।
17. थली शिव मन्दिर, ओगल्लुर, पालघाट जिला ।
18. थिरुवेन्गपुर मन्दिर, पालघाट जिला ।
19. थिरुमिट्टकोड मन्दिर, पालघाट जिला ।
20. शिव मन्दिर, ओनन्देश्वरम, पेरिनाडु, क्यूलोन जिला ।
21. विष्णु मन्दिर, रामपुरम, क्यूलोन जिला ।
22. विष्णु मन्दिर, थिरुवल्ल ।

एशियाड के लिए खेल के सामान का मूल्य

4203. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में एशियाई खेल के लिए आवश्यक खेलों के सामान का मूल्य अनुमानतः कितना है ।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : पटियाला स्थित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, नवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति की आवश्यकताओं के अनुसार एशियाई खेल, 1982 के लिए खेल सामग्री प्राप्त करने वाली एजेंसी है । संस्थान ने सूचित किया है कि खेलों के आयोजन के लिए आवश्यक खेल सामग्रियों की अनुमानित लागत लगभग 160 लाख रुपये है । इसमें खेलों के संबंध में उपहार के रूप में प्राप्त होने वाली लगभग 15 लाख रुपये की कीमत की खेलों की सामग्री शामिल नहीं है ।

बारबारा रेलवे स्टीमर सेवा

4204. **श्री समीनुद्दीन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के जिला भागलपुर में बाराटी-महादेवपुर घाट पर गंगा में बारबारा रेलवे स्टीमर सेवा को 11 मार्च, 1982 से रद्द कर दिया गया है और क्या एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है और इस स्टीमर सेवा को पुनः शुरू करने के लिए उन्हें एक ज्ञापन दिया है,

(ख) क्या इस सेवा को रद्द किए जाने के कारण बिहार के जिला भागलपुर, संथाल परगना, कटिहार, मेघपुरा और सहरसा के यात्रियों को भारी कठिनाई हो रही है,

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे के कर्मचारियों और चिकित्सक तथा स्टीमर की सेवाओं को भी धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है, और

(घ) क्या सरकार बारबारा स्टीमर सेवा को रद्द किए जाने के कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय स्तर पर कोई जाँच करेगी तथा इस सेवा को पुनः शुरू करेगी अथवा महेन्द्रु घाट के किसी भी स्टीमर को लगाकर बाराटी महादेवपुर स्टीमर सेवा को पुनः शुरू करेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और

(घ) : बरारी घाट-महादेवपुर घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच चलने वाली घाट उतराई सेवा को 11.3.82 से रद्द कर दिया गया था। इस सेवा में लगे बारबारा स्टीमर जिसने अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया था, को समाप्त करना पड़ा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, पहलेजा घाट-महेन्द्रु घाट के बीच घाट उतराई सेवा में उपयोग किये जा रहे जलयानों में एक को स्थानांतरित करके उक्त घाट उतराई सेवा को फिर से शुरू करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं, चूंकि राज्य सरकार के लाइसेन्स से घाट उतराई सेवायें चल रही हैं और ये सेवायें यात्री यातायात के लिए पर्याप्त हैं।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली जंक्शन पर कुलियों की भर्ती में कथित अनियमिततायें

4204. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली जंक्शन पर लाइसेंस धारी कुलियों की भर्ती और लाइसेंस-प्राप्त बिल्लों के बदले जाने के मामलों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की जा रही हैं और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है,

(ख) क्या उन्होंने इन अनियमितताओं की जांच करने के लिए दो वर्ष पूर्व आदेश दिया था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला,

(ग) क्या इस मामले में जिला अधिकारियों और सी० बी० आई० के माध्यम से जांच का आदेश दिया गया था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और क्या जांच-रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी, और

(घ) क्या कुलियों के किसी संगठन ने इस मामले को उनके समक्ष उठाया है और यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) : भारिकों के एक संगठन की ओर से प्राप्त शिकायत जिस में उन्होंने लाइसेंसधारी भारिकों के चयन/भर्ती और लाइसेन्स धारी भारिकों के बैजों का हस्तांतरण करने के आरोप लगाये गये थे, की विस्तृत रूप से जांच पड़ताल की गयी थी। भारिकों के चयन/भर्ती में अनियमितताओं के बारे में की गई शिकायत सिद्ध नहीं हुई थी। किन्तु जांच पड़ताल के दौरान यह संदेह हुआ था कि भारिकों द्वारा बैजों के हस्तांतरण के कुछ मामलों में उनके द्वारा झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए होंगे। चूंकि इन मामलों में बाहरी व्यक्तियों के सम्मिलित होने का संदेह था, इसलिए केंद्रीय जांच ब्यूरों से जांच पड़ताल करने का अनुरोध किया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

एशियाड सम्बन्धी निर्माण कार्यों को पूरा करना

4206. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड के लिए होटलों तथा अन्य इमारतों के निर्माण के लिए कितने प्राइवेट लोगों को रियायती दर पर सीमेंट सप्लाई किया गया है;

(ख) क्या उसका 75 प्रतिशत कार्य हो चुका है, और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करवाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) सीमेंट नियन्त्रक द्वारा एशियाई खेल, 1982 के सम्बन्ध में निजी व्यक्तियों को कोई सीमेंट नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) सभी एशियाई परियोजनाएं खेलों के लिए समय रहते पूरे हो जाने की आशा है।

एशियाड-82 के लिए बसें बनाने का ठेका

4208. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री एन. ई. होरो : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एशियाड-82 के लिए कितनी बसों की जरूरत है,

(ख) क्या एशियाड-82 के लिए बसें बनाने का ठेका महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के डापोडी सेंट्रल वर्कशाप को दिया गया है,

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और अब तक कितनी बसें बनाई गई है, और

(घ) समय पर और निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार अपेक्षित संख्या में बसें बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) (क) विदेशी दलों और स्पेशल आर्गनाइजिंग कमेटी की खेल अधिकारियों के प्रयोग के लिए 450 बसों की आवश्यकता है।

(ख) से (घ) विभिन्न टीमों के दलों के प्रयोग के लिए 200 बसें महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम से भाड़े पर ली जा रही हैं। 30 जून 1982 की स्थिति के अनुसार 153 बसें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इन बसों के निर्माण में प्रगति के बारे में स्पेशल आरगनाइजिंग कमेटी की परिवहन प्रबन्ध समिति द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट के आधार पर नियंत्रण रखा जा रहा है। इनकी विशिष्टियों के बारे में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम भी जाँच करता है।

रेलवे द्वारा नालों की सफाई पर किया गया व्यय

4209 **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय नगरपालिका क्षेत्र से गुजरकर गंगा नदी में गिरने वाले रेलवे नाले

की सफाई और रख-रखाव के लिए 50 प्रतिशत खर्च उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और 50 प्रतिशत रेलवे विभाग द्वारा किया जाता है,

(ख) क्या यह सच है कि मुगलसराय नगरपालिका द्वारा न तो इस नाले को साफ किया जाता है और न ही इसकी मरम्मत की जाती है तथा मुगल सराय नगर पालिका के अधिकारी प्रत्येक वर्ष लाखों रु० की घोखाधड़ी करते हैं, और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस नाले की सफाई तथा मरम्मत के लिए रेलवे विभाग तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर-पालिका को प्रत्येक वर्ष कितनी धन राशि दी गई तथा सप्लाई और मरम्मत कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष खर्च की गई राशि का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (मल्लिकार्जुन) (क) नाली के अनुरक्षण और सफाई के लिए रेलवे द्वारा कोई आवर्ती रकम का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(ख) नाली की सफाई और अनुरक्षण की जिम्मेदारी नगरपालिका की है जिसकी नाली को साफ सुथरा रखने की कोशिश कारगर नहीं रही है जिसके फलस्वरूप नाली बार-बार बन्द हो जाती है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नकली दवाइयों के उत्पादन के स्रोत

4212. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नकली दवाइयों के उत्पादन के स्रोतों का पता लगा सकती है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई सरकारी प्रतिष्ठान भी इसमें अन्तग्रस्त हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) मिलावटी दवाइयाँ बनाना निश्चत ही एक चोरी का धन्धा है जिसे बिना लायसेंस वाले लोग करते हैं। नकली दवाइयाँ बनाने के अड्डों का पता लगाना पुलिस और राज्य औषध नियंत्रण अधिकारियों का काम है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने नकली दवाइयाँ बनाने वाले एक बिना लायसेंस शुदा कारखाने का पता लगाया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र में धर्म के कालम में 'हरिजन' शब्द

4213. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र में धर्म के कालम में 'हरिजन' शब्द के प्रयोग के बारे में कोई अनुदेश दिये हैं, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण एसोसियेशन (रजि०), अम्बेदकर भवन, नई दिल्ली की ओर से दिनांक 26 फरवरी, 1982 का कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र में धर्म के कालम में 'हरिजन' शब्द पर आपत्ति की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है, यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ग) : राज्य सरकारों/संघीय प्रशासनों और केन्द्रीय स्तर पर सभी संबंधित संगठनों से यह अनुरोध किया गया है कि वे सभी स्कूलों को यह निदेश जारी कर दे कि वे स्कूलछोड़िंग प्रमाण-पत्र में अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध उम्मीदवारों के मामलों में, धर्म वाले कालम में 'हरिजन' शब्द का, यदि कोई हो, प्रयोग न करें।

(ख) जी हां।

उड़ीसा में बोनाईगढ़ के निकट ब्राह्मणी नदी पर पुल

4214. **श्री अनादि चरण दास :**

श्री कृपासिंधु भोई : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तुमकेलाघाट (बोनाइगढ़) के निकट ब्राह्मणी नदी पर प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य कब शुरू होगा;

(ख) इस परियोजना की लागत कितनी है; और

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : तमोला घाट (बोनाइगढ़) के निकट ब्राह्मणी नदी के ऊपर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के शामिल किया गया है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार से संशोधित अनुमान की प्रतीक्षा की जा रही है अनुमान स्वीकृत होने के बाद काम शुरू किए जाने की सम्भावना है।

(ख) इस परियोजना पर 4.46 करोड़ रु० खर्च आने की सम्भावना है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

1982-83 के दौरान उड़ीसा को केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि का आवंटन

4215. **श्री अनादि चरण दास :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि (आवंटन) लेखा के अधीन उड़ीसा को कितना धन आवंटित किया गया है; और

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि (आवंटन) के अधीन उड़ीसा में चल रही तीन परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1982-83 के दौरान केन्द्रीय सड़क कोष (नियतन) लेखे से अब तक 30 लाख रुपये दिए गए है।

(ख) वस्तुत: नीचे लिखी चार परियोजनाओं पर काम हो रहा है और उनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार है, जैसा कि इन परियोजनाओं के कार्यों को करने वाली राज्य सरकार ने बताया है :—

क्र० सं०	कार्य का नाम	अद्यतन स्थिति
1.	पुरी कोणार्कमेराइन ड्राईव रोड	कार्य इस वर्ष पूरा होने की सम्भावना है।
2.	रा० रा० 5-क से उदयगिरि और रत्नागिरि की सड़क	कार्य हो रहा है और छठी योजना अवधि में पूरा होने की सम्भावना है।
3.	कटक-चान्दबाली रोड पर पटरापुर घाट के समीप ब्राह्मणी नदी के ऊपर पुल	कुओं की कंक्रीटिंग की जा रही है और परियोजना के चालू योजना अवधि में पूरी हो जाने की सम्भावना है।
4.	आरंगा-नवापारा रोड पर जोंक पुल	वैल-स्टीनिंग का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है और पुल का पहुँच मार्ग (मिट्टी कार्य) का काम भी लगभग पूरा हो गया है, सम्पूर्ण परियोजना के छठी योजना अवधि में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

उड़ीसा का सूर्य मन्दिर

4216. श्री अनादि चरण दास : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने सूर्य मन्दिर (कोणार्क), उड़ीसा के आस-पास की 26 एकड़ भूमि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां अब तक कोई कार्य किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) नये-अधिगृहीत क्षेत्र की सफाई और रास्ता बनाने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण-पूर्व एशिया सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

4217. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशिया सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैठक के लिए विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत को निमंत्रित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने उस सम्मेलन में भाग लिया था;

(ग) किन विषयों पर चर्चा की गई थी; और

(घ) क्या निर्णय किए गए थे।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

कुष्ठ रोगाश्रम तथा रोगियों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव

4218. **श्री हरीश रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में मिशनरियों द्वारा बनाए जा रहे कुष्ठ रोगाश्रमों की संख्या कितनी है और उनमें कुल कितने कुष्ठ रोगी हैं;

(ख) क्या सरकार इन रोगाश्रमों के रोगियों को इलाज और अन्य सुविधाओं के लिए 12 रुपये प्रति रोगी की दर से सहायता देती है;

(ग) क्या यह राशि पर्याप्त है, और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे बढ़ाकर 75 रुपये करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस राशि में वृद्धि कब तक कर दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) देश में मिशनरियों द्वारा लगभग 80 कुष्ठ रोगाश्रम चलाए जा रहे हैं लेकिन इसमें कुल कितने कुष्ठ रोगी हैं इसके बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) लगता है यह प्रति रोगी दिए जाने वाले अनुदान के बारे में है जो केवल राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

(ग) और (घ) यह विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है।

मुरादाबाद-रामनगर लाइन का विस्तार

4219. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मत्रालय का विचार मुरादाबाद-रामनगर बड़ी लाइन को मोहान औद्योगिक क्षेत्र, जो कि वहाँ से 13 किलोमीटर आगे है, तक बढ़ाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) मुरादाबाद-रामनगर मीटर लाईन (77.50 कि०मी०) का बड़ी लाईन में बदलाव का काम प्रगति पर है। मुरादाबाद-रामनगर लाईन का मोहान औद्योगिक क्षेत्र तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सर्वेक्षण चरण में रामनगर तक ही इसका बदलाव करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। अत: ऐसे भी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

जूनियर डाक्टरों की मांगें और उनका क्रियान्वयन

4220. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आल इंडिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर्स एसोसिएशन की माँग के बारे में अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6300 के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 1982 के प्रश्न भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में राज्य सरकारों को भेजी गई जूनियर डाक्टरों की माँगों पर राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है और यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है;

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धित माँगों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) जूनियर डाक्टरों की माँगों और उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अब तक की स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री त्री० शंकरानन्द) : (क) से (ग) : जैसा कि 1.4.82 को पूछे गए प्रश्न संख्या 6300 के उत्तर में बताया गया है, विभिन्न मांगों, खास कर ठोस किस्म की माँगों पर राज्य सरकारों द्वारा समुचित रूप से विचार करके निर्णय लिया जाना है। इस मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को लिखा था। राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों को इस बारे में फिर स्मरण कराया गया है।

राज्यों को परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान

4221. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिये राज्यों को अधिक अनुदानों के रूप में प्रोत्साहन देने की योजना घोषित की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए दिए गए प्रोत्साहनों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) राज्यों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए अधिक अनुदानों के रूप मे प्रोत्साहन देने की कोई योजना घोषित नहीं की गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राज्यपथों के निर्माण के लिए मंजूर हुई तथा उपयोग में लाई गई राशि

4222. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पांचवीं योजना की अवधि में राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के लिए नियत किया गया परिव्यय का एक बड़ा भाग अप्रयुक्त ही रह गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के अधूरे रह गए कार्य को पूरा करने हेतु नये सिरे से राशियों की मंजूरी दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो अब कितनी राशि मंजूर की जा रही है तथा कर्नाटक राज्य में क्या-क्या कार्य हाथ में लिए जायेंगे ;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं। बजट में किए गए प्रावधानों का पूरा-पूरा प्रयोग किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) जी, हाँ।

(घ) 1982-83 में कर्नाटक के राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए 700 लाख रुपये की राशि नियत की गई है, जिसमें से 406 लाख रुपये उन कार्यों के लिए हैं जो पिछली योजना में पूरे नहीं हो सके।

ईरान-इराक युद्ध समाप्त करने के लिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की बैठक

4223. एस. एम. कृष्ण :

श्री आर. पी. गायकवाड़ : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान-इराक युद्ध समाप्त करने के लिए हाल ही में जेनेवा में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के चार सदस्यीय मिशन की बैठक हुई थी,

(ख) उस बैठक में भारत का क्या सहयोग था; और

(ग) बैठक के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हाँ। यह बैठक 9 और 10 जुलाई को जेनेवा में हुई थी।

(ख) इसका मुख्य उद्देश्य ईरान-इराक युद्ध की गतिविधियों का जायजा लेकर यह तय करना था कि आगे क्या कार्यवाही की जाय। क्यूबा के विदेश मन्त्री ने वहाँ की स्थिति से अवगत कराया जो बैठक से कुछ सप्ताह पहले ही तेहरान और बगदाद का दौरा करके आए थे। समिति के चार सदस्यों ने जिनमें भारत भी शामिल था, युद्ध के सम्बन्ध में और लेबनान पर इस्रायली

आक्रमण के गम्भीर दुष्परिणामों के सम्बन्ध में तथा इसकी वजह से क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए बढ़े हुए खतरे के बारे में सामान्य विचार-विनिमय किया ।

(ग) तेजी से बदलती हुई युद्ध की स्थिति और समिति के कार्य के लिए इसके निहितार्थों पर नजदीक से निगाह रखते हुए मन्त्रिस्तरीय समिति ने निकट सम्पर्क बनाये रखने पर सहमति व्यक्त की और यह निर्णय किया कि फिलिस्तीन के प्रश्न पर निकोशिया में आयोजित 15 से 17 जुलाई, 1982 को गुटनिरपेक्ष देशों के आन्दोलन के समन्वय ब्यूरो की असाधारण मन्त्रिस्तरीय बैठक में वे फिर मिलेंगे ।

कपाली रोड हाल्ट का आरम्भ किया जाना

4224. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे की कपाली रोड पैसेन्जर हाल्ट के लिए किस विशिष्ट तारीख को स्वीकृति हुई थी,

(ख) इसे अब तक आरम्भ न किये जाने के क्या विशिष्ट कारण हैं, और

(ग) इसे कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकाजुन) : (क) 23 जुलाई, 1980

(ख) और (ग) : हाल्ट खोलने की स्वीकृति दे दी गयी थी वशर्ते स्थानीय लोगों द्वारा श्रमदान के माध्यम से मिट्टी सम्बन्धी कार्य किया जाये । राज्य सरकार के प्राधिकारियों को यह कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कहे जाने के बावजूद मिट्टी सम्बन्धी कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है । इस प्रकार, इसे चालू करने की सम्भावित तारीख बताना सम्भव नहीं है ।

दक्षिण पूर्वी रेलवे के मंजुरी रोड स्टेशन पर 37 अप/38 डाउन रेल गाड़ी को रोके जाने हेतु मांग

4225. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के मंजुरी रोड स्टेशन पर 37 अप/38 डाउन के रोके जाने हेतु कई वर्षों से आम जनता द्वारा निरन्तर मांग की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में मांग की जांच की गई थी, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : 37/38 हावड़ा-मद्रास जनता एक्सप्रेस को मंजुरी रोड स्टेशन पर ठहराने के बारे में कुछ दिन पूर्व एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । इसकी जांच कराई गयी है लेकिन यातायात की कमी के औचित्य को देखते हुए यह व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

रानीताल रेलवे स्टेशन पर मार्शलिंग यार्ड

4226. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के रानी ताल रेलवे स्टेशन पर भारतीय खाद्य निगम के डिपो को माल ढोने हेतु अभी तक कोई रेलवे मार्शलिंग यार्ड नहीं बनाया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसके विशिष्ट कारण क्या हैं, और

(ग) क्या इस स्टेशन पर एक उचित मार्शलिंग यार्ड के अभाव में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रानी-ताल में भारतीय खाद्य निगम डिपों के लिए किसी विन्यास यार्ड की आवश्यकता नहीं है। केवल वाहन खड़े करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की लागत पर एक लाइन का निर्माण करना अपेक्षित है।

(ख) 27.1.82 को भारतीय खाद्य निगम से वाहन खड़े करने की लाइन की लागत वहन करने का अनुरोध किया गया था लेकिन अभी तक उन्होंने अपने विनिश्चय के बारे में सूचित नहीं किया है।

(ग) जी नहीं।

राज्य द्वारा अन्तरवेंशीय छात्र दौरे शुरू करना

4227. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को देश में पिछले दो वर्षों के दौरान छात्रों के दौरे करवाने हेतु कोई धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को आवंटित धन के बारे में ब्योरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने इस धन का पूर्णतः उपयोग किया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या मार्ग निर्देश दिए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

बन्देल और भदरेश्वर के बीच तीसरी डाउन लाइन

4228. **प्रो० रूप चन्द्र पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के हावड़ा डिवीजन में बन्देल और भदरेश्वर के बीच तीसरी डाउन लाइन के निर्माण की संभाव्यता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसा सर्वेक्षण करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) तारकेश्वर शाखा सहित, शेबड़ा फुली और बडेल के बीच लाइन क्षमता की वृद्धि करने के लिए एक सर्वेक्षण बजट में शामिल कर लिया गया है और यह प्रगति पर है। सर्वेक्षण पर 10 प्रतिशत प्रगति हुई है। सर्वेक्षण कराये जाने और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच करने के बाद ही इस परियोजना पर निर्णय लिया जायेगा बशर्ते संसाधनों की स्थिति सुदृढ़ हो।

उल्टाडांगा रोड स्टेशन का विस्तार

4229. **प्रो० रूप चन्द्र पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में उल्टाडांगा रोड स्टेशन का, उसकी बढ़ती हुई महत्ता को देखते हुए, आधुनिका बनाने और उसका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर निकट भविष्य में विचार करेंगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और और (ख) : स्थान की परिस्थितियों के कारण उल्टाडांगा रोड की वर्तमान स्टेशन इमारत का विस्तार नहीं किया जा सकता। तथापि; अपेक्षाकृत एक बड़े बुकिंग कार्यालय और प्लेटफार्म नं० 4 की बगल में एक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। भविष्य में तैयार किए जाने वाले रेलवे के निर्माण कार्यक्रमों में से किसी एक में प्रस्ताव के बारे में विचार किया जायेगा। बशर्ते कि धन उपलब्ध हो और अन्य स्टेशनों पर इसी प्रकार के निर्माण कार्यों में से इसे सापेक्षिक अग्रता प्राप्त हो जाये।

कारुर-थिण्ड़क्कलन-तूतीकोरिन रेल लाइन

4230. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारुर-थिण्ड़क्कल-तूतीकोरिन बड़ी रेल लाइन के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ख) इस कार्य के पूरा होने में अनुमानत: कितना समय लगेगा ?

मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) करुर-दिण्डीगुल-तूतीकोरिन/तिरुनेबेली योजना पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए 50 लाख रुपये की लागत का एक तात्कालिक प्रमाण-पत्र जुलाई, 1981 में मंजुर किया गया था तथा कार्य प्रगति पर है। 1982-82 के दौरान इस कार्य के लिए 1.7 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

(ख) कार्य का समापन समय पर धन की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसलिए अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

मारटण्डम से कुझीथूराई तक पहुंच सड़क

4231. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी रेलवे लाइन, पर मारटण्डम जंक्शन से

कुभीथुराई रेलवे स्टेशन तक त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग से कोई सीधी पहुंच सड़क न होने के कारण यात्रियों द्वारा उठाई जाने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी है,

(ख) क्या सरकार का वहां पहुँच सड़क के लिए जनता, एसोसिएशनों और अन्य व्यक्तियों से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में लम्बे समय से चले आ रहे आन्दोलन और सत्याग्रह के बारे में भी जानकारी है, और

(घ) क्या सरकार इस प्रस्ताव के तेजी से क्रियान्यन करने हेतु तत्काल कदम उठायेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) : इस समय कुभीथुराई स्टेशन रेल पहुंच मार्ग द्वारा मुख्य जिला सड़क से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 47 से अलग हो गया है।

लोगों का एक वर्ग मारटण्डम सड़क जंकशन पर राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 47 से रेलवे स्टेशन तक एक दूसरे नये पहुँच मार्ग के लिए अनुरोध करता रहा है। यह प्रस्तावित मार्ग रेलवे की सीमा से सम्पूर्णत: बाहर होगा, तथा इसलिए इस कार्य को राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपनी लागत पर किया जाना है रेलें केवल रेलवे की सीमा के भीतर पहुँच मार्ग उपलब्ध कराती हैं।

स्थानीय लोगों के एक दूसरे वर्ग द्वारा दूसरा पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं क्योंकि इसमें वासभूमि और मन्दिर की भूमि का अधिग्रहण शामिल है।

सेथू समुद्रम परियोजना

4232. **श्री एन० डेनिस** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दक्षिणी भाग में सेथुसमुद्रम परियोजना क्रियान्वित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : सरकार ने सेथुसमुद्रम परियोजना को कार्यान्वित करने के बारे में वित्तीय दृष्टिकोण से जांच करने के बारे में एक कमेटी नियुक्त की है। इस कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

तमिलनाडु में इनसाइलिपिटिक्स के रोगियों की संख्या

4233. **श्री एन० डेनिस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में इनसाइलिपिटिक्स के रोगियों की संख्या की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कम करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) तमिलनाडु राज्य से इनसाइलिपिटिक्स के किसी भी रोगी की सूचना नहीं मिली। वैसे तमिलनाडु सरकार से ऐसे रोगियों की सूचना मिल रही है जिन पर जापानी एन्सेफ्लाइटिस होने का सन्देह है।

(ख) जापानी एन्सेफ्लाइटिस के प्रकोप को कम करने के लिए सरकार जो सावधानियां और कदम उठा रही है वे इस प्रकार हैं :—

(1) जिन गांवों में जापानी-इन्सेफाइलाटिस के रोगियों के रोग का क्लीनिकल-निदान/पुष्टि हो जाने की सूचना मिलती है उन सभी गांवों में घरों के अन्दर बने हुए स्थानों पर एच० सी० एच०/डी० डी० टी० का छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करते वक्त छोटे गांवों सामाजार्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के दलों द्वारा बसाए गए सेक्टरों, सूअरों के वाड़ों/पशुओं के वाड़ों और इस रोग के संक्रमण की चपेट में आए हुए घरों के पड़ोसी घरों तथा मच्छर पैदा होने के स्थानों के आस-पास के घरों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(2) इस रोग की चपेट से आए हुए गांवों में पेड़-पौधों, मच्छर पैदा होने वाले स्थानों और छोटे-गांवों/पशुओं के वाड़ों के आस-पास मैलेथियन का धुंआ छोड़ा जाता है।

(3) जिन जिलों में "जापानी-इन्सेफाइलाइटिस" की घटनाएं न हुई हों और जो इस रोग के संक्रमण की चपेट में आए गांव के आस-पास तीन किलोमीटर के घेरे में स्थित हों उन जिलों में भी निवारक उपाय के तौर पर एच० सी० एच०/डी० डी० टी० का छिड़काव किया जाता है और मैलेथियन का धुंआ छोड़ा जाता है।

(4) इस रोग के संक्रमण से ग्रस्त गांवों के आस-पास के जिन गांवों में खड़ें पानी की खेती की जाती हो उनमें और प्रवासी/अन्य जल पक्षियों को आकर्षित करने वाले बड़े जल स्रोतों के पड़ोस में बसे गांवों में भी इस रोग के रोगियों का पता लगाने के लिए निगरानी रखी जाती है।

(5) राज्यों को सलाह दी जाती है कि इस रोग से प्रभावित सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के इस रोग से प्रभाव होने की उम्मीद हो उनमें औषधियों, खासकर मैलिटाल का पर्याप्त स्टाक बनाए रखा जाए।

(6) विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, खासकर इस रोग की चपेट में आए हुए जिलों में।

(7) वेक्टरों को कम करने के लिए संक्रमित क्षेत्रों में विशेष छिड़काव करने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त कीटनाशी दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। 1981 में तमिलनाडु सरकार को इस प्रयोजन के लिए 0.5 मीट्रिक टन मैलाथियन का विशेष आबंटन किया गया और दो फागिंग मशीनें दी गई थीं।

समाज कल्याण योजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि का आवंटन

4234. **श्री के० एम० स्वामी** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) इस प्रकार की योजनाओं के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु क्या उपाय किए गए हैं और कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा (1) राज्य क्षेत्र योजनाओं और (2) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के सम्बन्ध में वर्ष 1979-90, 1980-81 और 1981-82 के दौरान विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आवंटित धनराशियां और किया गया खर्च क्रमशः अनुबन्ध-1 और अनुबन्ध-2 में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-4419/82]

2. इस मंत्रालय द्वारा समाज कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन और समीक्षा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों, इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय दौरों तथा बैठकों और विचार-विमर्शों से किए जाते हैं। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को धनराशियां आवंटित करने से पहले पंचवर्षीय/वार्षिक योजना पर विचार विमर्श के समय योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाती है।

मलयेशिया द्वारा भारतीय चिकित्सकों की नियुक्ति

4235. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया भारतीय चिकित्सकों को नियुक्त पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) भारतीय डाक्टरों की भर्ती के लिए भारत सरकार को मलेशिया सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते :

औषधि प्रतिरोधी मलेरिया पर विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यशाला

4236. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषध एसोसिएशन में सरकार के किसी प्रतिनिधि ने औषधि प्रतिरोधी मलेरिया पर मलेयशिया में हाल में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) भारत सरकार के एक प्रतिनिधि ने 1981 में कुवालालम्पुर, मलेशिया में औषधि प्रतिरोधी मलेरिया पर हुई कार्यशाला में भाग लिया था।

(ख) औषधि प्रतिरोधी मलेरिया की घटनाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) जिन इलाकों में पी० फाल्सीपरम में कीटनाशक औषधियों को हजम करने की शक्ति आ गई है उन इलाकों की क्षेत्रीय अनुसंधान परियोजनाओं के मामले में प्राथमिकता देकर मानटरिंग करना।

(2) पी० फाल्सीपरम पर क्लोरोक्वीन का कितना प्रभाव होता है इसका पता लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में छह दल गठित किए गए हैं।

(3) जहाँ कहीं क्लोरोक्वीन का प्रभाव कम होने का पता चलता है वहां पर वैकल्पिक औषधियों और औषधि योगों का इस्तेमाल करना।

(4) पी०-फाल्सीपरम मानिटरिंग दलों की स्लाइडों की प्रति जाँच करने के लिए एक केन्द्रीय संदर्भ प्रयोगशाला खोली गई है।

(5) इन-विट्रो परीक्षण तकनीकों के लिए अधिकारियों और तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोर्स आरम्भ किए गये हैं।

(6) उत्तरी-पूर्वी भारत में और पूर्वी भारत में मजदूरों की गतिविधियों की मानिटरिंग के लिए इन क्षेत्रों में दो विशेष महामारीविधान दल गठित किए गए हैं ताकि उत्तरी-पूर्वी भारत से प्रतिरोधी शक्ति वाली प्रजाति को देश के अन्य भागों में आने से रोकने की कार्रवाई की जा सके।

भिलाई से होते हुए जोधपुर और अहमदाबाद के बीच सीधी रेल सेवा

4237. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई से होते हुए जोधपुर और अहमदाबाद के बीच सीधी रेल सेवा आरम्भ करने में सरकार द्वारा किन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, और

(ख) यह रेल सेवा कब तक आरम्भ की जाएगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जोधपुर और अहमदाबाद के बीच रात भर की रेल सेवा उपलब्ध है क्योंकि 265/266 जोधपुर-भीलडी और 65ए/66ए भुज अहमदाबाद फास्ट पैसंजर गाड़ियों में 7 ब्रूयान चलते हैं, जो जोधपुर से 20.40 बजे चलती हैं और अहमदाबाद सवेरे 9.55 बजे पहुचती है। ये यान अहमदाबाद और जोधपुर के बीच होने वाले यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मार्गवर्ती खण्डों पर लाइन क्षमता की तगी के कारण एक सीधी गाड़ी चलाना व्याव-

हारिक नहीं है । जोधपुर और अहमदाबाद के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रति व्यक्ति शुल्क लिए जाने के विरुद्ध विधान

4238. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**
श्री टी० आर० शमन्ना :
श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तकनीकी संस्थाओं और मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क अथवा चन्दा लेने की हानिकारिक प्रथा को समाप्त करने हेतु चालू सत्र में विधान ला रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब और नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रस्तावित विधान के ब्यौरे इस समय विधि मंत्रालय के परामर्श से तैयार किए जा रहे हैं ।

दिल्ली नगर निगम स्कूलों में अध्यापकों को नियुक्त करने का ढंग

4239. **श्री त्रिलोक चन्द्र :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन पुरुष और महिला अध्यापकों की नियुक्ति रोजगार केन्द्रों द्वारा उनके नाम मंगाने और तत्पश्चात् उनका साक्षात्कार करने से होती है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम में इन अध्यापकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा करने के क्या कारण है;

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका और सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है;

(घ) दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए अलग अलग नियम अपनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सभी संस्थाओं में नियुक्ति के तरीके में एकरूपता लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अध्यापकों का चयन, अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार एक अध्यापक भर्ती परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है ।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका ने बताया है कि नियुक्तियां रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों समाचार पत्र विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त आवेदनों और सीधे ही आवेदन करने वालों का साक्षात्कार करके की जाती है। तथापि तात्कालिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं।

(घ) और (ङ) : दिल्ली नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों ने अपने अधीन कार्यरत अध्यापकों के लिए अपनी अपनी सेवा शर्तें/भर्ती नियम निर्धारित किए हैं। इसीलिए अध्यापकों की नियुक्ति पद्धति में विविधता है।

दिल्ली नगर निगम में अंशकालिक अध्यापकों की पदोन्नति

4240. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम में अध्यापकों की पदोन्नति के मामले में अंशकालिक अध्यापकों की अपेक्षा विभागीय अध्यापकों को प्राथमिकता दी जाती है;]

(ख) यदि हाँ, तो नगर निगम में अंशकालिक अध्यापकों को पदोन्नति न देने के क्या कारण हैं जैसे कि विभागीय अध्यापकों के मामले में किया जा रहा है;

(ग) दिल्ली नगर निगम में आर्ट, संगीत, शारीरिक प्रशिक्षण और कटिंग टेलरिंग अध्यापकों के कितने पद खाली पड़े हुए हैं और आगामी वर्ष के दौरान अध्यापकों के कितने अतिरिक्त पद बनाए जाने की संभावना है; और

(घ) नगर निगम में पुरुष और महिला अंश-कालिक अध्यापकों की वर्तमान संख्या क्या है और रिक्त स्थान उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें नियमित पदों पर पदोन्नत न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली प्रशासन के विभागीय अध्यापकों को, 'मार्किंग योजना' के अनुसार, अंशकालीन अध्यापकों की तुलना में, पदोन्नतियों में प्राथमिकता दी जाती है। नगर निगम में, अध्यापकों की पदोन्नतियां, अनुमोदित भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार ही की जाती है। किसी श्रेणी को प्राथमिकता देने का कोई प्रश्न नहीं है।

(ख) नगर निगम में, अंशकालीन अध्यापकों को, उन अन्य अध्यापकों/उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में बैठना पड़ता है, जिनके नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं।

(ग) फिलहाल, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, कटाई और दर्जीगिरी के अध्यापक का कोई पद रिक्त नहीं है।

(घ) इस समय अंशाकालिक अध्यापकों की संख्या निम्नलिखित है :

संगीत	—	3
कला/ड्राइंग	—	9
शिल्प कला	—	3

कोचीन पत्तन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की सूचना

4241. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन के कर्मचारियों के भिन्न-भिन्न संगठनों ने हड़ताल की सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हड़ताल टालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) : कोचीन पत्तन के कर्मचारियों की छह यूनियनों ने 21.4.82 को हड़ताल का एक नोटिस दिया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर 5.5.82 तक उनकी 16 मांगें स्वीकार नहीं की गईं तब वे उक्त तारीख के बाद किसी भी दिन हड़ताल पर चले जायेंगे। 3.5.82 को सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) एर्नाकुलम ने समझौता कराने के लिए कार्रवाई शुरू की। यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ मेरे मंत्रालय ने भी बातचीत की है। 12 मांगें तय हो चुकी हैं और 4 मांगें विचाराधीन हैं।

कोचीन पत्तन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र

4242. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस विवाद को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) : कोचीन पोर्ट के 6 यूनियनों ने 21.1.1982 के अपने हड़ताल की नोटिस में 16 मांगों की एक सूची प्रस्तुत किया है। इसमें इक्वेशन एलाउंसेस का भुगतान, उपकरणों के किराये पर लेने के लिए इन्सेटिव स्कीम का शुरू किया जाना, पोर्ट परिचालन के लिए निजी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक और कम्प्यूटर और अन्य स्वचालित पद्धति पर रोक जिससे कर्मचारी प्रभावित होते हैं, मौजूदा खाली स्थानों को भरना, सीधी भर्ती/पदोन्नति पर प्रतिनियुक्ति पर रोक, कर्मचारियों को कम करने सम्बन्धी किसी भी कार्रवाई पर रोक, बोर्ड के निर्णय के अनुसार समझौता कार्यवाही पर शीघ्र कार्रवाई, कर्मचारियों की आकस्मिक छुट्टी को पेंशन के लिए जोड़ना, केजुअल कर्मचारियों के 720 दिन पूरा होने पर नियमित करना, चुनाव के बाद सेलेक्ट लिस्ट का प्रकाशन, कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, और स्थायी तथा स्थायीवत् करना, सभी अनुशासनात्मक तंग करने की कार्रवाई वापस लेना, पीस रेट स्कीम में संशोधन कंटेगोराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेन्क्लेचर फिकसेशन न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वर्गों की अधिसूचना जारी करना, विभिन्न यूनियनों से किये लम्बित समझौते का कार्यान्वयन, बिना पेंशन वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के बदले मुग्रावजे के रूप

में एक्सग्रेशया को लागू करना, नागरिक कर्मचारियों के लिए मिलिटरी सर्विस की गिनती, पेंशन के लिए विशेष भत्ते का भुगतान आदि शामिल है। इनमें से 12 मांगों पर फैसला हो चुका है और 4 मांगें विचाराधीन हैं।

मनमाड स्टेशन पर जलपान गृह का ठेका

4243. **श्रीमती उषा वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि मनमाड रेलवे स्टेशन पर दूसरे दर्जे के आरक्षण कार्यालय के सामने ऊपरी पुल के नीचे प्रतीक्षालय के कमरे में जलपान गृह का निर्माण किया गया है और इसका ठेका सीधे एक फेरी वाले ठेकेदार को दिया गया है।

(ख) क्या इस ठेके को देने से पहले नियमानुसार विज्ञापनों के माध्यम से लोगों से आवेदन पत्र मांगना आवश्यक था;

(ग) यदि हां तो नियमों का पालन न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या पोर्टरों, वेन्डरों और वेयरों की किसी ऐसोसिएशन ने उन्हें इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। प्रश्नगत जलपान स्टाल का ठेका 1-6-1974 को श्री बी० एल० शर्मा को दिया गया था जो मनमाड स्टेशन पर वेतनमान जलपान गृह के ठेकेदार थे। ऐसा सरकार की उस समय विद्यमान नीति के अनुसार, उसके जलपान गृह के ठेके को अर्थक्षम बनाने के लिए सहायता के रूप में दिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक संसद् सदस्य द्वारा अग्रेषित किया गया नेशनल फेडरेशन आफ रेलवे पोर्टर्स, वेंडर्स एण्ड बेयरर्स का दिनांक 24-2-1981 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। उसका उत्तर दे दिया गया था जिसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी।

टूंडला पर रेलवे पासों का जारी किया जाना

4244. **श्री बालासाहिब पवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टूंडला कार्यालय के स्टेशन के अधीक्षक द्वारा अपने तथा अपने मित्रों के नाम गलत तरीके से रेलवे पास जारी किए गए थे और यह बात लेखापरीक्षक द्वारा पकड़ी गई;

(ख) क्या इलाहाबाद के कार्मिक निरीक्षक द्वारा इसकी जांच पड़ताल की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस चूक के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली परिवहन निगम के भूतपूर्व चेयरमैन के विरुद्ध आरोप

4245. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मई 1982 में दिल्ली परिवहन निगम के चेयरमैन को पद से हटा दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप हैं;

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम के नये अध्यक्ष ने भूतपूर्व चेयरमैन की फायलों, रिपोर्टों तथा मदभार का पूरा चार्ज ले लिया है और पिछली भूलों को सुधारने के लिए कोई जांच की गई है;

(घ) क्या संसद में तथा निगम के कर्मचारियों द्वारा एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा भूतपूर्व चेयरमैन के विरुद्ध लगाए गए विभिन्न आरोपों की जांच कराई जायेगी;

(ङ) क्या सरकार दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति की पुन: जांच करेगी और भूतपूर्व चेयरमैन द्वारा अपनाई गई लेखा-प्रक्रिया को ठीक करेगी;

(च) बिना बारी तदर्थ स्थानान्तरणों, पदोन्नतियों, निलम्बनों तथा दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों के लम्बित मामलों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) : दिल्ली परिवहन निगम में 6.5.82 से नये अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है । यह नियुक्ति सार्वजनिक हित में की गई है ।

(ग) नये अध्यक्ष ने उन सभी फाइलों का चार्ज ले लिया है जो अध्यक्ष के कार्यालय में उपलब्ध थी ।

(घ) जहां आवश्यक होगा, सरकार उचित कार्रवाई करेगी ।

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति की विभिन्न स्तरों पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है । इसके लेखाओं की लेखा-परीक्षा करनी होती है और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करनी होती है ।

(च) जब कभी कोई अनियमितता या गलती अध्यक्ष के ध्यान में लाई जाती या उन्हें अभ्यावेदन दिया जाता है तो आर्गनाईजेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की हैसियत से अध्यक्ष को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करनी होती है ।

27 मई, 1981 को 120 अप गाड़ी द्वारा लखनऊ के लिए बुक किए गए पार्सल

4246. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 मई, 1981 को 120 अप गाड़ी द्वारा लखनऊ के लिए बुक किए गए कुछ पार्सलों के दुर्विनियोग के सम्बन्ध में रेलवे सुरक्षा बल, नई दिल्ली द्वारा कोई जांच की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मामले की शिकायत मुख्य पार्सल सुपरवाईजर द्वारा रेलवे सुरक्षा बल तथा सामान्य रेलवे पुलिस को की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की रिपोर्ट है कि ऐसे कर्मचारी जो उस समय ड्यूटी पर नहीं थे तुलाई क्लर्कों को अपराध करने में सहायता कर रहे थे; और

(घ) उस पर क्या कार्रवाई की गयी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 27-5-1981 को कथित 3 पार्सलों के गायब होने के बारे में, स्टेशन अधीक्षक नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन ने 6-7-1982 को रेलवे सुरक्षा बल और दिल्ली रेलवे पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

(ग) से (घ) : मामले की जांच करायी जा रही है।

जगत विद्या सनातन धर्म बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

4247. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जगत विद्या सनातन धर्म बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लिंक रोड करोल बाग, नई दिल्ली की प्रबन्ध समिति ने इस विद्यालय की प्राइमरी शाखा को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस शाखा में 700 लड़के-लड़कियां पढ़ रहे हैं और उनका भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस शाखा को बन्द न होने देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का इस शाखा को अपने हाथ में लेने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कम नामांकन होने के कारण प्रबंधकों को स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं को 1982-83 से चरणबद्ध तरीके से बन्द करने की अनुमति दे दी गई थी।

(ख) जी, नहीं। वर्ष 1981-82 में केवल 116 छात्र दाखिल थे।

(ग) से (ङ) : क्योंकि प्रबन्धकों की पहली कक्षा में प्रवेश बन्द करने की अनुमति दी गई

थी अतः पहले से दाखिल छात्र इसी स्कूल में अपना अध्ययन जारी रखेंगे। इसलिए प्रबन्ध के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने तथा इस शाखा को अपने नियंत्रण में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सहायता प्राप्त स्कूलों के टेलीफोन इत्यादि के खर्च की सीमा निर्धारित करना

4248. **श्री महमूद हसन खां :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए स्टेशनरी टेलीफोन मिसलेनियस इत्यादि जैसे विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वार्षिक सावधिक खर्च की वर्तमान सीमा निर्धारित की है;

(ख) इससे पहले यह सीमा कब निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या बढ़े हुए दामों और टेलीफोन की दरों में हुई दुगनी वार्षिक वृद्धि को देखते हुए इस सीमा को बढ़ाये जाने का विचार है ताकि स्कूलों के बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए गलत तरीकों से छात्रों के कोष को दूसरी मदों में खर्च पूरा करने हेतु बाध्य न होना पड़े; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में आदेश जारी करने में कितना समय लग जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आकस्मिक मदों पर वार्षिक आवर्ती खर्चे की वर्तमान सीमा, जो 1982-83 से लागू हैं, अनुबंध में दी गई हैं।

[प्रथासय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-4420/82]

(ख) और (ग) : यह सीमा बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए जुलाई, 1982 में बढ़ाई गई थी।

(घ) भाग (ख) और (ग) के उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा रिले अनशन

4249. **डा० सरदीश राय :**

श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों ने मार्च, 1982 में रिले अनशन शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ (अ० भा० के० वि० अ० सं०) की मुख्य मांगें तथा प्रत्येक से सम्बन्धित स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

क्रम संख्या	विवरण	
	मांग	तत्सम्बन्धी स्थिति
1	2	3
1.	अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ को मान्यता	यह निर्णय किया गया था कि संघों को मान्यता देने के लिए संगठन को अपने नियम बनाने चाहिए संगठन ने अब अपेक्षित नियम बना लिए हैं। संघ ने विधितः मान्यता देने के लिए अभी तक कोई आवेदन पत्र नहीं भेजा है। तथापि, मान्यता प्रदान करने के नियमों में संशोधन करने के सम्बन्ध में उनके सुझावों की जांच की जा रही है।
2.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके शासी बोर्ड में अखिल भारतीय शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व।	मांग की जांच की गई लेकिन केन्द्रीय विद्यालय संगठन/शासी बोर्ड में संघ के किसी प्रतिनिधि को मनोनीत करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।
3.	सभी स्तरों पर संयुक्त परामर्शदात्री-मशीनरी का गठन।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी परिषद की स्थापना का प्रस्ताव सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया गया है। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।
4.	आन्तरिक प्रोन्नति कोटे में 25% से 75% तक की वृद्धि।	प्रोन्नति कोटे में 25% से 33⅓% तक की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है।
5.	वेतन-मानों में संशोधन	केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों के वेतनमान वे ही हैं जो दिल्ली प्रशासन और अन्य संघ शासित क्षेत्रों के अन्तर्गत केन्द्रीय वेतन-मानों के समतुल्य पदों के हैं। अतः केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों के वेतनमानों में कोई संशोधन दिल्ली प्रशासन और अन्य संघ शासित क्षेत्रों के समतुल्य पदों के वेतनमानों के संशोधन से सम्बद्ध हैं। इन परिस्थितियों में, इस मामले में कोई अलग से निर्णय लेना सम्भव नहीं है।
6.	स्कूल के समय को कम करना	स्कूल के समय में यथा सम्भव कमी कर दी गई है।
7.	समयबद्ध प्रवरण ग्रेड लागू करना	केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों को प्रवरण ग्रेड उसी आधार पर दिए जाते हैं, जैसे दिल्ली प्रशासन तथा अन्य संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय वेतनमानों के समतुल्य पदों वाले अध्यापकों को

1	2	3
		जाते दिये हैं। अत: केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों की प्रवरण ग्रेड योजना में कोई भी परिवर्तन दिल्ली प्रशासन और अन्य संघ शासित क्षेत्रों के समतुल्य पदों वाले अध्यापकों की प्रवरण ग्रेड योजना में परिवर्तन, यदि कोई हो, से सम्बद्ध है। इन परिस्थितियों में इस मामले में अलग से कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं है।
8.	तर्कसंगत स्थानान्तरण नीति की घोषणा	संगठन की पहले ही एक तर्कसंगत स्थानान्तरण नीति है। संघ को इसकी मुख्य-मुख्य बातों से अवगत करा दिया गया है।
9.	चालू सत्र के दौरान तथाकथित बड़े पैमाने पर किए गए स्थानान्तरण वापस लेना	सभी स्थानान्तरण आदेशों की पूरी समीक्षा करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तथापि, संघ से ऐसा कोई विशिष्ट उदाहरण, यदि कोई हो, देने की सलाह दी गई है, जिसमें संगठन द्वारा पारित किए गए स्थानान्तरण आदेशों के कारण कोई अन्याय हुआ हो अथवा किसी को अत्यधिक कष्ट हुआ हो। संघ द्वारा बताए गए उदाहरणों पर संगठन द्वारा विचार किया गया तथा यथा सम्भव उन्हें स्वीकार किया गया।

राव तुलाराम महाविद्यालय, धौला कुआं, दिल्ली के अध्यापन कर्मचारी

4250. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री के० ए० राजन : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 25 जून, 1982 के 'स्टेट्समैन' में राव तुलाराम महाविद्यालय, धौला कुंआ, दिल्ली द्वारा बी० ए० (पास) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन मंगाए जाने के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह महाविद्यालय पिछले कई वर्षों से कार्य नहीं कर रहा है और इसके अध्यापन कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं; और

(ग) राव तुलाराम महाविद्यालय के बन्द हो जाने के कारण जो अध्यापन कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार राव तुलाराम कालेज शैक्षिक वर्ष 1980-81 से काम नहीं कर रहा है और तब से कालेज में कोई नए दाखिले नहीं किए गए हैं। कालेज में नये दाखिले करने के लिए किसी प्रकार के औपचारिक निर्णय के बारे में विश्वविद्यालय के पास कोई सूचना नहीं है क्योंकि कालेज के अभिशासी निकाय के पुनर्गठन के बाद उसकी कोई बैठक नहीं हुई हैं। इसी बीच प्रधानाचार्य और तीन अध्यापकों को छोड़ कर कालेज के सभी अध्यापक स्टाफ ने दिल्ली में अन्य संस्थाओं में नौकरियां प्राप्त कर ली हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सीनियर रेजीडेंट डाक्टरों के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के डाक्टरों की नियुक्ति

4251. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सीनियर रेजीडेंट डाक्टरों के लगभग 70 पद हैं और क्या उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सम्बन्धित एक भी डाक्टर नहीं है;

(ख) क्या हाल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कुछ डाक्टरों ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन भेजे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के डाक्टरों और कर्मचारियों के प्रति एक समान नीति—नहीं अपनाई जा रही है तथा इस सम्बन्ध में शिकायत करने के बाद भी उन्होंने उदासीनता का रवैया अपना रखा है; और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन०एम० जोशी) : (क) इस अस्पताल में वरिष्ठ रेजिडेण्टों के 59 पद हैं जिनमें से 56 भरे हुए है। इनमें से अनुसूचित जाति के 2 डाक्टर वरिष्ठ रेजिडेण्ट के पद पर कार्य कर रहे हैं तथा अनुसूचित जाति के एक और उम्मीदवार को इस पद का प्रस्ताव भेजा जा चुका है और आशा है कि वह कार्यभार संभाल लेगा। ये पद विभिन्न विशिष्टियों के हैं और इनके लिए अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।

(ख) अनुसूचित जाति के चार उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उनमें से तीन उम्मीदवारों के पास स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा नहीं है। एक उम्मीदवार के पास नेत्र-विज्ञान विषयक डिप्लोमा हैं और नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जा चुका है।

(ग) नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर-बहराइच लाइन

4252. श्री राम लाल राही : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में सीतापुर और बहराइच को रेलवे लाइन से जोड़ने और इस लाइन को हरदोई तक बढ़ाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है जिसकी लागत का का मूल्यांकन 25 करोड़ रुपये किया गया है,

(ख) यदि हां तो क्या यह बताया गया है कि धन की कमी के कारण निकट भविष्य में इस लाइन को बिछाना संभव नहीं है,

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण से इस लाइन का निर्माण करने का विचार है और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश में सीतापुर बहराइच को रेलवे लाइन से सम्बद्ध करने और हरदोई तक उसका विस्तार करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सीतापुर से बहराइच तक (ब० ला०) और सीतापुर शहर से हरदोई तक (ब० ला०) रेल लाइन क्रमश: 130 कि० मी० और 65 किलो मीटर होगी और इन पर वर्तमान अनुमान के अनुसार क्रमश: लगभग 40 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये की लागत करने की सम्भावना है। संसाधनों की भारी कमी के कारण, इन रेल लाइनों का निर्माण करना सम्भव नहीं होगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) नयी परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण कर आवंटन विशिष्ट प्राथमिकताओं के आधार पर किया जायेगा। लेकिन सुझायी गयी नई लाइनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रेलवे स्टेशन फेरी वालों की कमीशन

4253. श्री बाला साहिब पवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशन फेरीवालों को प्रतिमाह कितनी कमीशन मिलती है और क्या ये फेरीवाले उसका एक भाग अपने सहायकों को भी देते हैं और क्या यह कमीशन इन फेरीवालों और उनके सहायकों की जीविका के लिए पर्याप्त है,

(ख) क्या यह सच है कि टुन्डला कानपुर और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के फेरीवाले रात को अपने घरों में आराम करते हैं और उनके सहायक रात भर अकेले ही काम करते हैं और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार रात को इस बारे में कोई जांच पड़ताल करेगी कि ये फेरीवाले कैसे रात को अपने घरों में आराम करते हैं और कैसे स्वयं को दिन रात काम करता हुआ दिखाते हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : टुन्डला, कानपुर और इलाहाबाद रेलवे स्टेशनों पर मार्च से मई, 1982 के दौरान कमीशन वेंडरों द्वारा अर्जित औसत मासिक कमीशन इस प्रकार है :—

टुन्डला	:	225 रु० से 250 रु०
कानपुर सेन्ट्रल	:	250 रु० से 300 रु०
इलाहाबाद	:	250 रु० से 280 रु०

कमीशन वेंडरों द्वारा अर्जित राशि उनके लिए पर्याप्त समझी जाती है। कमीशन वेंडरों द्वारा स्वयं सहायक रखे जाते हैं और उन्हें दी जाने वाली पारिश्रमिक दोनों द्वारा आपस में तय करके निर्धारित की जाती है। आमतौर पर वेंडर और सहायक मिलकर इकट्ठे काम करते हैं। जब गाड़ियों के आने जाने का समय नहीं होता है, तो उस दौरान वेंडर बिक्री बन्द कर देते हैं। इस आशय की कोई शिकायत नहीं मिली है कि रात में वेंडर अपने घरों में आराम करते हैं और अपने सहायकों से चौबीसों घंटे काम लेते हैं। वेंडर अपने सहायकों को बिक्री का काम नहीं सौंप सकते क्योंकि उन्हें विक्रेता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। निरीक्षण अधिकारियों द्वारा बारम्बार जाँच की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि रात्रि में अपने घरों में विश्राम कर रहे वेंडरों को स्टेशनों पर ड्यूटी पर तो नहीं दिखाया जाता।

अंतरिक्ष का सैनिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने का अमरीकी निर्णय

4254. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें कहा गया है कि अमरीका ने अन्तरिक्ष का सैनिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस विषय में क्या कदम उठाने का विचार है और इस उद्देश्य के लिए सयुक्त राष्ट्र में कोई प्रस्ताव रखने में पहल की गयी है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : भारत सरकार सैनिक उद्देश्यों के लिए अन्तरिक्ष के प्रयोग के विरुद्ध है। ये विचार सुविदित है और समुचित अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्य मंचों पर कई बार दोहराए गए हैं। 1981 में सयुक्त राष्ट्र महासभा के 36 वें अधिवेशन में भारत "बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोग में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग" के बारे में और "बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोगों की खोज सम्बन्धी द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन" के बारे में दो संकल्पों का सह-प्रवर्तक था।

पश्चिम दिल्ली में दीनदयाल उपाध्यक्ष अस्पताल का निर्माण

4255. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली में 500 शैय्याओं वाले दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल का

निर्माण कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा 1981 के आरम्भ में अचानक रोक दिया गया था :

(ख) क्या यह परियोजना निर्माण की अग्रिम अवस्था पर थी :

(ग) क्या इस परियोजना के लिए आबंटित सीमेंट एशियाड-82 खेलों के नाम पर एक 5-सितारा होटल और बड़ी इमारतें बनाने वालों को दे दिया गया था :

(घ) क्या अस्पताल परियोजना का लाभ जनकपुरी क्षेत्र सहित पश्चिम दिल्ली के 20 लाख लोगों को मिलना था जहां पर 15 किलो मीटर के क्षेत्र में कोई अन्य अस्पताल नहीं है : और

(ङ) यदि हां, तो इस अस्पताल को सार्वजनिक हित में कब पूरा किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं ।

(ख) नहीं ।

(ग) नहीं ।

(घ) पश्चिम दिल्ली के लगभग 10-12 लाख लोगों को इस अस्पताल की सेवाओं का लाभ होगा ।

(ङ) दिसम्बर, 1983 तक अस्पताल के 200 पलंगों वाले ब्लाक का निर्माण कार्य पूरा हो जाने की संभावना है । 300 अतिरिक्त पलंगों वाले ब्लाक का निर्माण कार्य छठी पंच वर्षीय योजना के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम

4256. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के कार्यकरण के बारे में समाचारपत्रों में काफी संख्या में छपी शिकायतों की जानकारी हैं;

(ख) क्या छात्रों को विभिन्न विषयों के पाठ समय पर न मिलने की आलोचना की गई है;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों में विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रमों में नाम लिखाने वालों की सख्या में निरन्तर कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रणाली में सुधार लाने तथा अधिक छात्रों को इसकी ओर आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) : जी, नहीं ।

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रमों में समग्र दाखिले में हाल में आई कमी आंशिक रूप से स्कूल स्तर पर शिक्षा को 10—2 पद्धति के लागू किए जाने के कारण और

अंशत: इस कारण भी कि अन्य अनेक विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने के कारण भी हैं।

पत्राचार पाठ्यक्रमों में और अधिक संख्या में छात्रों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने उन सभी छात्रों को, जिन्होंने 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है, इन पाठ्यक्रमों में दाखिला देने की अनुमति देने का हाल ही में निर्णय किया है। जहां तक इस पद्धति में सुधार करने का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा का कार्य आरम्भ किया है। ताकि त्रुटियों और कमियों का पता लगाया जा सके और कार्यात्मक कार्य-कुशलता सुधारने के लिए उपाय सुझाए जा सकें।

गिरधारी लाल प्रसूति अस्पताल, दिल्ली के डाक्टरों और नर्सों का स्थानान्तरण।

4257. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :**

श्री निहाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1981 से गिरधारी लाल अस्पाल, दिल्ली से कितने डाक्टरों और नर्सों का स्थानान्तरण हुआ है और इन स्थानान्तरणों के क्या कारण हैं, और

(ख) उन डाक्टरों और नर्सों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक स्थानांतरित किया गया है और वे प्रत्येक मामले में अस्पताल में कितनी अवधि तक रहे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) गिरधारी लाल प्रसूति अस्पताल, दिल्ली से 12 डाक्टरों और 4 नर्सों का स्थानांतरण किया गया है। 12 डाक्टरों में से 7 को उनके अपने अनुरोध पर स्थानान्तरित किया गया था, को प्रशासनिक कारणों से अर्थात् असन्तोषजनक कार्य/दुर्व्यवहार की शिकायतों पर तथा एक डाक्टर को उसके पदोन्नति के फलस्वरूप स्थानान्तरित किया गया था। 4 नर्सों में से 3 को सामान्य रूप में, अधिकतर उनकी अपनी सुविधा के लिए स्थानान्तरित किया गया था एक नर्स को प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया गया।

(ख) यह सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	नाम डाक्टर	ठहरने की अवधि
1.	डा. श्रीमती अचला सप्रा	3 साल
2.	डा. श्रीमती एस. सिंघल	3 साल
3.	डा. श्रीमती सरोज जैन	3 साल
4.	डा. श्रीमती रेनु चोपड़ा	2 साल
5.	डा. श्रीमती यू. गुप्ता	16 साल

6. डा. श्रीमती सरोज मल्होत्रा	11 साल
7. डा. वीना बाली	7 साल
8. डा. आई. एम. दुग्गल	7 साल
9. डा. सुनीता मदान	10 साल
10. डा. एस. एलावादी	3 साल
11. डा. चन्द्र मोहिनी	7 साल
12. डा. सतपाल अरोड़ा	2 साल

नर्सें

1. श्रीमती एल. सिंह	3 साल
2. श्रीमती आर. चौधरी	4 साल
3. श्रीमती एन. डेविड	6 साल
4. श्रीमती बी. के शर्मा	8 साल

इलाहाबाद डिवीजन में फलों के रस तथा सलाद बेचने के ठेके दिये जाना

4258 : **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) कैटरिंग-वेंडिंग ठेकों के आवंटन के बारे में अद्यतन नीति क्या है,

(ख) जोनल रेलों में स्टेशनों पर वेंडिंग की अतिरिक्त सुविधाएं दिये जाने पर किस तारीख के प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

(ग) उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में पिछले एक वर्ष के दौरान फलों के रस तथा सलाद बेचने के लिए दिये गए ठेकों का ब्योरा क्या है और क्या इन ठेकेदारों की निर्धारित सूची से बाहर की वस्तुएं बेचते हुए पाया गया था और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जब भी रिक्तियां होती हैं, क्षेत्रीय रेलें समाचार पत्रों में अधिसूचनाएं देकर और या स्टेशन नोटिस बोर्डों पर नोटिस लगाकर आवेदन-पत्र आमंत्रित करती हैं । इस प्रकार प्राप्त आवेदनों की छानबीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाती है और उनकी सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर ठेके दिये जाते हैं । आधी यूनिट तक के सभी खानपान/वेंडिंग ठेके अनुसूचित जाति/जन-जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं और शेष ठेके नीचे लिखे गये तरजीही क्रम के अनुसार आवंटित किये जाते हैं :-

(1) अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

(2) मजदूरों/ वेंडरों की सहकारी समितियां,

(3) महिला समितियां,

(4) विकलांग हो गये भूतपूर्व सैनिक/सैनिकों की विधवाएं,

(5) 18-30 वर्ष की आयु के बीच के अलग-अलग बेरोजगार स्नातक,

(6) स्वतंत्रता सेनानी, और

(7) अन्य ।

(ख) प्रतिबंध 12-2-81 और 31-3-1982 के बीच प्रभावी था ।

(ग) गत एक वर्ष के दौरान फल/फलों के रस के दो ठेके-एक ठेका इलाहाबाद में कुमारी घजाला शहनाज के नाम में और दूसरा कानपुर सेंट्रल में श्रीमती कमला देवी के नाम में रेल मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदेशों के अन्तर्गत दिये गये थे ।

घजाला शहनाज, जिसे इलाहाबाद में ठेका दिया गया था अनाधिकृत रूप से लस्सी बेचती पायी गयी, जिसके लिए उन पर एक सौ रूपया जुर्माना किया गया ।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच की जाती है कि ठेकेदार केवल वही चीजें बेचें जिनकी उन्हें अनुमति दी गयी है । दोषी ठेकेदार के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है ।

दक्षिण पूर्वी रेलवे में सामान के उतारने चढ़ाने के ठेकों के आवंटन के लिए निविदाएं

4259 : श्री आर० एन० राकेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा शालीमार और इटवारी ग्रुप के स्टेशनों पर सामान और पार्सलों के उतारने चढ़ाने के लिए ठेकों के आवंटन के लिए निविदाओं हेतु विज्ञापन दिया गया था,

(ख) यदि हां, तो ठेकेदार नियुक्त करने हेतु कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया है,

(ग) इन निविदाओं को फिर कब विज्ञापित किया जाएगा और उनको कब अन्तिम रूप दिया जाएगा, और

(घ) क्या सतर्कता और लेखा परीक्षा विभागों ने शालीमार और इटवारी ग्रुप के स्टेशनों की विभागीय कार्य व्यवस्था जारी रखे जाने पर आपत्ति की है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (घ) शालीमार और इतवारी ग्रुप समूह के स्टेशनों पर माल और पार्सल सम्हलाई ठेके आवंटित करने के लिए निविदाएं विज्ञापित की गयी थी । इतवारी समूह के स्टेशनों के लिए निविदाएं स्टेशन मास्टर के माध्यम से वर्तमान सम्हलाई की तुलना में अलाभप्रद पायी गयी । इस प्रकार, निविदाएं रद्द कर दी गयी और स्टेशन मास्टर के माध्यम से अभी तक सम्हलाई की जा रही है ।

जबकि शालीमार में ठेके के लिए निवदाओं पर विचार किया जा रहा था, शालीमार में सम्हलाई कार्य में नियुक्त श्रमिकों द्वारा गठित एक सहकारिता समिति यह ठेका लेने के लिए आगे आयी । श्रमिक सहकारिताओं को प्रोत्साहित करने की सरकारी नीति के अनुसार, निविदाएं

रद्द कर दी गयी और बातचीत आगे जैसी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस समिति को ठेका आवंटित करने की व्यवस्था की जा रही है।

उपर्युक्त बातों को देखते हुए, इन ठेकों के आवंटन के लिए नये सिरे से निविदाएं आमंत्रित करना फिलहाल आवश्यक नहीं समझा जाता है।

इतवारी समूह के स्टेशनों पर ठेके आवंटित करने के लिए न तो सतर्कता विभाग और न ही लेखा परीक्षा विभाग ने आपत्ति की है क्योंकि इन मामलों में निविदाओं पर कार्रवाई करने में, कदाचार की कोई बात उनके नोटिस में नहीं आयी थी। लेकिन शालीमार के ठेके के सम्बन्ध में, लेखा परीक्षा विभाग ने दैनिक दर वाले कामगारों की नियुक्ति से होने वाले वर्तमान व्यय की अनुबन्धित दरों पर होने वाले व्यय की तुलना की है जो 1976-79 के अनुबन्धात्मक अवधि के दौरान थी। 1979 में कोट की गयी निम्नतम दरें तत्कालीन संविदात्मक दरों की तुलना में लगभग 80 प्रतिशत अधिक थी और स्थानीय श्रमिकों की वर्तमान दरें भी और अधिक हो गयी है। इस सम्बन्ध में दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा लेखा परीक्षा विभाग को समुचित उत्तर दिया जा रहा है।

नौर्थ और साउथ एवेन्यू की कैन्टीनों में काम करने वाले कर्मचारियों का स्थायीकरण

4260 **श्री हरीश रावत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू नई दिल्ली के संसद सदस्यों की कैन्टीनों में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें काम करते हुए आठ वर्ष से अधिक समय हो गया है परन्तु अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है।

(ख) क्या यह सच है कि वहां काम कर रहे कर्मचारियों को 10.50 रू० प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है जबकि मंत्रालयों में काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को 11.60 रुपये प्रतिदिन मिलता है, यदि हां तो इस असंगतता के क्या कारण है, और

(ग) इन कर्मचारियों को कब तक स्थायी किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी नहीं।

(ख) संसद भवन, नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू की कैंटीनों में लगे अकुशल श्रमिकों को 1-3-82 से 10.05 रुपये प्रतिदिन की दर से मजूरी दी जा रही है। इस बारे में अन्य मंत्रालयों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) नार्थ और साउथ एवेन्यू सहित संसद भवन में कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों की जांच की गयी है और इनके परिणामों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जांच के परिणामों को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात इन्हें उनकी वरिष्ठता के आधार पर समाहित कर लिया जाएगा।

गैंगमैनों (सी० पी० सी० सी०) को देय यात्रा भत्ता और समयोपरि भत्ता

4261. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन में पी० डब्ल्यू० आई० पतरातू

के अधीन गैंगमैनों (सी० पी० सी०) के होली त्योहार वाले दिन अर्थात 21 मार्च 1981 को, जो कि वेतन सहित छुट्टी घोषित थी, काम करने के लिए उनको कानूनी मंजूरी से वंचित किया गया है,

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन में पी० डब्ल्यू० आई० के अधीन गैंगमैनों (सी० पी० सी०) को जनवरी, 1979 में धनबाद से आठ किलोमीटर से अधिक दूरी पर प्रोधन खाटा स्थान पर काम करने के लिए उनको देय यात्रा भत्ते से वंचित किया गया है,

(ग) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन में पी डब्ल्यू आई के अधीन गैंगमैनों की, जिन्होंने 1974, 1978 तक 12 घंटों के लिए चौकीदार के रूप में काम किया था, मिलने वाले न्यायोचित समयोपरि भत्ते से वंचित किया गया है,

(घ) यदि हाँ तो गैंगमैनों की देयताओं की अदायगी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्द महासागर संबंधी तदर्थ समिति की बैठक

4262. **डा० कृपा सिंह भोई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर सम्बन्धी तदर्थ समिति की न्यूयार्क में मई, 1982 में बैठक हुई थी,

(ख) यदि हां, तो समिति की बैठक में क्या प्रस्ताव रखे गए थे,

(ग) भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है, और

(घ) उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्री: (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) तदर्थ समिति के मई अधिवेशन की गतिविधियों का प्रमुख भाग निरस्त्रीकरण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र महा सभा के द्वितीय विशेष अधिवेशन को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से सम्बद्ध रहा। तथापि कतिपय पश्चिमी प्रतिनिधिमंडलों ने एक प्रलेख प्रस्तुत किया जिसमें हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाए जाने के संबन्ध में कुछ सिद्धान्त दिए गए थे और समिति के भावी कार्यों के बारे में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया था।

(ग) भारत और अन्य कई गुट निरपेक्ष देशों ने यह रूख अपनाया कि बाहरी तत्वों को शामिल करके तदर्थ समिति के अधिवेशन को संशोधित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं होगा।

(घ) तदर्थ समिति के मई अधिवेशन का कोई विशिष्ट परिणाम नहीं निकला, सिवाए एक रिपोर्ट के जो निरस्त्रीकरण से सम्बन्धित द्वितीय विशेष अधिवेशन को प्रस्तुत की गई। अपनी आगामी बैठकों में समिति कार्य-सूची की अन्य मदों पर विचार करेगी।

"एशियाड" के लिए निर्मित परियोजनाओं का उपयोग करने के लिए योजनायें

4263. श्री धर्मबीर सिंह :

श्री दयाराम शाक्य : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खेलों की समाप्ति के बाद "एशियाड" 1982 के लिए निर्मित किये गये फ्लैटों और स्टेडियमों तथा अन्य भवनों का उपयोग करने अथवा विभिन्न निर्माण कार्यों का निपटान करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) : एशियाड, 1982 के लिए निर्मित किए जा रहे स्टेडियमों के निपटान का कोई प्रस्ताव नहीं है । इन स्टेडियमों का मुख्यत: खेलों के लिए उपयोग किया जाएगा । खेल गाँव में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी निधि से फ्लेटों का निर्माण किया जा रहा है और इन फ्लेटों का निपटान करने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

टूंडला लोको शेड को सप्लाई किया गया कोयला

4264. श्री दयाराम शाक्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से आज तक उत्तर रेलवे के अन्तर्गत टुण्डला लोकोशेड को प्रति माह कोयले की कितनी मात्रा सप्लाई की गई तथा कोयले के कुल कितने वैगन सप्लाई किए गए हैं,

(ख) क्या रेल विभाग कोयले की खपत से सम्बन्धित पूर्ण विवरण सरकार को भी पता है और यदि हाँ, तो वर्ष 1980 से वर्ष 1982 तक की अवधि से सम्बन्धित टुण्डला लोको शैड का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टूंडला लोको शैड की सप्लाई किये गये कोयले की पूरी मात्रा की वहाँ खपत नहीं होती तथा उसमें से मात्रा में कोयला बाहरबाजार में बेच दिया जाता है, जो सरकार की हानि है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) टूंडला लोको शेड द्वारा जनवरी, 1980 से जून 1982 तक प्राप्त लोको कोल माल डिब्बों की सख्या और टनों में कोयले की मात्रा वर्ष बार नीचे दी गई है :—

अवधि	प्राप्त माल डिब्बों की संख्या (चौपहिए)	कोयले की मात्रा (टनों में)
जनवरी 1980 से दिसम्बर 80 तक	3620	62708.2
जनवरी 81 से दिसम्बर 81 तक	3060.5	71552.1
जनवरी 82 से जून 82 तक	1595	36846.2

(ख) क्षेत्रीय रेलों रेल मन्त्रालय को कोयले की कुल खपत का ब्यौरा प्रस्तुत करती हैं, शेडवार खपत क्षेत्रीय रेलों द्वारा रखी जाती है, जनवरी 80 से जून 82 तक टूण्डला शेड द्वारा इंजनों के लिए जारी की गयी कोयले की मात्रा नीचे दी गयी है :—

अवधि	कोयले की मात्रा (टनों में)
जनवरी 80 से दिसम्बर 80 तक	80,930.2
जनवरी 81 से दिसम्बर 81 तक	68,946.4
जनवरी 82 से जून 82 तक	36,389.7

(ग) रोड द्वारा लोको शेड को सप्लाई किये गये सभी कोयले का सावधानी पूर्वक लेखा जोखा रखा जाता है और उनका समुचित रिकार्ड बनाये रखा जाता है। लोको कोल की बाजार में बिक्री के सम्बन्ध में रेल प्रशासन के पास अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।

बहु राष्ट्रीय औषध कम्पनियों द्वारा प्रभावहीन औषधियों का निर्माण।

4265. **श्री एन०ई० होरो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक बहुराष्ट्रीय औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा बनाई गई औषधियां जो प्रभावहीन ९, तथा पुरानी है तथा अविवेकात्मक हैं, भारत में बेची जा रही हैं,

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधियों के निर्माण तथा बेचे जाने को रोकने के लिए जो उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदायी हैं, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं,

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं, और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां, इस बात की आलोचना हुई है कि बहु-राष्ट्रिक और भारतीय दोनों प्रकार की औषध कम्पनियां देश में ऐसी बहुत सी दवाइयां बाजार में ला रही हैं जिन्हें अनिवार्य नहीं समझा जाता और जो चिकित्सीय महत्व की भी नहीं हैं।

(ख), से (घ) : इसी सन्दर्भ को लेकर औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत गठित औषध परामर्शदात्री समिति नामक एक सांविधिक निकाय ने देश में तैयार किए जा रहे बहुत से वर्तमान योगों की जांच करने का कार्य आरम्भ किया ताकि असंगत और/अथवा गैर जरूरी समझे जाने वाले योगों के निर्माण और उनकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके। उन्होंने आरम्भ में निश्चित मात्रा वाले योगों के 32 वर्गों की जांच की और औषध परामर्शदात्री समिति ने उनमें से निश्चित मात्रा वाले 23 वर्गों की पूर्ण अथवा आंशिक रूप से छंटाई की सिफारिश की थी। औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने इनकी सिफारिशों पर आगे विचार किया और चिकित्सा विशेषज्ञों और इस उद्योग को चलाने वालों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए संलग्न विवरण के अनुसार निश्चित मात्रा वाले 18 वर्गों की पूर्ण अथवा आंशिक रूप से छटाई करने की अन्तिम रूप से सिफारिश की। सरकार ने इन सिफारिशों को मान लिया है और राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं कि वे औषधियों के निर्माण/बिक्री को निर्धारित तारीखों तक बन्द करवा दें।

विवरण

निश्चित खुराक वाले योगों की श्रेणियां जिनकी औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने छटाई करने की सिफारिश की है ।

1. एमीडीपाइराइन के निश्चित खुराक वाले योग ।
2. दर्द निवारक तथा प्रशांतक युक्त विटामिनों के निश्चित खुराक वाले योग ।
3. ज्वर-रोधी तथा दर्द-रोधी दवाइयों में एन्ट्रोपाइन के निश्चित खुराक वाले योग ।
4. टानिकों में स्ट्रिचनाइन और काफिन के निश्चित खुराक वाले योग ।
5. योहिम्बाइन तथा स्ट्रिचनाइन और रेस्टोस्टीरीन एवं विटामिनों के निश्चित खुराक वाले योग ।
6. स्ट्रिचनाइन आर्सेनिक योहिम्बाइन युक्त लोह के निश्चित खुराक वाले योग ।
7. सोडियम ब्रोमाइड/क्लोरल हाइड्रेट तथा अन्य औषधियों के निश्चित खुराक वाले योग ।
8. आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों तथा आधुनिक औषधियों के निश्चित खुराक वाले योग ।
9. फीनेसिटिन के निश्चित खुराक वाले योग ।
10. एण्टी-हिस्टामीनिकों तथा अतिसार रोधी औषधियों के निश्चित खुराक वाले योग ।
11. पेन्सिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन के निश्चित खुराक के योग ।
12. विटामिनों तथा दर्द-निवारक दवाइयों के निश्चित खुराक वाले योग ।
13. टेट्रासाइक्लिन तथा विटामिन-सी के निश्चित खुराक वाले योग ।
14. अतिसार और पेचिस के इलाज में प्रयोग की जाने वाली दवाइयों को छोड़कर दवाइयों के हाइड्रोक्सीक्वीनालाइन समूह के निश्चित खुराक वाले योग ।
15. दमा के इलाज के लिए अन्य औषधियों और स्टेराइड के योग को छोड़कर खाकर प्रयोग करने के लिए स्टेराइड के निश्चित खुराक वाले योग ।
16. क्लोरेफैसिकःल और स्ट्रैप्टोमाइसिन औषधियों को छोड़कर क्लोरेमफैनिकाल के निश्चित खुराक वाले योग ।
17. एमॉट के निश्चित खुराक वाले योग—इसके एलकालोइड एमॉटामाइड और काफाइन के योगों को छोड़कर ।
18. आई० एन० एच० और विटामिन-बी के योग को छोड़कर क्षय रोग रोधी औषधियों तथा रोग-निवारक विटामिनों के निश्चित खुराक वाले योग ।

भारत द्वारा पाकिस्तान के आणविक प्रतिष्ठानों पर आक्रमण सम्बन्धी प्रचार

4266. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान द्वारा विश्व भर में किये गए इस प्रचार की ओर दिलाया गया है कि भारत पाकिस्तान आणविक प्रतिष्ठानों पर आक्रमण कर सकता है तथा भूमिगत यूरेनियम संवर्द्धन सुविधाओं को नष्ट कर सकता है; और

(ख) भ्रमपूर्ण जानकारी पर आधारित इस पाकिस्तान प्रचार का खंडन करने हेतु भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें समाचार-पत्रों में देखी है।

(ख) इस निराधार, शरारतपूर्ण और बेतुके आरोप का पहले ही सरकारी तौर पर खण्डन किया जा चुका है।

मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों और सुरक्षित सीटों के लिए स्थान की शर्त हटाना.

4267. श्री बाला साहिब बिखे पाटिल : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में युद्ध पीड़ित और युद्ध में विकलांग हुए लोगों के बच्चों, भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों और सुरक्षित सीटों के लिए राज्य सरकारों से निवास स्थान की शर्त हटाने के आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और क्या सरकार आदेशों की एक प्रतिलिपि सदन के सभा पटल पर रखेगी;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कि इन आदेशों का कहां तक अनुपालन करना होगा राज्य सरकारों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है (राज्य-वार या कालेज वार); और

(ङ) यदि आदेशों का कडाई से अनुपालन नहीं हो रहा है तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ;

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कयाण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) : शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 3 मई, 1982 को एक पत्र भेजा था जिसमें उनके विचारार्थ यह सुझाव दिया गया था कि अन्य बातों के साथ-साथ, उन रक्षा कार्मिकों के, जो युद्ध अथवा शांति काल के दौरान मारे गये हैं अथवा विकलांग हो गए हैं, बच्चों के लिए निवास स्थान की शर्त को हटा दिया जाए। राज्य सरकारों और सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को इस मामले में उनके द्वारा की गई कार्यवाई के बारे में हमें बताने के लिए अनुस्मारक भेजे गए है। उनका उत्तर प्राप्त होने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय ने भी संबंधित राज्य सरकारों को चिकित्सा तथा दन्त्य संस्थाओं में दाखिले के लिए इसी प्रकार से विचार करने के सम्बन्ध में एक पत्र भेजा है।

2. शिक्षा और संस्कृति तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्रालयों द्वारा भेजे गये पत्रों की प्रतियां संलग्न है । (अनुबन्ध । और ।।)

[ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल टी० 4421/82]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए शिक्षा सुविधएं

4268. **श्री रेणु पद दास :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा चिकित्सा कालेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना संख्या 2206 के अंतर्गत करार

4269. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना संख्या 2206 के अन्तर्गत किये गए करार में वर्ष 1982 में देश के दस राज्यों के बीस लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दस राज्यों के नाम क्या हैं और राज्यवार कितने और किस वर्ग के व्यक्ति लाभान्वित होंगे और किस प्रकार से; और

(ग) राज्यों और व्यक्तियों का चयन करने में क्या मानदंड अपनाये गये हैं और इस योजना का क्या परिणाम रहा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) : विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना संख्या 2206 में 20 लाख स्कूल पूर्व बच्चों और माताओं को पूरक पोषाहार प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई है, जिनका राज्यवार बटवारा नीचे दर्शाया गया है :—

राज्य	बच्चे	गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं	जोड़
1	2	3	4
असम	2,03,000	29,000	2,32,000
बिहार	2,10,875	30,125	2,41,000
गुजरात	1,31,250	18,750	1,50,000
केरल	2,01,250	28,750	2,30,000
मध्य प्रदेश	1,63,625	23,375	1,87,000
उड़ीसा	2,65,125	37,875	3,03,000
महाराष्ट्र	1,31,250	18,750	1,50,000
राजस्थान	87,500	12,500	1,00,000
उत्तर प्रदेश	35,000	5,000	40,000
पश्चिम बंगाल	3,21,125	40,875	3,67,000
	17,50,000	2,50,000	20,00,000

(ग) राज्यों का चयन आवश्यकता प्रशाननिक व्यवहार्यता तथा प्रशासनिक और पर्यवेक्षी खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य के तैयार होने के आधार पर किया जाता है। लाभप्राप्त-कर्त्ताओं (अर्थात् स्कूल पूर्व बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं) का चयन समुदाय के गरीब वर्गों में से किया जाता है जिनमें से कुपोषितों को प्राथमिकता दी जाती है। इस कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन नेशनल इंस्टीट्यूट आफ नुटरीशन हैदराबाद को सौंपा गया है।

औषधि उत्पादन के लिए कोटि नियंत्रण

4270. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधि उत्पादन के नियमों के अनुसार देश में औषधियों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों को कोटि नियंत्रण का एक विशिष्ट स्तर बनाये रखना पड़ता है।

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न कम्पनियां विभिन्न नामों से एक ही औषधि बनाती हैं और उनके तत्व भी समान होते हैं परन्तु उनका असर और परिणाम अलग-अलग होता है और यदि हां, तो इसके कारण हैं; और

(ग) मंत्रालय ने इन औषधियों के परिणाम और प्रभावोत्पादकता एक मान बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन, राज्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्माण-

लाइसेंस जारी किए जाने के बाद ही औषधियों का उत्पादन किया जा सकता है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्माताओं को निम्नलिखित आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं :

(1) उत्पादन-कार्य की देखभाल के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार पर्याप्त रूप से अर्हता-प्राप्त तकनीकी कार्मिकों को नियुक्त करना;

(2) बनाई जाने वाली विभिन्न श्रेणियों की औषधियों के निर्माण के लिए यथा निर्धारित नियमों के अनुसार स्थान का स्वच्छ तथा पर्याप्त रूप में होना;

(3) विभिन्न श्रेणी की औषधियों के निर्माण के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक उपकरणों आदि का होना;

(4) निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री और निर्मित औषधियों के हर बैच की जांच के लिए आवश्यक सुविधाओं का होना। जांच यूनिट निर्माण यूनिट से स्वतंत्र होनी चाहिए।

लाइसेंस दिए जाने के बाद, निर्माताओं को जारी किए गए लाइसेंस की शर्तों के अधीन उन्हें पर्याप्त स्थान, उपकरण, तकनीकी कार्मिक और जांच की सुविधाएं रखनी होंगी, निर्मित औषधि का रिकार्ड रखना होगा और निर्धारित नियमों के अनुसार उसकी जांच करनी होगी, औषधि निरीक्षकों को अपने निर्माण-स्थान का निरीक्षण करने, जांच आदि के लिए नमूने लेने की अनुमति देनी होगी।

जिन मानकों को पूरा करना जरूरी है, वे अधिनियम की दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं तथा निर्मित औषधियों का इन मानकों के अनुरूप होना जरूरी है।

(ख) और (ग) भेषज संहिताओं में निर्धारित विशिष्टियां साधारणतया यह सुनिश्चित करती हैं कि भेषज संहिता की विशिष्टियों के अनुरूप निर्मित औषधियां उपचार की दृष्टि से प्रभावित होंगी। कुछ औषधियों के लिए कण-आकार, प्रक्षितयन जांच आदि जैसे विशेष परीक्षण निर्धारित किये गये हैं ताकि चिकित्सा-विषयक तुल्यता सुनिश्चित हो सके।

———

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व)— अध्यक्ष महोदय हमें प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है लेकिन हम देखते हैं कि लोक सत्ता के नागपुर प्रेस पर गुंडों द्वारा हमला किया गया है। ऐसा केवल इसलिए हुआ कि वहां के मुख्यमंत्री इस समाचार पत्र के विरुद्ध हैं। इस पर किस तरह से चर्चा की जाएगी ?

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि "अंडर माई वैरी-वैरी एक्टिव कंसीडरेशन" ?

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, मैं अपने कंसीडरेशन की बात बताऊं। बैठिए।

आपने एक शेर सुना होगा—

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिलका,
जो चीरा तो कतराए खूं निकला।"

मैंने सुना था और पढ़ा भी और आपकी भी मैंने दो दिन तक लगातार बात सुनी थी और आपने पूछा था कि क्या एक्टिव कंसीडरेशन में है, मैंने कहा था कि वैरी-वैरी एक्टिव कंसीडरेशन में है और दो-तीन दिन लगातार मैं कंसीडरेशन में लगा रहा। काम भी किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आप अपनी राय मत दीजिए, आप इस बिल की तारीफ मत कीजिए। यह ठीक नहीं होगा, समर्थन मत करिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कह रहा हूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, वह खतरनाक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं बढ़ रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि...मैंने आन-रेबल मेम्बर्स को इनवाइट किया था, मैंने पूरी तैयारी की थी...।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आप इसके बारे में बात करिये। मैंने इस बारे में आपको लिख कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि मैंने विनम्र प्रार्थना की थी, प्रार्थना के बावजूद सिर्फ एक मेंबर श्री हरिकेश बहादुर के सिवाय मेरे पास और कोई नहीं आया। हरिकेश जी आज 10 बजे के बाद मेरे पास आए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो सबको बुलाया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात गलत है, आप जिद करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात क्यों नहीं सुनते आप ? जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठते क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय . . . । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने हाउस में इनफार्म किया था, पर्सनली इनफार्म नहीं किया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन में मैंने अपने वक्तव्य में किसी भी माननीय सदस्य को अपने पास

आने के लिए आमंत्रित किया था। मैंने यही कहा है। मैं अपने शब्दों पर कायम हूं और मैं हमेशा ही अपने शब्दों पर कायम रहा हूं। मैं उससे पीछे नहीं हटता। मैं कभी भी उससे पीछे नहीं हटा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मत सुनिये। आप सीरियस नहीं हैं। आप इस बारे में गंभीर नहीं हैं। गंभीरता का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा। (व्यवधान)**

कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

आप सिर्फ इतना ही करने के लिए सीरियस थे, मेरे पास आने के लिए सीरियस नहीं थे।

(व्यवधान)

यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

तीन दिन हो गए, कोई नहीं आ सकता था मेरे पास ? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी किसी ने सवाल नहीं उठाया। सिर्फ दिखावा है। आप दिखावा मत करिए।

(व्यवधान)

दिखावा मत करिये।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय प्रबन्ध संस्थान बंगलौर के वर्ष 1980-81 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग के वर्ष 1970-80 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1980-81 के लेखाओं पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1980-81 के लेखाओं पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी 4391/82]

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(2) (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिदन की एक प्रति।

(दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4392/82]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा और वार्षिक लेखे तथा केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा, अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल-टी 4393/82]

(3) (एक) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, के वर्ष 1980-81 के लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल-टी 4394/82]

(5) (एक) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उपर्युक्त (5) (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल-टी 4395/82]

(6) (एक) जी० बी० पन्त अस्पताल, नई दिल्ली, में रक्त चढ़ाने की व्यवस्था के बारे में श्री राजेश कुमार सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या 9087 के 22 अप्रैल, 1982 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 4396/82]

(7) कैंसर संस्थान, मद्रास, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कैंसर संस्थान, मद्रास, वर्ष 1981-82 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 4397/82]

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 4398/82]

———

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के प्रावधानों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 3 अगस्त, 1982 की अपनी बैठक में 21 जुलाई, 1982 को लोक सभा द्वारा पारित ससद सदस्य वेतनभत्ते तथा पैंशन (संशोधन) विधेयक 1982 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के प्रावधानों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा

3 अगस्त 1982 की अपनी बैठक में 21 जुलाई 1982 को लोक सभा द्वारा पारित चापरमुख सिलपात रेल लाइन और काटाखल लालाबाजार रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) विधेयक 1982 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने नवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

(1) श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	8 जुलाई, से 13 अगस्त, 1982 तक (नवां सत्र)
(2) श्री मोतीभाई आर० चौधरी	9 जुलाई से 13 अगस्त, 1982 तक (नवां सत्र)
(3) श्री एच० जी० रामुलु	14 जुलाई से 7 अगस्त, 1982 तक (नवां सत्र)
(4) श्री सुबोध सेन	30 मार्च, से 30 अप्रैल, 1982 तक (आठवां सत्र) और 8 जुलाई से 3 अगस्त, 1982 तक (नवां सत्र)।

क्या सभा चाहती है कि समिति की सिफारिश के अनुसार अनुमति दी जाये ?

माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। तदनुसार सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : रोका कब है ? बुलाते बुलाते थक गया हूं। कोई आता ही नहीं है। आप आइये। मैंने हमेशा बुलाया है। कोई आए तो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहीं बात करते हैं। मेरे साथ बात करने को तैयार नहीं हैं। आप इस बारे में गम्भीर नहीं मालूम होते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े क्यों हैं ? कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अनन्त प्रसाद शर्मा वक्तव्य देंगे।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमान का 4 अगस्त, 1982 को अपहरण किये जाने के बारे में वक्तव्य

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : दिल्ली-अमृतसर-श्रीनगर मार्ग पर अनुसूचित उड़ान संख्या आई. सी- 423 का परिचालन करने वाले इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग 737 विमान ने, जिसमें 122 यात्री, 4 बच्चे, दो शिशु, एक अधिसंख्य इंजीनियर तथा छः कर्मीदल के सदस्य थे, पालम विमान क्षेत्र से 11.55 बजे उड़ान भरी तथा जब विमान अमृतसर पहुँचने वाला था, तो इसका अपहरण कर लिया गया। अमृतसर विमान क्षेत्र की ओर जाते समय एक पक्षी से टकराने के कारण विमान को क्षति भी पहुंची। अपहरणकर्ता ने विमानचालक को अपने हाथ में लपेटी हुई किसी वस्तु से, जिसे वह विस्फोटक पदार्थ बता रहा था, विमान को उड़ा देने की धमकी देकर लाहौर चलने के लिए मजबूर किया। विमानचालक लाहौर में अवतरण नहीं कर सका क्योंकि लाहौर में विमान यातायात नियंत्रण ने विमान को उतरने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि विमान वहां उतर न सके, धावनपथ पर बाधाएं खड़ी कर दी। बोइंग विमान वापस अमृतसर के लिए उड़ा तथा कार्मिकों ने अपहरणकर्ता को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह विमान को अमृतसर में उतरने दे। विमानचालक विमान को 1337 बजे अमृतसर में सुरक्षित उतारने में सफल हो गया।

अपहरणकर्ता चाहता था कि श्री एच॰ एस॰ लोंगोवाल तथा संत भिंडरवाले का कोई प्रतिनिधि विमान पर आए और उससे बात करे।

विमानचालक तथा कार्मिकों द्वारा स्थिति को बड़ी होशियारी से भली-भांति हैंडल करने की वजह से, पहले एक महिला तथा बच्चों को विमान से उतरने की अनुमति दी गई तथा बाद में शेष यात्रियों को भी बाहर आने की अनुमति दे दी गई। अपहरणकर्ता ने सायं लगभग 4.00 बजे आत्म-समर्पण कर दिया।

एक बोइंग 737 सहायता विमान अमृतसर भेजा गया। इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भी गये। श्रीनगर जाने वाले यात्रियों को सांय लगभग 5 बजे इंडियन एयरलाइंस के विमान द्वारा श्रीनगर भेजने के प्रबन्ध किए गए। अपहरणकर्ता की शिनाख्त कर ली गई है तथा इसका नाम गुरबक्श सिंह है जिसकी आयु लगभग 45 वर्ष है तथा जो अमृतसर के लिए दिल्ली से विमान पर चढ़ा। उसने विमानचालक को धमकी देने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया, वह पीले कपड़े में लिपटी हुई एक प्लास्टिक की गेंद थी। अपहरणकर्ता अपने आप को कुरुक्षेत्र के पास एक गांव का रहने वाला बताता है। वह नीली पगड़ी, सफेद पाजामा तथा कुर्ता पहने हुए था।

अपहरणकर्ता की मांगें थीं :—

(i) अमृतसर को एक पवित्र नगर घोषित किया जाए।

(ii) पंजाब सरकार 25 जुलाई, 1982 को अमृतसर जाने वाले लोगों को रोकने के लिए क्षमा-याचना करे।

(iii) जिन व्यक्तियों ने चंदन कलां में पवित्र पुस्तकों तथा बसों को जलाया था, उन्हें सजा दी जाए तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

(iv) भाई अमरीक सिंह, तारा सिंह तथा सुखजिंदर सिंह निर्दोष हैं तथा उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

(v) अपहरणकर्ता गजिन्दर सिंह को रिहा किया जाए।

(vi) भिंडरवाले के जत्थे के लाइसेंसों को बहाल किया जाए।

(vii) पंजाब विधान सभा को भंग किया जाए।

(viii) उसे कनाडा में डालरों में 50 लाख रुपए दिए जाएं।

(ix) उसे आकाशवाणी से प्रसारण करने की अनुमति दी जाए।

(x) हरियाणा में दल-बदलुओं को मंत्रिमंडल से हटाया जाए।

(xi) पटियाला में जिन व्यक्तियों के पास विस्फोटक पदार्थ मिले थे, उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

अपहरणकर्ता ने आत्म समर्पण करते समय इच्छा व्यक्त की कि उसे पुलिस के हवाले न किया जाए अपितु उसे गुरुद्वारे में ले जाया जाए या न्यायिक हिरासत में रखा जाए। परन्तु अपहरणकर्ता को स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तथा पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एक मामला रजिस्टर कर लिया है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष जी, बहुत ही खतरनाक विधेयक है जो बिहार में आया हुआ है।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आकर बात करो न। आप तो जबानी बात करते हो। आकर बात करो तब पता लगेगा।

(व्यवधान)

काम की बात कोई नहीं करता है, सिर्फ फिजूल की बात करते हो।

एक माननीय सदस्य : दो आदमी गोली से उड़ा दिये... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता टाइम जाया करने का मतलब क्या है जब मैं तैयार बैठा हूँ आपसे बात करने के लिये। आप बिला वजह समय बरबाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, बात करने की जरूरत क्या है, आप पूरे कम्पीटेंट हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप आते क्यों नहीं चैम्बर में, वह आपका ही है, मेरा नहीं है। यहाँ कुछ नहीं हो सकता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री राजदा मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : आप यह रूलिंग दे दीजिये किस चीज के लिए हम आपकी चैम्बर में आयें और किस के लिए न आयें।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, आपको कुछ पता तो है नहीं।

(व्यवधान) **

श्री रतनसिंह राजदा : महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आकर मुझ से बात करें। मैं आपसे यही करवाना चाहता हूँ। इसे यहां नहीं किया जा सकता।

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया जाना

श्री डी० के० नायकर (धारवाड़ उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय शरदकालीन सत्र, 1982 के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी बात के लिये आपको बुलाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) महोदय, सुनने के लिए कुछ परिस्थितियां पैदा करें।

एक माननीय सदस्य : आइटम 9 पर विरोध करने के लिये मैंने लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : बारी आयेगी सब की, आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : टर्न बाई टर्न आयेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। कृपया बैठ जायें।

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : यह सागर विकास परियोजना के बारे में है। हम मंत्री से वक्तव्य चाहते हैं।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मि० पंडित, आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कल बोला था, लिखकर तो आपने दिया नहीं, मि० प्रेमी ।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : आपको कोई सुनता है ? जो कुछ ये कह रहे हैं, कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा ।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे अर्ज किया था, आप लिखकर दीजिये ।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : एक सुझाव दे सकते हैं ? आप इस मामले को 377 में क्यों नहीं लेते हैं ? दो शिड्यल्ड कास्ट्स की हत्या सिर्फ इसलिए की गई कि वह सिर्फ चौहान लिखते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : न यह सुनते, न आप सुनते । बिना वजह शोर करते हैं, इसका क्या कोई अर्थ निकलता है ?

मैंने कल बात कही थी, इनसे कहा था कि प्रेमी जी, यह बात लिखकर दीजिये, इसका पीछा करेंगे, मैं पीछा करूंगा, सब डटकर पीछा करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : इससे कुछ होगा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप कर लीजिये, अगर कर सकते हैं । न आप करते हैं और न करने देते हैं ।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : मैं इस समस्या को इस तरीके से हल नहीं कर सकता ।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : कहां दे दिया ? कब भेजा आपने ?

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा । मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है ।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : मैंने आगरा कालोनी में अनुसूचित जाति के

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

लोगों पर किए गए अत्याचारों के बारे में नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई होगा, देखेंगे। आप यहां मुझ से क्या करवाना चाहते हैं ? आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आप ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं केवल इतना ही जानना चाहूंगा कि क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है ?

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : बोलिये क्या सुनू आपकी ?

(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : क्या आश्वासन दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई आश्वासन नहीं हैं।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी ये कह रहे हैं, उसमें से कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं, आप सिर्फ उनको सुनाने के लिए करते हैं, वह आपने कर लिया। आप मेरे पास आइये, मुझे बताइये, मैं आपसे सलाह करना चाहता हूं। मैं आपकी बात करना चाहता हूं, आप करना नही चाहते। आप सुनाना चाहते हैं, वह सुना लिया आपने। यह ठीक है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीली भीत) : आपको बतायें, करोड़ों रुपये का गेहूँ सड़ गया चंडीगढ़ में।

अध्यक्ष महोदय : आप और तरीके से रखिये, यह कोई तरीका थोड़े ही है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : और कौनसा तरीका है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई नोटिस दिया है ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : एडजार्नमैंट मोशन वगैरा सब दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे थोड़े ही होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं सदन का काम चलने देते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सहायता नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं सदन का काम चलने देते।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आप महत्वपूर्ण मामलों को उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप किसी भी प्रकार योगदान नहीं दे रहे हैं। आपका रवैया घातक है। यह नकारात्मक है, बिल्कुल ही नकारात्मक है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : नेगेटिव क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है आपसे। मैंने सुबह भी कहा था कि 'यह एक गम्भीर मामला है और हम इस पर विचार करेंगे।'

और आप क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे ? मैं सब बातें यहां प्रकट नहीं कर सकता।

श्री हरीश कुमार गंगवार : इस पर कोई चर्चा तो होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ ऐसे सदस्य को कैसे राजी कर सकता हूं जो इसे जानता है और फिर भी आगे बढ़ता है। वह जानते हैं कि यह मेरे विचाराधीन है। मैं जानता हूं कि मैं इनसे हमदर्दी रखता हूं। वह जानते हैं कि वे इतने ही उत्तेजित है जितना कि मैं हूं। लेकिन फिर भी वह सभा के समय को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वह यही कुछ कर रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं सभा का समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवहारिक रूप से कर रहे हैं। आप न जानते हुए भी इसे कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि मुझे उस विषय से हमदर्दी है और मैं इसके महत्व को जानता हूं। मैंने आज सुबह आपको बताया भी था। फिर भी आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं। यह किस प्रकार का सहयोग है। इससे आपको क्या लाभ पहुँचेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या आपको नियंत्रण अब भी है या आपने इसे वापिस ले लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : कौन सा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लोगों को आने तथा आपसे मिलने का।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे वापिस क्यों लूंगा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्योंकि आप गुस्से में हैं, मैं आपसे कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं बहुत उत्सुकता से इन्तजार करता रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप अब भी इन्तजार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि आपने इतना समय क्यों बर्बाद किया। आप इसे ठीक काम के लिए लगा सकते थे।

श्री चंद्रजीत यादव (आजमगढ़) : इस बीच मैं बिहार के राज्यपाल से भी अनुरोध करूंगा कि वह सहमति न दें—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता । मैं तो तैयार हूं । आप हमेशा प्रेस गैलरी की तरफ क्यों देखते हैं ? आप क्यों देखते हैं—और मैं क्यों देखता हूँ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें ऐसा नहीं करना चाहिये । हमें नहीं करना चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : हम लोग इस मामले पर बहुत एजीटेटेड हैं ।

अध्यक्ष महोदय : एजीटेटेड हैं तो कुछ करके दिखलाइए ।

श्री चन्द्रजीत यादव : उस विधेयक के महत्व को राज्यपाल स्वयं भी अनुभव करते है ।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, में यही कहना चाहता हूं कि कोई बात तो आकर के करे, इसका कोई तरीका निकलेगा । जिस तरीके से कहते है उस तरीके से नहीं निकलेगा ।

मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य इस पर जोर दें ।

श्री रामविलास पासवान : सेन्ट्रल गवर्नमैंट की भी कोई ज़वाबदेही है कि इसको रोके । जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय इसको रोका गया था । इस समय सेन्ट्रल गवर्नमैंट ने क्यों नहीं रोका ?

श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर) : यह पेपर में लिखा हुआ है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा । यह सब असंगत है ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह बहुत ही नाजुक मामला है । मैं आपकी अनुमति से एक सुझाव देना चाहता हूं । चूंकि यह एक ऐसा बहुत ही नाजुक मामला है जिसमें बालमीकियों को गोली से मारा गया है । मैं सुझाव दूंगा कि वह नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य दें और मन्त्री जवाब दें । इससे वह सतुष्ट हो जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप वह नियम दिखा सकते हैं जिसके अन्तर्गत मैं इसके लिये अनुमति दे सकता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : नियम 377 आपका अधिकार है । कोई भी इससे सम्बन्धित नहीं है । मैं केवल एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिससे समय की बचत हो सकती है—कोई ध्यानाकर्षण नहीं, कोई चर्चा नहीं लेकिन उन्हें नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य देने दें और मंत्री को उत्तर देने के लिए कहा जाए । (व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री हरिकेश बहादुर : यह केन्द्रीय विषय है क्योंकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहिब, बिना 377 के भी मैंने परसों आपको अनुमति दी थी और मैंने उन्हें अपना आश्वासन भी दिया था। आप इससे अधिक क्या चाहेंगे ? परसों भी मैंने उन्हें अनुमति दी थी।

प्रो० मधु दंडवते : वह एक लिखित ब्यौरेवार वक्तव्य दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह ब्यौरेवार लिखित वक्तव्य था। जो कुछ भी उन्होंने कहा, वही ब्यौरेवार वक्तव्य था।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप उसके साथ इसकी बात क्यों करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें उस दिन अनुमति दी थी।

प्रो० मधु दंडवते : हम फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि कल 377 के अधीन उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दें। उससे समस्या हल हो जायेगी।

(व्यवधान)*

(इस समय, श्री मंगलराम प्रेमी, श्री जगपाल सिंह कश्यप तथा श्री आर० एन० राकेश आये और सभा पटल के निकट सभा के फर्श पर बैठ गये।

(व्यवधान)*

प्रो० मधु दंडवते : समस्या बहुत सरल है। यदि कल वह नियम 377 के अधीन नोटिस देते है तो मेरे विचार में इन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसके बाद मन्त्री महोदय जो चाहें कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो कल भी करवा दिया था और कल फिर 377 करवा दूंगा। अब और कितने जोर से बोलूं।

मैं नियम 377 के लिए अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : क्या आप नियम 377 के लिए अनुमति देंगे। ठीक है। (व्यवधान)

फिर मंत्री उत्तर देंगे ?

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(श्री मंगलसेन प्रेमी, श्री जगपाल सिंह कश्यप और श्री आर० एन० राकेश अपनी सीटों पर वापिस चले गये।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गलत बात मत करिए।

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : एक माननीय सदस्य ने मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे। मेरे विचार में उस बात को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : अध्यक्ष महोदय, संसद् की यह महत्वपूर्ण समिति अत्यन्त महत्वपूर्ण उपायों अर्थात् दण्ड संहिता दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम के कुछ उपबन्धों में संशोधन करने वाले विधेयक के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पांचवी बार समय बढ़ाने की मांग कर रही है।

मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे समिति, अपने गठन के समय से जिस सावधानी से कार्य कर रही है उससे विमुख न हो जाए। समिति जिस विषय पर विचार कर रही है इस पर किसी भी व्यक्ति संगठन अथवा ग्रुप को सुनने की समिति की इच्छा को मैं मानने के लिए भी तैयार हूँ। इस उद्देश्य हेतु समिति द्वारा सम्पूर्ण देश का भ्रमण करने की भी मैं प्रशसा करता हूं। वह देश के प्रत्येक भाग में जा रही है और मौके पर जाकर ही साक्ष्य ले रही है। यह अच्छी बात है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना और समय बढ़ाना अनिवार्य हो जब यह अनिवार्य सा ही है, फिर भी मेरे दिल में कुछ संशय हैं, जिनमें मैं सभा को सहभागी बनाना चाहता हूं ताकि समिति अपना कार्य शीघ्रता से करे और यह समय वृद्धि अन्तिम समय वृद्धि हो।

इस विधेयक को इसलिए पुरःस्थापित किया गया था क्योंकि एक निर्दोष युवा महिला के साथ बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को, जो रिहाई का पात्र नहीं था, रिहा कर दिया गया था, और जब यह महिला पुलिस स्टेशन गई तो एक काण्सटेबल ने पुलिस स्टेशन में ही उसके साथ बलात्कार किया। इससे देश की महिलाओं में उत्तेजना व्याप्त थी। यह एक बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला था और उच्चतम न्यायालय द्वारा रिहाई और भी दिल दहला देने वाली थी। इसका दोष कानून पर मढ़ दिया गया और कहा गया कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। मैंने हमेशा यही अनुभव किया कि तथ्यों पर आधारित उच्चतम न्यायालय का निर्णय गलत था। परन्तु चूंकि यह निर्णय लिया गया है कि कानून को हर स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यथा शीघ्र संभव अवसर पर कानून बनाना अत्यन्त आवश्यक है। इस बीच दो से अधिक वर्ष का समय व्यतीत हो गया है परन्तु महिलाओं पर अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई है। इस देश की महिलाओं के साथ प्रतिदिन कोई न कोई उत्तेजना पूर्ण कार्य, जैसा कि दहेज के लिए हत्या, आत्महत्या आदि, किए जाते हैं। और उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन उन्हें अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देता। महिला

और उनके हितों की घोर उपेक्षा और उन्हें समाज के पुरुष वर्ग के समकक्ष लाने में घोर असफलता के कारण इस देश की महिलाओं में चिन्ता और क्षोभ व्याप्त है, जो उचित भी है। अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि यह विलम्ब ही पूर्णतया असफलता का और महिलाओं में उत्तेजना का कारण बनाता जा रहा है। मैं इस सभा में यह पूछना चाहता हूं कि यदि त्रुटिपूर्ण कानून के कारण महिलाओं के साथ गम्भीर अन्याय किए जा रहे हैं और अपराधियों को दण्ड नहीं दिया जा रहा है तो क्या हम कोई ऐसा तरीका नहीं निकाल सकते जिससे हम भूतलक्षी प्रभाव से न्याय कर सकें। चूंकि भूतलक्षी प्रभाव से न्याय नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं इस समिति से अनुरोध करता हूँ कि वह अन्तिम बार समय बचाये और अपने प्रस्ताव पेश करे।

मैं इस विलम्बकारी स्थिति के मुख्य अभियुक्त का पता लगाना चाहता हूं। प्रतिवेदन के अनुसार, समय बढ़वाने के लिए समिति द्वारा दिए गए तर्कों के अनुसार मुख्य अभियुक्त सरकार ही है। समिति कहती है कि सरकार विधेयक के संशोधन, मूलरूप में प्रस्तुत किए गए ढंग से, तैयार करने में असफल रही है। यह जो कुछ कर रही है उसी के समान है, इसके द्वारा लापरवाही बरतना जारी है, इसके द्वारा पूर्ण अकार्यकुशलता का परिचय देना जारी है, इसके द्वारा देश के कार्यों को सुस्ती से तथा ढुलमुल ढंग से करने की मौका देने वाली मिसाल देना जारी है जो कि देश में बदनाम करने वाली विशेषताएं बन गई हैं। अतः मैं अब इस विलम्बपूर्ण अवस्था में भी सरकार से इधर या उधर अपना निश्चय करके अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं।

जहां तक इस समिति का संबंध है, मेरे विचार में इसने बहुत अधिक सुनवाई कर ली है। प्रत्येक व्यक्ति से हर प्रकार की सुनवाई करना आवश्यक नहीं है। आज बैठकर लिखित अनुरोधों में से, जो कोई भी देता है, यह पता लगायें कि इस उद्देश्य के लिए सुनवाई करना आवश्यक है या नहीं। उन्हें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने दीजिए। इस समिति को सभा की इस राय को समझने दीजिए कि हम अब अन्तिम बार उनका समय बढ़ा रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, यह संयुक्त समिति अपने गठन के समय से अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पायी है। किसी निर्णय पर पहुचने के लिए दो साल का समय कम नहीं होता है और खास तौर से ऐसे महत्व के विषय को देखते हुए इस पर समिति को शीघ्रता से निर्णय लेने की आवश्कयता है। लेकिन अभी तक यह सम्भव नहीं हो सका है।

मैं भी इस विचार का हूं कि इसकी मुख्य जवाबदेही सरकार की है क्योंकि इस वक्तव्य में लिखा हुआ है कि अभी सरकार से संशोधन प्राप्त होने हैं और उन पर विचार करना है। पता नहीं इसके लिए सरकार ने इतना वक्त क्यों लिया ? इतने दिनों में सरकार अपने संशोधन या जो कुछ भी उसको कहना था वह सरकार भेज सकती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इस विधेयक के महत्व को नहीं देख रही है और यही वजह है कि वह सुस्ती के साथ बैठी हुई है और इस विधेयक पर अपने विचार संयुक्त समिति के सामने नहीं रख रही है।

मैंने इस पर अपना लिखित संशोधन भेजा है कि यदि समिति को और समय चाहिए तो वह दे दिया जाए लेकिन यह आखिरी बार बढ़ाया जाए। आगे किसी प्रकार से भी इसका समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है ताकि इस महत्वपूर्ण मसले को जल्दी से निपटाया जा सके। नहीं तो,

असामाजिक तत्व खुले घूमते रहेंगे और गड़बड़ी करते रहेंगे। उनको जल्दी से जल्दी डील करना है। मेरा संशोधन यही है कि इसके बाद उनको आगे समय नहीं दिया जाए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी इस दंड विधि (संशोधन) विधेयक पर गठित संयुक्त समिति का समय बढ़ाया जाए, इसके बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि बहुत कुछ इस बारे में भाई जेठमलानी जी और शास्त्री जी कह चुके हैं, मैं उसको दुहराऊंगा नहीं। लेकिन यह बात सही है कि जिन कार्यों के लिए इस समिति का निर्माण किया गया था वे बहुत महत्व-पूर्ण हैं और इसलिए इसकी रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए। उसके बाद बिस्वा का कांड हुआ और अलीगढ़ जिले में भी महिलाओं पर बलात्कार और अत्याचार हुए। उसके बाद से महिलाओं पर अत्याचारों की संख्या बढ़ी है। दिसम्बर में हम दो वर्ष पूरे कर लेंगे। अगर उस समय तक भी हम इस पर विचार करके, इसको सही-सही शेप न दे पायें तो यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

श्रीमन् यह बहुत जल्दी करने का, शीघ्रता करने का मामला है, क्योंकि कानून में जो कमियां रह गयी हैं, उनके कारण अपराधियों को सजा नहीं हो पाती, वे छूट जाते हैं। उस पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा, जैसा कि कहा है कि आगे और एक्सटेंशन न दिया जाए। यह कमेटी पूरा कामकर ले और सरकार उसको भली प्रकार से सहयोग करे। सरकार के कारण अगर कमेटी का समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो यह अच्छी बात नहीं है। सरकार के ऊपर इसका दोषारोपण जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री डी० के० नायकर : महोदय, मैंने समय बढ़ाने का विरोध करने वाले माननीय सदस्यों के तर्क सुने हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो यह मांग कर रहे हैं कि अब यह समय वृद्धि अन्तिम होनी चाहिए।

श्री डी० के० नायकर : ठीक है, संभवतः वे यह सोचते हैं कि समय की आवश्यकता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए है।

महोदय, समिति का इरादा अपनी इच्छानुसार बार-बार समय बढ़वाने का नहीं है। संभवतः मैं यह सही कह रहा हूं कि इस सभा के माननीय सदस्य श्री राम जेठमलानी इस समिति के समक्ष पेश हुए थे और उन्होंने इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे थे। यह कोई एक या दो उपबन्धों वाला छोटा सा विधेयक नहीं है। इसमें कई उपबन्ध हैं, जिनका लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अतः समिति ने बहुत ध्यान रखा है और बहुत विचार किया है और अब यह अन्तिम चरण में हैं और समिति प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे रही है। परन्तु उस समय सरकार ने विचार-विमर्श और सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर एक सरकारी संशोधन प्रस्तुत किया। उस समय माननीय सदस्य अर्थात् गृह मंत्री को समय देना समिति का स्वैच्छिक कार्य था। अब, महोदय, आप जानते हैं कि माननीय मंत्री महोदय को प्रक्रिया के अधीन क्या कदम उठाने चाहिए थे और विभिन्न विभागों को इसकी छानबीन करनी थी और उन्हें पुनः प्रस्तुत करना था। इन अपरिहार्य तर्कों और परिस्थितियों के कारण सरकार ने गृह

मंत्रालय को समय देना उचित समझा और समिति में समय बढ़वाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

महोदय, मैं इस सम्मानित सभा के समक्ष यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। मेरी समिति में श्री जेठमलानी जैसी बड़ी-बड़ी हस्तियां है। उनके पास इस बात का विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए और समय की आवश्यकता है। महोदय, मैं आपको यह बता दूं कि समय बढ़वाने के बारे में श्री जेठमलानी जैसे विपक्ष के सदस्य भी यह कहते हैं कि समय में यह वृद्धि अन्तिम हो।

(व्यवधान)

महोदय, उन्होंने समय बढ़वाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया है। समय बढ़वाने के लिए वे स्वेच्छा से सहयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह इस सभा के सदस्य हैं।

श्री डी० के० नायकर : मैं अपनी समिति के सदस्यों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैंने तो केवल यही कहा है कि श्री जेठमलानी सहित विपक्षी दलों के सदस्य यहां मौजूद हैं। वे समय बढ़वाने के मुद्दे पर भी सहमत हो गए हैं और यह भी निर्णय लिया गया है कि समय में यह वृद्धि अन्तिम होनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल यही चाहते हैं कि आप और समय न बढ़वाएं, इसके बाद आप प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें।

श्री डी० के० नायकर : और समय कौन बढ़वाना चाहता है ? समिति स्वयं भी महसूस कर रही है और कई महिला सदस्या भी इसके प्रति चिन्तित हैं। अतः हम स्वेच्छा से समय नहीं बढ़वा रहे हैं। महोदय, यदि परिस्थितियों के अनुसार इस प्रकार की समय वृद्धि आवश्यक हुई तो केवल तभी हम समय बढ़ाने के लिए कहेंगे। अन्यथा हम इसकी मांग नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : समिति के अध्यक्ष को सुनने के बाद हम जान गए हैं कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब क्यों हो रहा है। (व्यवधान)

उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। और समय न बढ़ाया जाए सभा की यही राय है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, समिति का सदस्य होने के नाते इन्होंने जो शंका खड़ी की है, यह अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय : वह इस सभा के माननीय सदस्य हैं परन्तु इस समिति के सदस्य नहीं है।

श्री राम जेठमलानी : मैं उन्हें इस प्रकार की जानकारी न होने पर कुछ नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता,

1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय शरद्कालीन सत्र, 1982 के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय मेरे संशोधन का क्या हुआ ?

कार्य मंत्रणा समिति

34वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा 3 अगस्त, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 34 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित और जोड़ दिया जाए—

निम्नलिखित रूपभेद के अध्यधीन कि पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा नियम 193 के बजाय नियम 184 के अंतर्गत की जाए"

मंडल कमिशन की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इस पर सदन में काफी चर्चाएं चली हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर देश की बहुत बड़ी संख्या में लोगों के भाग्य का फसला होने वाला है। मेरा इतना ही संशोधन है कि 193 के तहत इस पर डिसकशन न करवा कर आप 184 के तहत करवाएं। 193 के तहत आप जो डिसकशन करवाते हैं वह अल्पकालिक होता है। रूल्ज में कहा गया है अल्पकालीन चर्चा। मैं चाहता हूं कि एक प्रस्ताव के रूप में सदन के सामने इसको रखा जाए। हिन्दुस्तान के 55 प्रतिशत लोगों के जीवन मरण का यह प्रश्न है। सरकार अपने आपको बचाने के लिए भाग भी सकती है। इसलिए डिसकशन इस पर प्रस्ताव के रूप में आपको करानी चाहिए। वह 184 के तहत होती है। नोटिस भी इसका हम लोगों ने दे रखा है। मन्त्री महोदय कहेंगे कि बी ए सी मे फैसला यह किया है जिस में सभी दलों के लोग रहते हैं, मैं क्या करूं। मैं उनके जवाब को समझता हूं। मैं इतना ही उनसे आग्रह करता हूँ कि पार्लिमेंटरी एफेयर्ज के मिनिस्टर होने के नाते आप कृपया इसको बी ए सी में लें जाए और दुबारा इसको वहाँ पर रखें और 183 के बदले 184 के तहत इसको स्वीकृत करवाने का कष्ट करें। इस में आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, अध्यक्ष महोदय, और उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो कभी दिक्कत नहीं होती है।

प्रो॰ अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): 193 के बारे में नियम है अविलम्बनीय लोक

महत्व के विषय पर अल्पकालीन चर्चा। सवाल उठता है कि यह अविलम्बनीय उस हिसाब से रहा नहीं क्योंकि मंडल कमिशन का प्रतिवेदन 1980 में ही समर्पित कर दिया गया था। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने जो मैमोरेंडम आफ एकशन टोकन दिया उस में सिर्फ यही कहा कि स्टेट्स की राय मांगी गई है। मेरी मांग है कि इस पर विशद रूप से चर्चा होनी चाहिए और 193 के तहत नहीं बल्कि 184 के तहत प्रस्ताव के रूप में और उसको सदन में ला कर और कम से कम दो दिन तक इस पर चर्चा चलाई जानी चाहिए। देश के कम से कम 52 प्रतिशत लोगों के स्तर को ऊपर उठाने का यह सवाल है। इस पर कम से कम दो दिन तक चर्चा आप चलाएं यह मेरा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा जितनी देर कहो, उतनी देर चला देंगे। चर्चा की कोई बात नहीं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : पासवान जी और मेहता जी दोनों सदन की कार्रवाई को समझने वालों में से हैं और जैसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है—

एक माननीय सदस्य : और नहीं हैं ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : सभी हैं। आप तमाम माननीय सदस्य हैं।

उन्होंने जो कुछ कहा है उसके उत्तर में मैं इतना ही कहूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति का यह सर्व सम्मत प्रतिवेदन है। सारे प्रोसीजर और सारी कार्रवाई और सबके विचार जानने के बाद वहां निर्णय होता है और उसका जो प्रतिवेदन होता है उसको मैं यहां रखता हूँ। मैं न उसमें संशोधन कर सकता हूं और न कोई दूसरा सुझाव दे सकता हूं—

श्री राम विलास पासवान : पुनर्विचार तो हो सकता है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मुझे वापिस करने का भी अधिकार नहीं है।

जहां तक बैकवर्ड क्लासिस कमिशन की रिपोर्ट का सम्बन्ध है सभी माननीय सदस्य जो वहां उपस्थिति थे और आपके दल के भी थे, सभी ने एक राय करके माना है कि यह मामला ऐसा है कि इस पर वाद विवाद होना चाहिए और 193 में हो, इसको भी माना है। उसी के मुताबिक प्रतिवेदन ले कर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सभी की सहमति से यह प्रतिवेदन यहां रखा गया है। उसी को मैंने यहां पर उपस्थित किया है।

श्री राम विलास पासवान : डिफर क्या करते ? सबसे बड़ी बात यह है कि लोग समझ रहे हैं कि चर्चा होगी। 193 और 184 में चर्चाओं में जमीन आसमान का फर्क है। डिसकशन का कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब 184 में करवाएं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री राम विलास पासवान द्वारा रखे गए संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 3 अगस्त, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 34 वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) फिलिपीन से नारियल के तेल का आयात प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, माननीय नागरिक पूर्ति मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में 19 जुलाई, 1982 को इस सभा को सूचित किया था कि फिलिपीन से नारियल का तेल आयात करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । महोदय, यह घोषणा हम लोगों के लिए बहुत ही चिन्ताजनक है और देश के, विशेषरूप से केरल के, नारियल उत्पादकों के लिए बहुत ही हानिकारक है ।

महोदय, नारियल उत्पादन के कुल क्षेत्र का 70 प्रतिशत क्षेत्र केरल में है और देश में उत्पादित कोपरे का 90 प्रतिशत केरल से आता है । लगभग 30 लाख परिवार, जिनमें 90 प्रतिशत केरल के थोड़ी भूमिधारक हैं, अपनी आजीविका हेतु नारियल की खेती पर निर्भर हैं ।

महोदय, देश में कुछ आयातकों ने अखाद्य औद्योगिक तेल, इंजन तेल आदि के रूप में नारियल के तेल का आयात किया था । उन्होंने आयातित तेल को संसाधित किया और उसे बाजार में खाद्य तेल के रूप में बेच दिया । हमने यह मामला वाणिज्य मंत्रालय के ध्यान में लाया था और तत्कालीन वाणिज्य मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि किसी भी प्रकार के नारियल के तेल के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

महोदय, अब नागरिक पूर्ति मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार फिलिपीन से नारियल के तेल का आयात करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

ऐसा कदम उठाने से केरल की अर्थव्यवस्था बिगड़ जायेगी और इसका दुष्प्रभाव 3 करोड़ नारियल की खेती करने वाले किसानों पर पड़ेगा जिनमें से 98 प्रतिशत के पास छोटे खेत हैं तथा नारियल का बागीचा ही जिनका मुख्य आय स्रोत होता है । कीमतें तो पहले ही अलाभप्रद हैं । यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस समय देश में सबसे सस्ता खाने का तेल नारियल का ही तेल है । यदि नारियल के तेल का और भी आयात किया जाता है तो यह इस देश के नारियल के किसानों के लिए मृत्युदायी प्रहार सिद्ध होगा ।

अतः, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस देश के नारियल उत्पादकों को गम्भीर संकट में पड़ने से बचाने के लिए किसी भी प्रकार के नारियल के तेल के आयात की कार्यवाही को बन्द कर दे ।

(दो) उत्तर प्रदेश के कतिपय विकास प्रखण्डों को आदिवासी क्षेत्र घोषित करना

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उत्तर प्रदेश में कई जातीय समुदाय जिन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त होना चाहिये था, उन्हें जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। पिथौरागढ़ जनपद (उ० प्र०) के गंगोलीहाट ब्लाक में एक ऐसी जाति कुथलिया बौरा है जिनके रिश्ते नाते, आचार-विचार, संस्कृति व उद्गम जनजाति का है लेकिन उन्हें जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः शासन को पुनः सर्वेक्षण कर इस प्रकार की जातियों को जनजाति के रूप में मान्यता देनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में ही 4 ऐसे विकास खंड है जिनमें उनकी कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत से अधिक जनजाति, 20 प्रतिशत के लगभग हरिजन व शेष ऐसी जातियां के लोग रहते हैं जो इन विकास खंडों में जनजातियों के सहयोगी जातियों के रूप में बसे थे। इन जातियों की आर्थिक व सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति लगभग वही है जो इन विकास खंडों के अन्तर्गत रहने वाली जनजातियों की है। इस प्रकार के विकास खड धारचूला-मुन्स्यारी-पिथौरागढ़ जनपद, जोशीमठ चमोली जनपद तथा यमुनाबार देहरादून जनपद में है। इन क्षेत्रों की जनता लम्बे समय से इन विकास खंडों को जौनसार भावर की तरह जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग करती आ रही है ताकि यहां बसने वाली सभी जातियों को जनजातियों को प्राप्त सभी प्रकार की सुविधायें प्राप्त हो सकें। इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी केन्द्र की सरकार को लिखा गया है।

अतः मेरा माननीय गृहमंत्री जी से अनुरोध है कि जनजाति क्षेत्रों के संदर्भ में प्रेजीडेंशियल आर्डर में संशोधन कर धारचूला-मुनस्यारी, जोशीमठ व यमुनावार विकास खंडों को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए।

(तीन) आकाश-वाणी के कटक केन्द्र का आधुनिकीकरण

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : आकाशवाणी कटक के द्वारा अपने समस्त श्रोता-क्षेत्र को विभिन्न कार्य क्रम देने में असफल रहने के कारण उस क्षेत्र की जनता में भारी असन्तोष फैल गया है। आकाशवाणी कटक के समस्त क्षेत्र के अन्तर्गत 8 जिले पड़ते हैं। आजकल उस स्टेशन पर ट्रान्समीटर लगाया हुआ है। वह इन सभी जिलों को कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। नवीनतम समाचारों और अन्य मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए राज्यभर की जनता इसी स्टेशन पर निर्भर करती हैं। परन्तु उस स्टेशन पर बहु-चैनल न होने के कारण वहां के लोगों को ऐसी सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है।

बहुत-सी राज्य आकाशवाणियों के एक से अधिक चैनल होते हैं। एक चैनल तो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करता है और दूसरा चैनल दिल्ली से प्रसारित होने वाले राष्ट्र-हित के विभिन्न कार्यक्रमों के भार को वहन करता है। यदि एक और चैनल कटक में लगा दिया जाए और विशेषकर लघु तरंग ट्रांसमीटर तो एक ओर तो राज्य के लोक कार्यक्रम प्रसारित किये जा सकते हैं और दूसरी ओर विकास-मूलक कार्यक्रम प्रसारित किये जा सकते हैं। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों को वैकल्पिक कार्यक्रम सुनने को मिल जायेंगे क्योंकि स्थानीय टी० बी० चैनल पर कटक से 30 किलोमीटर आगे नहीं सुना जा सकता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के रेडियो स्टेशनों को सुधारने के लिए

कदम उठाए हैं। इसी प्रकार उड़ीसा राज्य में भी व्यापक रेडियो सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये। आकाशवाणी के कटक स्टेशन को भी एक से अधिक चैनल प्रदान करके उन्नत और आधुनिक बनाया जाना चाहिये।

(चार) बरौनी में कैप्रोलैक्टम प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, बरौनी बिहार में 200 करोड़ का कैप्रोलैक्टम प्लांट स्थापित करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया, इसकी घोषणा भी कई बार हो चुकी है। निर्णय लेने के बाद अभी तक भारत सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। सुनने में आता है कि भारत सरकार अब इस योजना को स्थगित कर दूसरे प्रान्त में कैप्रोलैक्टम प्लांट स्थापित करने का इरादा कर रही है।

बरौनी गंगा के किनारे है, आयल रिफाइनरी, फार्टिलाइजर खाद कारखाना, थर्मल पावर प्लांट एवं अन्य कई औद्योगिक कारखाने चतुर्दिक हैं। छोटे-बड़े अनेक उद्योग, एन्सीलरीज विकसित हो चुके है।

1981 में एक तकनीकी समिति ने भी बरौनी में कैप्रोलैक्टम प्लांट की अनुशंसा ही नहीं की, बल्कि प्रतिवेदन में लिखा है कि बरौनी ही सबसे उपयुक्त स्थान है, जहां इस प्लांट की स्थापना हो सकती है। इस निर्णय के कार्यान्वियन एवं सरकारी घोषणा में विलम्ब के कारण पूरे बिहार प्रांत की आम जनता में विशेषकर बरौनी बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र में घोर असंतोष एवं निराशा व्याप्त हो गई है। इस सम्बन्ध में बिहार सरकार एवं बिहार के संसद सदस्यगण अनेकों स्मार-पत्र सरकार को दे चुके हैं। अतः भारत सरकार से निवेदन है कि बरौनी में कैप्रोलैक्टम प्लांट की स्थापना की दिशा में शीघ्र कोई ठोस कार्यवाही करे।

(पांच) उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं का विकास करने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के कई जिलों में सड़क यातायात एवं परिवहन के साधनों का अत्यधिक अभाव है। यह क्षेत्र देश के सबसे पिछड़े हुए भागों में से एक है। लखीमपुर खीरी जिला भी इसमें शामिल है, जहां सड़क परिवहन निगम का डिपो होते हुए भी परिवहन व्यवस्था दयनीय है। वास्तव में लखनऊ संभाग में जहां लाखों यात्रियों को लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में तराई इलाकों में जाना पड़ता है, बसों का घोर अभाव है।

मोहम्मदी तहसील, जो बरेली क्षेत्र में आती है, और उसके आसपास का इलाका परिवहन और यातायात की गम्भीर समस्या से पीड़ित हैं। रेल सेवा की शोचनीय हालत यात्रियों की परेशानियों को कई गुना बढ़ाती है। इससे क्षेत्र की जनता में भारी रोष व्याप्त है।

इसे पिछड़े हुए इलाके के विकास और प्रगति की अत्यधिक आवश्यकता है, किन्तु परि-

वहन और यातायात के साधनों के अभाव में गरीब जनता के लाभ के छोटे-मोटे उद्योग भी नहीं खुल पाते। किसानों और व्यापारियों को अपना धंधा चलाना मुश्किल है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करती हूं कि इस क्षेत्र की गरीब जनता की भलाई के लिए यातायात और परिवहन व्यवस्था का तेजी से विकास करने का उत्तर प्रदेश शासन को निर्देश दिया जाये।

(छः) मुरादाबाद में छावनी बनाने के लिए अधिगृहीत की गई भूमि का पर्याप्त मुआवजा देना

श्री गुलाम मोहम्मद खां (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार मुरादाबाद में सैनिक छावनी (मिलिट्री कैन्टोनमैंट) स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके लिए आवश्यक जमीन का सर्वेक्षण, अधिग्रहण आदि की कार्यवाही भी चल रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सैनिक छावनी से स्थानीय क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और खुशहाली बढ़ेगी। इससे मुरादाबाद क्षेत्र को आधुनिक बनाने में भी मदद मिलेगी। किन्तु इस कार्य के लिए जिन व्यक्तियों की जमीन अधिगृहीत की जा रही है उनमें मुआवजे के प्रश्न को लेकर असंतोष व्याप्त है। इन लोगों को समुचित मुआवजा एवं अन्य स्थान पर जमीन दी जानी चाहिए। इनके पुनर्वास का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। जिन किसानों की जमीन ली गई है उन्हें अन्य स्थान पर खेती करने, लघु उद्योग लगाने और बिजली व सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए। अतः मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि मुरादाबाद में सैनिक छावनी स्थापित करने के सिलसिले में जमीन लेने से प्रभावित किसानों की समस्याओं पर तुरन्त ध्यान दे कर उन के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन्हे उचित मुआवजा जल्दी मिल सके।

(सात) केरल में कल्लाड बांध के निर्माण से प्रभावित किसान परिवारों का पुनर्वास करने की आवश्यकता

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन कृषि मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह उस पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

कल्लाड सिंचाई परियोजना केरल की प्रमुख सिंचाई योजनाओं में से एक है। परियोजना का मुख्य बांध कल्लाड बांध मेरे चुनाव क्षेत्र के थेनमाला स्थान पर बन रहा है और पूरा होने वाला है। परियोजना के आवाह-क्षेत्र में रहने वाले लगभग 200 कृषक परिवारों को फिर से बसाया जाना है।

केरल सरकार ने पथनापुरम ताल्लुक के कुलथूपूझा गांव में इन किसानों को वैकल्पिक भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है। पुनर्वास की समस्या पर विचार करने के लिए बुलाए गए कई सम्मेलनों के बाद, आवाह-क्षेत्र से विस्थापित किए जा रहे किसानों को आवंटित करने के लिए अन्ततः लगभग 350 एकड़ भूमि पर निर्णय हुआ। यह भी निर्णय लिया गया कि इस 350 एकड़ भूमि को तेल-ताड़-रोपण के लिए आवंटित 1,000 एकड़ वन-भूमि में से ही लिया जायेगा।

इस वन-भूमि को अधिकांशतः पहले ही साफ किया जा चुका है।

इस पक्के निर्णय के बावजूद, किसानों से अब यह कहा जा रहा है कि इस निर्णय को लागू करने के लिए भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि राज्य सरकार ने उपरोक्त भूमि पर किसानों को बसाने के लिए केन्द्र से अनुमति प्राप्त करने के लिए पहले ही लिख दिया है।

भूमि के आवंटन में विलम्ब के कारण किसान लोग बहुत ही अनिश्चितता में डूबे हुए हैं और अपने भविष्य की अनिश्चितता को लेकर बड़े ही चिंचित है। मेरा मन्त्री से निवेदन है कि वह राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करें, जिससे कि किसानों को आवाह क्षेत्र से निकालने के तुरन्त बाद बसाया जा सके।

(आठ) उत्तर प्रदेश में जिला पीलीभीत तथा शाहजहांपुर जिले की पुवायां तहसील का विकास

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पीलीभीत का पूरा जिला व शाहजहांपुर जिले की पुवायां तहसील शामिल है। यह अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। पीलीभीत तो छोटी लाइन से जुडा भी है परन्तु पुवायां क्षेत्र के दोनों ओर 50-50 किलोमीटर तक कोई रेलवे लाइन भी नहीं है। सिवाय पीलीभीत जिले के दो स्थानों पर चीनी मिलों के और कोई भी सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में बड़ा उद्योग नहीं है। नेपाल व उसके द्वारा तिब्बत से मिला होने के कारण इस क्षेत्र का अत्यधिक महत्व है और बड़े उद्योगों की स्थापना द्वारा इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। गेहूं, धान, गन्ना की उपज के लिए यह क्षेत्र विख्यात है। परन्तु इन से सम्बन्धित उद्योग धन्धों का अभाव है। सरकार ने इस जिले को उद्योग धन्धों में विशेष अनुदान देने वाले जिलों में भी नहीं चुना है। अतः इस की आर्थिक व औद्योगिक उन्नति होना निकट भविष्य में संभव नहीं है। पुवायां में एक सहकारी चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी समय पहले कर रखा हैं परन्तु सरकार ने अभी तक उस का लाइसेंस जारी नहीं किया है। इस क्षेत्र की जनता की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और बेरोजगारी सीमा से अधिक है। वन-सम्पत्ति की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में कागज का कारखाना आसानी से लगाया जा सकता है। लघु व बड़े उद्योगों द्वारा इस क्षेत्र की जनता की गरीबी भी जा सकती है।

सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में लघु व बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक पग तुरन्त उठाए और लघु उद्योगों में विशेष रियायत व अनुदान के क्षेत्र में शामिल कराये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बापू साहिब परुलेकर। उनके बाद श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे। आज के लिए वह अंतिम वक्ता होंगे।

(नौ) मुगल लाइन्स की कोंकण सेवा में तीव्रगति से चलने वाले जहाज शुरू करने की आवश्यकता

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : बम्बई और गोआ के बीच आने-जाने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुगल लाइन्स द्वारा समुद्री जहाज चलाये जाते हैं। इस

लाइन को कोंकण सेवा के नाम से जाना जाता है चूंकि इस मार्ग पर चलने वाले जलयान कोंकण क्षेत्र की पन्द्रह से अधिक बन्दरगाहों से होकर जाते हैं। आजकल ये केवल इनमें से चार बन्दरगाहों पर ही होकर जाते हैं। यद्यपि इस सेवा को कोंकण लाइन के नाम से जाना जाता है परन्तु वास्तव में यह बम्बई-गोआ सेवा है। कोंकण में न तो रेल सेवा है और नहीं वायुयान सेवा उपलब्ध है और यात्रियों को मुख्यतया समुद्र और सड़क परिवहन पर निर्भर करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मुगल लाइन्स द्वारा चलाये जाने वाले जहाज पुराने पड़ गये हैं और उनकी कार्यावधि समाप्त हो चुकी है। अतः इस लाइन पर उच्च गति लघु जलयानों को चालू करने की सम्भावना पर विचार करना आवश्यक हो गया है जिससे कि कोंकण समुद्री तट पर स्थित सभी बन्दरगाहों पर जलयानों से पहुँचा जा सके।

मैं नौवहन और परिवहन मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाएं।

(दस) पहाड़पुर, कलकत्ता में एल० पी० जी० बाटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादव पुर) : यह बड़ी ही चिंता की बात है कि तरल पेट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) मामले के महत्व पर दृष्टिपात करें—कलकत्ता में पहाड़पुर स्थित भारतीय तेल निगम (आई० ओ० सी०) का बाटलिंग संयन्त्र शीघ्र ही बन्द हो सकता है यद्यपि परियोजना का लगभग आधा काम पूरा हो चुका है। यदि सिलेन्डरों में गैस भरने का सयन्त्र तैयार नहीं होता है तो हालदिया तेल-शोधक कारखानें में भारी मात्रा में तरल पेट्रोलियम गैस यूंही बेकार जलती रहेगी जिसका वार्षिक मूल्य लगमग दस करोड़ रुपये है। भारतीय तेल निगम के तीन तेल शोधक कारखानों अर्थात् बरौनी, गोहाटी और हालदिया में सिलेन्डरों के भरने की सुविधाएं न मिलने के कारण अनुमान है कि प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपए की तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जलकर नष्ट हो जाती है। प्रस्तावित बाटलिंग संयन्त्र की क्षमता इण्डेन उपभोक्ताओं के लिए 9,000 गैस सिलेन्डर प्रतिदिन भरने की होगी। भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग ने बताया था कि कलकत्ता क्षेत्र के वर्तमान 1.7 लाख इण्डेन उपभोक्ताओं के मुकाबले पहाड़पुर बाटलिंग संयन्त्र निगम की लगभग 3.2 लाख उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करेगा। इसके अलावा यह आशा की जाती है कि बाटलिंग सयंत्र रसायन, औषध और रंग बनाने वाली सहायक इकाइयों को भी सहायता देगा। इन प्रकार के एकक अवमल-मोम को कच्चे-माल के रूप में प्रयोग में लायेंगे जो कि सयन्त्र का सह-उत्पाद है। यदि इस बाटलिंग प्लांट को रोक दिया जाता है तो इसका अर्थ होगा कि कलकत्ता और उसके आस-पास के लगभग उन 1.5 लाख परिवारों अतिरिक्त कष्ट वहन करना पड़ेगा जो कि आगामी वर्ष में इण्डेन की गैस मिलने की आस लगाए बैठे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह देखे कि निर्माण कार्य को पूरा करने और संयंत्र को चालू करने के लिए त्वरत कदम उठाए जाएं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 2 बजकर 15 मिनट पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 15 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)।

असम राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के प्रवर्त्तन को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

असम बजट, 1982-83 सामान्य चर्चा

अनुदानों की माँगें (असम), 1982-83

और

आवश्यक सेवा (असम) के अन्तर्गत अधिसूचना के बारे में सांविधिक संकल्प जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम असम राज्य के वर्ष 1982-83 के बजट पर और आगे चर्चा करेंगे। यहां मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूँ कि इस चर्चा के लिए 4 घंटे का समय दिया गया था, जिसमें एक घंटा 28 मिनट हम पहले ही ले चुके हैं। अतः इस चर्चा को पूरा करने के लिए हमारे पास दो घन्टे 32 मिनट का समय शेष है।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : महोदय, इस वाद-विवाद में कार्यसूची के चार मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हमें इन सभी पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए। अतः हममें से हरेक को पर्याप्त समय मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : हम माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय दे रहे हैं। श्रीमान समर मुखर्जी को 80 मिनट का समय दिया गया था। अतः आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। यदि इसमें देरी भी होती है तो हम सांय कुछ देर तक बैठकर इसे पारित कर देंगे। अब श्रीमान जेठ मलानी बोलेंगे।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संविधिक संकल्प और अनुदान की माँगों का विरोध करता हूं। महोदय, आज यह याद करना ठीक रहेगा कि 1980 के शुरू में जब यह समस्या भारी पैमाने पर इस देश में फैल गई—

एक माननीय सदस्य : 1979 में।

श्री राम जेठमलानी : यह 1980 के आरम्भ या दिसम्बर 1979 के अंत की बात है इसमें जो भी आपको अच्छी लगे। महोदय उस समय सरकार की ओर से प्रवक्ता ने दृढ़तापूर्वक देश में यह घोषित किया था कि असम के तथाकथित आन्दोलनकारी 8 माँगें कर रहे हैं और इस देश की सरकार इतनी सही थी कि उसने 8 में से 5 माँगें मान ली थीं। महोदय 1980 के आरम्भ में सरकार ने जिन माँगों को मान लिया था वे निम्न प्रकार है :

(1) कि विदेशियों का पता लगाया जाए तथा उन्हें देश से बाहर किया जाये;

(2) कि असम में चुनाव कराने से पूर्व विदेशियों के नाम मतदाता सूची में से निकाल दिए जाएं।

(3) कि एक उपयुक्त और सशक्त चुनाव तन्त्र की सहायता से भविष्य में मतदाता सूचियों में विदेशियों के नाम जोड़ने को असम्भव बनाया जाए।

(4) कि घुसपैठ को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए; पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए; और

(5) कि असम में रहने वाले भारतीय मतदाताओं को फोटो लगे पहचान-पत्र दिए जायें।

मेरी शिकायत है और जब मैं शिकायत का उल्लेख करता हूं। तो मैं अपनी और राष्ट्र की जिस घृणा को दबा रहा होता हूं वह यह है कि बातचीत को जानबूझ कर लम्बा खींचा गया है और बातचीत के इस धोखे भरे खिचाव में जो समय लगाया गया है उसका इन स्वीकृत 5 मांगों को भी पूरा करने में उपयोग नहीं किया गया है। मैं सरकार से पूछता हूं कि जब आपने विदेशियों का पता लगाने और उन्हें इस देश से बाहर निकालने की प्रथम मांग स्वीकार कर ली थी तो गत दो वर्ष से आप कर क्या रहे हैं ? पिछले दो वर्षों से यह तर्क देकर कि बातचीत जारी हैं और इस समस्या अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं है, विदेशी राष्ट्रिकों को पहचानने तथा उनका देश से निष्कासन करने की दिशा में कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है।

मुझे याद है कि मई, 1981 में तत्कालीन गृह मन्त्री ने, जिन्हें जब देश के सर्वोच्च पद पर नियुक्त कर दिया गया है, एक हास्यपूर्ण सा वक्तव्य दिया था। उन्होंने 6 मई, 1981 के आसपास राजस्थान में किसी स्थान पर यह कहा था कि कि सरकार द्वारा 310,000 विदेशी राष्ट्रिकों को पहचान लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में विदेशी सरकारों से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है और उनको शीघ्र ही भेजा जाने वाला है तथा इसलिए इस आन्दोलन का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है क्योंकि आसाम समस्या हल हो गई है। उसके पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर ही 13 मई, 1981 को राजस्थान के अन्य कस्बे में उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि जिन 310 000 विदेशी राष्ट्रिकों को पहचान लिया गया था उनको देश से बाहर भेज दिया गया है और आन्दोलन का अब कोई महत्व नहीं हैं तथा समस्या को पूरी तरह से सुलझा लिया गया हैं।

(व्यवधान)।

मैं समझता हूं कि कम से कम मेरे सामने की ओर बैठे मित्रों को इस समस्या के प्रमुख तथ्यों की जानकारी प्राप्त है। यदि उनको यह जानकारी भी प्राप्त नहीं है, तब मैं उनको तथ्यों की जानकारी दे सकता हूं। और इसके लिए यदि वे समाचार-पत्रों के सन्दर्भों को देखना चाहते हैं, तो वे भी उनको दिये जायेंगे। मैंने इन तथ्यो को सदन में दो बार बताया है और सरकार ने उनका खंडन नहीं किया है। मेरे मित्र इस समस्या पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इस सदन के पिछले वाद-विवादों की प्रतियों को देख सकते हैं।

दूसरी मांग यह स्वीकार की गई थी कि आसाम में चुनाव कराने से पूर्व विदेशी राष्ट्रिकों

के नामों की निर्वाचन सूचियों से हटा दिया जाना चाहिये। इसका यह तात्पर्य है कि कम से कम उन लोगों के नामों को तो जिन्हें आप विदेशी राष्ट्रिक समझते हैं, मतदाता सूचियों से निकाल दिया जायेगा और तब चुनाव कराये जायेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी शासक दल का असम में लोकतन्त्र स्थापित करने का कोई इरादा नहीं हैं। शासक दल का असम में चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है। पहले चूंकि निर्वाचन सूचियां तैयार नहीं हैं, इसलिए असम में चुनाव न कराने के लिए इस बहाने का आश्रय लिया जाता रहा है।

जब तक वहां की सरकार केन्द्रीय सरकार के अनुकूल रही, तब तक चालाकी तथा तिकड़मबाजी से कठपुतली सरकार बनाये रखी जा सकी, तब तक विधान सभा कायम रखी गई। जब तक दल-बदलुओं को अपनी ओर मिलाना सम्भव रहा तब तक विधान सभा अच्छी रही और चलती रही, यद्यपि वह लगभग अर्द्धचेतन अवस्था में थी परन्तु फिर भी उसे कायम रखा गया। पिछली बार जब आपने यह देखा कि दल-बदलू भी अपने किये कार्य पर शर्मिन्दा है, तब आपने विधान सभा को भंग कर दिया। विधान सभा के भंग होने का यह तात्पर्य होता है कि भारत के एक राज्य में लोकतन्त्र समाप्त हो गया है और असम के संसद् सदस्य भी इस सदन में उपलब्ध नहीं हैं, और इस प्रकार असम के लोगों की बात वास्तव में नहीं सुनी जा सकती। यदि यहां पर कुछ लोग अपने आपको असम का वास्तविक प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, तब वे एक भ्रम की दुनिया में रह रहे हैं। वे वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है। उनको अपनी लोकप्रियता की परीक्षा करनी चाहिए। उनको मतदाताओं के पास पुनः जाकर इनका आदेश प्राप्त करना चाहिए। तब वे यह समझेंगे कि उन्होंने क्या गलती की है।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : मैं आज ही इस्तीफा देता हूं। आप भी ऐसा करके मेरे विरुद्ध चुनाव लड़िये। मैं आपको चुनौती देता हूं।

श्री राम जेठमलानी : हम आपकी चुनौती का किसी भी समय मुकाबला करने को तैयार हैं। आप इस्तीफा दीजिए उसके पश्चात् मेरी पार्टी आपके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा करेगी·····(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी पार्टी एक उम्मीदवार खड़ा कर देगी...

एक माननीय सदस्य : और आपको हरा देगी.....(व्यवधान)।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : दोनों ही काबिल सदस्य हैं। हम नहीं चाहते कि वे इस्तीफा दें, और हम उनसे वंचित हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, दोनों को ही सदन में रहना चाहिए।

श्री राम जेठमलानी : पहले हमारे विद्यार्थियों से लड़ो, फिर हम से लड़ो।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मुझे इस प्रकार के जाल में फंसाकर कुचला नहीं जा सकता।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : आपने वाजपेयी जी से अनुमति नहीं ली है। सारी समस्या तो यह है।

श्री राम जेठमलानी : किससे ?

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : श्री वाजपेयी जी से ।

श्री राम जेठमलानी : दल के अनुशासन की यह अपेक्षा है ।

इसके अलावा महोदय, तीसरी मांग (जिसे कि वे कहते हैं कि पूरी कर दी गई थी, क्योंकि यह सरकार भी इतनी बेशर्म नहीं हो सकती थी कि उसको स्वीकार न करती) यह थी कि देश की सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाये और घुसपैठ पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाये । महोदय, क्या मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि अब घुसपैठ को रोक दिया गया है ? क्या वह यह कह सकते हैं कि घुसपैठ अब भूतकाल की बात रह गई है ? आज भी इस बात के काफी प्रमाण हैं कि आसाम की प्रत्येक सीमा से घुसपैठ जारी है और घुसपैठिये सरकार की जानकारी से आ रहे हैं । सरकारी तन्त्र इसको रोकने में असमर्थ है । महोदय, सरकार का इरादा चुनाव कराने का नहीं है । क्योंकि उनको पता है कि चुनावों के क्या परिणाम होंगे । फिर भी इसके लिए साहसिक चुनौतियां दी जा रही है । वे यह भली-भांति जानते है कि आसाम के लोग उनके बारे में क्या धारणा रखते हैं ।

यदि चुनाव में जीतने की उनको कोई भी आशा होती तो अब तक वे वहां चुनाव करा देते । वे चुनाव कराने से शर्मा रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि चुनाव जीतने के बारे में वे सुनिश्चित नहीं है । इसी वजह से वे चुनाव नहीं कराना चाहते और अवमाननापूर्ण हार का सामना नहीं करना चाहते हैं ।

महोदय, प्रत्येक सभ्य सरकार का प्राथमिक कर्तव्य अपनी सीमाओं की रक्षा करना है । यह एक शर्म की बात है कि सीमा पर रोक लगाने तथा घुसपैठ को रोकने की मांग को एक आन्दोलनकारियों द्वारा मनवाई गई है । यह शर्म की बात है कि भारत के कुछ नागरिक आपको घुसपैठ को रोकने तथा देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जागृत करें ।

महोदय, यह एक रिकार्ड का मामला हैं । जब कथित त्रिपक्षीय अथवा चौ-पक्षीय बैठकें चल रही थीं तब एक बार गृह मन्त्रालय ने यह कहा था, हम इस बात से सहमत हैं कि सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने के लिए अब हम कदम उठायेंगे ।" सरकार ने अपने प्राथमिक कर्तव्य की अवहेलना की है ।

महोदय, राजनीतिक परिवर्तन के साथ हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य बना । लेकिन राज्यों के कल्याणकारी राज्य बनने से पूर्व, राज्य अपना एक परम्परागत कार्य निभाते थे । यह परम्परागत कार्य देश की सीमाओं की रक्षा के रूप में जाना जाता है । 2,000 वर्ष पूर्व की असुशिक्षित सरकारों द्वारा भी यह प्राथमिक कार्य किया जाता था । यह सरकार इस कार्य को करने में असफल रही है । इस तथ्य के बावजूद भी कि इस मांग को आपने वर्ष 1980 और उसके पश्चात् त्रिपक्षीय बैठकों में स्वीकार किया था, मैं यह देखता हूं कि घुसपैठ अब भी जारी

महोदय, राजनीतिक परिवर्तन के साथ हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य बना । लेकिन राज्यों के कल्याणकारी राज्य बनने से पूर्व, राज्य अपना एक परम्परागत कार्य निभाते थे । यह

परम्परागत कार्य देश की सीमाओं की रक्षा के रूप में जाना जाता है। 2,000 वर्ष पूर्व की असुशिक्षित सरकारों द्वारा भी यह प्राथमिक कार्य किया जाता था यह सरकार इस कार्य को करने में असफल रही है। इस तथ्य के बावजूद भी कि इस मांग को अपने वर्ष 1980 और उसके पश्चात् त्रिपक्षीय बैठकों में स्वीकार किया था, मैं यह देखता हूँ कि घुसपैठ अब भी जारी है जिससे असम के लोगों में निरूत्साह तथा असंतोष व्याप्त है। महोदय ऐसा क्यों है? इसमें सरकार का दोहरा उद्देश्य है। पहला यह है कि चुनाव न कराये जायें और अन्ततः यदि चुनाव कराने को उन्हें मजबूर भी कर दिया जाये तो सरकार का कुत्सित उद्देश्य यह है कि उस समय तक राज्य का जनसंख्या सम्बन्धी स्वरुप परिवर्तित हो जायेगा। जिसमें कि आसाम की कूल जनसंख्या का पूर्णतः कोई अस्तित्व नहीं रह जायेगा; वे अल्पमत में हो जायेंगे तथा घुसपैठिए, कानून को तोड़ने वाले तथा देश के कानून और संविधान का उल्लघन करने वाले जो बहुमत में हो जायेंगे, और वे आपके मतदाता बन जायेंगे। और उनके बल पर आप आसाम के लगों के प्रतिनिधियों के रूप में वापस आना चाहते हो और, महोदय यह...

श्री संतोष मोहन देव : मैं श्री जेठमलानी के वक्तव्य पर आपत्ति करता हूं। उन्हें इसको प्रमाणित करना चाहिए। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उनको इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए कि भारत सरकार यह देखती है कि घुसपैठिए इस देश में आये और बहुमत में लोक... परिवर्तित...

उपाध्यक्ष महोदय :-श्री जेठमलानी जी क्या आप उनकी बात से सहमत हैं

श्री संतोष मोहन देव :-नहीं महोदय, उनको इस आरोप को प्रमाणित करना चाहिए।

श्री राम जेठमलानी :-महोदय, मैं इस आरोप को कब और कहां प्रमाणित करू? यदि वह यह चाहते हैं कि इसको यहीं प्रमाणित किया जाये, तब मैं यहीं प्रमाणित कर दूगा। यदि वह चाहते हैं कि अन्यत्र प्रमाणित किया जाये, तो मैं, इसे अन्यत्र भी प्रमाणित कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :-श्री जेठमलानी जी आप अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :-आपको यह नहीं भूल जाना चाहिए कि मंत्री-महोदय भी उत्तर देंगे।

श्री राम जेठमलानी :-महोदय, सरकार तथा शासक दल का दूसरा अति गम्भीर तथा कुत्सित उद्देश्य यह है कि आसाम मसले को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाये। मेरी हमेशा यह धारणा रही है कि आपने आसाम समस्या को जानबूझ कर गलत तरीके से और गलत रग देकर प्रस्तुत किया है।

आप समस्या को हमेशा के लिए जारी रहने देना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपको बाकी के सारे देश में स्थानीय तथा निर्वाचन सम्बन्धी लाभ प्राप्त होता है। असम की समस्या सदैव हां एक ओर व्यवस्था की और दूसरी ओर अव्यवस्था की, एक ओर संविधान की और दूसरी ओर तोड़ने वाली की एक ओर कानून को लागू करने की इच्छा की, और दूसरी ओर कानून तोड़ने वालों से खुल्लम-खुल्ला गठजोड़ की समस्या रही है। इस देश का कानून, विदेशी अधिनियम और नागरिक अधिनियम यह कहता है कि सरकार को चाहिए कि वह अपनी पुलिस,

न्यायालयों और सभी साधनों के प्रयोग करते हुए कानून की दृष्टि से जो लोग भी विदेशी हों, उन्हें देश से निकलने के लिए कहे और वे निश्चत रूप से यहां से चले जायें।

मैं स्वीकार करताहूँ कि अगर असम समस्या को सही अर्थों में समझा जाता तो, इसे काफी पहले ही सुलझा लिया गया होता; लेकिन सरकार इसे हिन्दू-मुस्लिम समस्या कहना चाहती है, वह इसे देश के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या कहना चाहती है और इससे भी बुरी बात यह है कि वह इसे भारत के असमिया-भाषी और बंगला-भाषी लोगों की समस्या बताना चाहती है।

(व्यवधान)

आप स्वयं अपने कागजात पढ़ें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कोई इस ओर से बोलता है तो वे उसे उत्तर दे सकते हैं। यही संसदीय प्रक्रिया है। यह ठीक नहीं हैं। आपको मेरी अनुमति अवश्य लेनी चाहिए,

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चर्चा को ध्यान से सुनें। जब आपसे बोलने के लिए कहा जाये, तब आप इसका उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : कई दफा, इस सदन का ध्यान चल रही कार्यवाही से हटा कर, मेरे द्वारा किन्हीं तस्कर मुवक्किलों की पैरवी करने की तरफ खींचा गया है। अब मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूँ कि वकील हैं श्री बाखिया के और**

इस देश के 75 प्रतिशत तस्करों का प्रतिनिधित्व करते हैं;

**बाकी के 25 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां तक मेरे तस्कर मुवक्किलों का प्रश्न है, वे सभी कांग्रेस-आई में शामिल हो गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सदन के माननीय सदस्यों का नाम नहीं लिया जाना चाहिए था और तस्कर आदि के मामलों में नहीं मिलाया जाना चाहिए था। वह उनका व्यवसाय है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कार्यवाही-वृतांत देखूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : छाया बैठ जाइये। मैंने यही कहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इसे कार्यवाही-वृतांत में ही रहने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसको मुझ पर छोड़ दे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्होंने सच्चाई को ही प्रकट किया है।

श्री राम जेठमलानी : उन्हें तथ्यों को खोज लेने दें। अपने व्यवसायिक मित्रों का आदर करते हुए, मैंने इस मामलों का सदन में कभी भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि यह** का फर्ज है

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

कि जो कोई उनके पास आवे उसकी पैरवी करें। लेकिन अगर आप तथ्य जानना चाहते हैं तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। आज करीब 99 प्रतिशत तस्करों को आपके इन दो सहयोगियों द्वारा बचाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप फिर दोहरा रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :अगर किसी ने कहा है कि वह भी इन लोगों की तरफ से पैरवी कर रहा है, तो वह भी कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री राम जेठमलानी : इस सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि आज कल मेरी सारी ताकत कांग्रेसियों पर अभियोग चलाये जाने पर लगी हुई है। आजकल मेरे पास तस्करों की पैरवी करने के लिए समय नहीं है।

(व्यवधान)

गृहमंत्री ने त्रिपक्षीय वार्ता प्रारम्भ की थी। विरोधी पक्ष को भी बुलाया गया ; विरोधी पक्ष ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों और असम आंदोलन के प्रतिनिधियों से वार्ता करने के लिए अपने पांच प्रतिनिधि चुने और इस बात के बावजूद कि लम्बी बैठकें हुईं और इस बात के बावजूद कि सरकार बार-बार बयान देती रही, समस्यायें खड़ी करती रही ; यह कुछ संतोष की बात है कि इन बैठकों में कुछ तो प्रगति हुई ; लेकिन सरकार प्रगति नहीं चाहती है। क्योंकि सरकार की मर्जी के खिलाफ प्रगति हुइ थी इसलिए अब उन्होंने फैसला किया है कि इस समिति की उपेक्षा की जाये, और पिछले ही दिनों मुझे बताया गया है कि इस समिति के सदस्यों की संख्या को पांच से बढ़ाकर बीस कर दिया गया है। प्रसिद्ध विद्वान रोबर्ट लाइन्ड ने कहा है कि सबसे अच्छी समिति वह है जिसमें दो सदस्य हों और उनमें भी एक अनुपस्थित हो। पहले ही पांच काफी थे। इन पांचों में आप गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मिला दें। इसमें असम के प्रतिनिधियों को भी मिला ले। यह एक पेचीदा और काफी बड़ी संख्या है। लेकिन अब सरकार का यह उदेश्य है कि इसे और भी कठिन बना दिया जाय जिससे कि कोई समाधान न निकल सके। इस लिए अब 20 सदस्यों को आमंत्रित किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले वाले विपक्षी सदस्यों के प्रतिनिधियों की उपेक्षा क्यों की गई है और ऐसे कौन से कारण हैं जिससे गृह मंत्रालय को इस तरह का नया उपाय अपनाना पड़ा ? 1971 के बाद घुसपैठ करने वालों का पता लगाकर उन्हें देश से बाहर क्यों नही निकाला जा रहा ? कम से कम श्रीमती इन्दिरा गांधी उस रहस्यमय विभाजन रेखा की बात करती रही हैं। हम जानते हैं, वह विभाजन रेखा क्या है। लेकिन श्रीमती गांधी के दिमाग में कोई विभाजन रेखा अवश्य है। तो इस विभाजन रेखा का सम्मान क्यों नहीं किया जाता और जिनका पता है कि वे 1971 के बाद असम में दाखिल हुये हैं उनका पता लगाकर उन्हें बाहर क्यों नहीं किया जाता ? आप मतदाता सूचियां ठीक ढंग से क्यों नहीं तैयार कराते और चुनाव क्यों नहीं करवाते ? इसलिए अपने दल की तरफ से मेरी तीन मांगे हैं। सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि वह एक समय-सीमा निश्चित करे जिसके अन्दर वह कह सके कि "हम एक सर्वसम्मत फैसले पर पहुँच जायेंगे"; या अगर आप सर्वसम्मत

फैसले पर नहीं पहुँच पाते तो सरकार की हैसियत से अपनी पूरी ताकत से अपने फैसले को वह चाहे जो भी हो लागू करने के लिए तैयार रहें। आप दोहरे लाभ नहीं उठा सकते। आप एक सरकार की हैसियत से एक ऐसा हल खोजें जो कि कानून और समानता के, न्याय के और राष्ट्रीय हित में हो और इसे एक समय-सीमा के अन्दर लाकर करके भी दिखायें, दूसरी बात यह है कि आपको मतदाता सूचियां बनाने, घुसपैठियों को निकालने और सीमाओं को बन्द करने की प्रक्रिया को तुरन्त आरम्भ कर देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इसके लिए समय-सीमा निश्चित कर दी जानी चाहिए कि असम में लोगों को अपने पूरे लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने का अधिकार पुनः कब प्रदान किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर सिंह।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी उत्साह से नहीं, बल्कि व्यथा की भावना से गृहमंत्री द्वारा पेश किये गये इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस समय भी जब हम असम की स्थिति पर यहां चर्चा कर रहे हैं, वहां पर हिंसा का वातावरण बना हुआ है। राज्य को लगातार तीन वर्षों से विपत्तियों का सामना करना पड़ा है, जिसके दौरान लाखों छात्रों को अपने अमूल्य वर्षों की पढ़ाई छोड़नी पड़ी है, आर्थिक प्रगति भी रुक गई है; कई दफा आम जीवन पूरी तरह से लड़खड़ा गया है और इसके साथ ही राज्य में टकराव और मिड़न्त का वातावरण बना हुआ है। तनाव बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि हर समय राज्य पतन के किनारे पर खड़ा है।

मैं श्री राम जेठमलानी की तरह इतना उत्साही नहीं हूं कि मामले के गुण-दोषों के आधार पर अपनी राय व्यक्त कर सकूं, वह एक मामला बनाना चाहते हैं और इसी प्रक्रिया में उन्होंने सही दिशा में पाये जा सकने वाले सही हल को तोड़-मरोड़ दिया है। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि अब स्थिति उस मोड़ पर पहुँच गई है जहां आसाम के आम लोगों के हित में कोई हल निकालना अनिवार्य हो गया है, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब बातचीत चल रही थी तो सरकार ने स्थिति से निपटने में बहुत सहनशीलता दिखाई। इन वार्ताओं में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। विपक्षी दलों को भी विश्वास में लिया गया है। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चय ही, शायद भारतीय जनता पार्टी समेत ; इस सदन के सभी पक्षों ने इस समस्या को ईमानदारी और सूझ-बूझ से सुलझाने में पूरा सहयोग दिया है।

श्री संतोष मोहन देव : उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं, इस बात से सहमत हूं कि जब असम इस दौर से गुजर रहा था, तो पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने की कोशिश की। जबकि वे ऐसा नहीं कर सके। इसलिए वे कभी-कभी इस स्थिति में साम्प्रदायिकता का पुट जोड़ देते हैं। और इसके विपरित वे आरोप लगाते हैं कि सरकार मामले को लटका रही है और इस समस्या के साथ फालतू बातें जोड़ देते हैं। लेकिन समस्या गम्भीर होती जा रही है क्योंकि कई दफा आंदोलनकारी नेताओं की अस्थिरता के कारण और उनके द्वारा कई दफा विभिन्न बातों के सामंजस्य न कर पाने के कारण और कई बार चर्चा के दौरान माने आश्वासनों

से हट जाने आदि के कारण ये बातचीत सफल नहीं हो सकीं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि असम के लोग, चाहे यह सही हों या गलत, भावनात्मक तौर पर उत्तेजित हैं और संदेह तथा अविश्वास का जो वातावरण बन गया है उससे कभी-कभी मामले और जटिल हो जाते हैं। वे समझते हैं कि जैसा कि अन्य पड़ोसी राज्यों में हुआ है, उनकी संस्कृति और भाषा की पहचान उनके साथवाले पड़ोसी राज्यों में मिले जायेगी और खत्म हो जायेगी। कई दफा वे महसूस करते हैं कि अपने राज्य में उनकी राजनैतिक हैसियत खत्म हो जायेगी। ये शंका बार-बार व्यक्त की जाती रही हैं। इनमें कुछ वजन भी है और कुछ गलतफहमियां भी है। अविश्वास का जो वातावरण बन गया है उससे कभी-कभी मामले और जटिल हो जाते हैं और आशा की किरण धूमिल पड़ जाती है जिसके कारण सही हल क्या हो सकता है और गलत क्या हो सकता है इसमें भेद करना मुश्किल हो जाता है।

मैं इस बात पर भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं कि इस सदन में यह कई दफा कहा गया है कि वे राष्ट्र-विरोधी या पृथकतावादी हैं। उनमें कुछ राष्ट्र-विरोधी या पृथकवादी तत्व हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मोटे तौर पर आंदोलन ने अभी भी अपना लोकप्रिय-स्वरूप बनाया हुआ है। असम के लोग हमेशा ही हमारे स्वतन्त्रता आंदोलन में और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ चलते रहे हैं। असम ने कई एक प्रमुख नेताओं को जन्म दिया है। मैं समझता हूं कि यह कहना गलत होगा कि सारी असम जनता या उसका काफी बड़ा भाग, पृथकवादियों के साथ है।

बातचीत के दौरान विवादास्पद बातों का विस्तार कम कर दिया गया है। वे बहुत से तर्कसंगत प्रश्नों पर सहमत हो गये है। इस सदन तथा प्रधानमंत्री ने कई बार आसाम के लोगों को यह आश्वासन दिया है कि उनकी संस्कृति, भाषा, और सामाजिक अस्तित्व को बनाये रखा जाएगा, सुरक्षा की जायेगी और इन्हें मजबूत किया जाएगा। जैसा कि मैंने, पहले बताया कि उन्होंने घुसपैठ रोकने और आगे घुसपैठ न हो, इसके लिए सीमाओं को सुरक्षित करने के बारे में समझौता किया है। और यह भी समझौता किया है कि विदेशी नागरिकों को नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार राज्य सरकारों से वापिस ले लिए जाए। बहुत से छोटे मामले सुलझा लिए गए हैं और अब विवाद केवल उन लगभग 15 लाख लोगों के भाग्य का फैसला करने के सम्बन्ध में है जो 1961-71 के बीच वहां आए थे। यह सभा पूर्णतः आश्वस्त है कि यह भाग कानूनी समस्या ही नहीं बल्कि मूलतः मानवीय समस्या है। इसलिए अन्य सभी पहलुओं को भी उस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। हमें आशा है कि बातचीत शीघ्र ही आरम्भ होने वाली है। पिछले दो महीनों में हमारे गृह मंत्री ने इस स्थिति के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री ने 25 जुलाई, 1982 के अपने संदेश में आसाम के लोगों को आश्वासन दिया है कि वह अपना सांस्कृतिक अस्तित्व बनाए रखने की उनकी इच्छा को पूरा महत्व देती है। मुझे आशा है बातचीत सही दिशा में की जाएगी और वे किसी निश्चित और ठोस निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे।

इस सदन में किसी भी सदस्य का इस बात में विश्वास नहीं है कि इस आन्दोलन को पुलिस कार्यवाही से दबाया जा सकता है। वास्तव में इससे कभी-कभी एक भिन्न प्रकार का वातावरण पैदा हो जाता है और भारत सरकार इसके प्रति पूर्णतः जागरूक है। अतः जब कभी

उन्होंने पुलिस कार्यवाही करने के लिए दबाव डाला है, तो यह कार्यवाही पूरे नियंत्रण से की गई है। मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि वर्तमान राज्यपाल का, जो कि राज्य सभा के सदस्य रहे थे, राष्ट्रीय जीवन धारा में अपना अस्तित्व बनाए रखने की आसाम के लोगों की इच्छा के प्रति बड़ा सद्भावपूर्ण रुख है।

कभी कभी यह भी कहा गया है कि आंदोलन को जनसमूह का समर्थन नहीं मिल रहा। यह सच है कि पिछले कई महीनों में ऐसा महसूस किया गया कि यह आंदोलन क्षीण होता जा रहा है। लेकिन मुझे सचमुच यह स्थिति अधिक पसन्द नहीं है क्योंकि जनता का समर्थन न मिलने से आंदोलन शहरी आतंकवाद का रूप ले सकता है और फिर वैसी परिस्थितियों में हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अतः मैं सदन से तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आसाम के लोग इस विचार को पूरी तरह समझते हैं अथवा इस बात से आश्वस्त हैं कि वे भी राष्ट्रीय जीवनधारा का उतना ही अंग है जितना कि हममें से कोई भी है और वे इस नाजुक समस्या का समाधान करने के लिए किसी भी तरह का त्याग करने में नहीं हिचकिचायेंगे। मुझे आशा है कि भारत सरकार इसे सुलझाने का प्रयत्न करेगी। उन्होंने इसे राष्ट्रीय समस्या कहा है और इस सारी स्थिति का भार अकेले आसाम के लोगों को ही वरन् पूरे देश को वहन करना होगा और यह जो गतिरोध आ गया है उसका समाधान करने के लिए हम आसाम के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।

महोदय, वर्तमान स्थिति में चुनाव एक सांविधिक अनिवार्यता है। आप संविधान में संशोधन किए बिना चुनाव से बच नहीं सकते और चुनाव होने चाहिए ताकि आसाम के लोगों को उनके राज्य में उपयुक्त प्रतिनिधित्व, निर्वाचित विधान सभा तथा उनकी सरकार मिल सके। लेकिन चुनाव जीत लेना मात्र ही हमारे दल का एकमात्र राजनीतिक उद्देश्य कभी नहीं रहा है। हम स्थिति को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं, इस दृष्टि से देखते हैं कि समस्या का ऐसा समाधान खोजा जाए जिससे केवल उन्हीं लोगों की संतुष्टि न हो जो बाहर से आए हैं, बल्कि चुनाव होने से पहले की आसाम के लोगों की इच्छाओं और भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाए। मैं स्वयं महसूस करता हूं कि यद्यपि गृह मन्त्री इस मामले में बहुत निष्कपटता से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्या उस अवस्था तक पहुंच चुकी है जहां कि इस नाजुक मामले को सुलझाने के लिए इसमें प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया है। समवत: आसाम के कुछ नेताओं द्वारा लिए गए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने यह विचार व्यक्त किया कि वह आसाम की समस्या में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है और मैं समझता हूं कि समस्या का समाधान करने हेतु आवश्यक स्थिति बनाने और विश्वास का वातावरण तैयार करने के लिए उनका निजी करिश्मा और सौहार्द आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ, मैं गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि पूरा सदन भावनाओं भावुकता में नहीं बहेगा बल्कि वे स्थिति का कड़वी वास्तविकताओं पर विचार करेंगे और संपूर्ण राष्ट्र की संतुष्टि के लिए इस गत्यावरोध को समाप्त करने के लिए इसका समाधान निकालने में गृह मंत्री और सरकार की सहायता करेंगे।

धन्यवाद।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत खेद का विषय है, जैसा कि हमारे साथी श्री संतोष मोहन देव जी ने भी कहा, हम पुनः असम के बजट को पार्लमेन्ट के द्वारा पास करने जा रहे हैं। यह इस बात का द्योतक है कि असम की जनता अभी भी मूक है, अभी भी प्रतिनिधि-विहीन है। हम लोग सभी कांस्टीटुएन्सीज से चुनकर यहां पर आए हैं फिर बिहार की विधान सभा को चलाने की क्या जरूरत है, फिर उत्तर प्रदेश की विधान सभा को चलाने की क्या जरूरत है ? लेकिन जरूरत इसलिए है कि वहां की समस्यायें हैं जिनका वहां पर निवारण करना है। हमारे मंत्री महोदय, श्री वेंकटरमण जी ने शुरूआत में ही कहा था कि 18 सितम्बर, 1982 के पहले असम की विधान सभा का चुनाव होने की सम्भावना नहीं है और गृह राज्य मंत्री, लास्कर जी ने कहा कि वहां पर यह जो आन्दोलन चलाए जा रहे हैं वह अखिल असम विद्यार्थी संघ और अखिल असम गण संग्राम परिषद् द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार इस बात को मानकर चल रही है कि वहां का आन्दोलन विद्यार्थियों के हाथ में है।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

और छात्रों के द्वारा यह आन्दोलन चल रहा है। इसके सम्बन्ध में पार्लियामेंट में एक प्रश्न पूछा गया था—यह 11 मार्च, 1982 की बात है—इसकी वजह से कितनी हानि हुई है ? इसके जवाब में सरकार ने बतलाया—खाली पैट्रोलियम और उर्वरक क्षेत्र में 1272 करोड़ रुपए की हानि हुई है। रेलवे को 32 करोड़ रुपये की आर्थिक हानि हुई है। राज्य के कोष में 45 करोड़ रुपए की हानि हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि 1272 करोड़ रुपए की हानि तो केवल पैट्रोलियम में हुई है।

बैठक के सम्बन्ध में जब सरकार से एक अन्य प्रश्न पूछा गया तो सरकार कहती है कि बैठक के लिए सरकार प्रयत्नशील है तथा जल्दी ही बैठक की जायगी। आज इसके सम्बन्ध में अखबारों में निकला है कि जल्दी ही एक बैठक होने जा रही है। हमारे माननीय सदस्य श्री सन्तोष मोहन देव ने अपने भाषण में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही थीं—एक तो यह कि एक समीक्षा समिति बनाई गई है जिसके सदस्य एस० डी० ओ०, डी० एस० पी० होंगे, परन्तु इन लोगों ने तो पहले ही आन्दोलन के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है। विद्यार्थी आन्दोलन चल रहा है, लोग आन्दोलन में भाग ले रहे हैं और आपके कथनानुसार जो सरकारी अधिकारी हैं, एस० डी० ओ० या डी० एस० पी० हैं, जो आपके प्रशासन के अंग हैं उन लोगों ने भी अपना समर्थन इस आन्दोलन को दिया है। आपने आगे यह भी कहा है कि असम न्यायपालिका ने भी आन्दोलन का समर्थन कर दिया है। जब सब ने समर्थन कर दिया है तब तो यह बहुत गम्भीर मामला है, क्यों समर्थन किया है ? इसके पीछे सब से बड़ा कारण आर्थिक-कारण है। आपने आगे कहा है कि असम में 80 प्रतिशत गांवों में पानी उपलब्ध नहीं है। जब 80 प्रतिशत गांवों में पानी उपलब्ध नहीं है, जहां एक ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसके ऊपर एक ब्रिज है, यदि वह किसी समय ध्वस्त हो जाय तो असम के आवागमन के सारे मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं। हम नार्थ-जोन की पूरी समस्याओं पर डिस्कशन करते है, कितना क्षेत्रफल है, कितने किलोमीटर में रेल गई है, कितने किलोमीटर में रवेड गई है, कम्यूनिकेशन की क्या स्थिति है—तो इन सब बातों का

समाधान यहां से होना चाहिए था। यही कारण है कि जब विदेशियों का सवाल आता है, यदि आपके पास सम्पत्ति रहेगी और कोई आदमी एक्स्ट्रा आ जाय, आपके यहां खा ले तो उससे आप का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब आदमी के पास सम्पत्ति नहीं है, गरीब है और उसके यहां कोई गेस्ट आ जाय तो ऐसा महसूस होता कि वह जल्दी से विदा हो। वह स्टेट बहुत गरीब है, उसकी हमेशा से उपेक्षा की गई है, उसके बाद जो विदेशी लोग वहां आते गये, तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि उसने उस भार को वहन करना छोड़ दिया। नतीजा यह हो रहा है कि उसके सामने जीवन-मरण का प्रश्न पैदा हो गया है, उसके सामने जिन्दगी का प्रश्न पैदा हो गया है।

आपने यह भी कहा कि वहां मार्च, 1983 से पहले चुनाव कराना है। सितम्बर, 1982 के पहले असम की विधान सभा के चुनाव होने की सम्भावना नहीं है। ठीक है, मार्च, 1983 के लिए कितने दिन बचे हैं—4 महीने इधर और 3 महीने उधर। ये चुनाव कैसे होंगे, किस आधार पर होंगे ? वहां पर जो अपोजीशन की सरकार बनने वाली थी उसको आपने बनने नहीं दिया, माइनारिटी की गवर्नमेन्ट को वहां इम्पोज किया और अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। आपने एक जवाब में यह कहा है—कि हमने इतने लोगों को वहां से निकाला है। कहां से निकाला है, कैसे निकाला है ? कितनी जगहों पर आप ने बार्डर को सील किया है, कितने लोगों को निकाला है ? ढाई सालों में कितने लोगों को निकाला है और उनको कहां भेजा है ? अभी एक नई प्राबलम बिहार में उत्पन्न होने वाली है—किशन गंज साइड में आक्रमण हो रहा है, लोग उधर से आ रहे हैं।

सबसे पहली बात यह है कि निर्वाचन सूची से नाम हट नहीं रहे हैं। निर्वाचन सूची से ऐसे लोगों के नाम हटाइए। इसमें डेट में कुछ फर्क हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने हम लोगों बुलाया था और हम लोग गए थे और वहां बातचीत में भाग लिया था। हमने कहा था कि निकालने की प्रोसेस शुरू कीजिए, निकालने की कार्यवाही शुरू कीजिए और जो विदेशी नागरिक हैं, उनको निकालते जाइए। झगड़ा डेट पर हो सकता है। उसको आप तय कीजिए।

श्री राम प्यारे पनिका (रोबर्ट्सगंज) : रिहैबीलीटेशन की बात करिए।

श्री रामविलास पासवान : उत्तर प्रदेश में रिहैबीलीटेट कर दीजिए, बिहार लेने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में जगह हो, सम्पत्ति हो, तो उत्तर प्रदेश में ले लीजिए।

श्री राम प्यार पनिका : इनह्यूमेन काम आप सोच सकते हैं। हमारी सरकार, ऐसी अमानवता की बात नहीं सोच सकती है, आप सोच सकते हैं। उनको निकालने की ही बात नहीं है, उनको बसाने की बात है और यह कोई सिम्पिल चीज नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : आप निकालिये नहीं, आप रखिये, खूब खिलाइए, पिलाइए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है लेकिन देश को जलाने की बात मत सोचिये। मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। इस देश में यह आग किस ने लगाई हुई है, वह हम लोगों को मालूम है लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप वार्ता चला कर उनमें कान्फीडेंस जगाइए। बिना ऐसा किये हुए चुनाव कैसे करवाएंगे। इस पर आपको गहराई से सोचना चाहिए। आपने कहा था कि मार्च तक चुनाव करवा देंगे। वहां कैसे चुनाव होंगे जबकि वहां पर ऐसी स्थिति

चल रही है। आन्दोलन दबा हुआ भले ही लगे लेकिन आन्दोलन मरा नहीं है। हमारे एक साथी ने कहा कि जिस आन्दोलन के पीछे पुलिस का समर्थन हो, जिस आन्दोलन के पीछे न्यायपालिका का समर्थन हो, उस आन्दोलन को किस तरह से कुचलने की कोशिश की जाती है। सरकार शायद यह सोचती है कि इस आन्दोलन को वायलेंस से सपरेस करके उसे सुविधा होगी लेकिन हमने यह देखा है कि वायलेंस से आन्दोलन दबा नहीं करता है। अंग्रेजों के जमाने में लोग महात्मा गांधी की जय करते हुए बैठ जाते थे, औरतें और बच्चे, सब बैठ जाते थे और उस समय की सरकार के सारे के सारे हथियार फैल कर गये।

सरकार ने रियेलाइज किया है और सरकार ने जो कहा है, मैं उसी को कोट करता हूँ कि यह आन्दोलन विद्यार्थियों के हाथ में जा चुका है। ऐसा गृह मन्त्री जी ने कहा है। आज छात्र इस आन्दोलन से जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ कि इनसे बात करके आपको इस समस्या का निदान निकालना चाहिए। आज आसाम के लोगों के मन में आप कान्फीडेंस नहीं पैदा कर सकते हैं। चाहे आप जो भी करें, आप बात करके ही इस समस्या का निदान निकाल सकते हैं। आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है और यही कारण है कि नार्थ ईस्ट का यह जो हिस्सा है, जो हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग रहा है, आज उस नार्थ ईस्ट जोन के लोगों के मन में हमारे प्रति और देश के प्रति एक अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया है और जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उन पर से आपका विश्वास हिल चुका है और आपका उन पर विश्वास नहीं रहा है। तो यह एक बहुत गम्भीर सवाल है और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए।

दूसरा प्रश्न 'विदेशी नागरिकों' का है। आप विदेशी किसको मानते हैं, यह आप डिफाइन कीजिए। आप कह देते हैं कि पंजाब के लोग विदेशी हैं, कभी आप उत्तर प्रदेश के लोगों को विदेशी कह देते हैं और कभी आप बिहार के लोगों को विदेशी कह देते हैं। जहां तक हमने पढ़ा है, हम लोग तो विदेशी उसी को समझते हैं जो हिन्दुस्तान के बाहर के लोग हों। सीधी सी बात है। कम से कम आप यह कहिये कि जो विदेशी हैं, उनको हम हटायेंगे। कहां हटायेंगे यह आप समझें लेकिन वहां के लोगों के मन में एक कांफीडेंस आपको पैदा करना होगा। हम ढाई साल से तोते की तरह यही रटते आ रहे हैं लेकिन समस्या का निदान कुछ नहीं हो रहा है। खाली मार्च में, जो गवर्नमैंट ने जवाब दिया है, उसके मुताबिक, 1533 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें छात्रों की संख्या 126 है। ये सारी चीजें वहां पर चल रही है।

मैं आपसे दो-तीन बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सभी साथियों ने यहां पर अपनी राय रखी है और इस पर काफी बहस हो चुकी है और यह सारी बहस चलती रहेगी लेकिन सरकार को इस समस्या का कोई निदान निकालना चाहिए और सरकार को बातचीत चलानी चाहिए और बातचीत के जरिये इस समस्या के हल का कोई रास्ता निकालना चाहिए। आपने 1983 में चुनाव करवाने की बात कही है। आपने यदि इलैक्शन नहीं करवाया, तो फिर एक कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाएगा और आपको हर हालत में मार्च 1983 से पहले चुनाव करवा लेने हैं।

किस तरह से आप चुनाव करवाएंगे? मैं भारत के गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 6-7 महीने का समय बाकी रह गया है, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? और अगर चुनाव नहीं

करवाएंगे तो उससे कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा होंगे, उनका मुकाबला करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है।

दूसरा आप असेंशियल सर्विसेज एक्ट लागू कर रहे हैं, इसका हमने पहले भी विरोध किया था और आज भी कर रहे हैं। प्रत्येक जागरुक नागरिक जानता है कि इस काले कानून से कुछ नहीं होगा। इसको आप वापिस लीजिए। वहां चुनाव का प्रोसेस क्या होगा, यह बताइए ? विदेशी कौन हैं, इसकी व्याख्या अगर फिर से करनी है तो कीजिए। फारेनर्स का नाम इलेक्टोरल रोल्स से हटाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

अंत में मैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आता हूं, जिसकी वजह से सारी समस्या है। 1961 में संसदसदस्यों की एक समिति बनाई गई थी, श्री ए० पी० जैन उसके चेयरमैन थे। उस समय भी भाषाई मामला चला था। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। आज 1982 चल रहा है। उस समिति ने जाब के सम्बन्ध में, आर्थिक मामलों के सम्बन्ध में, भाषाई मामलों के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये थे, लेकिन जब तक उपद्रव न हो, तब तक सरकार का ध्यान विकास की तरफ नहीं जाता है। आज भी नार्थ-ईस्ट की समस्या काफी गंभीर है। आसाम और गोहाटी भारत के अभिन्न अंग रहे हैं। अभी चन्द्रशेखर जी बतला रहे थे कि अभी भी वहां के लोग हमें चाहते हैं लेकिन उनके आर्थिक विकास के लिए सरकार क्या करने जा रही है, सरकार किस स्तर पर मुकाबला करने जा रही है ? इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाकर, इधर-उधर करके, माइनारिटी की सरकार बनाकर, तिकड़म लगाकर के समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। बुनियादी समस्या की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए और इस काले कानून को वापिस लेना चाहिए। वहां के सारे मामले सरकार के कारण ही पैदा हुए हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को उनका निदान निकालना चाहिए। दूसरे के माथे पर दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) : इस समय को आधे से अधिक कार्यावधि बीत चुकी है। लेकिन सातवीं लोक सभा में से सदस्यों को छोड़कर असम के अधिकांश चुनाव-क्षेत्रों का इस साल में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं रहा है।

जब हम इस सभा में आये थे तो आसाम जल रहा था ; वहां हिंसा भड़की हुई थी। सरकार का पहला काम उस आग को बुझाना और स्थिति को नियंत्रण में लाना था। मैं यह कहूंगा कि उस आग को बुझाने तथा स्थिति को नियंत्रण में रखने का श्रेय इस सरकार को जाता है। लेकिन असम में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया पुनः स्थापित नहीं की गयी।

जब चुनाव हो रहे थे, तो आसाम के आंदोलनकारियों ने, आन्दोलन के नेताओं ने, घोषणा कर दी थी कि वे आसाम में चुनाव नहीं होने देंगे। मुझे यह कहते हुये दुख होता है कि वे ऐसा करने में सफल हुए हैं। वहां विधान सभा थी, लेकिन अब स्थिति ऐसी पैदा हो गयी है जिसमें विधान-सभा को भी भंग करना पड़ेगा और जैसा कि मैंने पहले कहा है इस, सभा में दो प्रतिनिधियों को छोड़कर आसाम का राज्य विधान सभा में तथा लोक सभा में भी कोई भी प्रतिनिधि नहीं है।

इसमें संदेह नहीं है कि सरकार ने स्थिति का सामना बड़ी दृढ़ता से किया, लेकिन साथ ही उन्होंने वार्ताओं के लिये दरवाजे बन्द नहीं किये। आन्दोलनकारियों के नेताओं ने कई दौर में वार्तायें की जिनमें संसद में विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया गया। लेकिन आगे हम समस्या के स्थायी समाधान से बहुत दूर हैं।

मुझे आशा है कि नये गृहमंत्री श्री वेंकटरामन, जो रक्षा मंत्री भी हैं, और जो आसाम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास से सम्बन्धित है, कुछ ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे कि वहां चुनाव हो सके।

लेकिन आसाम के अल्पसंख्यकों के मन में तथा वहां रह रहे अन्य राज्यों के लोगों को मन में एक यह आशंका है कि आसाम में अब जो सरकार काम कर रही है, वह आन्दोलनकारियों के खुश करने की नीति का पालन कर रही है। यह ठीक अवसर है जब हम उन्हें कह सकते हैं-"बस और नहीं काफी हो गया है" सरकार ने बहुत वार्तायें की हैं। लेकिन वार्ता के नाम पर आसाम की लोकतांत्रिक प्रक्रिया ठप्प नहीं पड़नी चाहिये। वहां जितनी जल्दी भी सम्भव हो चुनाव करवाये जाने चाहिये।

जैसा की मैं कह चुका हूं आसाम में आन्दोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य यह था कि वहां चुनाव न होने दिये जायें और वे अपने उद्देश्य में सफल रहते आये हैं।

अभी चुनाव क्यों नहीं करवाये जा सकते? कौन सी बात चुनावों को होने से रोक रही है? मेरे विचार में जब तक चुनाव नहीं होंगे, उस समय तक आसाम समस्या का स्थायी हल नहीं मिल सकता। चुनाव जरुरी है। आसाम के लोगों को विधान सभा तथा संसद के लिये अपने नुमायंदों का चुनाव करने दिया जाये और उन्हें अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करने दिया जाये। यही एक समाधान है, जो किया जा सकता है।

दूसरे मैं आसाम तक यहां के स्थानीय प्रशासन की वर्तमान स्थिति के बारे में भी कहना चाहूंगा। यह बात सच है कि आसाम में स्थानीय प्रशासन आन्दोलन के काम में ही बहुत उलझा हुआ है।

जैसा कि श्री संतोष मोहन देव ने, जो आसाम के दो प्रतिनिधियों में से एक हैं, कहा है कि स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाये जा रहे हैं। वे गण संग्राम परिषद् तथा आन्दोलन के अन्य नेताओं की सलाह के अनुसार काम कर रहे हैं और अब आसाम की राजनीति में एक नया तत्व प्रवेश कर गया है। इससे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तथा विश्व हिन्दू परिषद एक बड़े पैमाने पर सम्बद्ध है। अब तक यह प्रश्न एक क्षेत्र तक सीमित था। परन्तु अब साम्प्रदायिकता का तत्व क्षेत्रीयता की तुलना में प्रमुख हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आसाम में दोहरा खेल खेल रहे हैं जब वे बहुसंख्यक के लोगों अर्थात हिन्दुओं के क्षेत्र में जाते हैं तो वे वहां कहते हैं कि बंगाल और आसाम के हिन्दू एकता से रहे; यह आन्दोलन मुसलमानों के विरुद्ध है हम हिन्दुओं के विरुद्ध नहीं हैं, हम मुसलमानों के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम विदेशियों के विरुद्ध हैं।" भारतीय जनता पार्टी यह खेल खेल रही है विश्व हिन्दू परिषद तथा आर० एस० एस० जो उसके दायें तथा बायें बाजू है, पहले से ही घोषणा करते आये हैं :—

"हिंदू-हिंदू एक हैं, मुसलमान को यहां से बाहर निकाल दो" आसाम में तथा हर जगह अब यही नारा सुनने को आ रहा है।

दुख और क्षोभ के साथ मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि स्थानीय प्रशासन बेदखली के मामले में भी इसी नीति का पालन कर रहा है। निःसंदेह यह बात सच है कि भाषायी अल्पसंख्यकों को हर जगह बेदखल किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर मुसमानों को आसाम से बेदखल किया जा रहा है। जिन लोगों के नाम 1957 के बाद से मतदाता सूचियों में चले आ रहे हैं और जो लोग मतदाता हैं और जिन्होंने दो या तीन चुनावों में मतदान किया है, उन्हें भी बेदखल किया जा रहा है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं तथा आसाम के स्थानीय प्रशासन में उनके दलालों के प्रभाव पर किया जा रहा है। मैं गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री लास्कर के चुनाव क्षेत्र से केवल एक उदाहरण दूंगा।

श्री लास्कर के चुनाव क्षेत्र रत्तावारी से 75 मुसलमानों को निकाला गया और यह बात खुली तरह से कही जा रही है कि इस बेदखली के पीछे एस० डी० ओ० का हाथ होने का पता चला है। वह एस० डी० ओ० कौन है ? इस बात को सभी जानते हैं कि वह एस० डी० ओ० आर. एस. एस. का एक सक्रिय सदस्य है। श्री लास्कर इससे इनकार करें। श्री लास्कर इस बात को जानते हैं और मुझे भी बताया गया है कि श्री लास्कर ने इस एस. डी. ओ. को स्थानांतरित करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस एस. डी. ओ. का स्थानान्तरित नहीं किया जा सका। मैं चाहता हूं कि श्री लास्कर इस बारे में हमें कुछ बतायें कि आर. एस. एस. से सम्पर्क रखने वाले उस एस. डी. ओ. को—गृह मंत्री इसे जानते हैं—स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया। क्या यह सच नहीं है कि निकाले गये इन 75 मुसलमानों ने श्री लास्कर को अपने वोट दिये थे ? क्या पिछले दो या तीन चुनावों से उनके नाम निर्वाचन सूची में नहीं थे ? स्वयं गृहमंत्री के चुनाव क्षेत्र में ही इस प्रकार की बातें क्यों हो रही है ? यदि उस चुनाव क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आसाम के अन्य भागों में क्या हो रहा होगा।

गृह मंत्री, श्री वेंकटरमन ने बेदखली बन्द करने के लिये एक पत्र जारी किया है, लेकिन फिर भी बेदखली रुकी नहीं है। बेदखली होने के समाचार आ रहे हैं।

एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि विदेशियों का पता लगाने का काम आसाम के स्थानीय प्रशासन पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। विदेशियों का पता लगाने के लिए आसाम में केन्द्रीय सरकार की कोई एजेन्सी होनी चाहिए। अल्पसंख्यक लोग आसाम के स्थानीय प्रशासन पर विश्वास नहीं कर सकते। हम इसके लिए केन्द्रीय सरकार की एक एजेन्सी चाहते हैं, जो इस की जांच करे और यदि विदेशियों का पता लगे, यदि विदेशी मिल जायें तो उन्हें निकाला जा सकता है; इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 1971 की कल-आफ लाइन को नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिये, हमें 1971 की कल-आफ लाइन पर अड़े रहना चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मैं आशा रखता हूँ कि गृह मंत्री इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करेंगे और वे चुनावों को शीघ्रातिशीघ्र करवाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आसाम के प्रति-

निधि-राज्य विधान सभा तथा संसद में आ सकें और प्रजातंत्रीय प्रक्रिया पुन: शुरू की जा सके। आन्दोलनकारियों से दृढ़ता से कहा जाना चाहिये 'अब तक बहुत हो चुका, इससे आगे न बढ़ें।' मैं वार्ता बन्द करने तथा कार्यवाही करने की मांग भी करता हूँ।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई-उत्तर) : मेरे माननीय मित्र गृह मंत्री, आसाम में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव को लेकर इस सभा में पहली बार नहीं आए हैं, गृह मंत्री शायद इस प्रस्ताव को लेकर इस सभा में चौथी बार आए हैं। पहले इसका सम्बन्ध इस प्रस्ताव से जोड़ा गया था कि विधान सभा निलम्बित अवस्था में ही रखी जाए। पिछली बार इसे ऐसे प्रस्ताव से जोड़ा गया कि विधान सभा भंग कर दी जाये।

मैं उन सब बातों को नहीं दोहराउंगा जो मैंने उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में सरकार की जिम्मेदारियों के बारे में कही थीं। लेकिन मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस समय का प्रस्ताव संक्षेप में मतदाताओं और विधान सभा के विरुद्ध एक दुखद षड़यंत्र का अध्याय है, जिसकी विशेषतायें ये हैं कि एक संगठित तथा निर्लज प्रयास द्वारा दल-बदल करवाया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रिमंडल बनाने का, जिसे विधान सभा में बहुमत ने पराजित किया, असफल प्रयास किया गया, अल्पमत सरकारें बनाई गयीं, प्रमाणित बहुमत को मंत्रिमण्डल बनाने के अधिकार को अस्वीकार किया गया और संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध सत्तारूढ़ दल के दलीय हितों को पूरा करने हेतु राज्यपाल को उसका अस्त्र बनाया गया।

हम इस प्रस्ताव तथा बजट पर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह दुख की बात है कि आसाम की 14 में से 12 सीटें संसद में बिना प्रतिनिधि के हैं। आज आसाम में कोई भी लोकप्रिय सरकार नहीं है। आसाम राज्य में आज कोई भी विधान सभा नहीं है और इस सभा की जिम्मेवारी न केवल राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के प्रस्ताव पर चर्चा करना है बल्कि राज्य के बजट पर चर्चा करने तथा इसे पास करने की भी है। यह एक दुखद स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जिसे संभव हो तो एक मिनट से भी अधिक नहीं चलने देना चाहिए।

लेकिन जैसा कि अन्य सदस्यों ने कहा है इस स्थिति का समाधान उसी दशा में किया जा सकता है जब कि वहां चुनाव कराये जायें मेरे से पहले बोलने वाले मित्र। जो गाजीपुर से हैं, शायद यह सोच रहे हैं कि यह सरल कार्य है और यदि चुनाव हो जायें, तो समस्यायें हल हो जायेंगी। वे उलटा सुझाव दे रहे थे। समस्या यह है कि चुनाव 1980 में नहीं हो सके। समस्या यह है कि चुनाव आज भी नहीं हो सकते, चाहे मेरे मित्र माननीय गृह मंत्री इन्हें चुनाव आयोग द्वारा कल ही क्यों न करवाना चाहें। समस्या यह है कि चुनाव नहीं करवाये जा सकते क्योंकि राज्य एक अजीब और अभूत पूर्व आन्दोलन के दौर से गुजरा है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विदेशों के गैर कानूनी घुसपैठियों के नामों को मतदाता सूचियों से बाहर निकलवाया जाये। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता, जब तक आसाम के लोगों को यह विश्वास नहीं हो जाता कि मतदाता सूचियों से गैर कानूनी घुसपैठियों के नाम निकाल दिये गए हैं, उस समय तक आसाम में चुनाव की प्रक्रिया लागू करने की कल्पना करना भी कठिन

हो जाएगा। इस बात को सभी जानते हैं कि जिस आन्दोलन को बार बार आसाम के विशाल जन समर्थन का पता चला है, उसका समाधान उस ढंग से नहीं किया गया जिस ढंग से कि किया जाना चाहिए था। मैं उन लोगों में से हूँ जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि समस्या का समाधान शायद कुछ पहले ही किया जा सकता था यदि सरकार पहले एक अनाड़ी वाला तथा हानिकारक रवैया न अपनाती।

महोदय, दुर्भाग्यवश आन्दोलन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, समय-समय पर बदलती रही है जिसकी अपेक्षा जनान्दोलन से निपटने वाली तानशाही सरकार से की जा सकती है। मुझे खेद है कि 'तानाशाही' शब्द पर दूसरी ओर के सदस्य आपत्ति कर सकते हैं। वे इसके लिए कोई अन्य शब्द चुन सकते हैं, जैसे गुलाब के लिए वे किसी भी शब्द का प्रयोग करें परन्तु खुशबू वही रहेगी। जनान्दोलन से निपटने के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार के पद-चिन्हों पर चलने का प्रयास किया है। उन्होंने इस आन्दोलन को पृथकवादी कहकर बदनाम करने का प्रयास किया है और इस आन्दोलन को देश के अल्प-संख्यकों के विरुद्ध बताया है तथा उन्होंने आन्दोलन को प्राप्त जन समर्थन को अस्वीकार करने का प्रयास किया है, उन्होंने आन्दोलन में फूट डालने का प्रयत्न किया है, उन्होंने भड़काने वाले एजेंटों पर निर्भर रहने का प्रयत्न किया तथा अन्तिम बात यह है कि उन्होंने कठोर दमनकारी उपायों पर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा आवश्यक सेवा अधिनियम जैसे कानूनों पर निर्भर रहने का भी प्रयास किया। इसका उल्लेख बाद में किया जा सकता है। परन्तु महोदय, आन्दोलन जीवित रहा। आन्दोलन को बदनाम करने के बावजूद आन्दोलन चलता रहा और इसने जन समर्थन का प्रमाण दिया।

महोदय, मुझे यह अवश्य ही कहना चाहिए कि अहिंसक जन-आन्दोलन की एक अपनी गति होती है परन्तु इसकी गति में उतार-चढ़ाव आए। लोगों द्वारा इसमें भाग लेने में आए उतार-चढ़ाव को जन समर्थन में उतार-चढ़ाव के रूप में नहीं लेना चाहिए, विशेषरूप से तब जब कि आन्दोलन बुनियादी और भावात्मक कारणों से चलाया जा रहा हो। यह कहना कि आन्दोलन को प्राप्त जन समर्थन समाप्त हो गया है या उसमें कमी आई है, गम्भीर परिणामों को बुलावा देना है। जब सरकार अथवा आन्दोलन के नेताओं ने यह निर्णय सम्बन्धी भूल की—मैं कुओं-तेल सौदे की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको निर्णय सम्बन्धी भूल बताया गया है—तब जो कुछ हुआ वह हम देख चुके हैं। यदि सरकार इस आशंका का शिकार होती है, तो वह आन्दोलन की शक्ति को कम आंकने लगती है, यह विश्वास करने लगती है कि वह आन्दोलन द्वारा उठाए जा रहे बुनियादी राजनीतिक मसलों की उपेक्षा कर सकती है। वह विश्वास करने लगती है कि आन्दोलन को बेरहमी और कठोरता से दबाने का समय आ गया है।

महोदय, हमने स्वतन्त्रता संग्राम में अपने अहिंसक संघर्ष के दौरान इस प्रकार की कई मिसालें देखी हैं। लोगों द्वारा आन्दोलन में भाग लेने के सम्बन्ध में आए उतार-चढ़ाव का आन्दोलन के नेताओं पर भी गम्भीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। महोदय, यदि भ्रमवश अथवा उत्तेजनावश उनमें से कुछ यह विश्वास करने लगें कि उन्हें उन कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए जिनमें कम लोगों द्वारा भाग लेने की आवश्यकता है, यद्यपि वह पर्याप्त जन समर्थन पर

आधारित हो, तो इस बात की आशंका रहती है कि वह आन्दोलन आतंक और हिंसा का मार्ग धारण कर सकता है।

इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सरकार तथा आन्दोलन को कटुता के दलदल में ले जाएंगी और उनसे हिंसा का वातावरण बनेगा जिससे लोगों को कष्ट पहुँचेगा। मेरे विचार में अब समय आ गया है जब मैं सरकार को चेतावनी दूं और सरकार से तथा आन्दोलन के नेताओं से यह अनुरोध करूं कि वे इस प्रकार के दलदल की ओर अग्रसर न हों।

महोदय, यह एक अच्छी बात है कि सरकार और आन्दोलन के नेताओं ने त्रिपक्षीय वार्त्ता के आह्वान को स्वीकार किया है। इन वार्ताओं में कुछ प्रगति हुई है। यह कोई आसान काम नहीं है क्योंकि गृह मंत्री के जो अब इस विभाग के प्रभारी हैं, प्रतिष्ठित अथवा कम प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती मंत्री अपने पीछे कटुता और अविश्वास का वातावरण छोड़ गए हैं। परन्तु, महोदय, वार्त्ता जारी रखनी होगी। मेरे माननीय मित्र श्री जेठमलानी ने जहां वार्त्ता भंग अथवा स्थगित हुई थी, वहीं से वार्त्ता आरम्भ करने का जिक्र किया है। मैं इसका समर्थन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि हम वार्त्ता को वहीं से प्रारम्भ करें जहां पर यह लघु आम चुनाव से पूर्व स्थगित हुई थी।

महोदय, असम में लोकप्रिय सरकार नहीं है। हम सभी ने विभिन्न समय पर यह कहा है कि एक अच्छी सरकार लोगों की अपनी सरकार का स्थान नहीं ले सकती। महोदय, आज दुर्भाग्यवश असम में न लोगों की अपनी सरकार है न अच्छी सरकार। जब लोकप्रिय सरकार होती है, तब सरकार के नेताओं, उच्च-विशिष्ट व्यक्तियों तक लोग पहुँच सकते हैं और वे उत्तरदायी होते हैं। प्रायः दूर के ढोल सुहावने कहे जाते हैं। परन्तु यह एक ऐसा मामला है जहां निर्णय लेने के केन्द्रों से दूरी के कारण समस्याओं के प्रति उदासीनता आ जाती है जिससे लोगों को कष्ट होता है, क्रियान्वयन करने की गति और प्रभाव की उपेक्षा होती है तथा ढीलेपन, निष्क्रियता और भ्रष्टाचार की कोई चिन्ता नहीं होती। लोगों की समस्याएं जटिल एवं प्रबल होती जाती हैं। सरकार अपने बुनियादी कर्त्तव्य पूर्ण करने में असफल रहती है। जो प्रशासन समाजवादी, लोकतान्त्रिक तथा कल्याणकारी राज्य का प्रशासन होना चाहिए वह पुलिस राज का रूप धारण कर लेता है या एक ऐसे प्रशासन का रूप धारण कर लेता है जिसमें अकसवादी के खुशामदियों को अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार तथा अकार्यकुशलता के लिए बक्श दिया जाता है। आज असम में हम यही स्थिति देखते हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : प्रत्येक सदस्य को 20 या 30 मिनट बोलने के लिए दिए गए हैं। क्या आप मुझे भाषण समाप्त करने के लिए कहेंगे।

सभापति महोदय : आप कृपया जारी रखिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे विचार में आपको अपनी निष्पक्षता का प्रमाण नहीं देना होगा, आप इस विचार को अपने ऊपर हावी न होने दें।

मैंने जो कुछ कहा है, उसकी सच्चाई की पुष्टि उस वर्तमान स्थिति से हो सकती है, जिसका उल्लेख गाजीपुर से आए मेरे माननीय सदस्य मित्र ने किया है। बाढ़ और भूमि के कटाव से होने वाली मौतों की ओर देखिए।

ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का प्रकोप सुविदित है। असम में बाढ़ और भूक्षरण से प्रति वर्ष लगभग 20 से 30 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। उत्पाती नदी को वश में करना होगा। धाराप्रवाह, भूमि कटाव, गाद, उथला नदी-तल तथा उसके परिणामस्वरूप नदी का किनारों से ऊपर भरकर बहना, किनारों का कटाव ये सभी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हल करना होगा। बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष अनेक मौतें होती हैं। महोदय, आप अपनी घड़ी की ओर देख रहे हैं। अन्यथा मैं बाढ़, बाढ़ के प्रकोप तथा भूक्षरण की विस्तार से चर्चा करता। बाढ़ विशेष-रूप से मंगलदई, लखीमपुर, तेजपुर में आई, जहां बहुत अधिक नुकसान हुआ। कटाव निआमती और झाझीमुख के बीच तथा जोरहाट में बहुत अधिक हुआ है। जिससे जोरहाट उपमण्डल और जोरहाट कस्बे में और गोलाघाट उपमण्डल के मारिआमुला क्षेत्र में खतरा उत्पन्न हो गया था और अब काजीरंगा सेंक्चुअरी के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर रहा है और कोई नहीं चाहता कि सेंक्चुअरी के निवासी कहीं और चले जाएं।

सभापति महोदय : कम से कम बम्बई तो नहीं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : न जादवपुर ही। क्या आप उनका जादवपुर में जाना पसन्द करेंगे ?

(व्यवधान)

फकीरागंज, दक्षिणी सालमेरा रोड में भूमि का कटाव हुआ है। डिब्रूगढ़ में बूढ़ी डिहिंग द्वारा लगातार भूक्षरण हो रहा है जिससे ऊपरी असम के बांधों को खतरा पैदा हो गया है। महोदय, राहत कार्य न तो तत्काल आरम्भ किए गए और न ही वे पर्याप्त थे। और अफसर-शाही के ढीलेपन के कारण तथा विधायकों के जो कि अधिकारियों से कार्यवाही करवा सकते थे, न होने की वजह से लोग कष्ट उठा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त भूक्षरण की गम्भीर समस्या भी मौजूद है। गाद निकालने तथा स्पर निर्माण जो किनारों के कटाव को रोकने के लिए अनिवार्य है, के सम्बन्ध में हमारे द्वारा की गई मांगों और अभ्यावेदनों के बावजूद भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। महोदय, इस सभा द्वारा पारित एक विधेयक के द्वारा ब्रह्मपुत्र नियन्त्रण आयोग और बोर्ड की स्थापना की गई थी। आपको याद होगा और यदि मुझे सही-सही याद है तो भी वाद-विवाद में आपका भी योगदान था। सभा ने 1980 में यह विधेयक पारित किया था। बोर्ड की स्थापना 31 दिसम्बर, 1981 को हुई थी। इस सभा को बताया गया था कि इसकी अविलम्ब आवश्यकता है। अविलम्ब आवश्यकता से प्रत्येक परिचित है। परन्तु सभा द्वारा विधेयक पारित करने के बाद भी बोर्ड की स्थापना में एक वर्ष से अधिक समय लग गया था। बोर्ड को परियोजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करना था। परन्तु, महोदय, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

महोदय, मैं अब कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेता हूँ। महोदय, मैं आपसे कुछ और समय देने का अनुरोध करता हूँ क्योंकि मैं बजट के बारे में बोल रहा हूँ···

सभापति महोदय : दो मिनट और। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि ऐसी बात है तो यह असम्भव है।

सभापति महोदय : आप आरम्भ तो कीजिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : कानून और व्यवस्था की स्थिति का जिक्र मेरे माननीय मित्रों ने किया है। आज असम में पुलिस राज है। वहां आतंक का शासन है। सम्पूर्ण राज्य में धारा 144 की घोषणा कर दी गई है। सरकार लोगों को गिरफ्तार तथा परेशान करने; आन्दोलन के नेताओं के विरुद्ध झूठे आरोप लगाने आदि की नीति का अनुसरण कर रही है और पुलिस शैक्षिक संस्थाओं और परिसरों में अनधिकृत रूप से घुस रही है। व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 'बन्द' में भाग लेने के आरोप में उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। मैं इस विषय में बहुत कुछ कह सकता हूँ। परन्तु मैं कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा अपराधियों को पकड़ने के सम्बन्ध में केवल सरकार की पूर्ण असफलता की ओर संकेत करना चाहता हूं।

9 जून को फटासिल अम्बारी में एक बम विस्फोट हुआ जिसमें 19 निर्दोष व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई। एक मामला श्री पार्थ सारथी का है जो 1980 के एक विस्फोट में चल बसे थे। दिसपुर में विधायकों के परिसर में एक विस्फोट हुआ था। पशुचिकित्सा विभाग के अतिथि ग्रह में श्री दास की हत्या कर दी दई थी, जिसका उल्लेख मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र श्री सन्तोष मोहन देव ने किया था। इस तथ्य के बावजूद कि जांच का काम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा गया था, अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। मुझे अचम्भा होता है कि क्या सरकार की रुचि समस्याओं का समाधान करने में है और यदि रुचि है तो मैं हैरान होता हूं कि क्या सरकार इतनी कार्य कुशलता भी है। अब असम में 10 पुलिस महानिरीक्षक हैं और और इस तथ्य के बावजूद भी कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है।

महोदय, क्या आप समय के बारे में कड़ा दृष्टिकोण अपनाएंगे। मुझे कुछ आर्थिक पहलुओं पर भी बोलना था।

सभापति महोदय : आप कृपया अपनी अन्तिम बात पर आइये। क्या यह आपकी अन्तिम बात है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंने संसदीय कार्य मंत्री अथवा उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था कि इस विषय के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। महोदय, आप लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं। असम में विधान सभा नहीं है। हम उसके बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय : अब आप आर्थिक पहलू पर आइये। अर्थव्यवस्था तक सीमित रहिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा। अब, महोदय, अब तेल का प्रश्न आता है जो असम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह असम की आय का मुख्य साधन है। चाय उद्योग के बाद इस अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग का स्थान है जिसका राजकोष में जाने वाली आय के स्रोतों में योगदान है। असम

में तेल का समुद्र है। परन्तु सरकार रायल्टी के रूप में असम को क्या दे रही है ? बहुत कम। मेरे विचार में बंगाल में भी तेल के कुएं है अत: आप भी उचित मात्रा में रायल्टी की मांग में सम्मिलित हो जाइये।

महोदय, सरकार ने 61 रुपये निर्धारित किए हैं जो कच्चे तेल का 20% बनता है। जब कीमत 305 रुपये प्रति टन थी तब उन्होंने 20% की दर से रायल्टी 61 रुपये प्रति टन निर्धारित की और इन समझौते के तत्काल बाद तथा यह कहने के बाद कि यह समझौता चार वर्षों तक लागू रहेगा, सरकार ने कीमत बढ़ाकर 1180 रुपये प्रति टन कर दी जिसके परिणाम-स्वरूप काफी हानि हुई और यदि मैं उनके शब्दों का प्रयोग करूं तो यही कहूंगा कि जहां तक असम राज्य और असम राजकोष का सम्बन्ध है इससे राष्ट्र को अत्यधिक हानि हुई है।

महोदय, मैं अब कीमतों को लेता हूं। आप जानते हैं कि यह राज्य संचार साधनों के अभाव में कमजोर है। सभी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। श्री देव मेरी इस बात से सहमत होंगे कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में चावल 8 रुपये किलो बिका है।

श्री चित्त बसु (बारसार) : सिलचर में।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जी हां, सिल्चर में। थोक मूल्यों और फुटकर मूल्यों में अन्तर से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मूल्यों में वृद्धि तथा मूल्य नियन्त्रण न कर सकने का कारण मुख्यत: सरकार की अक्षमता तथा उसका उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण है।

अब मैं बुनियादी सुविधाओं, परिवहन और संचार साधनों पर आता हूं। यदि मैं यह कहूं कि ये चीजें असम राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो मैं जानता हूं कि आप मुझसे सहमत होंगे। वहां ब्रह्मपुत्र पर केवल एक पुल है। यह कहा गया है कि जोगीघोपा नामक स्थान पर एक पुल बनाने की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। इससे दक्षिणी किनारे को रेल के लिए खोलने में सहायता मिलेगी। परन्तु अफसरशाही की धोखाधड़ी ने इस परियोजना को नष्ट कर दिया है और यह आशंका बनी हुई है कि इसे नुकसान उठाते रहना पड़ेगा। असम में सड़क-व-रेल पुलों के निर्माण का प्रस्ताव रेल मंत्रालय में कहीं खटाई में पड़ गया है क्योंकि एक सड़क परिवहन लाबी, लारी परिवहन लाबी है जो रेल मंत्रालय को प्रभावित करने में समर्थ है, विशेष रूप से तब से जब से राजापुर के आए मेरे मित्र ने यह पद छोड़ा है। इसके अतिरिक्त भोमोरागुड़ी पर एक पुल बनाने का प्रस्ताव है। भोमोरागुड़ी पर पुल बनाने की मूल योजना को भी किनारों के कटाव के कारण बदलना पड़ा है। किनारों के कटाव के कारण भोमोरागुड़ी पुल की मूल योजना में भी परिवर्तन करना पड़ा था। राज्य द्वारा इंजीनियरों और केन्द्र से विशेषज्ञों को वहां भेजा गया था। जिन्होंने यह परामर्श दिया था कि किनारों को कटाव से रोकने के लिए पत्थर का पक्का बांध बनाकर इसको रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। लेकिन यह नहीं किया गया। अब पुल के बनने में अधिक समय लगेगा और अधिक लागत लगेगी।

लगभग एक दशक पूर्व यह निर्णय लिया गया था कि न्यू बोगईगांव से गोहाटी स्टेशन तक बड़ी रेलवे लाइन बिछाई जायेगी। इस बारे में सदन में कई बार मांग उठाई गई है।

महोदय, भ्रष्टाचार के कई मामले हैं। मैं मानता हूं कि आप मुझे उनको भण्डाफोड़ करने के लिए कहेंगे। लेकिन समय अभाव के कारण मैं इसका ब्योरा नहीं दूंगा।

हाल ही में समाचार-पत्रों में अगरवुड आयल' सौदे में भारी गड़बड़ी के बारे में समाचार प्रकाशित हुआ था। मेरे माननीय मित्रों को इसकी जानकारी होगी। आर्थिक अपराध-सम्बन्धी असम पुलिस ब्यूरो द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन की गौहाटी शोधनशाला के महाप्रबन्धक के कार्यालय पर छापा मारा गया और उक्त सौदे का पता लगाया। समय का अभाव है इसलिए मैं इस मामले के ब्योरा में नहीं जा सकता। इससे दो लाख रु० का घाटा हुआ। इससे उत्पादन यातायात तथा अगरवुड आयल के भण्डारण सम्बन्धी-नियमों तथा बिक्री कर सम्बन्धी नियमों का उलंघन हुआ है।

इसके अतिरिक्त, असम राज्य परिवहन निगम तथा असम चाय निगम के सम्बन्ध में भी शिकायतें प्राप्त हुई है। 708 स्कूलों तथा 134 मदरसों के स्कूल अध्यापकों को जनवरी से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। यदि मैं इन समस्याओं का जिक्र यहां नहीं करूंगा तो कहां करूंगा।

समापति-महोदय, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप बहुत बेचैन हैं इसलिये बातचीत फिर से आरम्भ करने की आवश्यकता का जिक्र करते हुए मै अपना भाषण को समाप्त करता हूं।

बातचीत जारी रखनी चाहिए और शीघ्र आरम्भ की जानी चाहिए। इस समस्या को हल करने का और कोई रास्ता नहीं है। इस बात से इंकार कि कोई समस्या है अथवा इस बात से इंकार करना कि आन्दोलन को लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं हैं, समस्या का हल नहीं है। कर्नल विलिम्प का मुकाबला करने से यह समस्या हल नहीं हो जायेगी। आन्दोलन के नेताओं ने एक व्यापक तथा अभूतपूर्व आन्दोलन का नेतृत्व किया है। असम के लोगों ने इसका बिना शर्त तथा सतत समर्थन किया है। इन्होंने घोर दमन का सामना किया है और इस आन्दोलन के नेताओं का पूर्ण समर्थन किया है। इससे आन्दोलन के नेताओं के कन्धों पर और भी अधिक जिम्मेदारी आ जाती है।...(व्यवधान)। वे राजधानी से इस विषय पर इधर-उधर की बातें और बाह्य बातें करके ही जाने वाले नहीं हैं। बातचीत का विषय वह मूल-बिन्दु होना चाहिए जिसके बारे में वे लोग चिन्तित हैं एक अहिंसावादी आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिये साहस की आवश्यकता होती है। आप इस अवसर को न खोएं। अतः मैं अपील करता हूं कि में बातचीत लचीलापन का रवैया अपनाए उन्होंने संघर्ष का नेतृत्व करने में अपनी अटल विश्वास का प्रदर्शन किया है। मैं सरकार तथा आन्दोलन के नेताओं से यह अपील करता हूं कि वे समझदारी तथा राजनैतिक दूरदर्शिता का परिचय दें।

मेरे मित्र श्री वेंकटरामन ने इस विभाग का कार्यभार संभाला है। वह एक बहुत ही न्यायसंगत व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। वह इन समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालेंगे। वह ऐसे स्वभाव के हैं कि उनको उत्तेजित नहीं किया जा सकता। वह शांत-गम्भीर स्वभाव के हैं। इसलिये मुझे विश्वास है कि यदि वह अपनी प्रतिभा तथा अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर साबित होगा। मैं यह जानता हूं कि उनकी या उनके न्यायसंगत दृष्टिकोण की उपेक्षा की जा सकती है लेकिन मेरी शुभकामनायें उनके साथ हैं। मुझे

आशा है कि उनके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप शीघ्र ही कोई हल ढूंढ निकाल लिया जायेगा, जिससे कि चुनाव कराये जा सकें और लोकतंत्र को फिर से बहाल किया जा सके तथा असम में विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या को इस प्रकार हल किया जा सके, जिससे सभी संतुष्ट हों।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : महोदय, मैं उदघोषणा को जारी रखने का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैंने सदन के दोनों पक्षों की ओर से दिये गये भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है। श्री राम जेठमलानी ने अपने भाषण से सदन में एक ऐसी भावना उत्पन्न कर दी है कि असम की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। उनके शब्दों के अनुसार असम में संघर्ष चल रहा है। लेकिन असम की स्थिति को जानने का असली तरीका यह है कि आजकल हम अखबारों में श्री वाजपेयी जी के गौहाटी जाने की खबर नहीं पढ़ते हैं।

स्थिति को जानने का यह एक बेहतर तरीका है। असम में कोई गड़बड़ नहीं चल रही है। यदि असम में कोई समस्या होती तो श्री वाजपेयी जी गोहाटी पहुँचते। जैसा कि मैंने अपने पहले भाषण में भी बताया है कि यह असम के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वास्तव में राजनैतिक दल हीं इन समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। मैंने इसको प्रमाणित भी कर दिया है। जब मैं पिछली बार गोहाटी गया था, तब मैंने देखा कि गांधी मैदान जो कि राजनैतिकों के द्वारा सार्वजनिक सभा करने का एक स्थल है, इसको लोक दल भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी आदि जैसे विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा काफी दिनों तक के लिये बुक करा रखा है। प्रत्येक दल उस स्थान को सार्वजनिक सभाओं के लिये बुक कराया है मैंने यह भी कहा था कि कुछ नेताओं द्वारा यह कहा गया था कि हम चाहे देश के किसी भी भाग में हों, लेकिन हमारा मन असम में रहता है।

मुझे विश्वास है कि असम में स्थिति सुधर गई है और अब उनका दिल असम से वापस आ जाना चाहिए। अथवा वे अपने दिल को असम से वापस कर लें।

एक माननीय सदस्य : आप वहां पर कब गये थे ?

श्री राजेश पाइलट : मैं वहां पर अभी हाल ही में लगभग डेढ़ महीने पहले गया था। महोदय, मैं इस बात का दावा करता हूं, कि बहुत से विपक्षी राजनैतिक दलों के नेता असम में पिछले तीन महीने में नहीं गये हैं। लेकिन कल को यदि कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित होता है कि वहां कोई आन्दोलन चल रहा है, तब आप देखेंगे कि गौहाटी के लिए इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की सीटें इन लोगों द्वारा बुक करा दी जायेंगी। गोहाटी के लिए उस दिन आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी। राजनैतिक दलों की इस प्रकार की प्रवृत्ति है। और असम मसले की समस्याओं में से एक यह भी समस्या है।

मैं इस बात से सहमत हूं, कि कुछ मांगे मुनासिब हो सकती है। सरकार द्वारा बातचीत करने तथा प्रयत्न करने से स्थिति को ठीक किया जा रहा है और आपसी मतभेदों की दूरी कम हुई है।

जब यह समस्या पैदा हुई थी, तब दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों द्वारा इसको संभाला गया था जिनको असम की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी कुछ पता नहीं था। मुझे याद है कि एक मेरे

मित्र, संसद सदस्य जब वर्ष 1977 के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री के पास गये और उनसे कहा "महोदय, मेरे क्षेत्र की अमुक समस्या है।" तब उन्होंने पूछा था, "यह क्षेत्र चीन की सीमा पर है अथवा पाकिस्तान की सीमा पर।" यह 1977 की बात है जबकि पाकिस्तान की सीमा वर्ष 1971 में समाप्त हो गई थी, उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि क्या यह चीन की सीमा से लगा हुआ है, अथवा पाकिस्तान की सीमा से ? ऐसे लोग असम समस्या को हल कर रहे थे। उनको असम की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी पता नहीं है। इसलिए उन्होंने स्थिति को और गम्भीर बना दिया। अन्ततः जब हमारी सरकार ने वर्ष 1980 में शासन संभाला तब स्थिति काफी संकटपूर्ण थी। उसके पश्चात प्रयत्न करके स्थिति में सुधार लाया गया है।

प्रो० मधु दंडवते (राजपुर) : तारीखें गलत बताई गई हैं। मेरे विचार से यह 1981 की बात है।

श्री राजेश पाइलट : नहीं, यह 1980 की बात है। मुझे अच्छी तरह से याद है। तारीख और समय हमको भली-भांति याद रहते हैं। अतः हमारी सरकार द्वारा शासन संभालने के पश्चात् स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। आज स्थिति यह है कि यदि कोई असम जाता है तो उसको आन्दोलन में भाग लेने वाले लोगों के पास नहीं जाना चाहिए बल्कि सामान्य लोगों से जाकर मिलना चाहिए और स्थिति का अन्दाजा लगाना चाहिए। आप यह मानेंगे कि स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है। लोकतान्त्रिक तरीके से इसे संभाला है। वे इसे अलोकतान्त्रिक तरीका बताते हैं। क्योंकि वे इसका कोई समाधान न ढूंढ सके। यदि आप विपक्षी दल की सूची को देखें, तो देखेंगे कि इसमें दल-बदलुओं की बहुलता है। जबकि हमारी सूची में ऐसे तीन या चार व्यक्ति ही हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम दल-बदलुओं को नहीं रखते हैं। लेकिन हम ऐसा कम से कम करते हैं। जबकि वे सारे ही ऐसे हैं। सारी सूची में दल-बदलू हैं। मैं इस बात को श्री जेठमलानी साहब को बताना चाहता था, लेकिन वह सदन से चले गये हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : लेकिन महोदय, जब चुनाव हुए तब इनके केवल आठ सदस्य थे और उसके पश्चात् यह संख्या 45 तक पहुँच गई।

सभापति महोदय : वह संभवत आंकड़ों में उलझ गए हैं।

श्री राजेश पाइलट : महोदय, इस समस्या का कारण क्या है ? जैसा कि मैंने पहले बताया है एक कारण राजनैतिक हस्तक्षेप, तथा कुछ राजनैतिक दलों का बने रहना है। जब भी असम में कोई समस्या होती है तो आप देखेंगे कि कुछ राजनैतिक दलों के द्वारा असम के लिए धन एकत्रित किया जाता है। कुछ राजनैतिक दलों के द्वारा यह कहा जाता है कि असम के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। असम में स्थितिखराब है। कुछ राजनैतिक दलों का अस्तित्व बस इस पर ही निर्भर है। इस समस्या का दूसरा कारण राज्य के आर्थिक विकास का पिछड़ापन है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करता हूं—क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू है—कि उस राज्य के आर्थिक विकास में सुधार लाने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए।

राज्य के कृषि क्षेत्र में प्रगति करके आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। आपने

अन्य राज्यों को काफी मात्रा में, तकनीकी जानकारी, वित्तीय सहायता आदि उपलब्ध कराई है। लेकिन असम को यह सब नहीं दिया गया है। इस राज्य में कृषि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अतः यहां पर कृषि में प्रगति लाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, सरकार ने बहुत सी अच्छी योजनायें बनाई हैं लेकिन उनको क्रियान्वित नहीं किया गया है। आपने गोहाटी में औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया, लेकिन पिछले दो वर्षों में केवल दो अथवा तीन फैक्टरियां ही वहां पर स्थापित की गयी हैं। अतः मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इस दिशा में कार्यवाही शीघ्रता से की जाये। यदि वहां पर उद्योगों को स्थापित किये जाते हैं, तो असम राज्य की दो अथवा तीन समस्याओं को—वहां की बेरोजगारी तथा आर्थिक समस्याओं को—स्वतः ही हल किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त जहां तक विद्युत परियोजनाओं का सम्बन्ध है, इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वहां पर भी कश्मीर की भांति बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र परियोजना जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि राज्य को बिजली की समस्या का सामना न करना पड़े।

महोदय, इसके अतिरिक्त असम में ऐसे अनेकों स्थान हैं जहां पर पर्यटन का विकास किया जा सकता है। अन्य शब्दों मे हम यह भी कह सकते हैं कि इसके लिए राज्य को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

सरकारी सेवाओं में जहां तक भर्ती के अनुपात का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी सेवाओं की भर्ती में असम के लोगों का अनुपात बहुत ही कम है। उदाहरण के लिये रक्षा सेवाओं को ही लीजिये, पूरे असम राज्य के मुश्किल से दो अथवा तीन भर्ती केन्द्र हैं। जबकि पंजाब अथवा हरियाणा जैसे स्थानों पर एक जिले में ही दो से तीन तक भर्ती केन्द्र मौजूद हैं। अतः इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए—पुलिस सेवाओं, रक्षा सेवाओं तथा सरकारी सेवाओं में भर्ती की जानी चाहिए।

हालांकि यह बहुत कम नहीं है, फिर भी इस दर को बढ़ाया जाना चाहिए।

अब शिक्षा के बारे में, अन्य राज्यों में, जहां भी किसी गांव की जनसंख्या 2,000 से अधिक है, वहां एक प्राइमरी स्कूल अवश्य है। लेकिन परम्परा से या अन्य कारणों से असम में जनसंख्या फैली हुई। आधा किलोमीटर के क्षेत्र में, 100 घर होंगे और वे भी एक स्थान पर नहीं। इस कारण शिक्षा पर असर पड़ा है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की संख्या काफी कम है। आर्थिक विकास न होने का यह भी एक कारण है।

साथ ही वहां पर संचार साधनों की बहुत कमी है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी सरकार करती है, वह असम के लोगों तक नहीं पहुँच पाता। आपको प्रयोजन के लिए एक कक्ष बनाना चाहिए और कुछ तरीके सुझाने चाहिए जिससे वे भी राष्ट्रीय धारा में भाग ले सकें। संचार साधनों की कमी या अन्य कारणों से उन तक आधी चीजें भी नहीं पहुँच पातीं हैं।

सरकारी कर्मचारियों में यह धारणा है कि मगर उनका तबादला असम में कर दिया जाता है तो इससे यह समझा जाता है कि उन्हें सजा दे दी गई है। वे इसे साधारण अर्थों में नहीं लेते हैं। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वहां के लोगों को राष्ट्रीय धारा में कैसे लाया जाय। और उनको राष्ट्रीय गतिविधियों में आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए।

यहां पर गृह मंत्री के पास अब सब कुछ है। क्योंकि वहां पर कोई निर्वाचित सरकार नहीं है, इसलिए वहां के लिए कुछ परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। इसलिए आपको कुछ कदम अवश्य उठाने चाहिए, जिससे वहां के लोगों को आभास हो कि आपकी नियत सही है और आप वहां के लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं।

चुनाव के समय हम राजनैतिक लड़ाई लड़ सकते हैं लेकिन इस समय हमें कुछ कदम अवश्य उठाने चाहिए क्योंकि इस समय दायित्व हमारे ऊपर है। यह उचित समय है। अब हम रचनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं और असम में लोगों में फिर से विश्वास पैदा कर सकते हैं।

मैं यही कुछ शब्द कहना चाहता था। श्री रवीन्द्र वर्मा ने ज्यादा समय लिया, क्योंकि वह वरिष्ठ सदस्य हैं। इसलिए, मैंने कम समय लिया है।

इन्द्रजीत गुप्त (डुमरिहाट) : मैं भी यह आशा करता हूं कि सदन में असम राज्य के सम्बन्ध में विधायी-कार्य करने का यह आखिरी अवसर होगा। मैं समझता हूँ कि पहले ही काफी लम्बा समय हो गया है। दोनों पक्षों के सदस्यों ने इस बात को दोहराया है कि लोक सभा में असम का प्रतिनिधित्व नहीं है; मैं उन दो सदस्यों को जो असम से यहां आये हैं उनका अनादर नहीं करना चाहता। यह एक गलती है, जिसको यथा सम्भव शीघ्र सुधारा जाना चाहिए। इस प्रकार अनिश्चित काल तक यह नहीं चल सकता और यह सदन अनिश्चित अवधि तक असम राज्य के बजट के पास नहीं कर सकता।

राष्ट्रपति शासन को बढ़ा नहीं सकता।

मैं सुझाव देना चाहूँगा कि सरकार को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करनी चाहिए कि वे चुनाव कराने को तैयार हैं। असम में राष्ट्रपति शासन की अगली अवधि की समाप्ति पर अर्थात अगले वर्ष में या उससे पहले वह वहां पर चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि संविधान के अन्तर्गत असम में इस अवधि की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति शासन को लागू रखना तब तक सम्भव नहीं होगा, जब तक संविधान में कोई परिवर्तन न किया जाय। मैं समझता हूं कोई भी इसके पक्ष में नहीं होगा, कम से कम हम इसके पक्ष में कभी भी नहीं होंगे। वहां 18 मार्च, 1983 से पहले ही चुनाव कराये जाने चाहिए। भारत को सरकार को स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन उत्तेजनात्मक तरीके से नहीं, जिससे यह आभास न हो कि वह असम के लोगों को संघर्ष के लिए चुनौती दे रही है। उन्हें सही तरीके से समझाना चाहिए कि इस अवधि के अन्तर्गत चुनाव कराने जरूरी हैं और साथ ही इस चुनाव की तैयारियां भी कर लेनी चाहिए। इसी बीच, यह सात माह का समय, बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इस सात माह की अवधि के दौरान सरकार को विदेशी नागरिकों की इस विवादग्रस्त समस्या का कोई संतोषजनक हल ढूंढने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर अब से मार्च तक कोई समझौता नहीं होता है तो, असम के आन्दोलनकारी छात्र चुनावों का बहिष्कार करेंगे। मैं नहीं

जानता कि यह क्या स्वरूप धारण करेगा, क्या वे सभी से यह कहेंगे कि चुनाव का बहिष्कार करो या उम्मीदवारों को नामांकन पत्र ही नहीं भरने देंगे, जैसा कि उन्होंने पिछली बार सफलतापूर्वक किया था। मुझे नहीं मालूम की उनकी मंशा क्या हैं, लेकिन उनकी आम धारणा यह है कि अगर मार्च, 1983 से पहले कोई हल नहीं निकाला जाता तो, वे समझेंगे कि उन पर चुनाव थोपे जा रहे हैं, और उस स्थिति में वे फिर से टकराव के रास्ते पर आ जायेंगे। मैं समझता हूं कि 6-) माह का यह अन्तराल से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका इस समस्या के सही और उचित समाधान के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। इस सबका दायित्व सरकार पर है।

हम निश्चित रूप से आन्दोलनकारियों के साथ बातचीत पुनः शुरू किये जाने के पक्ष में हैं। वार्ता को तोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए इसे पुनः शुरू किया जाना चाहिए। हम नहीं कह सकते कि जब वार्ता पुनः शुरू होगी तो कोई नया गृह मंत्री नहीं होगा। इस समय हम श्री आर० वेंकटरामन को सम्बोधित कर रहे हैं। जब तक वार्ता आरम्भ होगी, उस समय कोई सम्भवतः कोई दूसरा व्यक्ति इस पद पर होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि सारी प्रक्रिया में एक प्रकार की निरन्तरता होनी जरूरी है, जिससे लोगों में इस सारे वातावरण में विश्वास की भावना होनी चाहिए। मैं जानता हूँ किसी नये व्यक्ति के लिए इसको समझना और सुलझाना कितना मुश्किल है, और अगर उसे भी जल्द ही बदल दिया जाता है तो यह और भी जटिल हो जाता है। फिर भी यह एक सतत प्रथा रही है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : केवल प्रधान मन्त्री ही स्थायी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह सीधे रूप से इससे सम्बन्धित नहीं हैं। मैं सदन का समय उस अनुचित तरीके का जिक्र करके नहीं लेना चाहता जबकि सरकार ने छः दलों के निर्वाचित सदस्यों को लोकप्रिय सरकार बनाने के अवसर से वंचित किया, हालांकि उनको बहुमत प्राप्त था। मेरे विचार से अच्छा यह होता कि सरकार उन्हें मंत्रिमण्डल बनाने देती और इस समस्या का सामना करने देती। लेकिन सरकार ने ऐसे सामान्य विवेक से काम नहीं किया। असम में कोई भी सरकार बने, उसे इस आन्दोलन का मुकाबला करना ही होगा। उनको कुछ न कुछ करना होगा, वह उसे टाल नहीं सकते। मैं समझता था कि आप में इतनी समझ होती कि आप विपक्षी दलों के नेता श्री शरत सिन्हा को सरकार बनाने के लिए कहते और फिर कहते देखें आप आन्दोलनकारियों और समस्या से कैसे निपटते है तथा कुछ करके दिखाइये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने इसे और भी जटिल बना दिया होता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : शायद उन्होंने इसे जटिल बना दिया होता, लेकिन आप इसे और जटिल बनाने के अलावा क्या कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन से समस्या का हल नहीं हो पाता, बल्कि इससे और जटिलता आ जाती है। कभी यह जरूरी भी हो जाता है। जो प्रस्ताव यहां पेश किया गया है उसका हमारे द्वारा समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप अभी ही चुनाव नहीं करवा सकते, इसलिए हम अभी राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का विरोध नहीं कर सकते। चाहे हम इसे पसन्द करें या न करें, यह जरूरी है कि कुछ और समय के लिए राष्ट्रपति शासन जारी रहे। लेकिन यह आखिरी बार के लिए होना चाहिए। आइये

हम सब मिलकर यह फैसला और इस बात की कोशिश करें कि मार्च, 1983 में चुनाव सामान्य प्रक्रिया और शान्ति के वातावरण में सम्पन्न हों।

मैं नहीं समझता कि स्थिति इतनी निराशाजनक है, जितनी कि प्रतीत होती है। मेरी ऐसी धारणा है, मैं नहीं समझता कि यह ठीक है या नहीं कि आहिस्ता-आहिस्ता आन्दोलनकारियों का एक बहुत बड़ा भाग यह महसूस करने लगा है कि इस प्रकार के आन्दोलन को अनिश्चित काल तक जारी रखना सम्भव नहीं है, और इसका कोई न कोई हल निकाला जाना चाहिए। अखिल असम विद्यार्थी यूनियन के नेताओं के अलावा, मैं आपकी सूचना के लिए एक रोचक जानकारी देना चाहता हूं, जोकि मुझे हाल ही में मिली है। इन बैठकों में संग्राम परिषद् का लगातार प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति श्री के० सी० बरुआ हैं जो एक अवकाश प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भूतपूर्व डिविजनल आयुक्त हैं। वे संग्राम परिषद के पक्के समर्थक हैं और उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में कई एक पोस्टर और पुस्तिकाएं लिखी हैं और वे इस आन्दोलन के स्तम्भ हैं। मैं यह नहीं कहता उन्होंने कोई अपराध किया है, लेकिन इस प्रकार के लोग इनके साथ है। 5 जून, 1982 की 'असम ट्रिब्यून' में श्री के० सी० बरुआ का एक पत्र प्रकाशित हुआ था। मुझे नहीं मालूम इसे आपकी जानकारी में लाया गया है या नहीं, लेकिन यह एक मजेदार पत्र है। श्री बरुआ ने श्री लास्कर के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं और मैं आशा करता हूं कि जब श्री लास्कर जवाब देंगे तो वे इनका भी जिक्र करेंगे। श्री बरुआ के पत्र में कहा गया है कि :—

"गृह राज्य मंत्री, श्री लास्कर ने यह कहने की कोशिश करते है कि (126 निर्वाचन क्षेत्रों में से) केवल 41 में ही असमियों का बहुमत है, और अगर आवश्यक हुआ तो सरकार बाकी के 85 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव करायेगी।"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : जो कुछ उन्होंने वक्तव्य में कहा है, मैंने वह कभी भी नहीं कहा है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : आप ने क्या कहा था ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मैंने कहा था कि सारे असम में ही चुनाव करवाये जायेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे सभा की कार्यवाही वृतान्त में से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं समझता हूं कि वे आप द्वारा गौहाटी में दिये गये किसी भाषण का हवाला दे रहे थे। लेकिन इसका दूसरा मजेदार पहलू यह है कि श्री बरूआ ने इसी पत्र के दूसरे हिस्से में इसी आरोप का खंडन किया है। वे लिखते हैं :—

"जहां तक 41 निर्वाचन क्षेत्रों का संबंध है ऐसा लगता है कि उन्होंने असमिया-भाषी को छोड़ दिया है। श्री लास्कर द्वारा दिये गये आकड़ों पर असम साहित्य सभा के महा सचिव ने भी टिप्पणी की हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आकड़े ठीक इसके विपरीत होने चाहिए यानि 85 निर्वाचन क्षेत्रों में असमियों का बहुमत होना चाहिए। हांलाकि वह दिन दूर नहीं है, जब घनी आबादी वाले बंग्लादेश से आ रहे विदेशियों को यदि यहां बसने की अनुमति दी जाती रही तो असमी अल्पमत में रह जायेंगे।" इस तरह उन्होंने श्री लास्कर की बातों का विरोध

किया है। श्री बरुआ के अनुसार श्री लास्कर कहते हैं कि 41 क्षेत्रों में असमियों का बहुमत है; जबकि श्री बरुआ कहते हैं कि, नहीं, 85 क्षेत्रों में असमिया-भाषी लोगों का बहुमत है। आपने असमिया भाषी मुसलमानों को अलग क्यों किया है।

मैं नहीं समझता कि हिन्दू-मुसलमानों का प्रश्न क्यों उठ खड़ा हुआ है। अगर वे लोग असमिया बोलने वाले हैं जो कि असम में ही पढ़े और वहीं वर्षों तक रहे, जिनके बच्चे भी असमी स्कूलों में जा रहे हैं, तो किसी को यह पता लगाने की आवश्यकता नहीं कि वे हिन्दू हैं या मुसलमान हैं। अन्त में श्री बरुआ कहते हैं :—

"जहां तक चुनाव का संबंध है। वर्तमान आन्दोलन विदेशियों के विरुद्ध है, न कि चुनाव कराये जाने के। हम चुनाव का इसलिए विरोध करते रहे हैं कि मतदाता सूचि में विदेशियों के नाम हैं और विदेशियों के मतों से निर्वाचित व्यक्ति, असम की जनता का सच्चा प्रतिनिधि नहीं हो सकता...

हम आज भी मांग करते हैं कि मतदाता सूचियों में सुधार शीघ्र किया जाना चाहिए, जिससे कि मतदान शीघ्र कराये जा सकें।" मैं यह नहीं कहता, इससे उनकी मांगों में बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया है, लेकिन कुछ झुकाव जरूर आया है। श्री के० सी० बरुआ के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। मुझे नहीं मालूम की जन-संग्राम परिषद के दृष्टिकोण में परिवर्तन है या नहीं।

मैं कहता हूं कि इस पर निराशावादी होने की कोई बात नहीं है। हमें आन्दोलनकारी नेताओं के साथ बैठकर बातचीत द्वारा समस्या को सुलझाना चाहिए। हम जानते हैं और वे सब जो इन बैठकों में भाग ले रहे हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगाने, इधर-उधर भागने और यह देखने में की जो कुछ हमने पिछली बैठक में कहा था, वह ठीक ढग से प्रतिवेदित किया गया है या नहीं, आदि बातों में पहले ही काफी समय नष्ट हो चुका है। अच्छा यह है कि जिन मामलों को तय किया जाना है, उन्हें तय किया जाये। यह अलग बात है कि आप सभी मामलों पर समझौता न कर पायें।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

परन्तु विशिष्ट विषय निर्धारित किये जाने चाहिए। चर्चा का स्वरूप व्यवसायिक होना चाहिए और केवल उन्हीं विषयों तक सीमित रहनी चाहिए हमें उन्हीं को लेना चाहिए और उनका समाधान निकालने का प्रयत्न करना चाहिए।

हमारे विचार में असम के लोगों को कुछ आशंकायें हैं, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। ठीक या गलत जो भी हो, उनके दिमाग में इस आन्दोलन के वर्षों बाद आज भी वे आशंकायें हैं और आसाम के अधिकांश लोग महसूस करते हैं कि आसाम में भारी मात्रा में ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनका पता नहीं लगाया गया है जिनके द्वारा उनको अभिमत करने तथा दबा देने की सम्भावना है इसलिए इसी से इस आन्दोलन का पूरा प्रवाह मिला है और इस आन्दोलन की यही सबसे बड़ी शक्ति है और कुछ नहीं। अतः इस मुद्दे को टाला नहीं जा सकता

और मैं तथा मेरी पार्टी यही सोचती है कि विदेशियों का पता लगाने के लिए कोई प्रक्रिया या तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं उन कुछ सदस्यों से सहमत हूँ जिन्होंने उस ओर से इसके बारे में बोला है। यह दूसरा प्रश्न है जिस पर हमें आना है—वह तन्त्र जिसके द्वारा इस खोज को कार्यान्वित किया जाना है क्योंकि यह ऐसा तन्त्र होना चाहिए जो वास्तव में निष्पक्ष हो और जिस पर सभी को विश्वास तथा आस्था हो। यह एक कठिन कार्य है परन्तु कोई युक्ति निकालनी होगी। असम के सभी लोगों ने विशेष रूप से आसाम के अल्पसंख्यक लोगों ने हमें बतलाया है कि यदि राज्य के प्राधिकारियों को राज्य की नौकरशाही तथा पुलिस को खोज सबन्धी कार्य सौंपा गया तो वे वहाँ तबाही मचा देंगे सभी प्रकार के निर्दोष लोगों को जबरन निकाल दिया जायेगा। यह निष्कासन काफी समय से हो रहा है। बहुत से लोगों ने इसका जिक्र किया है। इस तन्त्र पर आने से पहले खोज के लिए कसौटी खोज के सूत्र पर इन वार्ताओं में सहमति नहीं हुई। इसी कारण पिछली बार वार्ता भंग हो गयी थी और हम सोचते है कि हमें तय फार्मूले से हटना नहीं चाहिए। इस प्रश्न पर हमें अपने संविधान नागरिकता अधिनियम विदेशियों से संबन्धित अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम तथा अपनी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के आधार पर विचार करना चाहिए साथ ही मानवीय भावनाओं की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो लोग वहाँ हैं, जो वहाँ पर 15-20 वर्षों से रह रहे हैं जो या तो सरकार द्वारा बसाये गये हैं या अपने आप बस गये हैं और जिनके बच्चे आसाम में पैदा हुए हैं और पले हैं जो लोग वहाँ पर जमीन पर कार्य कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता। लाखों लोग ऐसे हैं जिनको निकाला नहीं जा सकता और यह नहीं कहा जा सकता कि आप आसाम छोड़ घर चले जाइये। इसके पीछे एक मानवीय भावना है। अतः मेरे बिचार में जब हम खोज के लिए एक न्यायोचित व निष्पक्ष फार्मूला बनाये तो ये सब बातें दिमाग में रखी जानी चाहिए।

वास्तव में सरकार, प्रधानमन्त्री के मूलवचन कि वर्ष 1971को आधार वर्ष माना जायेगा, जिसको हम सभी ने समर्थन किया था, बहुत समय पहले पीछे हट गयी है बाद में सरकार उस स्थिति से पीछे हट गयी और बाद वाली बैठकों में हम 1971 पर चर्चा नहीं कर रहे बल्कि 1961 से 1971 तक पर चर्चा कर रहे हैं। उस सारी अवधि पर विचार किया गया है। सभी को मालूम है कि 1964 और 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से भारी सख्या में लोग आये थे। भारत-पाक युद्ध से ठीक पहले भारी संख्या में लोग भाग कर आये। इसमें कोई संदेह नहीं है और सरकार के पास कुछ आँकड़े हैं। उन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। उन आंकड़ों में दिखाया गया है कि जो लोग वास्तविक शरणार्थियों के रूप में आये हैं उनमें अधिकांश लोग वे थे जो अत्याचारों से बचकर भागने का प्रयत्न कर रहे थे पर अत्याचारों के भय की वजह से जिन लोगों को वास्तविक शरणार्थी माना जायेगा उनको सम्भवतः वापस जाने के लिए नहीं कहा जा सकता और निकाला नहीं जा सकता। निश्चित रूप से उनको निर्वासित नहीं किया जा सकता। हमारे शरणार्थियों के प्रति कुछ अन्तर्राष्ट्रीय वायदे हैं। बाद में उनके साथ क्या किया जाना है—जो आसाम में आये हैं, जो मेघालय में आये हैं, जो त्रिपुरा में आये हैं? काफी लम्बे समय से वे पश्चिमी बंगाल में आ रहे हैं। यह प्रश्न पहले कभी नहीं उठा। बाद में हम उनके साथ क्या करते हैं हम. उनके साथ कैसा वर्ताव करते हैं। कैसे हम उनको इधर-उधर ले जाते हैं। हम उन्हें कहाँ बसाते हैं, यह भिन्न प्रश्न है। परन्तु उनको केवल इसी कारण से कि वे मूल रूप से पाकिस्तान देश से आये हैं। निर्वासित नहीं किया

जा सकता। जो लोग वास्तविक शरणार्थी के रूप में आये हैं उनके साथ यह नहीं किया सकता। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। मैं इसको पुनः कह रहा हूं कहने के लिए यह स्पष्ट व प्रतीत होती है। परन्तु मुझे पुनः कहना पड़ेगा क्योंकि मैं दुख के साथ कहता हूँ कि यह आन्द लन जो कुछ सच्ची आशंकाओं के आधार पर आधारित है, मैं इस बात नकार नहीं सकता – इस आन्दोलन में आसामी उग्रराष्ट्रीयता बंगाली विरोधी भावना का भारी पुट है। आसाम बंगाली विरोधी भावना इतिहास में कोई नई बात नहीं है। हो सकता है, स्वयं बंगाली ही इस लिए जिम्मेदार हो मुझे नहीं मालूम।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं कह रहा हूं। हम इस पर वाद-विवाद कर सकते हैं। पर वास्तविकता यह है कि यह बात आसाम में कोई नहीं है यह वर्षों से हो रहा है। बंगालियों विरुद्ध बार-बार आन्दोलन होते रहे हैं परन्तु इस आन्दोलन में जो विशेष रूप से या बा रूप विदेशियों के विरुद्ध चलाया जा रहा है, हमें यह देखना है कि एक भारतीय चाहे वह कि भी राज्य से आसाम में गया हो, चाहे वह बंगाली, है बिहारी है या कोई भी है, एक भी भारत इस तर्क या बहाने से नही निकाला जा सकता कि क्योंकि वह असामी नहीं है। इसलिए उ आसाम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर इस देश का कोई भी भाग शेष नहीं रहेग यदि एक बार यह आसाम में हो जाता है तो अन्य राज्यों में भी होगा यदि यह दूसरे राज्यों फैल जाता है तो देश में एकता नाम की कोई चीज शेष नहीं रह जायेगी। यदि भारतीय ना रिकों का देश के किसी भी भाग में जाकर काम करने या रोजगार तलाश करने और बसने क आधारभूत अधिकार छीन लिया गया और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो विदेशी घुसपैठिये हों और अवैधानिक रूप से आये ह शरणार्थियों के रूप में न आए हों जिनको विनियमित नहीं किया गया, जिनको नागरिक के रू में पंजीकृत नहीं किया गया है ठीक है, आपको उनसे निपटना है और यह देखना है कि वे कित हैं, कहां हैं, कैसे हैं और यह भी क्या उनमें से कोई यह वचन देने के लिए तैयार है कि उन्हों पूर्वी पाकिस्तान या बंगला देश से अपने सभी सम्बन्ध खत्म कर दिए हैं। अब वह पूर्वी पाकिस्ता नहीं है मैं कहूंगा कि उस पर विचार किया जाना चाहिए हमारे वर्तमान विधान के अन्तर्गत उन नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन देने के कुछ अवसर दिये जाने चाहिए। परन्तु उस प विचार किया जाना चाहिए।

आसाम के राज्यपाल यहां पर कुछ प्रस्ताव लेकर आए हैं जिनको गुप्त रखा गया है वास्तव में कुछ अधिकारियों के स्थान्तरण जो कि मैं जान सका हूं, के अलावा उन्होंने जो कुछ सिफारिशें की हैं सुझाव दिये हैं उनका मुझे नहीं मालूम। परन्तु प्रेस में ये खबर छपी है कि वह सिफारिश कर रहे हैं कि वर्ष 1967 को आधार वर्ष क्यों माना जाये। मुझे नहीं मालूम कि इस बारे में मंत्री सभा को कुछ जानकारी देंगे या नहीं।

श्री आर० वेंकटरामन : इस अवस्था में नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सारी गड़बड़ी यह है कि जो बैठकें यहां हो रही हैं, विभिन्न दल के प्रतिनिधियों के साथ आपकी बैठकें जो आपने कल बुलायी है जिसमें कि दुर्भाग्य से मैं भाग नहीं

से पाऊंगा, क्योंकि मैं यहां नहीं हूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि, श्री वेंकटरामन, इन बैठकों में आपको बड़ा सावधान रहना चाहिए ताकि इन विद्रोही नेताओं विशेषरूप से विद्यार्थियों पर यह धारणा नहीं बननी चाहिए कि उनको दिल्ली में वार्ता के अगले दौर पर बुलाने से पहले, भारत सरकार इन राजनैतिक दलों के साथ मिलकर कुछ नयी शर्तें रचने का प्रयत्न कर रही है जिनसे कि हमें लड़ना चाहते हैं वास्तव में हम ऐसा कर भी नहीं रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। परन्तु हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए, हमारा रुख ऐसा होना चाहिए कि जो लोग समझौता नहीं चाहते, जो समझौते में रुचि नहीं रखते-ऐसे लोग हैं:— ऐसी शक्तियां हैं, आन्दोलन में भी पृथकवादी शक्तियां हैं, ऐसे लोग हैं जो वार्ताओं को सफल नहीं होने देना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। उनको लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा नहीं करने चाहिए कि दिल्ली जाने का क्या लाभ है क्योंकि गृह मंत्री तथा पांच छः दलों ने गुप्त रूप से मिलकर हम से बिना सलाह किए कोई निर्णय ले लिया है और वे हमारे सामने उसी को रखेंगे। हमें ऐसा आभास नहीं होने देना चाहिए क्योंकि उससे वातावरण अच्छा नहीं बनेगा। इससे केवल खेल ही बिगड़ेगा।

अन्त में, मैं कुछ शब्द और कहना चाहूंगा। मैंने उन लोगों को जब भी कभी वे यहां आए बताया है, कभी कभी हमने उनसे अलग बात भी की है। मैंने उनको कई बार बताया है कि इतने लम्बे आन्दोलन के दौरान आपने आसाम के आर्थिक विकास का प्रश्न कभी नहीं उठाया।

क्या यह उस आन्दोलन का ही एक भाग नहीं है जो कि वहां पर फैला हुआ है? आप तो केवल विदेशियों की ही बात करते हैं कि विदेशियों को निकाल बाहर कीजिए। ऐसा लगता है कि आप असम के आर्थिक विकास में रुचि नहीं रखते हैं जो कि अत्यन्त ही ज्वलन्त समस्याएं हैं और उन्हीं समस्याओं को आपको लेना चाहिए। मैंने उनसे कहा है कि हम आपका समर्थन करने को तैयार हैं। परन्तु आपने उस बारे में कुछ भी नहीं कहा।

मुझे पता चला है कि किसी ने एक पत्र में एक लेख लिखा है। लेखक के नाम से तो ऐसा लगता है कि सम्भवतः वह कोई असमिया है और उसने एक हास्यास्पद सिद्धान्त रखा है कि असम के वे सब लोग जो कच्चे-पटसन की खेती कर रहे हैं, कच्चे-पटसन के उत्पादक ही वे लोग हैं जो बंगला-देश से आए हैं और वे विदेशी हैं। अतः असम में रहने वाले विदेशी ही कच्चे-पटसन के समग्र उत्पादन पर नियन्त्रण रखे हुए हैं और वे कलकत्ता के पटसन के मिल-मालिकों, बड़े मारवाड़ियों से मिले हुए हैं, जिनके हाथों वे कच्चा-पटसन बेचते हैं। अतः उनको भी लाभ मिल रहा है और मिल-मालिक भी मुनाफा कमा रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या वह यह कहना चाहते हैं कि बंगला देश वासियों के असम में आने से पुर्व, वहां पर कच्चे पटसन का उत्पादन ही नहीं होता था?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सारी ही बात हास्यास्पद है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि यदि असम में कच्चा पटसन पैदा होता है और हम मान लेते हैं कि यदि इसकी खेती पूर्णतया असमियों के हाथों में भी हो, और उन वास्तविक असमियों की मैं, जिनके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठा रहा हूं तो क्या वे उस पटसन को कलकत्ता के मिल-मालिकों को नहीं बेचेंगे? वे कहां

बेचेंगे ? दुर्भाग्य से, असम में बड़ी मुश्किल से ही कोई पटसन का कारखाना होगा जो स्वयं उनके कच्चे पटसन का उपभोग कर सके । वहां का सभी कच्चा पटसन कलकत्ता को जाता है—फिर चाहे यह असमियों ने पैदा किया हो या बंगालियों अथवा बंगला देश वासियों या और किसी ने। और वस्तुतः मैं यही कहूँगा कि वहां के पटसन की खेती करने वाले लोगों को उतने ही कष्ट उठाने पड़ते हैं जितने कि किसी अन्य राज्य के उत्पादकों को। कलकत्ता के उन्हीं मिल-मालिकों ने उनकी कीमतें गिरा दी हैं । उनकी उनसे कोई मिलीभगत नहीं है । उन्हें तो प्रति वर्ष सरकार द्वारा घोषित कानूनी मूल्य या समर्थन मूल्य तक भी नहीं दिया जाता है । वे तो गरीब लोग हैं । वे धनी तो कतई नहीं हैं । ऐसी बातें किसी न किसी प्रकार की उग्रराष्ट्रवादी भावनाएं भड़काने के लिए लिखी जाती हैं जो मेरे विचार से अवांछनीय हैं ।

असम के युवकों के बारे में मैं नहीं जानता हूं क्योंकि वहां पर घोर बेरोजगारी व्याप्त है । मेरे विचार से हमें उन्हें वैज्ञानिक शिक्षा और उच्च तकनीकी शिक्षा और कुछ ऐसी ही शिक्षा प्राप्त करने के अधिकाधिक अवसरों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये । हमारे देश में विद्यार्जन के लिए बहुत से संस्थान और केन्द्र हैं । निस्सन्देह यही बात समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र पर भी लागू होती है और मैं केवल असम तक ही सीमित नहीं रहूंगा, अपितु असम समेत समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के इन लोगों को भी इसमें शामिल करता हूं । मेरे विचार से इन युवकों को हमारे संस्थानों में विशेष सुविधाएं और उच्च तकनीकी शिक्षा तथा वैज्ञानिक शिक्षा के अधिकाधिक अवसर मिलने चाहिये जिससे कि वे यह अनुभव न कर सकें कि ये सब लाभ उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं जो उनसे बहुत दूर हैं ।

अन्य बातों का भी उल्लेख किया गया है जिसमें तेल एवं पेट्रो-रसायनों तथा गैस, प्राकृतिक गैस के उचित उपयोग का भी प्रश्न उठाया गया है जो कि असम में बहुतायत में उपलब्ध है । श्रीमान राजेश पाइलट—जोकि अब यहां उपस्थित नहीं हैं—यह कहकर हमें चुनौती दे रहे थे कि ये लोग वहां नहीं जाते हैं और दिल्ली से ही बैठे सोचते रहते हैं । मैं अभी कोई डेढ़ मास पूर्व वहां गया था और उस शिव सागर स्थान पर भी गया था जहां आप अभी तक नहीं गये हैं, जोकि एक कच्चा-तेल उत्पादक क्षेत्र है । शिवसागर के सभी ग्रामीण अंचल में आप बहुत से 'क्रिसमिस वृक्ष' देखेंगे । आप जानते हैं कि यह वह विशिष्ट स्थान है जहां पर कि तेल मिला है । कुछ समय के लिए कुएं को प्लग द्वारा बन्द करके सील कर दिया गया है जो कि क्रिसमस के वृक्ष की तरह लगता है । इसीलिए इसे क्रिसमस का वृक्ष कहते हैं । वहां से तेल को नहीं निकाला जा रहा है जबकि वहां पर तेल के भण्डार हैं । कुएं को इसलिए बन्द कर दिया गया है क्योंकि वे यह नहीं जानते कि कच्चे-तेल का क्या किया जाए । उनके पास उस कच्चे तेल का प्रयोग करने की क्षमता नहीं है । मेरे विचार से इसकी गुंजाइश है ।

यदि आप नियोजन के प्रति गंभीर है और यदि आपका बजट असम के विकास में सहायता करता है पेट्रो-रसायन काम्पलेक्सों और प्राकृतिक गैस आदि के उचित उपयोग की कहीं अधिक गुंजाइश है जिससे निश्चय ही उनको भारी सहायता मिलेगी ।

मेरे मित्र श्रीमान वर्मा ने निर्धारित समय के भीतर बड़ी रेलवे लाइन के पूरा करने और जोगी गोपा से गोहाटी तक गोहाटी से तिनसुकिया तथा बड़ी लाइन को बढ़ाने की बात कही है ।

मैं नहीं जानता कि इसमें इतना लम्बा समय क्यों लग रहा है। ये सभी बातें भारत से विलगाव तथा भारत से सम्पर्कहीन दूरी की भावना को बढ़ावा देती हैं।

जहां तक सिलघाट में ब्रह्मपुत्र पर सेतु निर्माण कार्य के पूरा करने का प्रश्न है, वह भी निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रहा है। जोगीगोपा और डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र पर नये सेतुओं के निर्माण का प्रश्न भी है। दूसरे बाढ़ नियन्त्रण एक निरंतर प्रश्न बना हुआ है जिसका बार बार उल्लेख किया जा रहा है। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। हमारे यहाँ बाढ़ नियन्त्रण के लिए कुछ सघन योजनाएं होनी चाहिए। अन्यथा एक ही बात को बारबार दोहराया जाता रहेगा। कुछ तो स्वयं आन्दोलन को लेकर और कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण भारी विनाश हुआ है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर काला-बाजार करने वाले जमाखोर स्थिति का सर्वाधिक लाभ उठा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि चावल, आटा, दालों, चीनी, कपड़े, मिट्टी के तेल, सरसों के तेल आदि की कीमतें बेअन्त बढ़ गई हैं। आम जनता को कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। अतः उचित ढंग से नियन्त्रित कीमतों पर इन सभी आवश्यक वस्तुओं के वितरण की एक समुचित योजना होनी चाहिए।

ये वे कुछ बातें हैं जिनका मैं बजट के पहलू को लेकर उल्लेख करना चाहता था। मैं श्री लास्कर के संकल्प या प्रस्ताव अथवा जो कुछ भी यह है का पूर्णतया विरोध करता हूँ। अनेक उद्योगों और सेवाओं आदि पर आवश्यक सेवा अधिनियम को लागू करना कोई समस्या को हल करने का तरीका नहीं है। इतिहास यह सिद्ध करता है ये बातें उस उद्देश्य को पूरा नहीं करती हैं जिनके लिए कि इनको बनाया जाता है, विशेषकर, उस स्थिति में जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी असंतोष या विद्रोह है। आप केवल इस प्रकार के प्रशासनिक दाण्डिक उपाय करके इसका दमन नहीं कर सकते हैं। यह न सम्भव हुआ है और न देश में कहीं भी सम्भव हो सकता है। प्रतिदिन हम यह सब देख रहे हैं। मैं इन सभी बातों का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं। अतः, मैं आवश्यक सेवा अधिनियम के कार्यक्षेत्र के विस्तार तथा इसके बहुत सी सेवाओं और उद्योगों पर लागू करने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मैंने बजट पर भी कुछ टिप्पणियां की हैं। मुझे आशा है कि इसके आर्थिक विकास के पहलू के बारे में यहां पर जितने भी सुझाव दिए गये हैं, उन पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा। मैं इस परन्तुक के साथ कि यह अन्तिम बार किया जायेगा, श्री आर० वेंकटरामन के के मार्च, 1983 तक वहां राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसके पश्चात वहां पर निश्चितरूप से चुनाव होने चाहिये और सरकार को इसका लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये और खुले रूप में, सार्वजनिक रूप में उचित एवं उद्देश्यपूर्ण ढंग से लोगों के समक्ष इसकी घोषणा करनी चाहिये। वह वहाँ जाकर अभियान चलाएं। वे असम जाकर अभियान क्यों नहीं चलाते हैं? आपके दल के लोग वहाँ जाकर लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? आन्दोलन के दौरान क्या हुआ था? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से सदस्यों को पीटा गया और जान से मारा गया? हमने आन्दोलन

का विरोध और मुकाबला किया क्योंकि प्रारम्भिक क्षेत्र में यह हिंसात्मक और उग्रराष्ट्रवादी आन्दोलन था। हमारे कार्यालयों को जला दिया गया था और हमारे कार्यकर्त्ताओं पर प्रहार किया गया तथा उनके साथ मारपीट की गई थी। उस समय आपके लोग असम में क्या कर रहे थे ? वे आन्दोलन को सहायता पहुँचा रहे थे। वे लहर में बह गये और उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। इस प्रकार की संकट की घड़ी में किसी राष्ट्रीय दल को ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए। यदि आप देश की अखण्डता को बचाना चाहते हैं तो कृपया समग्र स्थिति पर उचित दृष्टिपात कीजिए और अधिक उचित और संयत ढंग से कार्य कीजिए। तब आपको हमारा सहयोग मिलेगा और समस्या को हल करने के लिए हम आपको सहायता पहुँचाने का प्रयास करेंगे और एक ऐसे ढंग से मार्च 1983 में चुनाव कराए जा सकते हैं जिससे कि सामान्य स्थिति फिर से कायम हो जायेगी।

महोदय, मुझे बोलने का आपने जो यह अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति जी, जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका समर्थन करते हुए मैं गृह मन्त्री, प्रधान मंत्री और वहां के गवर्नर ने जिस सूझबूझ, समझदारी और शान्तिपूर्वक तरीकों से आसाम के सम्बन्ध में, मार्ग निकालने की कोशिश की है, उसकी प्रशंसा करता हूं और मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर और कोई रास्ता इस समस्या को हल करने का नहीं हो सकता है।

विरोधी पार्टियों के लोगों ने बार-बार यह बात कही है, हमारे वर्मा जी और गुप्त जी ने यह कहा है कि उनसे बात की जाए। मुझे याद है कि प्रधान मन्त्री जी के सुपुत्र संजय गांधी की जब मृत्यु हुई थी, उस समय भी विरोधी पार्टियों के नेता जब उनसे मिलने गये थे, तो उन्होंने आसाम के बारे में उनसे बातचीत की थी। इस तरह से आप देखें कि उनको कितनी चिन्ता इस बारे में थी और इससे बढ़ कर चिन्ता इन विरोधी पार्टियों के लोगों को क्या हो सकती हैं। विदेशी नागरिकों की बात कही गई और ये 1961, 1971 की बात करते हैं। जब विरोधी पार्टियों के ये लोग सत्ता में थे, ढाई साल में इन्होंने जितना कार्य किया था और ढाई साल में जो कार्य हमारी सरकार ने किए हैं, मैं चेलेंज करता हूं कि इन्होंने उसका सौवां हिस्सा भी कार्य नहीं किया था। विरोधी दल के लोगों ने अपने काल में समस्या का समाधान क्यों नहीं किया ? आज विदेशियों की बात करते हैं। अटल बिहारी जी यहाँ पर बैठे हैं, ये विदेश मंत्री थे, उन दिनों। मैं इनमें पूछना चाहता हूं कि विदेशियों की समस्या के समाधान के बारे में आपने क्या किया ? उस समय आप कहाँ चले गए थे। उस समय विदेशों की यात्रा हो रही थी शिमला के अन्दर सर्किट हाउस में एकांतवास ढूंढा जा रहा था। दिल्ली का "प्रताप" अखबार अपने फ्रंट पेज पर लिख रहा है कि विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

आचार्य भगवान देव : मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, वहां डाक बंगले में ...।

(व्यवधान)

सभापतिमहोदय : आप मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

यह कौन सा तरीका है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य को असंगत बात क्यों कहनी चाहिए ? यहां उसका क्या सम्बन्ध है ?

प्रो० मधु दंडवते : हमने प्रधान मन्त्री महोदया पर राजनीतिक प्रहार किया था।

सभापति महोदय : आप चुप क्यों नहीं होते हैं ? जब मैं खड़ा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। मैं वक्ता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय समस्या है, इस समस्या पर ऊपर उठकर हम लोग बिचार-विमर्श करें। व्यक्तिगत आक्षेप करना ठीक नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसे पूरा हो जाने दो।

आचार्य भगवानदेव : इन्होंने प्रधान मंत्री तक के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए हैं। इनको सुनना भी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपने उनकी बात समझ ली है ?

आचार्य भगवान देव : आसाम की समस्या को पोलिटिकल बनाया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कि मैं शिमला में था।*

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह एक घृणित टिप्पणी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। आप इस तरह का आक्षेप मत कीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : सत्तारूढ़ दल की ओर से एक भी सदस्य कुछ भी नहीं बोला है।

सभापति महोदय : यह निश्चितरूप में असंसदीय बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन आरोपों को दूर किया जाना चाहिए।

आचार्य भगवान देव : उस समय विदेश मंत्री कहां थे ?

सभापति महोदय : यह आप कह सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर सकते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस तरह की बातें सदन में नहीं चल सकतीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने अभी घोषणा की है कि मैं रिकार्ड देखूंगा और जहां अन-पार्लियामेंटरी भाषा या व्यक्तिगत आक्षेप किए गए हैं, उनको एक्सपंज कर दूंगा।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रवीन्द्र वर्मा : सभापति महोदय, जिस विषय पर बहस हो रही है उससे इसका क्या ताल्लुक है···।

सभापति महोदय : मैं यही बार-बार कह रहा हूं कि जिस विषय पर विचार-विमर्श हो रहा है, उस पर बोलिए।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : मैं सच्ची बात कह रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप फिर किसी की बात नहीं मान रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जो कांच के घर में बैठे हैं वे दूसरों पर पत्थर न फेंकें। हम सदन की गरिमा को गिराना नहीं चाहते।

आचार्य भगवान देव : मैं हकीकत कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस मेंबर का*

आचार्य भगवान देव : *होंगे, आपके साथी* होंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :*

आचार्य भगवान देव : आप* और आपके साथी*

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : व्यक्तिगत कोई भी बात हो उसे कार्यवाही वृतान्त में से निकाल दिया जाना चाहिए।

इसको आप एक्सपंज करवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :···* (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अध्यक्ष की बात भी नहीं सुनते हैं।

श्री मूलचन्द डागा :* 'इसको एक्सपंज करवा दीजिए।'

सभापति महोदय : मैंने तो कह दिया है कि आसन से नीचे जाते ही मैं रिकार्ड देख लूंगा।

सभापति महोदय : मैंने प्रारम्भ में ही यह आश्वासन दे दिया था। सारा ही मामला, समस्त समस्या इतनी जटिल है कि यदि दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर और राष्ट्रीय स्तर पर समस्या पर विचार विमर्श करें तो केवल तभी हम इस समस्या का सन्तोषजनक हल ढूंढ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह (छपरा) : जितनी आपत्तिजनक बातें हैं उनको आप हटा दीजिए।

.....

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) :* वगैरह कहा है, उनको निकालिए।

सभापति महोदय : मैं कह चुका हूं कि सब देखूंगा।

आचार्य भगवान देव : मेरे पास यह कल का हिन्दुस्तान अखबार है। इसके प्रथम पृष्ठ पर एक न्यूज छपी है।

"असम में चुनावों का विरोध होगा : छात्र संघ की चेतावनी' इस छात्र संघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत और उसके दो साथी यहां आए हैं और ये दोनों श्री अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे श्री वर्मा जी आदि को मिले हैं। असम समस्या का समाधान करना है तो उसका एक सरल मार्ग है कि हमारे विरोधी पार्टियों के नेता उनको साफ साफ कहें कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन आज हो यह रहा है कि उनको ये बुलाकर प्रोत्साहित करते हैं। कि ऐसा बन्दर होता है तो उसका तो स्वभाव है उछल कूद करना। लेकिन कोई शराब उसको पिला दे और समझे कि इलाज हो गया तो क्या यह उसका इलाज होगा? इन नौजवानों को बुलाते हैं ये लोग, उनको भड़काते हैं, उनको समझाते नहीं कि उनके वास्ते सही मार्ग कौन सा है, उनको सही मार्ग पर लाने की कोशिश नहीं करते। इसके विपरीत उनको प्रेरणा देते हैं, कहते हैं कि वहां पर चुनाव न करवाने दो। माननीय गुप्त जी ने एक बात कही है कि श्री के. सी. बरुआ···

सभापति महोदय : खानगी बातें भी होती हैं—उनकी चर्चा यहां नहीं करनी चाहिए।

आचार्य भगवान देव : खानगी बात नहीं है। राष्ट्र हित की बात है। उनको सही रास्ते पर क्यों नहीं लाते हैं? क्यों उनकी कहते हैं कि वहां शैतानियत करो?

श्री के० सी० बरुआ की बात हमारे माननीय गुप्त जी ने कही है। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि यह आन्दोलन छात्र नहीं कर रहे है। कुछ रिटायर्ड, सेवा निवृत्त व्यक्ति विदेशी ताकतों के साथ मिल कर, उनकी कठपुतली बन कर नौजवानों को बहका कर, उनको भड़का कर, उनको सुविधायें दे कर, उनको साधन देकर असम के अन्दर असन्तोष पैदा कर रहे हैं। दो साल पहले जो परिस्थिति असम की थी आज उससे कई गुना अधिक बेहतर हो चुकी है। परन्तु रह रह कर, लोगों को बुला कर, उनको बहका कर, उनको भड़का कर, उनको ये आंदोलन करने की प्रेरणा देते रहते हैं। मैं श्री समर मुखर्जी से सहमत हूं कि वहां पर पृथकतावादी, प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक शक्तियां तोड़फोड़ करने या प्रयास कर रही हैं। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने वहां पर विकास के सम्बन्ध में जो कोशिशें की हैं, उसका सौवां हिस्सा भी जब आप सत्ता में थे, आपने नहीं की।

विदेशी नागरिक कौन हैं? जो व्यक्ति वहां पर रह रहे हैं कई सालों से क्या वे विदेशी नागरिक हैं? पहले भी वहां कई चुनाव हो चुके हैं। इस समय इनका तीसरा नेत्र खुल रहा है। जब ये सत्ता में थे तब इनको कोई ज्ञान नहीं हुआ। इनके बाद हम आए तो आज इसका तीसरा नेत्र खुल रहा है। ये लोग विदेशियों की बात कहें रहे हैं। आर्थिक कारणों से कई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

आज वहां पर कोई व्यक्ति न सिर्फ असम में आये हैं बंगाल के, बंगाल, त्रिपुरा और बिहार में भी आये । असम में ही क्यों शरारत की जा रही है ? इसके पीछे उद्देश्य क्या है ? आज साधारण नागरिक के ऊपर आपत्ति करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं विरोधी नेताओं से कि क्या यह बात सही नहीं है कि जो पाकिस्तान का सैनिक तानाशाह है उसका एक विशेष कूट-नीतिज्ञ, जो शैतानियत का काम कर रहा है अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से, वह जब यहां दिल्ली में आया उसको श्री जेठमलानी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष ने, जिसको बी० जे० पी० कहते हैं जिसका स्पष्ट अभिप्राय बोगस जनता पार्टी होता है, जनता पार्टी के तो माननीय दंडवते जी बैठे हुए हैं, इनकी नैतिकता क्या है, इनकी भारतीयता क्या है जो एक सैनिक तानाशाह के कूटनीतिज्ञ को राम लीला ग्राउन्ड.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर मैं यह कहूं कि यह चारों की पार्टी है ....

आचार्य भगवान देव : आप चारों की पार्टी हो सकते हैं । आप विदेशियों से मिले हुए हैं ।

सभापति महोदय : आचार्य भगवान देव जी, इससे कटुता और बढ़ेगी और जो विचार विमर्श का वातावरण है वह बेकार हो जायगा ।

आचार्य भगवान देव : असम में इन्होंने आग लगा रखी है । वहां के विद्यार्थियों को भड़का रहे हैं । इससे बढ़ कर आग क्या होगी ? ए० के० ब्रोही को बुलाकर इसी राम लीला ग्राउन्ड में इन्हीं वाजपेयी जी ने उस कूटनीतिज्ञ का स्वागत किया, उसके साथ हाथ मिलाया । आज साधारण नागरिक पर आपत्ति है । ए० के० ब्रोही जैसे शैतान को बुलाकर वहां पर यह उसका स्वागत करते हैं । इनकी रीति क्या है ? इनके मन में क्या है ? इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है । असम की समस्या का समाधान हो सकता है यदि विरोधी दलों के लोग अपने दिल दिमाग को शांत कर लें तो कोई समस्या नहीं है । विद्यार्थियों को अपने यहां न आने दें तो एक दिन में आन्दोलन समाप्त हो सकता है । परन्तु इनकी कथनी और करनी में अन्तर है । एक कहावत है नाचना आये नहीं और आंगन टेढ़ा । यह इधर उधर की बात करते हैं, क्या इन्होंने कोई ठोस सुझाव यहां पर पेश किया है ? इन्होंने कभी कोई बताया कि कौन से साल की मतगणना के आधार पर चुनाव होगा ? आज कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और यह दुरंगी चाल चल करके देश में अराजकता लाने का प्रयास हमारे विरोधी पार्टी के लोग ही कर रहे हैं । इनको स्पष्ट नौजवानों को कहना चाहिए कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं । माननीय वाजपेयी और माननीय रवीन्द्र वर्मा जी ने क्या देखा है असम में क्या है वहां की समस्या क्या है ? मैंने आर्य समाज के एक कार्यकर्ता की हैसियत से जंगलों में काम किया है । डीफू, बोकाजाल, गौहाटी और तेजपुर में आज भी हमारे स्कूल चल रहे हैं । हमें मालूम है कि वहां क्या समस्या है । यह जानबूझ कर आग लगा रहे हैं । क्या आपने कोई वहां स्कूल बनाया, आश्रम स्थापित किया ? नहीं । इनको काम नहीं करना है बल्कि वहां के पैट्रोल उत्पादन में अड़चन डालनी है । कोई ठोस योजना विरोधियों की तरफ से आज तक नहीं आयी । लम्बे चौड़े भाषण देते हैं, मगर कोई ठोस प्रस्ताव पेश नहीं किया । आप हमारी एक ही बात

मान जायें कि ए० ए० एस० यू० और गणसंग्राम परिषद के लोगों से आप मिलना बन्द कर दें। असम की समस्या एक दिन में हल हो सकती है। परन्तु यह लोग वहां पर लोगों को भड़काते हैं और यहां पर शैतानियत के काम करते हैं। इससे समाधान नहीं होगा हमारी सरकार वहां की समस्या हल करने के लिये चिन्तित है। हमने जो वहां पर विकास किया है वह आप अपने समय में नहीं कर सके। आंकडे विकास के मैं नहीं देना चाहूंगा, गृह मन्त्री स्वयं देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव और मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकारी पार्टी का दिवाला निकल गया।

आचार्य भगवान देव : निकल गया दिवाला आपका।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। जब शरीर और आत्मा कमजोर हो जाती है तो आदमी बहुत बौखला जाता है। आज जिस वातावरण में हमको असम समस्या पर बात करनी चाहिए थी, मैं समझता हूं कि विरोध पक्ष और सत्ता-पक्ष, दोनों के लोगों ने बहुत ही गंभीरता से कार्य किया; परन्तु ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान देव. . ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कहां का आचार्य है ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं इनको कह रहा हूं।

आचार्य भगवान देव : सभापति महोदय, आप इजाजत दे रहे हैं, मैं फिर बहस शुरू कर दूंगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं अगर कोई अन-पार्लियामैंटरी बात कहूँ तो आप फौरन उसे कटवा दें।

आचार्य भगवान देव : असंसदीय बात मैंने भी नहीं कही।

श्री हरीश कुमार गंगवार : लेकिन उन्होंने वातावरण को बिगाड़ा। इसमें इनका दोष नहीं है।

प्रो० सत्यदेव सिंह : सभापति महोदय; क्या यही विषय है ?

आचार्य भगवान देव : आप इनको रोकिये, यह छेड़खानी करते हैं तो सुनने को भी तैयार रहें।

श्री हरीश कुमार गंगवार : इनका मतलब है कि इनकी कांग्रेस (इ) का शरीर केवल असम में विखंडित हो गया है। इतने पर भी यह अपनी सरकार की बात करते हैं, वहां कोई इनकी बात मानने को तैयार नहीं है।

मैं कहता हूं कि हमने कुछ नहीं किया लेकिन आप तो सत्ता में रहे, सारे हिन्दुस्तान की सत्ता में, चक्रवर्ती सत्ता में रहे, आपने ही क्या किया ? क्या भगवान देव जी वहां गये ?

(व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाला गया।

मैं उनसे हार नहीं मान रहा हूं।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : ये असम की समस्या पर कहें, असम में मैंने काम किया है, आज भी आश्रम और स्कूल चल रहा है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : पार्लियामेंटरी मेनर्स सिखाइये, क्लास लगाइये।

आपकी कांग्रेस (इ) वहां क्या कर रही है, मैं यह पूछना चाहता हूं ? इसका मतलब यह है कि आप कमजोर हैं और इसी वजह से यहां गुस्सा निकाल रहे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस (इ) नहीं, कांग्रेस (आई)

श्री हरीश कुमार गंगवार : कांग्रेस आई नहीं, वह तो गई।

मेरा मतलब यह है कि आप वहां शक्तिशाली नहीं है, यह आपके व्यवहार और भाषण से जाहिर हो गया है। अगर आप मजबूत होते तो इस समस्या का हल निकाल पाते। आपका कोई समर्थक नहीं है।

आप 8 आदमी लेकर वहां पहुंचे थे, सबको आपने तोड़फोड़ कर आया राम और गया राम कर दिया जो कि आपकी नीति हरियाणा में थी, वही आपने वहां अपनाई। होलसेल ट्रेड भजन लाल की तरह। आपने सरकार बना ली, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला ? आपने देखा, उससे ज्यादा बड़ी आग लगी। मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, ऐसा लगता है कि पूरे असम का सबसे अधिक दर्द भगवान देव को है।

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार : इसमें कौन सी अन पार्लियामेंटरी बात है ?

वेंकटरमण जी को मैं कहता हूं कि आप बैठे रहिये, पूरी सरकार को बैठा दीजिए, अपोजिशन का वहाँ कोई नहीं जायेगा, आचार्य भगवान देव वहां समस्या का हल कर देंगे, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि उनके हृदय में सबसे अधिक दर्द है। मुझे विश्वास है, मैं सारे ही अपोजीशन को खड़ा कर देता हूं, सब को विश्वास हो जायगा, यह अकेले जा कर उसका हल कर दें।

एक माननीय सदस्य : ये जायंगे नहीं वहां।

आचार्य भगवान देव : मैं तो 20 साल से जा रहा हूं।

सभापति महोदय : जो मुख्य विषय है उसी पर आइए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : उसी पर आ रहा हूं। यह प्रमुख विषय था।

इस एक भाषण को छोड़ कर मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने गंभीरतापूर्वक इस समस्या पर विचार किया और अच्छे सुझाव दिए। हम सब चाहते हैं, सब की

नीयत यह है कि वहां चुनाव हो। प्रजातन्त्र में बहुत समय तक एक भाग को अगर हम चुनाव से वंचित रखें, चुने हुए प्रतिनिधियों को न आने दें तो अशांति अपने आप फैलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि चुनाव हो और चुनाव होने के लिए वहां अशांति समाप्त हो। लेकिन इस अशांति को समाप्त करने में आप का बड़ा हाथ है। आप सरकार में और सत्ता में बैठे हैं। आप के पास सेना, पुलिस और दूसरे साधन सब हैं। पैसा भी आप के पास है। अगर एकोनामिक समस्या कोई है तो पैसा लगा कर आप वहां शांति ला सकते है। वहां उन्नति के साधन दे सकते हैं। पुल, पुलिया, रेलें, सड़कें सब बनवा सकते हैं। इस सब के लिए साधन आपके पास है। हम अपने भाषणों से,अपने वार्त्तालापों से उन लोगों को कह सकते हैं कि आप शांतिपूर्वक रहिए और अपनी बातों को शांति- पूर्वक मनवाइए और यह सारा विरोध पक्ष यह कर रहा है। अब तक किसी अन्य सदस्य ने कोई और बात नहीं कही। इन को तो मै गौण मानता हूं। मुझे ऐसा लगत है कि जहां शांति है वहां भी यह चिन्गारी लगा देंगे और आग लग जाएगी।

आचार्य भगवान देव : फिर आप चिन्गारी की बात कर रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : इन को छोड़ कर बाकी सब लोग इस हाउस के चिन्ता में हैं।

आचार्य भगवान देव : इन को रात में भी मेरा सपना आएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : सपना आना है तो इनका क्यों आयेगा ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : मुझे तो ऐसा लगता है कि यह भाषण कर रहे थे तो सपने में बोल रहे थे।

हिंसात्मक कार्यों का कोई समर्थन नहीं करेगा। जिस प्रकार से वहां बम फूटे, लोगों की हत्याएं हुई, अशांति का वातावरण बना, कोई इस का समर्थन नहीं करेगा और न हम लोग करते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस समस्या को पैदा करने वाले इसी सत्ता पक्ष के लोग हैं। स्वर्गीय श्री फखरुद्दीन अली अहमद जब वहां आसाम में थे उस समय से इन्फिल्ट्रेशन की बात कहा शुरू हुई। उस के बाद से वह अबाध गति से चल रहा है और आज तक वह रुका नहीं। यह महज वोट के लिए किया गया। हम को वोट मिलता रहे हमारी सत्ता बनी रहे, हम सत्ता में बने रहें, इस के लिए यह किया गया। मैं वेंकटरमन जी से कहना चाहता हूं कि 24 अगस्त 1981 को उन्होंने लोक सभा में जब हम बहस कर रहे थे तो कहा था, मैं सिर्फ यह बात पढ़ कर उन से पूछना चाहूंगा कि इस के बाद वहां पर इस के ऊपर क्या कार्यवाही की और उस का क्या नतीजा निकला ? आप ने 1971 का मापदण्ड माना हो तो 1971 मान लीजिए, 61 का माना हो तो 61 मान लीजिए, 51 का माना हो तो 51 मान लीजिए और अब कोई नई तारीख 75 या 81 को मानी हो तो उस को मान लीजिए मगर समझौता बहरहाल कीजिए। उन्होंने कहा था—मैं यह बता देना चाहता हूं कि भारत-बंगलादेश सीमा पर चौकसी को सशक्त कर दिया गया है। असम सीमा पर अतिरिक्त सीमा-चौकियां स्थापित कर दी गई हैं और गश्त बढ़ा दी गई है।

वास्तव में, असम सरकार ने विदेशी घुसपैठ अवरोधक योजना के अधीन एक पूर्ण समादर बल की स्वीकृति दे दी है।

तंगघाटी-पुलिस को भी सशक्त बनाया गया है और "आऊट-बोट मोटर्स" वाली गश्ती नवकाओं को भी कार्य सौंप दिया गया है।

हम चरण-बद्ध ढंग से, उत्तरी-पूर्व और पूर्वी क्षेत्रों में फोटो वाले पहचान-पत्र मतदाताओं को जारी करने तथा जन्म और मृत्यु रजिस्टर को अद्यतन रूप देने का प्रयास कर रहे हैं।

इन बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने पैट्रोलिंग की क्या व्यवस्था की, सीमाओं की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की, इफिल्ट्रेटर्स न आयें, इसके लिए क्या व्यवस्था की, कितने लोगों के फोटो आपने छपवाए और कितने वोटर्स को आइडेंटिटी कार्ड्स दिए ? जो कुछ भी आपने किया होगा वह तो आप ही बतायेंगे। 24 अगस्त, 1981 के बाद एक साल हो चुका है। इसके बाद इंफिल्ट्रेटर्स कितने आए, उनकी संख्या आप बतलायें, इस एक साल में आपने क्या क्या किया वह आप बतायें, आप इन बातों की पूरी प्रोग्रेस बतायें जिसका कि आपने वायदा किया था। यदि एक साल में आप कुछ नहीं कर पाए, यदि अभी भी दूसरे देशों से लोगों का आना नहीं रुका है तो फिर आप ही समझें कि इस समस्या का हल कैसे होगा ? खाली कह देने से तो काम चलेगा नहीं। एक साल में आप बहुत कुछ कर सकते थे। जो बाहर से विदेशी लोग घुसे चले आ रहे हैं, उनको आप रोक सकते थे। अगर हम मान लें कि जो भी चाहे वह हमारे देश में आकर घुस जाए और उसको हम यहां का नागरिक मान लें तब मैं जानना चाहूंगा कि शेख अब्दुल्ला के उस बिल को असेन्ट क्यों नहीं दी गई ? उसका विरोध आप क्यों करते हैं, वह भी तो ऐसा ही मामला है। आप सभी पाकिस्तान वालों को बुलाकर बिठा लीजिए जम्मू कश्मीर में। आप वहां पर तो असेन्ट नहीं दे रहे हैं फिर यहां पर दूसरी चाल क्यों चल रहे हैं ? मैं समझता हूं दुनिया में केवल हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश होगा जहां पर दुनिया का कोई आदमी चला आवे उसे यहां की नागरिकता दे दी जायेगी। एक प्रकार से यह एक धर्मशाला हो गया हालांकि धर्मशाला में भी बाहर के लोग ठहर कर वापिस चले जाते हैं परन्तु यहां पर तो उनके रहने का परमानेन्ट प्रबन्ध हो रहा है। इसलिए मैं आचार्य भगवान देव की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो भी चाहे इस देश में आ जाए, यहां पर रहे और यहां का नागरिक बन जाए चाहे वह हमारा कितना ही विरोधी क्यों न हो।

आचार्य भगवान देव : सभापति जी, ये गलत कह रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपने यह कहा था लेकिन आप कहते हैं कि नहीं तो मैं उसको भी मान लेता हूं क्योंकि पार्लमेंटरी तरीका यही है, कोई दूसरा नहीं है।

बहरहाल मैं फिर अपील करूंगा इस हाउस से कि इस प्रकार की स्पीचेज, इस प्रकार के भाषण और इस प्रकार के विचार जैसे कि भगवान देव जी ने व्यक्त किए, वह यदि व्यक्त न किये जाय तो बहुत अच्छा होगा। असम की समस्या पर हम सभी मिलकर शान्तिपूर्वक विचार करें और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि....

आचार्य भगवान देव : सभापति जी, ये शून्यकाल के आईने में अपना चेहरा देख लें तो बहुत अच्छा हो। (व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार : मुझे कई शादियाँ नहीं करनी हैं। (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : बिना शादी के भी लोग बहुत कुछ चला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने चेहरे की बात नहीं कही है क्योंकि गलत बात कहने से फायदा नहीं होता है। (व्यवधान)

बहरहाल, असम की समस्या के न सुलझने का जो दोष होगा वह ऐसे लोगों पर ही जायेगा, हमारे ऊपर नहीं। यही लोग इसमें घृताहुति डाल रहे हैं. यह मेरा चार्ज है। ऐसे ही लोग इस समस्या को उलझा रहे हैं। ये कांग्रेस (आई) पार्टी, सत्ता पक्ष के लोग हैं. विरोध पक्ष में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो इस समस्या का हल न चाहता हो।

इन शब्दों को साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : माननीय सभापति महोदय, असम की समस्या राष्ट्र के लिए एक भयंकर समस्या है—ऐसा मैं मानता हूँ। अभी तक मैंने कभी भी इस विषय पर इस सदन में कुछ नहीं कहा है, लेकिन आज इस सम्बन्ध में कुछ न कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि जो मैं महसूस करता हूं उसे आज मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हमारे माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि सन 1964-65 के भारत-पाक युद्ध के बाद बंगलादेश से या उस समय के पूर्वी-पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी हमारे देश में आये। यदि हम उन की विशेष स्थिति को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि यदि वे पूर्वी-पाकिस्तान में रहते तो या तो उन्हें मौत के घाट उतारा जाता या उन्हें धर्म-परिवर्तन करना पड़ता। ऐसी हालत में निराधार, असहाय होकर जब वह भारत में आये तो उनका प्रश्न और उनकी समस्या एक गम्भीर समस्या थी। उन्होंने एक बात अपने भाषण में यह भी कही—

"बंगाली-विरोधी भावना असम में कोई नई बात नहीं है।" मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं—माई इन्द्रजीत गुप्त से कि इस प्रकार की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, एंटी-बंगाली फीलिंग वहाँ पर क्यों आती है ? मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन जिस बंगाल ने अरविन्द और रवीन्द्र जैसे महामानव को पैदा किया, देशबन्धु चितरंजन दास और सुभाष चन्द्र बोस जैसे भारत माता के महान सपूतों को जन्म दिया, उसी बंगाल में अगर आप आज जायें .....

(व्यवधान)

बोलने दें, बीच में मत रोकें। यही सब कमियां हैं जिनके कारण यह हो रहा है...वहां पर भी राष्ट्रवाद और भारतवाद का व्यापक रोल होना चाहिये, लेकिन यदि हम कलकत्ता जाते हैं तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं-वहां पर बंगाली और नान-बंगाली की फीलिंग है...

(व्यवधान)

श्री अजीत कुमार साहा : पश्चिम बंगाल में बंगाली और गैर-बंगाली वाली कोई भावना नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री कमलामिश्र मधुकर (मोतिहारी) : ऐसी बात नहीं है । (व्यवधान)

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) वह सही नहीं कह रहे हैं । कलकत्ता में बंगालियों की तुलना में गैर-बंगाली अधिक हैं ।

(व्यवधान)

प्रो० सत्यदेव सिंह : मैं यह मानता हूं, लेकिन मैं साथ ही कहता हूँ कि वहां पर जो नान-बंगाली रहते हैं, जिन्हें सत्तूखोर कहा जाता है उन लोगों का मनुष्य जीवन नहीं है, उनके साथ दक्षिण-अफ्रीका जैसी रंगभेद की नीति अपनाई जाती है । जब तक आप ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं करेंगे कि बंगाल में गैरबंगाली अपने भाई जैसा अनुभव करें, तब तक वातावरण शुद्ध नहीं हो सकता है ।

हमारे छपरा में भी बहुत से बंगाली रहते हैं, वे बड़े शिक्षित, सभ्य और सुसंस्कृत हैं, उनको बड़े भाई जैसा सम्मान दिया जाता है, हम बिहार में उनको बड़े भाई का सम्मान देते हैं, तब हमारा अधिकार है, हमारी मांग है कि बंगाल में भी आप हमें वही स्थान दें । जो आप उनको नहीं दे पाते हैं । मेरा कहना यह है कि इसकी जांच होनी चाहिए । जो आपकी त्रुटियां हैं, उनको आप कबूल कीजिए । मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो बंगाली, आसामी, बिहारी, उत्तर प्रदेश निवासी और दक्षिण भारत-वासी की बात करता है और एक को दूसरे से अलग करने की बात करता है वह देशद्रोही है और वह भारत माता का सपूत नहीं है बल्कि कुपूत है । जो भाषा के आधार पर, प्रान्तीयता के आधार पर देश में 'विदेश' का भाव उत्पन्न करता है, वह राष्ट्र का सच्चा नागरिक नहीं है । इसलिए मैं यह चाहता हूं कि बंगाल में, आसाम में, बिहार में और भारत के हर भाग में राष्ट्रवाद का विचार होना चाहिए और इस विचारधारा से आन्दोलित होकर, उत्प्रेरित होकर हम कार्य करें । आज जो भाई प्रान्तीयता के आधार पर, साम्प्रदाय के आधार पर और भाषा के आधार पर काम करते हैं, वह सही नहीं है ।

आसाम की आर्थिक स्थिति के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भाई इन्द्रजीत गुप्त जी ने यह कहा कि आसाम में जितना जूट का उत्पादन होता है, वह कलकत्ता में चला जाता है क्योंकि कलकत्ता में जूट मिलें ज्यादा हैं और आसाम में कम हैं, तो आसाम के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए, वहां पर अधिक से अधिक जूट मिलें खोले जाएं, जिससे वहां के लोगों को मदद मिले, उनको रोजी रोटी मिले और उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनका उत्तर न दीजिए । आपने विषय तैयार किया हुआ है, उसी पर बोलिए । आप प्रोफेसर हैं, इसलिए आप भलि-भांति जानते है । उनको उत्तर न दीजिए । विषय पर बोलिए ।

प्रो० सत्यदेव सिंह : मैं उसी पर बोल रहा हूं। मेरा कहना कह है कि वहां पर गैस, पेट्रोल और केरोसियन आयल काफी मात्रा में होता है। इन सबकी वहां पर खोज होनी चाहिए और इस तरह का अनुसंधान होना चाहिए कि वहां पर इन पर बेस्ड कौन-कौन सी इंडस्ट्री लगाई जा सकती हैं, जिससे वहां के अधिक से अधिक लोगों को रोजी-रोटी मिल सके और और आर्थिक रूप से वे सुदृढ़ हो सकें।

ब्रह्मपुत्र में एक ही पुल है वहां पर अधिक से अधिक पुल बनवाए जाएं। पुल होने से कितना लाभ होता है, यह उत्तर बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं। महात्मा गांधी सेतु पटना में बना और उसके बनने से आने-जाने की बहुत सुविधा हो गई और आने-जाने में समय की बहुत बचत हुई है। इसलिए आसाम का विकास होना चाहिए और यह देश के अन्य भागों से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी उत्तर-पूर्व सीमा पर है। यह हमारे राष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है और इसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहिए जिसमें वहां के लोगों को संतोष हो सके। यह राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसको औद्योगिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सबल बनाना, सक्षम बनाना बहुत आवश्यक है, जिससे आसामवासियों के मन में जो क्षोभ है, वह, समाप्त हो जाए और वे यह समझें कि पूरे देश की सहानुभूति और हमदर्दी हमारे साथ है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चित्त वसु (बारसाट) : महोदय यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस सभा को एक ऐसी स्थिति में असम के बजट पर चर्चा करने और उसे पारित करने हेतु बुलाया गया है जबकि इस सदन में, न ही तो असम का पूर्ण प्रतिनिधित्व है और न ही असम में इस बजट पर चर्चा करने और पारित करने के लिए कोई लोकप्रिय सरकार या विधान सभा है।

स्वाभाविक है कि आप सहित समस्त सभा मेरे विचार मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब तक हमें असम की वर्तमान स्थिति का पता न हो तब तक असम राज्य के बजट पर सही ढंग से चर्चा नहीं हो सकती है। यह जीवन की वास्तविकता है कि असम के लोग गत ढाई वर्षों से अपने जीवन की सबसे बडी अशान्ति और क्रान्ति देखी है। यह स्वाभाविक है कि यह अशान्ति और उथल-पुथल न केवल असम की जनता के हितों के लिए हानिकारक है अपितु समस्त देश की जनता के हितों के लिए भी हानिकारक है।

मेरे पास सभी मुद्दों पर विस्तार से बोलने के लिए समय नहीं है, परन्तु असम के जीवन की अशान्ति और उथल-पूथल की कुछ मुख्य विशेषताओं की ओर मैं सरकार का और गृहमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

असम की एक मुख्य विशेषता यह है कि वहां एक आन्दोलन चला है, जो कि देश से बाहर की ताकतों की प्रेरणा से चलाया जा रहा है।

जो हमारे देश को अस्थिर करने में अधिक दिलचस्पी रखते हैं। स्वाभाविक रूप से आसाम की स्थिति पर चर्चा करते हुए हमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखना है।

हमें पूरी जिम्मेवारी के साथ यह भी याद रखना होगा कि आसाम में धार्मिक और

भाषाई दोनों अल्पसंख्यक वर्गों के साथ कुछ अन्याय किया जा रहा है और यदि हम वास्तव में देश की अखंडता और एकता को सुरक्षित रखना, उसे मजबूत बनाना और दृढ़ करना चाहते हैं तो इस अन्याय को खत्म करना होगा।

आप आसाम की लोकतांत्रिक और प्रगतिशील शक्तियों की कठिनाइयों को भी समझेंगे जिनको नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक कार्यविधि के मूल अधिकार से वंचित रखा गया है। रखना आवश्यक सेवाएं कार्य (आसाम) अधिनियम में 1980 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करके लोकतन्त्र के अत्यन्त आवश्यक अधिकार—आंदोलन करने, अपने मत व्यक्त करने और लोगों को संगठित करने के अधिकार—समाप्त कर दिये गए हैं। निस्संदेह लोगों के पास कोई गुंजाइश अथवा अवसर नहीं है।...

श्री निहार रंजन लास्कर : हम ट्रेड यूनियन आंदोलन पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं बल्कि केवल आंदोलनकारियों...(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : अधिसूचना में कहा गया है कि इसमें संपूर्ण औद्योगिक कर्मचारी आ जाते हैं। अतः, आपने लोगों से अपने विचार व्यक्त करने का लोकतांत्रिक अधिकार ले लिया, छीन लिया है। वहां वास्तव में स्थिति ऐसी बनी हुई है।

अन्य महत्वपूर्ण बात यह है। आसाम के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के प्रति उपेक्षा और लापरवाही की नीति ने आसाम के लोगों को अपार निर्धनता की दलदल में फेंक दिया है।

ये कुछ बातें हैं जो इस माननीय सदन को ध्यान में रखनी हैं। इस स्थिति में, आसाम की अर्थ व्यवस्था को उस निर्धनता से निकालना केन्द्रीय सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बजट भाषण में वार्षिक योजना और केन्द्रीय सहायता का कुछ उल्लेख किया गया है। 1982-83 की वार्षिक योजना में 238 करोड़ रुपए का प्रावधान है जबकि 1981-82 में 210 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय हुआ था। इसका अर्थ यह है कि वार्षिक वित्तीय परिव्यय में केवल 34 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। आसाम के आर्थिक रूप से अत्याधिक पिछड़ेपन को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त है।

दूसरे, जहां तक केन्द्रीय सहायता में की गई वृद्धि का सम्बन्ध है, हमने पिछले वर्ष की तुलना में बहुत सीमित अर्थात 66 करोड़ की वृद्धि की है। अतः केन्द्र सरकार ने आसाम के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।

आसाम के लोगों की केन्द्र सरकार के प्रति शिकायतें ठीक ही हैं। मेरे पास (व्यवधान) आसाम के लोगों के प्रति किए गए अन्याय और भेदभाव के कई तथ्य हैं; लेकिन मैं उदाहरण देकर केवल एक ही तथ्य का उल्लेख करूंगा। मैं समझता हूं, श्री लास्कर इस पर ध्यान देंगे।

दिनार्थ ईस्टर्न टाइम्स ने अपने 20 जुलाई 1980 के अंक में नदी बेसिन क्षेत्रों के लिए पूंजी लगाने के बारे में लिखा है। उन्होंने एक तुलनात्मक सूची दी है जिसमें दिखाया गया है कि गंगा बेसिन क्षेत्र के लिए 1173.6 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई है, कृष्णा बेसिन के लिए 1026.44 करोड़ रुपए सिन्धु के लिए 518.27 करोड़ रुपए, गोदावरी के लिए 373.07 करोड़

रुपए; महानदी के लिए 218.80 करोड़ रुपए और ब्रह्मपुत्र के लिए केवल 15.73 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। गंगा बेसिन पर आपने 1173.06 करोड़ रुपए लगाए हैं जबकि ब्रह्मपुत्र पर आपने केवल 15.73 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है।

इससे पता चलता है कि आसाम की अर्थ व्यवस्था के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आसाम के लोगों में असंतोष का एक मुख्य कारण यह भी है तथा इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अब मैं निर्वासन के प्रश्न पर आता हूं। भारत सरकार की एक सुस्पष्ट नीति है। मेरे पास अमृत बाजार पत्रिका की एक प्रति है, जो गोहाटी से प्रकाशित होती है। यह 1 अगस्त 1982 की है।' इसमें कहा गया है—

"पूर्ववर्ती पूर्वी-पाकिस्तान से 1971 से पहले के शरणार्थियों एवं दूसरे राज्यों से बंगाली भाषी भारतीय नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया आसाम में निरंतर जारी है। सरकार की उद्घोषित नीति के विरुद्ध तथाकथित संदिग्ध विदेशी परिवारों के घरों में रात को घुस जाने और उन्हें उठाकर पुलिस की गाड़ियों में भरकर ले जाने और उन्हें गोलकगंज या महिसाना सीमा चौकी पर (आसाम बंगला देश सीमा पर) छोड़ देने की प्रक्रिया चल रही है..."

उन्होंने इसे विस्तार में दिया है। आधी रात को पुलिस ने 1971 से पहले के संदिग्ध विदेशियों पर कार्यवाही की और उन्हें पुलिस की गाड़ियों में लाद दिया गया और उसके बाद उन्हें भारत-बंगला देश चौकी से बाहर निकाल दिया गया। सरकार की यह नीति अमानवीय है : आसाम सरकार का यह व्यवहार बहुत अमानवीय है। एक अन्य रिपोर्ट है जिसमे यह कहा गया है—

"पिछले छः महीनों में आसाम सरकार बहुत अधिक मात्रा में लोगों को निष्कासित कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के 8,000 परिवारों को निष्कासित किया जा चुका है।"

वे वहां हैं और वे भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यक लगातार वहां रहे हैं हमें समझौता करना है, हमें असम के मामले का राजनीतिक निपटारा करना है।

लेकिन हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार ने जो पहले रुख अपनाया है वह अपरिवर्तनीय और अपरक्राम्य होना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें अपनी बातचीत जारी नहीं रखनी चाहिये। हम समझते हैं कि बातचीत आवश्यक है। लेकिन बातचीत करते समय, हमें राष्ट्र द्वारा अपनाई गई नीतियों को त्याग नहीं देना है।

ये मुख्य सिद्धान्त क्या है। आधार वर्ष 1971 को माना जाना चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान से आए नागरिकों को नागरिकता देने सम्बन्धी नीति निर्देशों को त्याग नहीं देना चाहिए। सम्बन्धित दस्तावेजों जैसे भारतीय नागरिकता के दावे को गवाही के रूप में आना जाना चाहिए,

उसमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। समझौता स्वीकार किया जाना चाहिए। आसाम समस्या का राजनीतिक निपटारा करने के लिए यह मूल नीति राष्ट्र द्वारा अपनाई गई है।

यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे मुझे विश्वास करना पड़ता है कि सरकार अपनाई गई नीति से पीछे हट रही है, जो कि न केवल आसाम के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए अनर्थकारी होगा, क्योंकि इससे पूरे देश की एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह बताए कि उनके लिए इस सम्बन्ध में एक सार्वजनिक घोषणा करना सम्भव होगा कि सरकार आसाम समस्या का राजनीतिक निपटारा करने के लिए पहले राष्ट्र द्वारा अपनाई गई अपनी नीति से पीछे नहीं हट रही है।

अन्त में, चुनाव होने चाहिएं। लेकिन चुनाव कराने के लिए राजनीतिक स्थिति के अनुकूल वातावरण बनाना आवश्यक है। उसके लिए मतदाता सूचियां किसी निरपक्ष केन्द्रीय एजेंसी के तत्वाधान में तैयार की जानी चाहिए। अन्यथा मतदाता सूचियों को निरपक्ष रूप से अद्यतन नहीं बनाया जा सकता। चुनाव आयोग के तत्वाधान में चुनाव कराने के लिए विशेष प्रबन्ध भी किए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल चुनाव आयोग ही चुनाव करा सकता है, सरकार नहीं।

श्री चिन्त बसु : चुनाव कराने की जिम्मेदारी असम सरकार को नहीं सौंपी जा सकती, क्योंकि हम समझते हैं कि आसाम प्रशासन, विशेषरूप से नौकरशाही धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है। यदि ऐसा ही रुख रहा तो धार्मिक और भाषाई अल्पसख्यकों को वह न्याय नहीं मिलेगा, जो उन्हें संविधान अन्तर्गत मिलना चाहिए।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आसाम के लोग और उनकी नोकरशाही किसी अन्य भारतीय नागरिक की भांति देशभक्त हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि श्री चिन्त बसु जैसे नेता ने उन पर लांछन लगाये हैं।

आसाम पिछड़ा हुआ राज्य है, जिसकी अपनी संस्कृति है। आसाम के लोगों को डर है कि उनकी संस्कृति को समाप्त किया जा रहा है और उनकी पहचान खत्म हो जायेगी। यही कारण है कि उन्होंने यह आन्दोलन शुरू किया। वास्तव में, यह आन्दोलन जनता सरकार के शासन-काल में शुरू हुआ था और हमें वह विरासत में मिला है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह महसूस किया कि वहां शांति स्थापित हो जाने पर हमें वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है।

महोदय, मैं जानता हूं, विभिन्न स्थानों से बहुत से शरणार्थी राज्य में आ गए हैं और उन्होंने स्थानीय लोगों का छोटे से छोटा अधिकार भी छीन लिया है। मैं यह चाहता हूं कि भारत सरकार को सभी राज्यों से संसाधन एकत्र करने चाहिए और उसकी सारी राशि आसाम पर खर्च करनी चाहिए और यदि वहां की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, तो मैं समझता हूं कि आन्दोलन समाप्त हो जाएगा और वहां शांतिपूर्ण स्थिति हो जायेगी और तब हम चुनाव करवा सकते हैं। सरकार वहां चुनाव कराने के लिए तैयार है बशर्ते कि वहां स्थिति शांतिपूर्ण हो

जाए और मैं यह सुझाव दूंगा कि आसाम के लोगों की संतुष्टि के लिए वहां मतदाता सूचियों की छानबीन होनी चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को आसाम बजट पर चर्चा करने तथा अनुदानों की मांगें की स्वीकृति देने के लिए पुन: कहा गया है। सदन के लिए यह न तो गर्व का विषय है और न किसी तरह के संतोष का। इसके विपरीत यह भारत के लोकतंत्र के इतिहास में दुर्भाग्य की बात है कि दो वर्ष से भी अधिक समय से आसाम के लोग न तो केन्द्रीय सरकार में और न राज्य सरकार की लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। महोदय, यह सब जानते हैं और इस तथ्य पर बार-बार बल दिया गया है कि इस भव्य सदन की 14 सीटों में से 12 सीटें खाली पड़ी हैं, आसाम में कोई उचित सरकार नहीं है, सभा को भंग कर दिया गया है। मैं पुरजोर कहूंगा कि उस राज्य के लोगों को और अधिक विक्षुब्ध नहीं रहने दिया जा सकता। लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया निरन्तर निलंबित नहीं रखी जा सकती। इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उलटे, इससे समस्याएं और जटिल हो जायेंगी। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रपति शासन में विस्तार की इस उद्घोषणा की अवधि समाप्त होने से पहले आसाम में चुनाव कराए जाएं।

महोदय, आसाम में शीघ्र चुनाव करवाना, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करना और आसाम के लोगों द्वारा लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया में भाग लिया जाना देश के हित में राज्य के हित में और तथाकथित विदेशियों की समस्या का समाधान करने के लिए अति आवश्यक है।

माननीय सदस्य श्रीराम जेठमलानी को मैंने बड़े ध्यान से सुना। वह बड़ी जोरदार भाषा में कह रहे थे कि यहां आसाम का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं। वह सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगा रहे थे कि वह आसाम में चुनाव नहीं कराना चाहता। महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस चुनौती का सामना करे, इस चुनौती के खोखलेपन को प्रकाश में लाएं और चुनावों के बारे में निश्चित घोषणा करे। निस्संदेह, मुझे यह विश्वास है कि सरकार उद्घोषणा की अवधि समाप्त होने पर संविधान में किसी तरह का संशोधन करने के लिए नहीं कहेगी अथवा संविधान के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कोई कदम उठाने के लिए नहीं सोचेगी।

महोदय, मेरा आसाम के लोगों से अनुरोध है कि वे चुनाव कराने के रास्ते में बाधा न डालें, क्योंकि यह सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है और केवल एक प्रतिनिधि सरकार ही लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर सकती है। आसाम के आंदोलनकारी स्वयं कहते हैं कि वे आसाम के सांस्कृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। वह कैसे किया जा सकता है ? यह केन्द्र के द्वारा नहीं किया जा सकता। उसके लिए आसाम में लोकप्रिय सरकार का होना भी आवश्यक है। अत:, जबकि बातचीत जारी रह सकती है, जहां तक असम का सम्बन्ध है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अस्थगित न किया जाए। यहां पर उपस्थित हम सभी का, और जो कोई भी दल अपने को राष्ट्रीय दल कहता है उसका यह कर्तव्य है कि वह असम में लोकतान्त्रिक प्रकिया को बहाल करने और वहां चुनाव कराने हेतु उपयुक्त वातावरण बनाने में योगदान द। जहां तक इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग का सम्बन्ध है, हम सदैव निरन्तर यह बिल्कुल स्पष्ट करते रहे हैं कि मुस्लिम लीग असम में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के पुन:स्थापन के पक्ष में है और वहां पर यथा-

सम्भव शीघ्रता से चुनाव कराने के लिए हम निश्चितरूप से पूर्ण समर्थन देंगे। सरकार को दृढ़ होना चाहिये। यदि आन्दोलनकारी विरोध करने का निर्णय लेते हैं तो दुर्भाग्य से यदि वे ऐसा निर्णय लेते हैं तो फिर सरकार को दृढ़ता से काम लेना होगा। चूंकि अनिश्चितकाल तक चुनावों को टालते रहने से आन्दोलनकर्त्ता असम की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को पंगु ही बनाते रहेंगे। यह एक असहनीय स्थिति है। परन्तु मुझे पक्का विश्वास है कि असम निवासी इस बात को समझेंगे कि यह असम के हित की बात है, देश के हित की बात है, और उन विभिन्न समस्याओं के हित की बात है जिनका कि आज देश में असम को सामना करना पड़ रहा है जैसे कि वहां पूर्ण लोकतन्त्र की स्थापना होनी चाहिये। निस्सन्देह चुनाव कराने के लिए बड़ी समझदारी और सावधानी से काम लेना पड़ेगा। जब चुनाव कराने का मामला उठा तो पहले के आन्दोलन में संवेग उत्पन्न हो गया। अतः, मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जहां तक मतदाता सूचि का सम्बन्ध है हमें यह देखना होगा कि अन्याय न हो। हमें यह देखना चाहिए कि मतदाता सूचियों पर भी निष्पक्ष अधिकारी बिठाए जाएं। यह आवश्यक है कि न्याय पूरा मिले। मतदाता-सूचियों में से बक्टु ही बहुत से नाम निकालने आदि के प्रयास किए जायेंगे परन्तु हमें यह देखना होगा कि तन्त्र समुचित ढंग से कार्य करे और न्याय हो। जबकि चुनाव कराने के प्रयास किए जाने चाहिएं, यह भी आवश्यक है कि हमारी बातचीत जारी रहे।

इसके विपरीत, सरकार ने आन्दोलनकर्ताओं के साथ अनुशंसात्मक धैर्य से काम लिया है। मैंने सदैव इस सदन में सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह उनके प्रति कुछ अधिक ही नर्मी बरतने का प्रयास कर रही है। मेरे विचार से सरकार और आन्दोलन के नेताओं के बीच बातचीत के सतरह दौर हो चुके हैं। मेरे विचार से यह अठारहवां दौर होगा। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूँ। बातचीत के बारे में, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह कहने के लिए कि बातचीत निष्फल रही है, इस अन्यायपूर्ण निराशावाद के लिए कोई स्थान नहीं है। बहुत सा काम हो गया है। परन्तु उस स्थिति में मैं जोर देकर कहूंगा कि विदेशियों के प्रश्न पर बिना किसी सिद्धान्त के निर्णय नहीं लिया जा सकता है। निर्णय सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिये। आप अपनी इच्छा से कोई भी तिथि निश्चित नहीं कर सकते हैं। जनता विशेष रूप से अल्पसंख्यक लोग कोई चल-सम्पति नहीं है जिनकी अदला-बदली बातचीत द्वारा की जा सके। संविधान के संगत उपबन्धों, नागरिकता से सम्बद्ध सभी कानूनों, राष्ट्रीय वचन बद्धताओं, अन्तर्राष्ट्रीय बचन-बद्धताओं, मानवीय विचारों इन सभी पर दृष्टिपात करना और विचार करना होगा। यदि आप इससे किसी सहजात तर्कसंगत परिणाम पर पहुँचते हैं तो आप पायेंगे कि इससे कोई छुटकारा नहीं है कि अन्तिम तिथि 25 मार्च 1971 को ही माना जाए।

बंगलादेश ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वह उन लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं है जो बंगलादेश से आकर 'इस' तिथि से पूर्व यहाँ बस गये थे। आप उन्हें वापिस कैसे भेजा सकते हैं ? वे हवा में उड़कर विलीन नहीं हो सकते हैं। कभी-कभी यह पागलपन की सलाह दी जाती है कि यदि उनका निर्वासन नहीं किया जाता है तो उन्हें इधर-उधर और कहीं बसाया जाए। महोदय, यह एक मानवतावादी प्रश्न है। लोगों को इस प्रकार एक जगह से उजाड़ कर दूसरी जगह बसाते रहना सरल नहीं है। इस सबके लिए मानवतावादी विचारण की आवश्यकता

है। इस प्रश्न पर हमने विस्तार से विचार किया है और इसलिए मैं उन सभी बातों को फिर से नहीं दोहराऊंगा। हमने इस सदन में जो कुछ पहले कहा है उस पर अडिग हैं और वे बातें रिकार्ड में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसने असम समस्या के समाधान को सर्वोच्च महत्व दिया है। यह बहुत ही ईमानदार और गम्भीर रही है और इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने एक अत्यन्त कठिन स्थिति पर नियन्त्रण कर लिया है। सत्तारूढ़ होने के तुरन्त बाद, जब यह सरकार सत्ता में आई तो असम में उसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता यह थी कि फिर से शांति और व्यवस्था कायम की जाये और कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं कह सके कि इस सरकार ने इस स्थिति-विशेष पर गौर नहीं किया। निस्सन्देह, कम से कम कुछ व्यवस्था की झलक तो मिली है। हमें याद है कि तेल की नाकेबन्दी जैसी बातें वहां हो रही थी। सरकार इन मामलों में सफल रही है। तेल और अन्य तरह की नाकेबन्दियां अब विगत इतिहास की बातें हो गई हैं। और फिर अप्रवासियों के और आगमन पर रोक लगाने हेतु प्रभावी प्रबन्ध के लिए कदम उठाए गए हैं। उदाहरणस्वरूप, एक दूसरे के निकट सुरक्षा चोकियों की स्थापना, तंगघाटी गश्त को और बढ़ाना, दीवार, कांटेदार तार, बाड़ जैसी रुकावटें खड़ी करना। जहां तक असम के भाषाई और सांस्कृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखने की बात है, विदेशियों द्वारा सम्पत्ति अर्जित करने पर पाबन्दी लगाने के लिए विधान, केन्द्रीय सरकार द्वारा नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने आदि जैसे विभिन्न अपेक्षित उपाय किए गए हैं।

तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं आरम्भ में ही सरकार को इसकी निष्क्रियताओं के लिए माफ कर सकता हूँ। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जब आन्दोलन पूरे जोरों पर था तो निष्क्रियता और अनिश्चय की नीति अपनाई गई जिससे आन्दोलनकर्ताओं की भी हिम्मत बढ़ गई। आज भी जैसी स्थिति है, वहां कुछ समस्यायें हैं। चूंकि समय का अभाव है, अतः मैं उन सभी समस्याओं के नाम गिना कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

पहली बात यह है कि असम में पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से और बलपूर्वक निर्वासन किया जा रहा है। विशेषकर, अल्पसंख्यक लोगों को ही बलपूर्वक और मनमाने ढग से निर्वासन का शिकार बनाया गया है। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि गत मास जुलाई में ही डीफू पुलिस स्टेशन अधिकारी ने ही आधी रात को लोगों को सफाई (निर्वासन) कर दी। पहले भी निर्वासन हुए हैं। एक अन्य सदस्य ने कहा था कि अब और अधिक निर्वासन नहीं होना चाहिए मुझे केवल इतना ही नहीं कहना है बल्कि यहां तक कहूंगा कि इन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जो बलपूर्वक और मनमाने ढंग से निर्वासन के लिए जिम्मेदार थे ? दारांग जिले में ऊदलगिरि से पुलिस ने बड़ी संख्या में परिवारों को निर्वासित किया और मैं कहूंगा कि न केवल इस प्रकार बलपूर्वक और मनमाने ढंग के निर्वासन को रोका जाये बल्कि उन लोगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।

(श्री जी० एम० बनातवाला जारी)

इसके अलावा काफी संख्या में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। यह कहा गया है कि अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैं समझता हूं 2,500 लोगों को, जिन पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप था, उन्हें असम से बलात् बाहर निकाला गया है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यह बंगलादेश में हो रहा है, भारत में नहीं।

श्री जी० एम० बनातवाला : श्री रेड्डी, कम से कम, कभी तो गम्भीर हुआ करें।

श्री एम०राम गोपाल रेड्डी : हमने यही समाचारपत्रों में पढ़ा था।

श्री जी० एम० बनातवाला : खबर मिली है कि सरकारी प्राधिकारियों ने बेदखल किये गये लोगों की जमीन पर खड़ी फसल को भी नीलाम कर दिया है। यह एक गम्भीर मामला है। मैं आशा करता हूं, इस मामले में सरकार समुचित कार्यवाही करेगी, जिससे कि असम के लोगों के कष्ट में और वृद्धि न हो।

इसके अलावा आतंकवादी कार्यवाहियों में वृद्धि हुई है। मैं आतंकवादियों की कार्यवाहियों का बिस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता। हम इसकी निन्दा करते हैं। इसके साथ ही मैं सदन का ध्यान, बढ़ती हुई आतंकवादी कार्यवाहियों के संबंध में निराशाजनक रिकार्ड की ओर दिलाना चाहता हूं। आतंकवादियों की बढ़ती हुई कार्यवाहियों के सामने हमें पुलिस का ऐसा रिकार्ड मिलता है जिसमें न पकड़े जाने वाले अपराध और न पूरी हुई जाच-पड़ताल होती है। मैं कह सकता हूं कि इन तीन वर्षों के दौरान, ऐसे हजारों मामले हुए हैं और आतंकवादियों की हिंसा की कार्यवाहियों के फलस्वरूप सैकड़ों जिन्दगियां खत्म हो गई हैं। केवल 25 प्रतिशत मामलों में पुलिस अभियुक्तों के विरुद्ध मामले दर्ज कर पायी है। असम में हमारी खुफिया व्यवस्था को क्या हो गया ? इसमें भी रद्दोबदल होनी चाहिए।

इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मै कहना चाहूंगा कि असम के आर्थिक विकास पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जहां तक सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रश्न है; यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के मुख्यमन्त्रियों ने भी आर्थिक विकास के लिए बनाई गई पूर्वोत्तर समिति के ठीक प्रकार से काम न करने की बात कही है। उन्होंने परियोजना को तेजी से लागू न करने की शिकायत की है। इसलिए इस विशेष बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

आज जब हम यहां पर असम पर बहस कर रहे हैं, काफी लोग तूफान ग्रस्त क्षेत्रों में तकलीफ उठा रहे हैं। तूफान ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को हर सम्भव सहायता देनी चाहिए। उन भाग्यहीन लोगों के पुनर्वास के लिए हर सम्भव कदम उठाये जाने चाहिएं।

इन शब्दों के साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक असम की स्थिति का प्रश्न है, यह एक राष्ट्रीय समस्या है और प्रत्येक दल को इस समस्या को हल करने में संकीर्ण दृष्टि-

कोण से ऊपर उठना चाहिए, जिससे कि असम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से बहाल की जा सके और समस्या को सिद्धांतों के आधार पर पूरी तरह से सुलझाया जा सके।

धन्यवाद।

रक्षा और गृह मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले उन सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन्होंने अपने अमूल्य विचारों द्वारा इस बहस में योगदान दिया। श्री राम जेठमलानी के अलावा किसी भी अन्य सदस्य ने इस संकल्प को जारी किये जाने का विरोध नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : जैसा कि प्रायः होता है।

श्री आर० वेंकट रामन : यह तो सुस्पष्ट ही है कि जब तब उद्घोषणा को जारी नहीं किया जाता, असम समस्या के समाधान आदि के लिए आगे की कार्यवाही की ही नहीं जा सकती है। इसलिए इस बात से सभी सहमत होंगे कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के प्रवर्तन को जारी रखा जाए। साथ ही इस उद्घोषणा की अवधि के अन्दर ही समस्या का कोई समाधान भी निकालना होगा।

जहां तक मेरे परम सहयोगी श्री निहार रंजन लास्कर द्वारा पेश किए गये संकल्प का प्रश्न है उसका सही तथ्यों की अपेक्षा नीति के आधार परे ज्यादा विरोध हुआ है।

बजट के बारे में भी कुछ कहा गया है, लेकिन मैं इन तीनों को इकट्ठा ही लूंगा।

प्रत्येक सदस्य ने जिसने इस बहस में हिस्सा लिया, इस पर जोर दिया है कि असम में चुनाव होने चाहिए। मैं सदन को असमंजस में रखने के बजाय अभी ही यह बताना चाहता हूं कि सरकार का मार्च 1983 से पहले असम में चुनाव कराने का इरादा है।

इस दायित्व को पूरा करने के लिए सरकार को जिन समस्याओं, कठिनाईओं का सामना करना पड़ रहा है, वे कम नहीं हैं। जब आप कहते हैं कि हमें चुनाव कराने चाहिए तो इसका मतलब यह होगा कि चुनाव कराने से पहले हमें मतदाता सूचियां तैयार करनी होंगी। जब हमें मतदाता सूचियां तैयार करनी होती हैं, तो हमें यह तय करना होता है कि मतदाता के रूप में कौन व्यक्ति सही है। यहां से कठिनाई शुरू हो जाती है। वही व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। विदेशी नागरिकों का पता लगाना, मतदाता सूची से उन्हें निकालना आदि समस्यायें सामने आती हैं।

इसलिए असम में विदेशियों की समस्या को हल किये बिना चुनाव की समस्या को हल नहीं किया जा सकता।

मैं इस बात को स्पस्ट करना चाहता हूं क्योंकि अनेक वक्ताओं ने 'चुनाव कराओ' ऐसा कहा है, और वे किसी प्रकार यह भूल गए हैं कि जब तक इस बात का समाधान नहीं कर लिया जाता कि कौन मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं, तब तक चुनाव नहीं कराए जा सकते और यह बात भी विदेशियों आदि की समस्या को हल करने की समस्या से सम्बन्धित है।

मैंने विभिन्न दलों के नेताओं से पृथक-पृथक वार्त्ता की है और मेरे सम्मानित मित्र श्री इंद्रजीत गुप्त ने मुझ से पूछा "आप सब लोगों के साथ बैठक क्यों कर रहे हैं अथवा हमारी छोटी सी समिति की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ?" हमारा इरादा यह नहीं है। जहां तक त्रिपक्षीय वार्त्ताओं का सम्बन्ध है, हम एक छोटी सी समिति का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें कई दलों के प्रतिनिधि, गण संग्राम परिषद के प्रतिनिधि, अखिल असम विद्यार्थी संघ तथा सरकार के प्रतिनिधि होंगे परन्तु इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व हमने संसद में विपक्षी दलों की राय जानना बेहतर समझा और इसीलिए हमने कल की बैठक रखी है।

अब जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, हमने यह निर्णय लिया था कि आधार वर्ष 1971 होना चाहिए और जो व्यक्ति 25 मार्च, 1971 को इसके अधिकारी थे उनके नाम सदस्यों और मतदाताओं के रूप में दर्ज किए जाने चाहिएं और वे ही नागरिकता और अधिकारों के पात्र होने चाहिएं। इस पर आन्दोलनकर्त्ताओं से समझौता नहीं हुआ है और न ही उन्होंने इसका समर्थन किया है और इसे स्वीकार किया है। अत: श्री रवीन्द्र वर्मा जैसे मित्रों तथा कुछ दलों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि कोई और अन्य सूत्र प्रस्तुत किया जाए जिसमें आन्दोलन-कर्त्ताओं के विचारों को, अपने सिद्धान्तों को छोड़े बिना सम्मिलित किया जा सके। इसलिए हम विपक्षी दलों के सभी सदस्यों के साथ परामर्श करके इसका हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार इस मामले में क्या कुछ कर सकती है और आप सरकार को कितनी छूट दे सकते हैं ?

यदि आप यह कहें कि आप केवल 1971 पर अड़े हुए हैं और यह कहें कि इस बारे में आगे और कोई बातचीत या चर्चा या वार्त्ता नहीं होगी और वही अन्तिम होगी तो इसके परिणामस्वरूप एक निश्चित स्थिति पैदा होगी। परन्तु यदि आप श्री रवीन्द्र वर्मा तथा अन्य कुछ दलों द्वारा सुझाई गई इस स्थिति को स्वीकार करते हैं कि हमें इस सम्बन्ध में वार्त्ता बन्द नहीं करनी चाहिए, तो पहले से स्थापित सिद्धान्तों पर अड़े रह कर हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे हम दूसरे दृष्टिकोण को, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को, गण संग्राम परिषद आदि के दृष्टिकोण को समायोजित कर सकें और तत्पश्चात् हमें उसके साथ चलना चाहिए। हम बैठक केवल यह पता लगाने के लिए बुला रहे हैं कि क्या हम इस सम्बन्ध में कोई सहमति प्राप्त कर सकते हैं। मैं जानता हूं, अन्तिम विश्लेषण, के रूप में सरकार को निर्णय लेना होगा। हम हर बार झुक नहीं सकते और न ही उस स्थिति को हर बार छोड़ सकते हैं जिसे सरकार ठीक और उचित समझती है और जो आम सहमति के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई है—

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह भी आम सहमति थी। 1971 पर भी आम सहमति से निर्णय लिया गया था।

श्री आर० वेंकटरामन : यह ठीक है। चूंकि उस पर स्वीकृति या सहमति नहीं हुई है तो क्या हमें यह समाप्त करके आगे बढ़ना चाहिए ? मुद्दा यह है। प्रश्न केवल इतना ही है। क्या हमें वार्त्ता यहीं समाप्त कर देनी चाहिए अथवा सिद्धान्तों का किसी भी प्रकार अपमान किए बिना उन्हें किसी न किसी प्रकार समायोजित करने का प्रयत्न करना चाहिए ? अन्यथा किसी भी प्रकार की चर्चा करने का कोई लाभ नहीं होगा और हम स्वयं को उस स्थिति में पाएंगे जिसमें इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की वार्त्ता का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। अत:

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की कोई स्थिति नहीं है···

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : अब तक सरकार झुकती रही है।

श्री आर० वेंकटरामन : सरकार झुकी नहीं है। सरकार ऐसे विभिन्न सुझावों को स्वीकार करती रही है जिनका प्रभाव, जिस पर सहमति हुई है उससे कुछ कम प्राप्त करने में रहा है, परन्तु सरकार ने हार नहीं मानी है। क्या हमने कभी किसी मंच पर, किसी स्थान पर यह कहा है कि हम 1971 के अलावा किसी अन्य वर्ष पर सहमत हो रहे हैं ? नहीं, न तो हमने सरकारी और न ही गैर-सरकारी तौर पर ऐसा कहा है। परन्तु सरकार ने वार्ता बन्द नहीं की है और जब कोई सुझाव पेश किए गए तब सरकार ने यही कहा वह इस मामले पर विचार करने के लिए तैयार है और उनसे चर्चा करेगी।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : 1971 से हटने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : इस समय स्थिति यह है। परन्तु हमें कोई हल ढूंढना होगा। सभी सदस्यों ने कहा है कि हमें अवश्य ही कोई हल निकालना चाहिए, सभी सदस्यों ने कहा है कि हमें अवश्य ही कोई समझौता करना चाहिए। परन्तु समझौते के दो पक्ष होते हैं। आप उस पक्ष से समझौता नहीं कर सकते जो यह कहे, "हम यह चाहते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मानेंगे।" अतः यदि आप समझौता चाहते हैं तो दोनों तरफ से कुछ ले-दे होगा और जब तक आन्दोलनकर्त्ता समझौता कुछ ले-दे के आधार पर करने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक सरकार आगे कुछ नहीं कर सकती। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। सरकार केवल तभी समझौता कर सकती है जब असम आन्दोलनकारी कुछ लेन-देन के आधार पर समझौता करने के लिए तैयार हों। इसी प्रकार यदि हम यह देखेंगे कि यह हमें अपने द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों में थोड़ा हेर-फेर करके स्वीकार्य होगा, तब सरकार भी समझौता कर सकेगी। परन्तु आप यह कह कर कि हम समझौता नहीं कर रहे हैं सरकार की आलोचना नहीं कर सकते।

सरकार किसी समझौते पर कैसे पहुँच सकती है जबकि एक पक्ष सहमत नहीं होता हो ? यह ऐसा मामला है कि 'बर्किस इच्छुक हैं—मैं सहमत हूं परन्तु दूसरा पक्ष भी सहमत होना चाहिए। पैगेंटी शाही करने के लिए इच्छुक है मुझे इच्छुक पक्ष कहां से मिलेगा ? इसलिए कोई भी समझौता केवल तभी किया जा सकता है जब दोनों पक्ष एक साथ मिलने के लिए तैयार हों। अब हम समझौता करने की सम्भावनायें खोज रहे हैं। केवल सरकार की आलोचना करने से कोई लाभ नहीं है कि सरकार ने समझौता नहीं किया। सरकार समझौता नहीं कर सकती। समझौता पार्टियों के द्वारा किया जा सकता है। सरकार पार्टियों को एक साथ लाने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है अन्तिम स्थिति ऐसी हो सकती है जिसके बारे में मैं यहां नहीं कहना चाहता क्योंकि हमें यह कहने से पहले कि समझौता सम्भव नहीं हो सका, वह अवस्था अभी प्राप्त नहीं की जा सकी, सभी संभावनायें खोज लेनी चाहिएं। और मुझे एक अच्छे अधिकृत स्रोत से पता चला है कि हाल कुछ बातचीत करने तथा किसी समझौते पर पहुँचने के लिए तैयार हैं और मैं आशा करता हूं कि जब वे बैठक में भाग लेने आयेंगे जो अगस्त के अन्तिम

सप्ताह में बुलायी जायेगी, तो कुछ अन्तिम समाधान खोजने के लिए वे अधिक अच्छी स्थिति में होंगे और उनके दिमाग की स्थिति भी अधिक अच्छी होगी।

मुझे माननीय सभा को यह भी सूचित करना चाहिए कि राजनैतिक स्थिरता के अभाव में आसाम का आर्थिक विकास कम हो गया है और लगभग रुक ही गया है। जब आप कहते हैं कि आर्थिक कार्यक्रम अधिक शक्ति से कार्यान्वित किये जाने चाहिए और यह सब कहते हैं तो आप गाड़ी को घोड़े से आगे जोत रहे हैं। निश्चित रूप से जब मैं 1980 में आसाम का बजट प्रस्तुत कर रहा था तो मैंने कहा था कि योजना मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में मैं आसाम जाने, उनके साथ बैठकर वहां की मुख्य समस्याओं तथा उन बातों पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं जिनसे बुनियादी ढांचा बनाने तथा अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायता मिलेगी, परन्तु पिछले दो वर्षों में हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि जैसे कि माननीय सदस्यों को मालूम है, सरकार के लिए आगे बढ़ने व उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए कोई कदम उठाने के लिए कोई राजनैतिक स्थिरता नहीं थी।

माननीय सदस्यों ने, जिनमें श्री चित्त बसु भी सम्मिलित हैं, कहा है कि आसाम के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। यह कतई ठीक नहीं है। यह मनगढन्त है इसके विपरीत हमने आसाम को अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक दिया है। छठी पंचवर्षीय योजना में आसाम के लिए प्रति व्यक्ति आवंटन 566 रु० है जबकि राष्ट्रीय औसत 258 रु० है। देश के कुछ भाग ऐसे हैं जो पिछड़ रहे हैं— हमारी वजह से नहीं बल्कि हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति से बहुत पहले से और 30 वर्ष की अवधि में हम सारी विषमताओं को दूर नहीं कर सकते जब तक कि सभी राज्यों के विकास कार्य को रोककर भारत सरकार के सभी संसाधनों को आसाम और उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास पर ही न लगा दें। क्या आप या यह सभा देश के संसाधनों के ऐसे वितरण का सुझाव देंगे ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : एक एक वर्ष के लिए अनुमति दे सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : एक वर्ष जिसकी हमने अनुमति दे दी है। हमने कह दिया है कि उनको दोगुनी सहायता मिलेगी। हर बार हमने कहा है कि आपको अन्य राज्यों से दोगुना मिलेगा और उसी आधार पर हमने उत्तर पूर्वी राज्यों को दिया है अर्थात औसत आवंटन का दोगुना।

इससे यही स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ रहा है और इसकी उपेक्षा की गई है और कई वर्ष पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अंग्रेजों ने महाराष्ट्र और बम्बई का विकास किया, अंग्रेजों ने कलकत्ता का विकास किया परन्तु अंग्रेजों ने आसाम का कभी विकास नहीं किया और आप मुड़ कर यह नहीं कह सकते कि दूसरे राज्यों में 200 वर्ष में जो विकास किया गया है उसकी पूर्ति उस स्थान पर भारत सरकार द्वारा 30 वर्षों में संसाधन जुटाकर की जा सकती है। यह सम्भव नहीं है। इस कल्पना का खण्डन किया जाना चाहिये कि आसाम की उपेक्षा की जा रही है क्योंकि आसाम पर सभी योजनाओं में विशेष ध्यान दिया जा रहा है—पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना आदि। हर बार इसको पहले से अधिक योजना आवंटन दिया जाता है।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। कुछ मदे हैं जिनका उल्लेख किया गया है। जोगीगोपा पुल की स्वीकृति दे दी गई है। मुझे बताया गया है कि एक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जहां तक आसाम का सम्बन्ध है जितना सम्भव हो सकता है किया जा रहा है।

दूसरी आलोचना यह है कि जूट कलकत्ता ले जाया जा रहा है और जूट उत्पादक जूट निर्माताओं तथा जूट व्यापारियों से कुछ सौदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह उत्तर देने लायक नहीं है क्योंकि आसाम के लोगों ने कभी यह नहीं कहा कि हम जूट मिलें स्थापित करना चाहते हैं ? क्या उन्होंने जूट मिल स्थापित करने के लिए कोई आवेदन दिया है ? क्या वे आशा करते हैं कि भारत सरकार जाकर जूट मिलें लगायेगा क्या ? अत: भारत सरकार केवल उन्हीं आधारभूत उद्योगों की स्थापना करेगी जिनसे अन्य उद्योगों का विकास हो सके।

जहां तक उपभोक्ता-उद्योगों का संबन्ध है, उनको स्थानीय राज्य सरकार या अन्यों के उद्यम के लिए छोड़ा हुआ है। वे आगे नहीं आये हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या मैंने अपने भाषण के दौरान यह कहा है कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1971 को आधार वर्ष माना जायेगा। हमारा मत यही है कि भारत सरकार ने यह नोट किया है कि हमारी बैठकों में 1971 पर सहमति हुई है। यह स्थिति है जिसका मैंने उल्लेख किया है।

अब वे इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं ताकि रिकोर्ड में कुछ गलत न हो। अब मैं पृथक पृथक उल्लेख किये गये कुछ मदों को लूंगा। मेरे माननीय मित्र श्री समर मुखर्जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वस्तुत: उन्होंने कहा है कि हमें इस समस्या का समाधान यथासम्भव शीघ्र करना चाहिये। और हमें सारी सीमा पर निगरानी रखनी चाहिए। मैं कुछ आंकड़े बाद में दूंगा, जब मैं दूसरे सदस्य के इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि हमने इस सीमा पर क्या किया है।

फिर उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की पहचान का काम शुरू किया जाना चाहिए। हमने यह काम शुरू किया है। समस्या का संतोषजनक समाधान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी, श्री जेठमलानी बहुत ही उत्तेजित थे। वह बहुत अच्छे वक्ता हैं। वास्तव में, निन्दात्मक भाषा बोलने में उनका कोई सानी नहीं है। मेरे पास कुछ बातें हैं। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन उनकी अनुपस्थिति में कुछ नहीं कहूंगा। उनके वक्तव्य में समस्या के समाधान का कोई सुझाव नहीं दिया गया है। सरकार की निन्दा के अलावा उनके भाषण में कुछ नहीं था। यदि सरकार की निन्दा करने से, आप आसाम समस्या का समाधान कर सकते हैं तो इससे हमारी सिरदर्दी भी दूर होगी। मुझे उनके वक्तव्य में ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला जिस पर अमल किया जा सके। वह यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं इतना कह कर ही समाप्त करता हूं।

महोदय, श्री रामविलास पासवान ने पुन: कहा कि आसाम में इन सब कठिनाइयों का कारण आर्थिक रूप से उनकी उपेक्षा करना है। मैंने इस संबंध में कुछ आंकड़े दिए। तब उन्होंने कहा कि विदेशियों के नाम काट दिये जाने चाहिए। पर प्रश्न यह है कि विदेशी है कौन ? सभी कहते हैं कि विदेशियों के नाम काट दिए जाने चाहिएं, लेकिन परिभाषानुसार विदेशी कौन हैं ?

पुराने सदस्यों ने कहा कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है अथवा वह व्यक्ति जिसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अधीन यहां आकर बस जाने का अधिकार नहीं दिया गया है वह विदेशी नहीं है। ये सब कसौटियां हैं और हम समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हमारी मापदंडों के विषय में सहमति हो जाती है तो इसका फैसला करना आसान हो जाएगा।

मैं तो कहूँगा कि इस समस्या को दो दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। पहला दृष्टिकोण है आसाम की संस्कृति तथा भाषा आदि का अस्तित्व जो भारी संख्या में घुसपैठियों विशेषकर गैर-भारतीय नागरिकों, और विदेशियों के आने के कारण समाप्त नहीं हो जाना चाहिए। उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही, 5 मार्च तक बंगला देश युद्ध के परिणामस्वरूप कुछ लोग इस देश में आ गये। इसमें कुछ जिम्मेदारियां है। कुछ लोग आए और यहां बस गए। उन सबको निकाल देने और फिर यह कहने से कि उनसे उनका मतधिमार छीन लिया गया है, और समस्या पैदा हो जाएगी इसकी व्यापकता की ओर भी ध्यान देना होगा। आप उन सबको निकाल नहीं सकते, न ही सभी को वहां आने की अनुमति दी जा सकती है। यहाँ सरकार को निर्णय लेने तथा दोनों पक्षों को स्वीकार्य किसी समाधान पर पहुँचने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, आप कुछ लोगों द्वारा उद्धृत मामला भी ले सकते हैं। श्री गंगवार ने कहा, आपने विभिन्न विदेशियों, घुसपैठियों को निकालने के लिए क्या किया; आपने 1981 में अपने भाषण में यह आश्वासन दिया था कि आपने घुसपैठ रोकने के लिए कार्यवाही की है, आदि। और वे कहते हैं कि हमने उन्हें निष्कासित करने के लिए क्या किया है। दूसरी तरफ, श्री चित बसु और अन्य सदस्यों ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को निकाला गया है और उन्हें अनुचित तरीके से...

श्री चित्त बसु : निकाल दिया गया।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं नहीं जानता, भारत सरकार को भी जानकारी नहीं होगी कि जिस व्यक्ति को निकाला गया है क्या वह यहां रहने का पात्र है या नहीं है। अतः यह बहुत कठिन स्थिति हो जायेगी, इसे निर्धारित करने का एक तरीका यह हो सकता है। विधिवत एक प्राधिकरण बनाया जाए जो यह निर्णय करेगा कि कौन लोग निर्धारित कसौटी के अन्दर आते हैं और कौन नहीं अथवा क्या उन्हें यहां रहने का अधिकार दिया जाए अथवा नहीं अथवा क्या उन्हें निष्कासित कर दिया जाना चाहिए।

अब आन्दोलनकारियों, आसाम के छात्रों और गण संग्राम परिषद के साथ जिस बात पर मैं बातचीत करना चाहता हूं वह यह कि यह पता लगाया जाए कि क्या वह किसी ऐसी संस्था के लिए सहमत होंगे जो दोनों पक्षों के समाधान के लिए यह निर्धारित करेगी कि जिन विभिन्न मापदण्डों को हम निर्धारित करने जा रहे हैं उनके अधीन कौन लोग वहां बसने के पात्र हैं और किनको वहां से निष्कासित किया जाना चाहिए। तब तक हम ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि यदि हमारे समक्ष कोई कठिन मामले रखें जाएंगे तो निश्चय ही हम उनमें हस्तक्षेप करेंगे। हाल ही में यह कहा गया कि कुछ लोग जो रेलवे की भूमि पर रह रहे थे उन्हें और अन्य लोगों को सामूहिक रूप से निष्कासित कर दिया गया है। मैंने कहा कि इन समस्याओं का समाधान हो जाने तक कृपया इस

निष्कासन को बन्द करिए ताकि हम इस मामले की जांच कर सकें। हम आग में घी नहीं छिड़कना चाहते। इसीलिए हमने कहा, इसे कुछ समय के लिए बंद किया जाना चाहिए। भारत सरकार इस तरह की भ्रष्टता और गलतियों को ठीक करने के लिए हमेशा हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन मोरे तौर पर, यह कार्य विधिवत गठित संस्था द्वारा ही किया जाना चाहिए।

चर्चा के दौरान मैं इस मुद्दे को भी विचार के लिए रखूंगा। मुझे आशा है कि वे विदेशियों का पता लगाने के लिए ऐसी संस्था के गठन पर सहमत होंगे

महोदय, श्री रवीन्द्र वर्मा ने हमेशा की भांति बहुत ही जोरदार भाषण किया है। वास्तव में उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिए। मुझे पिछली बैठक के रिकार्ड से पता चला है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। उन पर भी विचार किया जायेगा। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा, उनका सुझाव यह है कि हमें 1971 के फार्मूले पर अड़ा नहीं रहना चाहिए बल्कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पहले हुई सहमति से डिगे बिना हम आसाम के छात्रों और आन्दोलनकारियों की सहमति प्राप्त कर सकें। मेरे विचार से उनका यही प्रस्ताव था। हम अगली बैठक में इस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या वे उस पर सहमत होते हैं कि नहीं। उस दशा में इस समस्या का हल निकालने के लिए यह एक और कदम होगा। और मैं समझता हूं, श्री वर्मा का छात्रों के संगठनों के साथ कुछ सम्पर्क है। मुझे आशा है कि वह उन पर अपना प्रभाव इस प्रकार डालेंगे कि वे किसी तरह का समाधान स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाएं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने फिर कुछ महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्होंने कहा है कि पहचान करने का तन्त्र निष्पक्ष होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस उद्देश्य के लिए कोई संस्था स्थापित की जानी चाहिए। उसके बाद मापदण्ड निर्धारित किये जाने चाहिए। ठीक है, हम ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बंगाली प्रांतीयतावादी कुछ तत्व अपना सिर उठाते हैं, तो हमारा यह प्रयास रहता है कि किसी धार्मिक अथवा भाषायी लोगों के साथ कोई पक्षपात न हो। हम इन बातों को दूर रखने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त इस समस्या को राष्ट्रीय हित की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और इसे भाषायी अल्पसंख्यकों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि जैसे प्रश्नों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इससे हम जो निर्णय लेते हैं वह प्रभावित होता है। मैं श्री गुप्त जी की इस बात से सहमत हूं कि हमें निर्णय लेते समय इन बातों को दूर रखना चाहिए। देश की एकता को सुरक्षित रखने के लिए हम पूरी तरह से सजग और सचेत हैं। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसके समाधान से राष्ट्रीय एकता किसी भी रूप में प्रभावित न हों।

फिर श्री गंगवार जी ने मुझसे बहुत से प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि सीमा पर बाहरी चौकियों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है और इनको मजबूत भी नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। असम क्षेत्र की सीमा पर बाहरी चौकियों को 48 से बढ़ाकर 79 कर दिया गया है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : आपने किस उद्देश्य के लिए इन बाहरी चौकियो की संख्या में वृद्धि की है ?

श्री आर० वेंकटरामन :—उनका यह कहना है कि हमने कुछ भी नहीं किया है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : ऐसा करने का आपका उद्देश्य क्या है ? उस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए। यदि असम के लोगों को बंगलादेश भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में अगले ही दिन बंगलादेश के समाचार-पत्रों में यह खबर आयेगी कि भारत द्वारा मुसलमानों को बंगलादेश भेजा जा रहा है। उनके भाषण का यह अर्थ होगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें।

श्री आर० वेंकटरामन :जब वह बोले थे तब आप सदन में होते तो अच्छा होता। मैं स्वयं कहने की बजाय अन्य सदस्यों के भाषणों को बेहतर तरीके से स्पष्ठ करता हूं। उनका प्रश्न था, "कि आपने 1981 के अपने भाषण में यह कहा था कि हम सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत बनायेंगे ताकि असम में और कोई घुसपैठ न हो सके।" जो बात उन्होंने कही थी वह सरकार पर ऐसा आरोप नहीं है कि सरकार ने सदन में जो वायदे किये थे उनको पूरा नहीं किया गया है। इसके उत्तर में मैंने उनको बताया है कि सीमाओं की उचित रूप से सुरक्षा के लिये हमने सीमा सुरक्षा बल की संख्या में वृद्धि की है। प्रत्येक देश की यह अधिकार होता है कि पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल को रखा जाये। किसी भी अन्य देश के लोग बिना वैध पासपोर्ट तथा वीसा और वैध कागजातों के भारत में नहीं आ सकते। यदि वे आते हैं तो हम उनको बाहर निकालने का हक रखते हैं। इस बात पर कोई भी विवाद नहीं किया जा सकता। दूसरे देशों के उन्हीं लोगों को जिनके पास वैध कागजात होते हैं, आने की अनुमति दी जाती है। श्री गंगवार ने यह बात कही थी, "आपने सीमा को मजबूत नहीं किया है और घुसपैठ जारी है।" मैं सीमा को मजबूत करने के सम्बन्ध में आंकड़े दे सकता हूं तथा 1981 के वक्तव्य के अनुसार हमने पर्याप्त कार्यवाही की है।

पहली बात यह है कि असम क्षेत्र में सीमा की चौकियों को बढ़ाकर 79 कर दिया गया है। विभिन्न स्तरों के लगभग 1700 पुलिस कर्मिकों की स्वीकृति दी गई है और विदेशियों को घुसपैठ को रोकने की योजना के अंतर्गत उनको असम में रखा जायेगा। वास्तव में केन्द्रीय सरकार इन पर होने वाले खर्चे की प्रतिपूर्ति कर रही है। इसके अलावा जहां तक सीमा सुरक्षा बल तथा असम सरकार के पास नावों की संख्या का सम्बन्ध है हमने 26 और अतिरिक्त नावों को खरीदने की स्वीकृति दे दी है। हमने काफी संख्या में नावों की स्वीकृति दी है जैसा कि मैंने आश्वासन दिया था।

माननीय सदस्य ने एक अन्य प्रश्न भी पूछा है कि उनको फोटो जारी क्यों नहीं किए गये हैं। हम यह कहते हैं कि वोट देने के पात्र व्यक्तियों को फोटो जारी किए जायेंगे। यह चुनाव प्रक्रिया का ही एक अंग है। हम इस प्रणाली को उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं। प्रत्येक मतदाता के पास अपने फोटो सहित एक पहचान पत्र होगा। जब हम मतदाता-सूची को तैयार कर लेंगे, तब हम इस ओर ध्यान देंगे कि इस क्षेत्र में फोटो सहित पहचान-पत्र जारी किये जायें, जिससे कि नियमित मतदाताओं के स्थान पर अन्य व्यक्तियों द्वारा छद्मवेशधारण करने अथवा भेस बदलने को रोका जा सके। इसी कारण से अभी तक फोटो जारी नहीं किये गये हैं। तथापि, हम उन सभी बातों को पूरा कर रहे हैं, जिनका मैंने जिक्र किया है।

बाढ़ की स्थिति के बारे में, मैं कुछ ही शब्द कहूंगा यह खेद का विषय है कि हाल ही में आई बाढ़ से कुल लगभग एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है और पिछले कुछ दिनों में बाढ़ से लगभग 900 गांव प्रभावित हुए हैं। यह बताया गया है कि 16,000 हैक्टेयर भूमि की खेती को नुकसान हुआ है और नौ लोगों की जानें गई हैं। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि नियमित रूप से बाढ़ पीड़ितों को राहत दी जाती है। अधिकारियों का एक दल वहां जायेगा और हुई क्षति का निर्धारण करेगा और उससे पश्चात् भारत सरकार इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। बाढ़ के कारण असम के लोगों को संकट का सामना करना पड़ा है, सदन उनके प्रति सहानुभूति रखता है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटुर) : बाढ़ राहत तथा निवारक निर्माण कार्यों पर कई करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं

श्री आर० वेंकट रामन : मेरा विचार है, कि मैंने सभी मुद्दों के बारे में स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। और अब मैं सदन से निवेदन करता हूं कि मेरे संकल्प को मंजूर किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री आर० वेंकटरामन द्वारा प्रस्तुत किये गये सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत असम राज्य के सम्बन्ध में 19 मार्च, 1982 को जारी की गई उद्घोषणा के प्रवर्तन को 19 सितम्बर, 1982 से और आगे छः महीने के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं असम राज्य के वर्ष 1982-83 के बजट सम्बन्धी अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 1 से 72 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां असम राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगें (आसाम), 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा 27.3.82 को स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत मांग की राशि	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1	2	3		4	
		रु०	रु०	रु०	रु०
1.	राज्य विधान मण्डल	28,96,000	...	20,84,000	...
2.	मन्त्रिपरिषद्	11,50,000	...	1,00,000	...
3.	न्याय प्रशासन	97,43,000	...	1,10,43,000	...
4.	निर्वाचन	2,49,91 000	...	2,49,92,000	...
5.	आय और व्यय पर कर	4,41,000	...	4,41,000	...
6.	भू-राजस्व और भूमि की अधिकतम सीमा	4,11,85,000	...	4,35,85,000	...
7.	स्टाम्प	5,00,000	...	4,99,000	...
8.	पंजीकरण	15,54,000	...	15,53,000	...
9.	राज्य उत्पाद-शुल्क	39,70,000	...	42,33,000	...
10.	बिक्री कर और अन्य कर	63,88,000	...	63,88,000	...
11.	परिवहन सेवाएं	1,78,66,000	49,25.000	1,15,02,000	1,27,90,000
12.	बिजली निरीक्षणालय	3,72,000	...	3,71,000	...
13.	अल्प बचतें	1,62,000	...	1,63,000	...
14.	वित्तीय निरीक्षण	1,37,000	...	1,38,000	...
15.	सिविल सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालय	1,94,40,000	...	1,94,40,000	...
16.	जिला प्रशासन	1,79,81,000	...	1,80,80,000	...
17.	राजकोष और लेखा प्रशासन	59 08,000	...	59,09,000	...
18.	पुलिस	18,73,84,000	50,000	18,73,83,000	50,000
19.	जेलें	86,68,000	...	86,68,000	...
20.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	73,07,000	...	77,07,000	...
21.	प्रशासनिक और कार्यो-पलक्षी इमारतें	3,27,21,000	6,00,48,000	2,36,37,000	6,25,45,000
22.	अग्निशमन सेवाएं	51,56,000	...	1,14,56,000	...

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा 27.3.82 को स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत मांग की राशि	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1	2	3		4	
		रु०	रु०	रु०	रु०
23.	सतर्कता और विशेष आयोग	6,58,000	...	6,58,000	...
24.	नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड	1,26,26,000	...	1,26,27,000	...
25.	अतिथि गृह, सरकारी होस्टल, आदि	16,36,000	...	23,77,000	...
26.	प्रशासनिक प्रशिक्षण	3,69,000	...	3,68,000	...
27.	जन्म-मरण के आंकड़े, आदि	5,10,000	...	5,10,000	...
28.	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	1,81,60,000	...	1,81,61,000	...
29.	सहायता सामग्री	1,22,00,000	...	1,22,00,000	...
30.	राज्य लाटरियां और अन्य	24,48,000	...	25,48,000	...
31.	शिक्षा	57,23,67,000	1,00,000	67,42,26,000	1,00,000
32.	कला और संस्कृति	52,28,000	...	48,68,000	...
33.	राज्य अभिलेखागार	1,10,000	...	1,10,000	...
34.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	25,62,89,000	70,25,000	26,37,88,000	70,25,000
35.	सफाई और मल निकासी	6,50,000	2,00,000	12,50,000	2,00,000
36.	आवास योजनाएं	1,26,72,000	19,31,000	1,14,74,000	31,30,000
37.	रिहायशी इमारतें	1,21,79,000	2,21,43,000	1,21,80,000	3,17,50,000
38.	नगर विकास	55,75,000	55,45,000	55,75,000	55,45,000
39.	सूचना और प्रचार	33,75,000	...	33,75,000	...
40.	श्रम और रोजगार	1,39,84,000	...	1,39,83,000	...
41.	नागरिक पूर्ति	66,61,000	...	66,62,000	...
42.	राहत और पुनर्वास	48,000	...	47,000	...
43.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों और अन्यों का कल्याण	2,50,28,000	5,00,000	3,59,77,000	5,00,000
44.	समाज कल्याण	1,55,70,000	...	2.42,44,000	...

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा 27.3.82 को स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत मांग की राशि	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1	2	3		4	
		रु०	रु०	रु०	रु०
45.	नशाबन्दी	25,18,000	...	25,17,000	...
46.	स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशनें, राज्य सैनिक बोर्ड, आदि	20,36,000	14,87,000	21,65,000	14,87,000
47.	देवी विपत्तियां	3,46,00,000	...	5,46,00,000	...
48.	सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	2,50,000	...	2,50,000	...
49.	योजना बोर्ड	16,35,000	...	16,35,000	...
50.	सहकारिता	2,74,11,000	2,12,08,000	3,21,86,000	6,27,87,000
51.	उत्तरी-पूर्वी परिषद् योजनाएं	81,34,000	1,89,32,000	82,92,000	1,87,74,000
52.	सांख्यिकी	59,18,000	...	71,82,000	—
53.	तोल और माप	18,32,000	...	18,32,000	—
54	व्यापार सलाहकार	3,44,000	...	3,44,000	—
55.	कृषि	19,73,50,000	...	20,27,66,000	5,50,00,000
56.	सिंचाई	2,43,96,000	13,04,38,000	2,43,97,000	13,12,21,000
57.	भूमि और जल संरक्षण	1,95,74,000	60,00,000	1,71,23,000	60,00,000
58.	पशुपालन और पशु चिकित्सा	4,44,91,000	...	4,54,51,000	...
59.	डैरी विकास	72,00,000	...	1,02,01,000	...
60.	मीन उद्योग	1,06,53,000	1,00,000	1,08,54,000	1,00,000
61.	वन	10,32,76,000	...	10,67,75,000	...
62.	सामुदायिक विकास	4,18,42,000	...	4,18,42,000	...
63.	उद्योग	21,70,000	2,64,73,000	21,71,000	4,20,96,000
64.	रेशम कीटपालन और बुनाई	2,32,33,000	1,22,000	2,27,53,000	89,000
65.	कुटीर उद्योग	1,09,44,000	61,30,000	1,42,09,000	32,65,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा 27.3.82 को स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत मांग की राशि	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1	2	3		4	5
		रु०	रु०	रु०	रु०
66.	खानें, खनिज और विद्युत	45,23,000	29,00,00,000	45,22,000	22,67,00,000
67.	बाढ़ नियंत्रण	4,35,05,000	6,50,00,000	4,35,05,000	6,50,00,000
68.	सड़कें और पुल	13,71,33,000	11,95,00,000	14,62,17,000	12,70,01,000
69.	पर्यटन	18,38,000	...	18,38,000	...
70.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजे और समनुदिष्ट राशि की अदायगी	1,96,35,000	...	1,96,35,000	...
71.	आसाम राजधानी निर्माण	...	20,63,000	...	81,78,000
72.	सरकारी सेवकों को उधार और अग्रिम	...	3,12,50,000	...	3,12,50,000

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री निहार रंजन लास्कर द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

"कि यह सभा, आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40) के द्वारा यथासंशोधित आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 (1980 का 41) की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसरण में असम सरकार, राजनीतिक (क) विभाग की दिनांक 5 मई, 1982 की अधिसूचना संख्या पी० एल० ए० 906/82/3 को जारी किये जाने का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित सेवाओं को असम राज्य में आवश्यक सेवाएं घोषित किया गया है।—

(एक) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम अथवा स्थापना की खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के भंडारण, सप्लाई और वितरण सम्बन्धी सभी सेवाएं।

(दो) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम अथवा स्थापना की कृषि आदानों और मशीनों के भंडारण, सप्लाई और वितरण सम्बन्धी सभी सेवाएं।

(तीन) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम अथवा

स्थापना की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन, उत्पादन और वितरण सम्बन्धी सभी सेवाएं ।

(चार) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी उपकरण अथवा स्थापना की कृषि कार्यों के लिए बीजों के भंडारण, सप्लाई और वितरण संबंधी सभी सेवाएं ।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ

मत-विभाजन संख्या-13

18.25 बजे

पक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
आजाद, श्री भागवत झा
बालेश्वर राम, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०
बन्सी लाल, श्री
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भोई, डा० कृपासिन्धु
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चौधरी, श्री नमफूल सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
डेनिस, श्री एन०
देसाई, श्री बी० वी०
देव, श्री संतोष मोहन
ईरा मोहन, श्री
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
गहलोत, श्री अशोक
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
लास्कर, श्री निहार रंजन
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
महन्ती, श्री बृजमोहन
[illegible] श्री यशवन्त राव
श्री वी० आर०
ाल, श्री पी०
श्री अरविन्द
सिंह, श्री
ाही, श्री चिन्तामणि
, श्री राम प्यारे
ाल सिंह, श्री
, श्री केशवराव
श्री मोहन लाल
श्री शान्तुमाई
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री उत्तम राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल श्री, विजय एन०
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
फुलवारिया, श्री विरदा राम
पाइलट, श्री रजिश
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
कादरी, श्री एस० टी०
राही, श्री रामलाल
रहीम, श्री ए० ए०
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई
राममूर्ति श्री, के०

रणवीर सिंह, श्री
रंग्ग, प्रो० एन० जी०
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्री एम० नागेश्वर
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रावत, श्री हरीश
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
साहू, श्री शिव प्रसाद
साठें, श्री वसन्त
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सईद, श्री पी० एम०
सेबस्तियन, श्री एस० ए० बोराई
शंकरानन्द, श्री बी०
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
शिगडा, श्री डी० बी०
सिंह, देव, श्री के० पी०
सारेन, श्री हरिहर
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
सुन्दर सिंह, श्री
तारिक अनवर, श्री
तेङ्येंग, श्री सोवेंग
थुंगोन, श्री पी० के०
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुबैय्या, श्री पी०
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
यादव, श्री राम सिंह

विपक्ष में

आचार्य, श्री वसुदेव
बाग, श्री अजित
बालानन्दन, श्री ई०
बसु, श्री चित्त
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चन्द्रपाल सिंह, श्री
दास, श्री रेणुपद
दत्त, श्री अमल
दिगम्बर सिंह, श्री
गिरि, श्री सुधीर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
होरो, श्री एन० ई०
झा, श्री योगेन्द्र
खां, श्री गुलाम मोहम्मद
लारेंस, श्री एम० एम०
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता, प्रो० अजित कुमार
मुखर्जी, श्री समर
राजदा, श्री रतनसिंह
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदोश
साहा, श्री अजित कुमार
शाक्य, श्री दया राम
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजबलकर, श्री एन० के०
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीउलाल प्रसाद

शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार रहा :

पक्ष में 90

विपक्ष में 29

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

असम विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक 1982

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिसोदिया विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिये असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रो० अजित कुमार महता केवल दो या तीन मिनट (व्यवधान)

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : सर्व श्री नारायण दत्त तिवारी और समीनुद्दीन

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मै कही हुई बात को दोहराना नहीं चाहता। अभी अभी गृह मंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही और चुनाव की एक प्रकार से घोषणा ही कर दी कि मार्च के पहले चुनाव होंगे। मैं इसका स्वागत करता हूं।

विदेशियों के मामले में भी काफी बातें कही जा चुकी हैं और इसके बारे में और कुछ अधिक कहने की गुंजाइश नहीं है। केवल एक-दो बातें मैं कहना चाहता हूं। वहां एक विचित्र स्थिति है कि अभी भी वहां पर न विधान सभा में जन-प्रतिनिधि हैं और न ही इस संसद् में असम के अधिकांश भागों के जन-प्रतिनिधि हैं। नतीजा क्या है कि वहां एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है कि वहां के लोगों पर दूसरी जगह के लोग शासन कर रहे हैं। मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि 100 साल पहले अमेरिका में जब ऐसी स्थिति आई कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जब उनके लिए विधान तैयार किया, तो वहां के लोगों ने इस बात का विद्रोह किया कि जिस पार्लियामेंट में हमारा एक प्रतिनिधि भी नहीं है, उसको हमारे लिए विधान बनाने का अधिकार नहीं है। तो इस परिपेक्ष्य में गृह मंत्री ने जो घोषणा की है, वह स्वागत-योग्य है।

विदेशियों के मामले में जितनी बातें कही गई हैं, वे काफी हैं लेकिन उनमें एक बात मैं यह जोड़ देना चाहता हूँ कि हमको याद रखना चाहिए कि विदेशियों का सवाल अकेले आसाम का सवाल नहीं है, यह पूरे राष्ट्र का सवाल है। इसलिए वहां पर विदेशियों के कारण अगर उसको इतना भार वहन करना है, तो वह सारा भार आसाम के ऊपर न डाल कर उस भार को सारे राष्ट्र को वहन करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं और वे बड़े चतुर रहे हैं। उन्होंने जो अभी-अभी आंकड़े दिये हैं, उन आंकड़ों से यह सिद्ध किया है कि आसाम की आर्थिक रूप से उपेक्षा नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विनियोग विधेयक पर बोल रहे हैं। इससे गृह मंत्री का क्या सम्बन्ध ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : परन्तु मैं अपनी बात अवश्य कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खाली आंकड़ों से सिद्ध करने से काम नहीं चलेगा।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कुनबा नदी पार कर रहा था। उस परिवार के मुखिया ने नदी की गहराई की एवरेज निकाल कर अपने परिवार को नदी पार करने के लिए कहा जिसमें कि बच्चे भी थे और बड़े भी थे। उसने एवरेज निकाल लिया कि एक फुट गहरा पानी है मगर गहराई में पहुँच कर उसका सारा कुनबा डूब गया। इसलिए अगर आप आंकड़ों से कुछ सिद्ध करना चाहेंगे तो बात नहीं बनने वाली है।

मैं आपको आपके बजट से कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। आपने इसमें गेस्ट हाउसिज और गवर्नमेंट होस्टल के लिए 27-3-82 को 16 लाख, 36 हजार रुपये रखे थे। अब आपने बढ़ाकर

यह राशि 23 लाख 77 हजार कर दी है। इसका अर्थ है कि आप अनुत्पादक कार्यों पर अधिक खर्च कर रहे हैं। इससे क्या विकास संभव है ?

आपने आर्ट्स और कल्चर पर 52 लाख 28 हजार रुपये रखे थे उसको घटा कर आपने 45 लाख 68 हजार रुपये कर दिए हैं। आवास योजनाओं के लिए, जोकि जनकल्याण की योजनायें हैं उनके लिए आपने 1 करोड़ 26 लाख 72 हजार रुपये से घटा कर 1 करोड़ 14 लाख, 74 हजार रुपये कर दिये। श्रम, रोजगार के लिए आवश्यकता होती है कि आवंटन को बढ़ाया जाये, उसके लिए आप उतनी ही राशि रखे हैं अर्थात् पहले आपने 1 करोड़ 39 लाख 88 हजार रुपये की राशि रखी थी, अब उसके लिए 1 करोड़ 39 लाख 83 हजार रुपये की राशि कर दी है। इसी प्रकार नशाबंदी के लिए आपने 25 लाख 18 हजार रुपये को घटा कर 25 लाख 17 हजार कर दिया है। इसी प्रकार बाढ़ के कारण जो भारी क्षति होती है, उसके नियंत्रण के लिए आपको ज्यादा राशि देनी चाहिए थी लेकिन आपने भूमि और जल संरक्षण कार्यों के लिए 1 करोड़ 95 लाख 74 हजार रुपये की राशि को घटाकर 1 करोड़ 71 लाख 23 हजार कर दिया है। यहां पर आपको आवंटन बढ़ाना चाहिए था क्योंकि यह केवल असम का ही सवाल नहीं है, असम के निचले भागों का भी इसमें हित निहित है। इसको आप घटा रहे हैं।

इसी प्रकार छोटे उद्योग धंधों के लिए जैसे कि सेरीकल्चर और वीविंग है, इनके लिए आपको प्रोत्साहन देना चाहिए था। यहां पर भी आपने 2 करोड़ 32 लाख 33 हजार रुपये से घटा कर 2 करोड़ 27 लाख, 53 हजार कर दिया है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट के सम्बन्ध में चार मांगों की तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी चर्चा हो, उसकी समाप्ति अवश्य ही श्री रामावतार शास्त्री के भाषण से होनी चाहिए। पिछले दिन सूखे की स्थिति पर हुई चर्चा के अन्तिम वक्ता श्री रामावतार शास्त्री थे और खूब वर्षा हुई।

श्री रामावतार शास्त्री : महोदय, आपने मेरी सहायता की थी। मांग नम्बर 46, जिसको संबंध स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन से है। आसाम में जिस सरकार ने भी स्वतन्त्रता सैनानियों को पेंशन देने का निर्णय लिया था, उसको मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहूंगा..... (व्यवधान) श्रीमान् मैं यह जानना चाहूंगा कि वहां के स्वतन्त्रता सैनानियों के लिए, आपने क्या-क्या सहूलियतें दी हैं। यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं, क्योंकि अधिकांश बूढ़े हो चुके हैं। उनको अधिक से अधिक सहूलियत देने की आवश्यकता है, ताकि वे ज्यादा समय तक जिन्दा रह सकें।

दूसरी बात शिक्षा के संबंध में है। मैंने पहले भी यह सवाल उठाया था कि आसाम के सैकड़ों छात्र आन्दोलन की वजह से और आगे की पढ़ाई की वजह से दिल्ली आ गए हैं, लेकिन उनको एडमीशन नहीं मिल रहा है। मैंने शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया था, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि कई छात्र और छात्राएं उनसे भी मिले हैं। इसलिए उनके लिए ठीक से

व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे यह न महसूस करें कि उनके यहां आन्दोलन है, शिक्षा में व्यवधान है, इसलिए यहां की सरकार उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देती।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थाओं में पृथकतावादी आन्दोलन के विरोधी छात्र भी हैं। सेक्यूलरिज्म में विश्वास करने वाले छात्र भी हैं, ऐसे जो लोग हैं ए० आई० एस० एफ०, एस० एफ० आई० में, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि पृथकतावादी तत्वों के खिलाफ ये लड़ सकें और एकता की भावना छात्रों में बढ़ सके।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसाम की यातायात व्यवस्था अभी तक सुचारू नहीं है। उसके लिए आपने थोड़ी ही रकम बढ़ाई है। 13 करोड़ 78 लाख से 14 करोड़ 62 लाख 17 हजार किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर आपको और अधिक ध्यान देना चाहिए।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन मुद्दों पर ध्यान देते हुए ऐसे प्रबंध कर लें जिससे आसाम का सचमुच में विकास हो। केवल बहानेबाजी न कीजिए कि वहां एस्टेबिलिटी नहीं रही इसलिए विकास रुका रहा। 1977 तक तो एस्टेबिलिटी रही।

इन सब बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सुनने का धीरज दिखाया।

तीसरी बात सिविल सप्लाइज के बारे में है जो मांग नम्बर 41 से सम्बन्ध रखती है। आपने सुना होगा कि देश की राशन की दूकानों में बहुत जगह राशन नहीं है। हम लोग जब सुखाड़ के सिलसिले में बहस कर रहे थे तब भी यह बात आई थी। अखबारों में आ रहा है कि असम में भी समस्या है। सिविल सप्लाइज विभाग का यह कर्तव्य है कि वहां जो वर्तमान स्थिति है इसको देखते हुए विशेष रूप से राशन की दुकानों में राशन की सप्लाई में किसी भी प्रकार की कमी न आने दे, नहीं तो एक तरफ आन्दोलन की मार से, पृथकतावादियों के दुष्कर्मों की शिकार वहां की जनता है और दूसरी तरफ आपकी मार की भी वह शिकार होगी। राशन की दुकानों में जो चीजें आप देते हैं वे पूरी पूरी दें।

प्राकृतिक विपत्तियों की चर्चा भी मन्त्री महोदय ने की है। असम में बाढ़ आई और तूफान भी आया, एक साथ दो-दो विपत्तियां बाढ़ भी ब्रहमपुत्र नदी में और साइक्लोन भी आया। गवालपाड़ा और शिव सागर जिले बुरी तरह से इस वजह से क्षतिग्रस्त हैं। 18 आदमी बाढ़ में मर चुके हैं। यह अखबारों में आया है। हो सकता है इससे भी अधिक की मृत्यु हुई हो। उनकी मदद के लिए रिलीफ वर्क में, सहायता कार्यों में किसी भी प्रकार की सुस्ती नहीं होनी चाहिए। उनकी ज्यादा से ज्यादा सहायता आप करें ताकि उनकी जान भी बच सके और वे जिन्दा भी रह सकें।

यही चार मुद्दे थे जो मैं उठाना चाहता था। अगर गवर्नमेंट स्थिति बता सकती हो तो बता दे ताकि देश को मालूम हो कि आप क्या कर रहे हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : इस चर्चा में दो माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। परन्तु सदन के

समक्ष तथ्यों को रखना आवश्यक है, जिससे कि वास्तविक स्थिति को सही ढंग से समझा जा सके।

असम में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद केन्द्रीय सरकार पर्याप्त आतुर और सजग रही है और उसने असम के आर्थिक विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। आंकड़ों से पता चलेगा कि 1974 से 1979 तक के पांच वर्षों के कुल योजना 460 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना में 1115 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है। केन्द्रीय सहायता 827 करोड़ रुपए की निश्चित की गई है जो कुल योजना परिव्यय का लगभग 75 प्रतिशत है। 1971 की जनगणना के आधार पर छठी योजना का प्रतिव्यक्ति व्यय 764 रुपये आता है। पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति सहायता 102 रुपये थी जबकि असम के लिए यह 166 रुपये प्रति व्यक्ति थी छठी योजना में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता सभी राज्यों के लिए 258 रुपये है, जबकि असम के लिए 565 रुपये है।

आर्थिक कार्यकलापों के बारे में, मैं सदन के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। बिजली के लिए वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में क्रमशः 74.80 करोड़ रुपये, 77·47 करोड़ रुपये और 90-70 करोड़ रुपये की धन राशि का आवंटन किया गया। कृषि और उससे सम्बद्ध सेवाओं के आकड़े वर्षवार क्रमशः 37.97 करोड़ रुपए, 45.94 करोड़ रुपये और 52.87 करोड़ रुपये हैं।

इन सभी क्षेत्रों में राशि बढ़ा दी गई है और असम की समग्र आर्थिक उन्नति का ध्यान रखा गया है।

बड़ी और मध्यम दर्जे की कृषि परियोजनाओं के लिए 9.75 करोड़, 10.80 करोड़ रुपये और 10.80 करोड़ रुपये क्रमशः वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए रखे गये हैं।

बहुत से सदस्यों ने सड़कों और पुलों का उल्लेख किया है। सड़कों और सेतुओं के लिए 1980-81 में 14.97 करोड़ रुपये और 1982-83 में 16.50 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इसी प्रकार उद्योग और खनिज क्षेत्र के लिए 1980-81 में 6.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और 1982-83 के लिए 10.75 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए सदृश आंकड़े 42.95 करोड़ रुपये और 42 47 करोड़ रुपये हैं। उसी अवधि के लिए सहकारिता के लिए धन-राशि 3.88 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की गई है।

अनेक सदस्यों ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुलों के निर्माण की बात कही है। सरायघाट का पुल 1962 से बना हुआ है। सिलघाट के निकट भोमोरागुड़ी नाम का एक और पुल निर्माणाधीन है। एक तीसरे जोगीघोपा नामक पुल की अभी हाल में ही मंजूरी दी गई है।

और फिर सामान्य बजट में बाढ़ राहत राशि को 3.46 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5.46 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सड़कों के लिए योजना परिव्यय प्रतिवर्ष निरन्तर बढ़ता रहा है। 1980-81 में यह 14.79 करोड़ रुपये था, 1981-82 में यह 16 करोड़ रुपये था और 1982-83 में बढ़कर यह

16.50 करोड़ रुपये हो गया। उत्तर-पूर्वी परिषद महत्वपूर्ण अन्तर-राज्यीय सड़कों के लिए 2.23 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।

श्री रामावतार शास्त्री द्वारा उठाए गये तीन मुद्दों की बात यह है कि शिक्षा में समय लगेगा। जहां तक आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का सम्बन्ध है, यह देखने के लिए हर कदम उठाया जाएगा कि देश का कोई भी भाग ऐसा न बचे जहां पर खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं न पहुँचे। आवश्यक वस्तुएं उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई की जा रही हैं। अतः उस विषय में चिन्ता की कोई बात नहीं है। जहां तक स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार ने सभी ऐतिहाती उपाय किए हैं। असम सरकार स्वतन्त्रता सैनानियों को हर सम्भव सहायता दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2, और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

6.49 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 6 अगस्त, 1982/15 श्रावण, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

1982 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और ए० जे० प्रिंटर्स नई दिल्ली-2 द्वारा मुद्रित।